षष्ठम् माला, खंड 28, अंक 3 बुधवार, 11 जुलाई, 1979/20 आषाढ़ 1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(8th Session)

6th Lok Sabha

[खंड 28 में अंक 1 से 6 तक है]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 3 बुधवार, 11 जुलाई, 1979/20 आषाढ़, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 42 से 48	1—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 41 और 49 से 60	25—38
अतारांकित प्रश्न संख्या : 401 से 495, 407 से 411 413 से 579, 519 550, 552 से 572 और 574 से 580	39—154
सभा पटल पर रखे गये पत्र	155—157
गैर—सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 35वां प्रतिबेदन	158
बहुराज्य सहकारी समितियां विधेयक संयुक्त समिति का प्रतिवेदन करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	159—160
संघ उत्पादन—शुल्क (विद्युत) वितरण विधेयक—पुरःस्थापित	161
अंतरिक्ष प्रयोगशाला (स्काई लैब) के बारे में अद्यतन जानकारी देने वाला विवरण	162
मन्त्रिमण्डल में अविश्वास प्रस्ताव	163—229
श्री यशवंत राव चह्वाण	163—184
श्री गौरी शंकर राय	172—176
श्री सी० एम० स्टीफन	176—214
श्री कंवर लाल गुप्त	184—191
श्री कल्याण जैन	191—199
प्रो० दिलीप चक्रवती	199—204

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह *इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
श्री समर मेखर्जी	204—215
डा० मुरली मनोहर ज्योशी	212—215
श्री वी० पी० नायक	216—221
श्री रामजी सिंह	221—225
श्री निर्मल चन्द जैन	225—229
आधे घण्टे की चर्चा	
चम्बल पुल का निर्धारित समय से पहले टूट जाना	
श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी	230—241
श्री सिकन्दर बख्त	232—241
श्री पी० जी० मावलंकर	236—241
श्री आर० डी० गट्टानी	237—239
श्री हुक्म चन्द कछवाय	239—240

लोक सभा

बुधवार, 11 जुलाई, 1979/20 आषाढ़, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रो० पी० जी० मावलंकर : महोदय आज हम अंतिम प्रश्न पहले लेंगे। अंतिम प्रश्न स्काई लैब के बारे में है। स्काई लैब आज गिरेगा । उस प्रश्न को आज विशेष मामले के आधार पर पहले लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : टैलेक्स का ताजा समाचार यह है कि यह भारत में नहीं गिरेगा (व्यवधान) श्री कोलनथाइवेलु वह सदन में नहीं हैं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में सम्मिलत न किया जाये । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सरतकार वह नहीं हैं श्री सोमानी।

10 मानक किस्मों में कपड़े का उत्पादन

*42. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सुझाव दिया है कि कपड़े का उत्पादन 10 मानक किस्मों तक ही सीमित रखा जाए ; और

(ख) क्या उनका विचार उद्योग के समुचे उत्पादन का मानकीकरण करने का है अथवा अनियंत्रित कपड़े के उत्पादन का 10 किस्मों में बांटने का है।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित धारणा की संभावनाओं व इससे संबंधित उलझनों पर विचार किया जा रहा है जिसके उपरांत इसके व्यौरे दे पाना संभव हो सकेगा।

श्री एस० एस० सोमानी : अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री जी जहां कहीं नीति संबंधी अपनी बात कहते हैं वहां बार बार नई घोषणाएं करते हैं। इसी घोषणा में उन्होंने एक सुझाव दिया

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

था कि कपड़े को 10 मानक किस्मों तक सीमित कर दिया जाएगा। लेकिन आज जब मैंने प्रश्न रखा तो मुझे उत्तर दिया कि इस पर विचार किया जा रहा है और उसके बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है मैं जानना चाहता हूं कि नियंत्रित कपड़ों की बीस किस्मों को दस मानक किस्मों तक सीमित रखने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं और कपड़ा उद्योग की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया उनके सामने आई है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस मसले पर यों तो एक अरसे से चर्चा हो रही है और प्लानिंग कमीशन ने जो स्टडी ग्रूप इस उद्योग के बारे में बनाया था उसमें आज जो लगभग 5 हजार किस्मों के कपड़ों को बनाया जा रहा है, इनको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में विचार हुआ था। उसी के आधार पर हमारे मंत्रालय में इस पर आज चर्चा चल रही है। इस चर्चा को उद्योग से संबंधित लोगों से भी हमने छेड़ा था। असल में सार्वजनिक तौर पर इस पर कहा था क्योंकि दामों के नियंत्रण के संबंध में यह बात आई थी कि आज 5,100 किस्म का कपड़ा बाजार में बेचा जा रहा है जिसमें दामों का नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए साधारण तौर पर इस्तेमाल करने वाले आदमियों के लिए 8-10 रुपये फी गज कपड़े का कोई ऐसा इन्तजाम हो सकता हो जिसमें बेरायटीज समाप्त की जाएं और दाम को ठीक ढंग से नियंत्रित किया जाए तो कपड़े के दामों की जो समस्या है उसको हल करना कुछ आसान हो सकता है। ऐसी हमारी राय है। उद्योग ने इसके बारे में जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है वह अच्छी नही हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की बात हो जाती है तो चीन जैसी हालत हो जाएगी, एक ही किस्म का कपड़ा लोगों को पहनना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं हैं, रंग किस तरह का लगाते हैं उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं परन्तु कुछ स्टैंडर्ड बेरायटीज हों, दस बेरायटीज ही हों और उसमें रंग की कोई बात नहीं है। इस पर अभी विचार हो रहा है।

श्री एस० एस० सोमानी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आपने कुछ बढ़िया किस्म के कपड़े पर मूल्य सीमा रखी है और क्या यह भी सही है कि यदि एक बार कोई कपड़ा मूल्य सीमा में आ जाता है तो मिलें उसका उत्पादन बंद कर देती हैं और मूल्य नियंत्रण से बचने के लिए थोड़ा अन्तर करके उसी प्रकार का कपड़ा बनाने लगती है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : इस समय मूल्य नियंत्रण कहीं नहीं है। किन्तु नियंत्रित कपड़ा है और यह एक दम एक पृथक विषय है।

श्री एस०आर० दामाणी : कपड़े की किस्मों में कमी करने के बारे में माननीय मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय की प्रशंसा करते हुए क्या मैं उनसे यह पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने इस बीच कपड़े की किस्मों का पता लगाकर उस पर नियंत्रण करने के लिए मार्ग-निर्देशिकाएं तैयार कर ली है ताकि कार्यवाही की जा सके और कपड़े की किस्मों में कमी की जा सके। इस मामले की जांच करने के लिए एक स्वतन्त्र विशेषज्ञ समिति बनाने के लिए क्या कोई निर्णय लिया गया है अथवा आप ऐसी समिति की नियुक्ति करने वाले हैं ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : मुझे हर्ष है कि कपड़ा मिल मालिकों ने कपड़े की किस्मों को कम करने संबंधी प्रस्ताव को पसन्द किया है।

किसी प्रकार की समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कपड़ा आयुक्त कपड़ा उत्पादन के आंकड़े भी एकत्रित करता है और उत्पादित कपड़े की किस्मों के संबंध में अथवा उन पर लिए जाने वाले मूल्य के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है।

हम यह चाहते हैं कि आम आदमी द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा कपड़ा उनको मानक मूल्यों पर उपलब्ध हो और उस कपड़े का उत्पादन हो और उसे उचित दर पर बेचा जाए।

श्री लखन लाल कपूर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में जो टेक्सटाइल मिलें है जिनमें, जैसा आपने बताया, पांच हजार किस्म का कपड़ा बन रहा है, क्या आप समझते हैं समाजवादी समाज के सिद्धांत को लागू करने के लिए, जिसके लिए जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, आप शीघ्रातिशीघ्र तय करने जा रहे हैं कि इन तमाम टेक्सटाइल मिलों को ले लिया जायेगा और नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के अन्तर्गत डाल दिया जाएगा ?

दूसरे क्या इस देश में बेकारी को देखते हुए, हैन्डलूम सेक्टर में जो कपड़ा बन रहा है जिसमें 1 करोड़ आदमी लगे हुए हैं और 38 लाख लूम चल रहे हैं, टेक्सटाइल मिलों के कपड़े को बंद करके उसको हैन्डलूम सेक्टर में लेजाने की परिस्थिति में आप हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : कपड़े के बारे में जो हमारी नीति है उसके अनुसार टेक्सटाइल मिलों को कोई नया करघा लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आजतक जो उनके करघों की संख्या है वहीं पर उनको सीमित रखा गया है। अधिक कपड़ा बनाने का सारा काम हथ-करघा पर ही हो रहा है। पिछले साल कुल कपड़े के उत्पादन में जो बृद्धि हुई उसमें मिलों ने अपने पहले साल के उत्पादन पर दो फीसदी की वृद्धि की जबकि हथकरघा पर बने कपड़े में 11 फीसदी की वृद्धि हुई। जो नीति इस समय चल रही है वह भविष्य में कथकर्घे पर अधिक कपड़ा बनाने की नीति है। जहां तक कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है - वह इससे नही उठता है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिला सकता हूं कि जब इस देश में कपड़ा उत्पादन में हथकरघा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है तो उस हथकरघा क्षेत्र को चालू रखने के लिए क्या सरकार बहुत पहले माननीय राजा जी द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विचार करेगी कि धोतियों और साड़ियों का उत्पादन पूर्णतया हथकरघा क्षेत्र को सौंपा जाए ताकि हमारे लाखों लोगों को हथकरघा क्षेत्र में, जिसका हमारे देश में कृषि के बाद दूसरा स्थान है, रोजगार मिल सके ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि धोतियों और साड़ियों तथा कपड़े की कुछ अन्य किस्मों का उत्पादन पूर्णतया हथकरघा क्षेत्र को दे दिया जाए। तकनीकी दृष्टि से तो धोतियों और साड़ियों का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में ही हो रहा है कुछ किस्मों की धोतियों और साड़ियों का उत्पादन मिलों में ही हो रहा है।

हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और इस पर हम कोई निर्णय लेंगे।

"कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों की गोपनीय फाइलों तक बड़े उद्योग गृहों की पहुंच" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

* 43. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के दिनांक 30 मई, 1979 के स्टेटस मैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि उद्योग मन्त्री ने कहा है कि कुछ केन्द्रीय मन्त्रालयों की गोपनीय फाइलों तक बड़े उद्योग गृहों की पहुंच है ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि "मेरे विभाग में एक भी फाइल नहीं है जिसकी जानकारी बिड़ला उद्योग समूह को न हो"; और

(ग) लोगों के मन में दुविधा उत्पन्न करने वाले वक्तव्य देना कहां तक ठीक है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) लोगों की ऐसी धारणा है कि सरकार के प्रशासनिक तन्त्र पर बड़े उद्योगों व बड़े व्यावसायियों का नियंत्रण है। उनकी निर्णय लेने वालों तक व अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने तक आसान पहुंच है। वक्तव्य में केवल यही धारणा व्यक्त की गई है। इससे लोगों के दिमाग में किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न नहीं होती।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जो वक्तव्य अखबार में आय है, वह बहुत गम्भीर है। जब आप ने यह वक्तव्य दिया था, तो आपको यह मानना ही पड़ेगा कि आप को अपने मन्त्रालय के बारे में पूरा ज्ञान होगा...... ।

श्री राज नारायण : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वान्इट आफ आर्डर है। 'आप' शब्द का प्रयोग सुविधापूर्वक आप के लिए होता है। आपके मायने स्पीकर साहब...... ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उसे बोलने दें। वह प्रश्न रख रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आप के वक्तव्य से यह बात स्पष्ट होती है कि मंत्री महोदय को जानकारी है कि बिग-हाउसेज, विशेषकर बिड़ला और जो दूसरे ग्रुप्स हैं वे सरकार के बहुत से मंत्रालयों के सीक्रेट्स को जानते हैं और निर्णय-मेकिंग में भी उनका हाथ होता है। यह बहुत

गम्भीर बात है। मैं तो यह आशा करता था कि आप इसका खण्डन करेंगे। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि आप का यह वक्तव्य सही है तो आपके मंत्रालय के सीक्रेटफाइल्ज़ की जानकारी जिन कर्मचारियों ने दी है उनके विरुद्ध आपने क्या एक्शन लिया है और यदि कोई एक्शन नहीं लिया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर एक अर्से से इस देश में बहस चल रही है। वास्तव में जो इण्डस्ट्रीयल लाइसेंसिंग पालिसी एन्कवायरी कमेटी बनी थी और जिस ने 10 वर्ष पहले अपनी रिपोर्ट दी थी, उसने भी इस मसले पर काफी गम्भीरता से विचार किया था और एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जो बड़े उद्योग चलाने वाले हैं, विशेष कर कुछ बड़े घराने हैं, उनकी सरकार में किस प्रकार की पकड़ है। इस मामले को लेकर 9 वर्ष पहले एक सरकार-कमीशन भी बना था, जिसको बनाने के पहले राज्य सभा के एक माननीय सदस्य ने एक घराने के बारे में कई किस्म के आरोप लगाकर कई आवेदन पत्र दिये थे। इन सारे मामलों में एक बात बहुत स्पष्ट हो गई थी कि इन घरानों का काफी प्रभाव है और ये अलग-अलग ढंग से सरकार के निर्णय लेने वाले यन्त्र पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। जब मैंने इसका जिक्र किया था, तो इसी सन्दर्भ में किया था। जहां तक हमारे मन्त्रालय का सवाल है, हम इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और कई किस्म की बातें इस समय भी सी० बी० आई० के हाथ में हैं, जिनको हमने उन तक पहुंचाने का काम किया है। मगर एक अर्से से यह एक प्रकार की सभ्यता बनी हुई है और उससे निकलना कितना कठिन काम है, इसको मैं महसूस करता हूं। इसी कारण से मैंने इस बात को इस तरह कहने का काम किया है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यह एक गम्भीर मामला है और अगर यह सच है और जैसा आपने कहा कि कमेटी ने भी इस बात का संकेत किया था कि बड़े-बड़े घरानों को लगभग सभी मंत्रालयों की सीक्रेट फाइलों का ज्ञान है और कोई निर्णय लेने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, तो इस खतरे से बचने के लिये, इस प्रभाव को कम करने के लिए कि वे सीक्रेट फाइलें न जान सकें और इस प्रवृति को समाप्त करने के दृष्टिकोण से क्या सरकार ने कोई विचार किया है ? इस प्रभाव को दूर करने के लिए क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है और यदि सरकार ने कोई विचार नहीं किया, तो उसका कारण क्या है ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : जैसे मैंने कहा कि बड़े घरानों के काम करने की जो पद्धति है, वह एक अर्से से बनी बनाई पद्धति है और क्षेत्रीय स्तर पर और नौकरशाही के स्तर पर वे अलग अलग अपना काम करते हैं। अपने मन्त्रालय के संदर्भ में मैं यह कह सकता हूँ कि हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं कि इस प्रकार का असर न पड़े और जब कोई ऐसी चीज़ हम लोगों के सामने आती है, तो तत्काल उस पर रोक लगाते हैं। इसके लिए एक तो हम मन्त्रालय के भीतर जांच करा रहे हैं और दूसरे सी० बी० आई० और दूसरी इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सियों के हाथ में इस को देने का काम किया है ताकि जितनी रोक लगाना हमारे लिए संभव है मौजूदा परिस्थितियों में, उतनी रोक लगाने में हम कामयाब हो जाएं।

श्री विजय सिंह नाहर : महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि बड़े-घरानों की पहुंच गुप्त-फाइलों तक होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी पहुंच अधिकारियों को लिफाफों में नियमित रूप में धन देने या किसी अन्य प्रकार के उपहार मिलने पर अथवा इन औद्योगिक घरानों में उनके सम्बन्धियों को उच्च-पद मिलने पर होती है ? क्या मन्त्री महोदय इन मुद्दों को स्पष्ट करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : माननीय सदस्य का कथन सही है और यह सत्य है कि अधिकारियों के सम्पर्क होते हैं और अधिकारीगण विशेषकर सेवा-निवृत्ति के बाद इन कम्पनियों में सेवा शुरू कर देते हैं। कुछ जांचों के आधार पर ये बातें सामने आई हैं और कार्यकरण के इन्हीं तौर-तरीकों के आधार पर ही सरकारिया आयोग को गठित करना पडा। यह और बात है कि वह किसी परिणाम पर न पहुंच सका।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य है कि आपने मन्त्रालय में काफी अफ़सर इस प्रकार के हैं, जो फाइलों को अपने घर ले जाते हैं और बड़े-बड़े घरानों के जो उद्योगपति हैं, उनके एजेन्टस यहां मौजूद हैं और उनको वे घर पर बुलाकर फाइलों की सारी जानकारी दे देते हैं ? क्या आपको इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो क्या आप इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाएंगे कि अधिकारी अपने घरों पर फ़ाइलें न ले जाएं और दफ्तर में ही उनका अध्ययन करें।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : अगर कोई अफ़सर काम करने के लिए फाइलें घर पर ले जाता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाने का सवाल नहीं उठता। जहां तक कोई विशेष शिकायत हमारे पास आने का सवाल है, तो जब भी कोई ऐसी शिकायत आती है तो तत्काल उस पर कार्यवाही की जाती है।

श्री सौगतराय : महोदय, प्रश्न यह है कि बड़े औद्योगिक घरानों की पहुंच उद्योग-मंत्रालय की फाइलों तक रहती है। जब तक बड़े औद्योगिक घरानों के पास आस्तियां और शक्ति रहेगी तब तक उनकी पहुंच रहेगी और सेवा-निवृत्ति के पश्चात नौकरशाह उनके यहां नौकरी करते रहेंगे। प्रश्न का यह कोई महत्वपूर्ण पहलू नहीं है प्रश्न के पीछे भावना यह है कि मन्त्री महोदय का कहना है कि यह बात उनकी जानकारी में है कि औद्योगिक घरानों की पहुंच उनकी फाइलों तक है। और यह बात उन्होंने कई बार दोहराई है कि वह बड़े औद्योगिक घरानों तथा परिवारिक-इकाईयों को तोड़ना चाहते हैं। विशेषकर बिरला उद्योग-समूह के पास अभी भी वही शक्ति चली आ रही है जो उनके पास आज से दो वर्ष पूर्व थी, जब से कि वह उद्योग-मंत्री बने हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह पूछता हूं कि उन्होंने परिवारिक व्यापारिक संस्थाओं की गहरी पकड़ को तोड़ने के लिए उन्होंने कौन से उपाय किए हैं और विशेषकर बिरला उद्योग-समूह को तोड़ने के लिये, जिससे कि उनकी पहुंच आगे से उनकी फाइलों में तक न रहने पाये।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : महोदय, मेरे दल द्वारा नियुक्त एक समिति आजकल बड़े घरानों के प्रश्न पर विचार-विर्मश कर रही है। मेरे विचार में यह मामला ऐसा है जिसके बारे में मैं किसी प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । प्रश्न सं० 44 (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है ।

ध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि मामला विचाराधीन है ।

श्री वसन्त साठे : क्या वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकते ? यह क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि मामला विचाराधीन है ।

श्री वसन्त साठे : उन्हें प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : इसकी जांच क्यों न हो ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मामला विचाराधीन है । उनका तो यही कहना है । अब उद्योग-मंत्री से पूछा गया दूसरा प्रश्न लेते हैं । कृपया शान्त रहिये । अब हम अपनी कार्यवाही आगे शुरू करेंगे ।

पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी के कारण उद्योगों को हानि हुई

* 44. **प्रो० दिलीप चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकारी देने वाले वक्तव्य सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या बिजली का वर्तमान संकट आरम्भ होने के बाद से बिजली बंद होने के कारण पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों को हुई हानि का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उद्योगवार आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए किसी परियोजना पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) पश्चिम बंगाल व पूर्वी अंचल के अन्य राज्यों में विद्युत अवरोधों का अनेक उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है । औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में विशेष स्थान रखने वाले कुछ चुने हुए उद्योगों में अप्रैल और मई, 1978 की तुलना में वर्ष, 1979 के इन महीनों में तथा पूर्वी अंचल के राज्यों में स्थापित उद्योगों के उत्पादन में हुई हानि की जानकारी संलग्न अनुबंध में दी गई है ।

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

(ग) और (घ) आशा है कि पूर्वी अंचल की अनेक नई थर्मल व हाइडल योजनाएं वर्ष 1979-80 से वर्ष 1983-84 में लाभ कमाने लगेंगी। इन परियोजनाओं की जानकारी नीचे दी गई है :—

1979-80	परियोजना/एकक का नाम	राज्य	क्षमता (मेघावाट)
1	2	3	4
हैडरो			
	सुवरेनरखा एकक-2	बिहार	65
	लोवर लगैप एकक 1 एवं 2	केन्द्रीय	12
थर्मल			
	संथालडीह् एकक 4	पश्चिम बंगाल	120
	जैंसे टूरबीनेसें	पश्चिम बंगाल	100
	दुर्गापुर एकक 4	डी० वी० सी०	210
1980-81			
थर्मल			
	बरौनी एकक	बिहार	110
	बौडेल एक्सटेंशन	पश्चिम बंगाल	210
	टलचर एकक 1 एवं 2	उड़ीसा	220
1981-82			
हैडरो			
	जलढाका एकक 1 एवं 2	पश्चिम बंगाल	8
थर्मल			
	पटराट् एकक 9	बिहार	110
	बरौनी एकक 7	बिहार	210
	कोलाहघाट एकक 1	पश्चिम बंगाल	210
1982-83			
हैडरो			
	राम्मोन स्ट० 11-एकक 1	पश्चिम बंगाल	12.5
	पेचेंट हिल एकक 1	डी० वी० सी०	40
	अपर कोलाब एकक	उड़ीसा	80

1	2	3	4
थर्मल			
	पटराट् एकक 10	बिहार	100
	मुज्जफरपुर-एकक 1 एवं 2	बिहार	220
	कोलाघाट-एकक 2 एवं 3	पश्चिम बंगाल	420
	सी० ई० एस० सी० एकक 1	पश्चिम बंगाल	60
	बौकारो "बी"	डी० वी० सी०	210
1983-84			
हैडरो			
	राम्मोन स्ट० 2-एकक 2 एवं 3	पश्चिम बंगाल	25
	अपर कोलाब एकक 2 एवं 3	उड़ीसा	160
	रंघाली एकक 1	उड़ीसा	50
थर्मल			
	डी० पी० एल० एक्टेंशन	पश्चिम बंगाल	110
	सी० ई० एस० सी० एकक 2,3,4	पश्चिम बंगाल	180

पूर्वी अंचल के जिन महत्वपूर्ण उद्योगों के उत्पादन पर विद्युत का बुरा प्रभाव पड़ा वे निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	उद्योग का नाम	एकक का नाम	ए/एम यूनिट	उत्पादन अप्रैल, 79	मई, 79	अप्रैल, 78	मई 78	अप्रैल, 73 की तुलना में अप्रैल, 79 के उत्पादन प्रतिशत कमी	मई, 78 का तुलना में मई 79 के उत्पादन में प्रतिशत कमी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	एक्सपलोसीवस	1. आई०ई०एल० गोमय बिहार	टन	2,193	1,960	2,515	2,505	12	32	--
		2. आई०ई०एल० केमिकल रौरकेला	,,	1,325	910	1,566	1,333	15		
2.	सीमेंट	1. डालमिया बिहार	,,	24,300	17,000	28,350	1,540	14	8	बिहार में डालमिया एकक मई, 1979 के बड़े भाग में बंद रहा। विद्युत के कारण दो एककों के उत्पादन में आई कमी के अलावा बिहार में कुछ अन्य एककों के उत्पादन पर विद्युत की कमी सहित अनेक कारखाने में बुरा असर डाला है।
		2. दुर्गापुर	,,	34,062	36,223	42,017	39,200	19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	समलेस पाईप एण्ड ट्यूबस	इंडियन ट्बैको जमशेदपुर	,,	1,100	1,151	2,240	2,225	51	48	विद्युत के अलावा ईंधन तेल की कमी व मशीन संबंधी कठिनाइयों के कारण उत्पादन में कमी आई।
4.	केमिकल वेहिकल्स	हिन्दोस्तानमोटर कलकत्ता	नं०	76	129	104	100	27	—	इस एकक में अप्रैल, 79 में बिजली के अलावा श्रमिक समस्याओं के कारण उत्पादन में कमी आई।
5.	पेशेंजरकार	हिन्दोस्तान मोटर	नं०	1,221	1,666	2,085	1,825	41	9	— वही—
6.	कास्टिक सोडा	1. अलकालीस केमिकलस कार० कलकत्ता	टन	273	355	444	506	39	30	1—बिजली के अलावा नमक की अनुपलब्धता के कारण भी उत्पादन में कमी हुई।
		2. दुर्गापुर केमिक्लस	,,	64	94	225	200	72	53	2—वही— (अप्रैल और मई के लिए थी)
		3. हिन्दोस्तान	,,	320	—	454	471	30	—	3—वही— (मई, 79 की उत्पादन विवरणी अभी प्राप्त नहीं हुई है)।
		4. टिटागढ़ पेपर,, मिल्स	,,	19	132	177	188	89	30	4—मुख्यत बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कमी आई।
7.	कैलशियम कारबाईड	बिड़ला जेट मन्यू० कं० लि०	,,	984	1,085	1,176	1,194	16	9	पूर्णत : बिजली के कारण ही उत्पादन में कमी आई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	पेपर	टिटागढ़ पेपर मिल	,,	2,927	6,497	6,743	6,443	57	—	अप्रैल, 79 में मुख्यतः बिजली के कारण ही उत्पादन में कमी आई।
9.	वाइनींग वायर	1. इलैक्ट्रकल इंड कार० कलकत्ता	,,	47	48	100	91	53	47	1—मुख्यतः बिजली के कारण ही उत्पादन में कमी आई।
		2. इन्ड्-अमीरकन कलकत्ता	,,	3	उ० न०	77	81	—	—	2— —वही—
		3. इंडियन कैबल कं०	,,	77	उ० न०	206	206	83	—	3—बिजली के अलावा क्षेत्र में हुए दंगों के कारण उत्पादन में कमी हुई।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : इस प्रश्न का सम्बन्ध भारत के समस्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक उत्थान और खुशहाली से है और यही कारण है कि मैंने मन्त्री महोदय से पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों को हुई हानि की मात्रा के बारे में अधिक विस्तृत विवरण देने के लिए कहा है। किंतु मन्त्री महोदय द्वारा सभापटल पर रखे गये अनुबंध में केवल कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में ही जानकारी दी गई है। इसका शीर्षक है "कुछ महत्वपूर्ण उद्योग" न की सभी उद्योग। कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में जानकारी देने के उनके प्रयत्न की मैं सराहना करता हूं। किंतु में उनसे यह जानना चाहता हूं कि हाल ही में हुई बिजली की कटौती के कारण कुल कितनी हानि हुई है। महोदय, बिजली सप्लाई के एक विशेषज्ञ के अनुसार मुझे यह जानकारी मिली है कि यदि वर्तमान स्थिति कुछ समय तक बनी रहती है तो जून, 1980 तक बिजली की सप्लाई शून्य हो जायेगी। मुझे यह जानकर घबराहट होती है कि इस स्थिति के क्या परिणाम होंगे। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें बताएं कि हानि की राशि तथा मजदूरों के शेयर के सम्बन्ध में क्या स्थिति है तथा इसका मजदूरों पर तथा सामाजिक प्रभाव क्या हुआ है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस हानि का हिसाब मजदूरों को बेतन में हुई हानि का अथवा कुछ उत्पादन के सम्बन्ध में नहीं लगाया गया है। वास्तव में, कुछ उद्धोगों के बारे में इसका पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए इंजीनियरी उद्योग के बारे में पश्चिम बंगाल में पांच दिन तक बिजली की कटौती से ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें इस उद्योग में प्रतिदिन लगभग 3.5 करोड़ रुपये के उत्पादन की हानि हो रही थी। इसी प्रकार कुछ बड़े एककों के सम्बन्ध में इसका हिसाब लगाना संभव हुआ है। किंतु, उद्योगवार उत्पादन में हुई हानि का हिसाब लगाना संभव नहीं हुआ है।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : अनुवन्ध से यह दिखाई देगा कि सूची में बिहार के केवल चार एकक हैं जिनका उल्लेख किया गया है। उड़ीसा के एक एकक का ही उल्लेख किया गया है। ये एकक बिजली की कमी महसूस कर रहे हैं ऐसा बताया गया है। किंतु आसाम के किसी भी एकक का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या इससे यह समझा जाये कि आसाम में बिजली की कमी के कारण कोई भी उत्पादन नहीं हुआ है ? साथ ही—मैं यह भी जानना चाहूंगा कि बिजली की सप्लाई की बहुत अजीव स्थिति को ध्यान में रखते हुये आणविक शक्ति देने का कोई प्रस्ताव है और क्या बिजली उत्पादन एककों के विकेन्द्रीकरण की योजना है जिससे उत्पादकता बढ़े। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ऐसा प्रस्ताव है या नहीं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सूची में, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने आप कहा है, केवल कुछ अधिक महत्वपूर्ण एकक ही बिजली की कमी के कारण प्रभावित हुए हैं। जहां तक आसाम का संबंध है, आसाम में कोई बड़े औद्योगिक एकक नहीं है। बोंगैगांव अथवा डिग बोर्ड शोधन शाखायें सम्भवतः कुछ एक एकक ही हैं। जहां तक इन एककों का संबंध है, बिजली की सप्लाई की कोई समस्या नहीं रही है अथवा उनके चलते रहने की भी कोई समस्या नहीं रही है। प्रश्न के बाद के भाग के बारे में, मेरे विचार से माननीय सदस्य को ऊर्जा दवे मंत्री से प्रश्न पूछना पड़ेगा।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : देश के पूर्वी भाग में बिजली की अत्यधिक कमी है। उद्योगों की स्थापित क्षमता का 45% से अधिक उपयोग नहीं हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप बहुत से उद्योग घाटे में चल रहे हैं और कुछ उद्योग बंद पड़े हैं। मैं समझता हूं कई उद्योगों के बंद होने की सूचनाएं मिली हैं और कई उद्योगों ने तालाबंदी की सूचनाएं दी हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितने उद्योगों ने बंद होने की सूचनाएं दी हैं और कितने उद्योगों ने तालाबंदी की सूचनाएं दी हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरे पास इस संबंध में आंकड़े नहीं हैं और इसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

मिजोरम में एस० डी० ओ० की हत्या

*45. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों द्वारा गैर मिजो निवासियों को 1 जुलाई, 1979 से पूर्व मिजोरम छोड़ने हेतु नोटिस दिये जाने के कारण एक सबडिविजनल अधिकारी, श्री चौधरी की हत्या कर दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस घटना के पीछे किसी विदेशी व्यक्ति का हाथ है ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी तत्वों के साथ निबटने और यह सुनिश्चित करने हेतु कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सेतूल, पी० डब्लयू० डी० के सब-डिवीजनल अधिकारी श्री० आर० सी० चौधरी का 13 जून, 1979 की रात को कुछ अज्ञात बदमाशों जिन पर मिजो नेशनल फ्रंट के सदस्य होने का संदेह है, के द्वारा अपहरण कर लिया गया था और सेतूल के नजदीक उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

(ख) सरकार को इस घटना में किसी विदेशी शक्ति के हाथ होने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) क्योंकि मिजो नेशनल फ्रंट के सदस्य इस घटना में अन्तर्ग्रस्त थे अतः मिजो नैशनल फ्रंट और इसके सहायक संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम 1967 के अधीन गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। एम० एन० एफ० के अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया है।

श्री ज्ञानेश्वर प्रशाद यादव : पूर्वोत्तर सीमा पर और मिजोरम राज्य में विगत कई वर्षों से पृथक्कतावादी तत्व विदेशी ताकतों से सांठगांठ करके हिंसा की कार्रवाइयों में संलग्न रहे हैं। विगत 15 जनवरी 1975 को मिजोरम के आई० जी०, डी० आई० जी० और एजल के एस० पी० की आई० जी० के सम्मेलन कक्ष में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद भी सरकार ने पी० डब्लयू० डी० के उप मंडल अधिकारी श्री आर० सी० चौधरी जिस का अपहरण 13 जून 1979 को किया गया था बचाने का प्रबंध नहीं किया और उनकी हत्या कर दी गई।

15 जनवरी 1975 की घटना से सबक लेकर उनकी जान बचाने और गैर मिजो अधिकारियों और लोगों की रक्षा करने के लिए जो कि मिजोरम के विकास के कामों में लगे हुए हैं, सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : 1975 की घटना के बाद, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, विभिन्न कदम उठाये गये हैं। जुलाई 1976 में छिपे मिज़ो जो महानिरीक्षक, पुलिस और अन्य व्यक्तियों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे, के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता हुआ था। छिपे मिज़ो लोगों ने यह स्वीकार किया था कि मिजोरम भारत का एक अभिन्न अंग है और उन्होंने भारत सरकार को अपना यह संकल्प बताया कि वे भारत के संविधान के स्वरूप के अन्तर्गत मिजोरम की सभी समस्याओं का समाधान स्वीकार करते हैं। तब से नियमित सरकारें आयीं और हाल की सरकार अप्रैल के अन्त में बनी, चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग पर हुए। एक दल को बहुमत प्राप्त हुआ और इसने सरकार बनाई। उसके बाद मीजो राष्ट्रीय मोर्चे ने फिर हिंसा का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। अतः किसी भी प्रकार के कदम उठाने का कोई प्रश्न नहीं है। शान्ति कायम करने के लिए कड़े कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : 15 जनवरी 1975 को जब आई० जी०, डी० आई० जी०, एस० पी० की हत्या हुई थी उससे सबक लेकर वहां की सरकार ने जो गैर मिजो लोग हैं और जो विकास में रत हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के कौन से कदम उठाये हैं इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि किसी विदेशी ताकत का हाथ नहीं है। आये दिन समाचार पत्रों में इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं कि मिजो फ्रंट के विद्रोही लोगों को बंगला देश में शरण दी जा रही है और जो पकड़े गये हैं मिजो फ्रंट के कुछ पदाधिकारी तथा नेता उन्होंने कबूल भी किया है कि वे लोग बंगला देश में रहते थे और वहां से इधर आ कर उपद्रव किया करते थे। बराबर समाचार पत्रों में इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र आ रहा है कि चीन उनको हर तरह का सहयोग और आर्म्ज़ और एम्यूनिशन दे रहा है।

वहां पर एक प्रथक राज्य बनाना चाहता है और एक गलियारा बना कर के बोर्डर पर स्थित मीजोरम राज्य का उपयोग करना चाहता है। ऐसी हालत में मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केवल श्री लाल डेंगा को गिरफ्तार कर लेने से या उनके ऊपर देशद्रोहिता का मुकदमा चला कर वहां की स्थिति पर काबू पाना चाहते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां पर विकास की गति को तेज किया जाय ताकि वहां के लोगों में एक भावना बने कि वह भी इस देश के अभिन्न अंग हैं।

दुसरा प्रश्न मेरा यह है कि वहां पर ईसाई मिशनरीज़ बहुत तीव्र गति से कार्यरत हैं और वहां यह मिशनरीज़ लाल डेंगा और मीज़ो फ्रन्ट के लोगों को उकसा कर इस प्रकार के कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। तो क्या गृह मंत्री जी ऐसे मिशनरीज़ पर कुछ निगरानी रखेंगे ताकि वे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न कर सकें ?

श्री एच० एम० पटेल : यह सही नहीं है कि चीनी छिपे मिजो लोगों को इस समय कोई सहायता दे रहे हैं। वास्तव में यह सत्य है कि छिपे मिजो, की जो राष्ट्रीय मोर्चे के लोगों ने बंगलादेश के किसी भाग में अपना मुख्यालय बनाना है। यह मामला हमारे प्रधान मंत्री ने उठाया था जब वह हाल ही में बंगलादेश गये थे और बंगलादेश की सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठायेंगे कि इन लोगों को उनके क्षेत्र में कोई आश्रय न दिया जाये, फिर भी हो सकता है वहां कुछ मीजो हों किन्तु उन्हें बंगलादेश सरकार सहायता नहीं दे रही है।

जहां तक इसाई मिशनरियों का सम्बन्ध है, 90 प्रतिशत मीजो आवादी इसाई हैं। अब अधिक लोगों को इसाई बनाने के लिए मिशनरियों की अधिक गतिविधि होने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्रीमती रशीदा हक चौधरी : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि जो श्री रवीन्द्र चौधरी मारे गये हैं उनकी फैमिली भी वहीं रहती है, उनके लिये सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने कम्पेनसेशन देने के लिये कुछ काम किया है ?

दूसरी बात यह है कि जो नान-मीजो लोग ऐज़्वल में हैं बेसिकली वह लोग बिज़्नेसमैन, शौप कीपर्स और गवर्नमेंट आफ़िशियल्स हैं, तो उन लोगों की सैफ्टी के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक श्री चौधरी के परिवार का सम्बन्ध है, हर एक सम्भव सहायता दी जायेगी और इसके बारे में सरकार ने पहले ही निर्णय कर लिया है। यदि अधिक सहायता की आवश्यकता हुई तो उस पर विचार किया जा सकता है।

जहां तक ऐजवाव और मीजोरम के अन्य भागों में गैर-मीजो लोगों की सुरक्षा का सम्बन्ध है, बहुत दृढ़ सुरक्षा उपाय किये गये हैं और यह भी एक तथ्य है कि इन उपायों के बाद मीजोरम में गैर-मीजो लोगों की कोई जन-हानि नहीं हुई है। वास्तव में जहां तक सुरक्षा दल का स्वयं सम्बन्ध है, कुछ मौतें हुई हैं। सरकार के सुरक्षा दल के लोगों की हत्या करने के कुछ प्रयत्न किये गये हैं किन्तु साधारण नागरिकों की हत्या करने के नहीं किये गये हैं।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या श्री चौधरी जहां पर रह रहे थे वहां पर श्री चौधरी की दो मीजो युवकों के साथ कोई झड़प हुई थी और इन युवकों ने श्री चौधरी से, जैसा कि नौकर ने कहा जो वहां उपस्थित था और मीजो भाषा जानता था, कुछ रुपये लिए। क्या इसकी कोई जांच की गई थी ? और क्या इन तथ्यों को मंत्री महोदय सभा-पटल पर रखने के लिए तैयार हैं ताकि गैर-मीजो लोगों को होने वाले खतरे का अंदाजा लगाया जा सके और खाशतौर से आसाम के निवासियों की जो मीजोरम में रह रहे हैं। सरकार गैर-मीजो लोगों की सहायता करने के लिए उचित उपाय करें।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने पहले भी कहा है कि मीजोरम में गैर-मीजो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। दूसरे प्रश्न के बारे में कि क्या उस

घटना के पहले श्री चौधरी और कुछ मीजो लोगों के बीच झड़प हुई थी जिसमें श्री चौधरी मारे गये थे, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री वेदव्रत बरुआ : मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय ने मिजोरम में स्थिति के बारे में पूरा बयान नहीं दिया है। वास्तविकता यह है कि गैर-मीजो लोगों पर भारी आक्रमण हो रहे हैं। यह वक्तव्य भी कि विदेशी शक्तियां इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है, इस प्रतिवेदन से गलत सिद्ध हो जाता है कि कुछ हथियार पकड़े गये जिन पर चीन में बनने के निशान हैं। क्या इस मामले की जांच की गई है ? क्या इस रिपोर्ट में कोई सत्यता है कि सरकार ने मिजोरम का प्रशासन अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है इसे सेना को सौंपने का निश्चय किया है।

श्री एच० एम० पटेल : ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है और मिजोरम का प्रशासन अपने हाथ में लेने तथा उसे सेना को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक विधिवत निर्वाचित सरकार है जिसे वहां का प्रशासन अच्छी तरह चलाने का विश्वास है जिसमें निसन्देश पर्याप्त सुरक्षा बल की सहायता की आवश्यकता है। इस सुझाव के बारे में कि हथियारों पर चीनी निशान हैं, हो सकता है ऐसे चिन्ह हों। अखिर चीन पहले हथियार सप्लाई कर रहा था। यह मैंने पहले ही कहा है किन्तु इनकी सप्लाई अब बन्द हो गई है।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 का संशोधन

46. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को बिना किसी परिवर्तन के सुरक्षित रखा जा रहा है और क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कोई संशोधन न किये जाने के क्या कारण है ;

(ग) क्या उक्त 56 वर्ष पुराने अधिनियम का संशोधन करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री के निर्देश पर वर्तमान सरकार ने वर्ष 1977 में एक कार्यकारी दल का गठन किया था ;

(घ) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और इसने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया ;

(ङ) उक्त प्रतिवेदन की सिफारिशों का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या सरकार ने उक्त प्रतिवेदन को स्वीकार किया अथवा अस्वीकार किया और उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (च) तक : शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 जो स्वतंत्रता के बाद मामूली संशोधनों के साथ बनाया गया था अब लागू है।

एक अध्ययन दल जिसमें विधि और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा रक्षा मंत्रालय और आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधि शामिल थे, अधिनियम के उपबन्धों का पुनरीक्षण करने के लिए 1976 में स्थापित किया गया था ताकि जासूसी के कार्यों के विरुद्ध अधिक कारगर ढंग से कार्रवाई की जा सके।

अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट 19-7-1978 को प्रस्तुत कर दी थी। यह राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दी गई थी। उनमें से अधिकांश ने रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां भेज दी है और इस समय इनकी जांच की जा रही है। चूंकि सरकार को इन सिफारिशों पर अभी निर्णय लेना है अतः उनके ब्यौरे प्रस्तुत करना लोकहित में नहीं होगा।

यह प्रश्न है कि क्या यह नियम किसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सूचना के अतिरिक्त अवर्गीकृत सूचना के प्रसार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, की भी इस संदर्भ में जांच की जा रही है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, आप मुझ से सहमत होंगे कि प्रश्न काल का मुख्य उद्देश्य अधिक जानकारी प्राप्त करना और जानकारीके माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखना है। परन्तु यदि प्रश्न का उत्तर ठीक तरह से नहीं दिया जाता है तो हम कहां जायेंगे ? मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं इस मामले पर आधे घंटे की चर्चा की भी अनुमति चाहता हूं। पहली बात यह है। जनता पार्टी की सरकार जो दो वर्ष से अधिक समय से है, प्रतिबंध विहीन समाज लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति वचनबद्ध है। इसे इस बात से गर्व है कि इसने लोकतंत्र को पुनः ला दिया है। हमें इसकी खुशी है। फिर 1923 के इस पुराने अधिनियम को क्यों रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, आप किसी समय एक न्यायाधीश थे। 1923 के भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम की तत्कालीन भारत सरकार ने यह कह कर समीक्षा की थी कि यह ब्रिटिश अधिनियम से भिन्न होगा, क्योंकि ब्रिटिस अधिनियम अधिक उदार था, इसमें सामान्य कानून के उपबंध थे और इसलिए यह उस समय की भारतीय स्थिति पर लागू नहीं था। इसलिए वे भारत की स्वतंत्रता से पूर्व की भारतीय स्थिति के अनुकूल 1923 में एक नया समेकित अधिनियम लाये। क्या जनता सरकार का विचार उस साम्राज्यवादी अधिनियम को लोकतंत्रीय भारत में इसे जारी रखने का है ? हमारी जनता को जानकारी जानने की स्वतंत्रता वैध अधिकार दिया जाना चाहिए। वास्तव में प्रश्न यह होना चाहिए था। शासकीय गुप्त का बात अधिनियम के वजाय हम अमरीका की भांति सूचना स्वतंत्रता अधिनियम कल लाने जा रहे हैं। यह अभी बहुत दूर है **(व्यवधान)**। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और समूचा उद्देश्य समाप्त हो जाता है। मंत्री महोदय कहते हैं "(क) से (च)" में "...... स्वतंत्रता के बाद मामूली संसोंधनों के साथ बनाया गया...." ये मामूली संशोधन क्या हैं? उनका कहना है कि कार्य-दल की स्थापना 1976 में हुई थी। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार इसकी तत्कालीन गृह मंत्री श्री चरण सिंह जी के कहने पर 1977 में स्थापना की गई थी। अब वह हमें बता रहे हैं इसकी स्थापना आपात स्थिति के दौरान 1976 में की गई

थी । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कार्यकारी दल किसके कहने पर बनाया गया था और इसके बनाने का उद्देश्य क्या था ? अब क्या लोगों को और जानकारी न दी जाये या लोगों को अधिक जानकारी दी जाये ।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य सरकार की प्रशंसा करने और उस प्रशंसा को तुरंत वापस लेने में दक्ष हैं । यदि वास्तव में वह समझते हैं कि हम भी अपनी जैसी खुली सरकार चाहते हैं तो कम से कम उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि इसके कुछ ठोस कारण होने कि हम शासकीय गुप्त बात अधिनियम के बारे में उतनी तेजी से कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जितनी तेजी से वह चाहते है । (**व्यवधान**) मुझे कुछ और भी कहने की अनुमति प्रदान की जाए । माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न यह पूछा था : क्या यह सच है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को बिना किसी परिवर्तन के सुरक्षित रखा जा सकता है और क्रियान्वित किया जा रहा है ? मैंने यह कहा है कि यह अभी भी जारी है। बिना किसी संशोधन के सुरक्षित रखा जा रहा है' शब्दों के बारे में यह सत्य है परन्तु व्यवहार में ऐसी कोई बात नहीं है जो गुप्त बात के रूप में दन्डनीय हो । जासूसी के मामलों को छोड़कर किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । अन्यथा अधिकांश रूप से जानकारी उपलब्ध करा ली जाती है । अब बात यह है कि कुछ ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं जो वर्गीकृत हैं और वे उपलब्ध नहीं हो सकते हैं । परंतु इनके बारे में हमेशा उनको परिभाषित करने के लिए इन लोगों के पास रखा जाता है । विधि आयोग ने समूची प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से इस पर विचार किया और विधि आयोग ने जो भी कहा वह निस्सन्देह सरल नहीं था और इसने इसे थोड़ा पेचीदा बना दिया । अब मैं माननीय सदस्य से पूछ सकता हूं कि क्या वह इसे परिभाषित कर सकते हैं। आखिरकार कुछ जानकारी ऐसी होगी जिसे हमें कुछ समय तक गुप्त रखना होगा । हमेशा ही ऐसा हो रहा है कि कुछ समय तक तो कुछ जानकारी गुप्त रखी जाती है । उदाहरण के लिए यदि आप किन्ही घटनाओं के बारे में जीवनी लिखना चाहते हैं तो विद्वानों को उसे उपलब्ध करने के पहिले 30 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी । इसी तरह हमेशा कुछ जानकारी ऐसी होगी जिसे गुप्त रखना होगा । हम इस बात की भरसक कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम जानकारी अवर्गीकृत के रूप में वर्गीकृत रखी जाए और इसलिए उपलब्ध करायी जा सके । परन्तु आप बर्गीकृत जानकारी और अवर्गीकृत की इस प्रकार परिभाषा किस प्रकार कर सकते हैं कि एक सामान्य लिपिकि भी इसके आधार पर कार्य कर सके ।

यह इतना सरल नहीं है और यही मेरी कठिनाई है । इसी कारण इसमें कुछ समय लग रहा है । परन्तु मैं आशा कर रहा हूं कि तीन महीने या इतने ही समय के भीतर हम उन सिफारिशों पर कार्यवाही कर सकेंगे जो कार्यकारी दल ने की है परन्तु उस कार्यकारी दल की मुख्य चिन्ता यह रही है कि जासूसी को कैसे रोका जाए ।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है वह यह जानना चाहते थे कि कार्यकारी दल की नियुक्ति कब की गई थी ।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने 1976 में कहा था।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : किसके कहने पर ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं समझता हूं कि 1976 में यह पिछले गृह मंत्री के कहने पर हुआ होगा। इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है परन्तु निस्सन्देह मेरे पहले के गृहमंत्री के कहने पर नहीं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उन्होंने यह कहा कि तीन महीने के भीतर वह एक निर्णय ले लेंगे। और इसलिए मैं संतुष्ट हूं। क्या वह अपने उत्तर के अंतिम भाग को विस्तार से बतायेंगे ? क्या यह प्रश्न है कि यह नियम किसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सूचना के अतिरिक्त अवग्रहित सूचना के प्रसार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, की भी इस संदर्भ में जांच की जा रही है। वास्तव में जांच क्या की जा रही है ? क्या उन्हें जानकारी है कि इसी महीने में केवल दो दिन पहले शिमला में अखिल भारतीय समाचारपत्र संपादकों के सम्मेलन की स्थायी समिति ने यह कह कर सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था कि इस अधिनियम को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए और यह भी कहा : यह समाचारपत्रों और नागरिकों की सूचना संबन्धी स्वतंत्रता में बाधक बन रहा है। अतः क्या वह हमें एक आश्वासन देंगे, क्योंकि वह इस बारे में ब्रिटिश की पृष्ठभूमि जानते हैं ? ऐसे उदाहरण हैं कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी के श्री एन्थनी वेजवुड बेन जैसे लोग कह रहे थे कि मंत्रिमंडल की बैठकों के कार्यवाही सारांश संसद सरस्यों को उपलब्ध कराये जाने चाहिए, क्योंकि यह जाने हुए बिना कि यह कैसे किया जा रहा है, संसद का कार्य चलाया जा रहा है। इसलिए क्या वह हमें बतायेंगे कि गोपनीयता का कोई बहाना बनाए बिना, जैसा कि नौकरशाह हमेशा करते हैं, जानकारी को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने के लिए वह क्या करने जा रहे हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : मेरी समझ में मैं उन्हे ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं जिसके बारे में वह कह रहे हैं। कुछ ऐसी जानकारी होगी जिसे सरकार द्वारा कुछ समय तक गोपनीय रखा जाना चाहिए। ऐसा करना लोकहित में है परन्तु हमारा यह देखने का प्रयास होगा कि अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। जब मैंने यह कहा कि इसकी जांच की जा रही थी तो यह सुनिश्चित करने के संदर्भ में था कि अधिकतम जानकारी दी जाये। परन्तु प्रश्न यह है कि इसके लिए कैसी व्यवस्था की जाए जो ऐसा हो जाए ताकि कोई कठिनाई न हो। अन्यथा मामले वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजे जायेंगे और इसमें समय लगेगा। समय लगना उचित ही है।

*47. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पूरे देश में पुलिस कर्मचारियों में बढ़ते हुए असंतोष के क्या विशेष कारण हैं ;

(ख) इन आन्दोलनों से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं ;

(ग) क्या देशपर्यन्त पुलिस कर्मचारियों के मामले में एकरूपता लाने के लिए और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन और सुविधायें देने हेतु कोई ठोस योजना बनाई जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो किस समय तक ?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) पुलिस कर्मचारियों की मुख्य शिकायतें पुलिस संगठन बनाने, राजनैतिक हस्तक्षेप के प्रति रोष, कांसटेबलों के वेतन तथा दर्जे में वृद्धि, कांसटेबलों के काम की दशाओं में सुधार, अर्दलियों के दुरुपयोग और अपर्याप्त आवास सुविधाओं आदि से संबंधित है।

(ख) पुलिस आन्दोलन से अधिक प्रभावित राज्य पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व जम्मू व कश्मीर थे।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । देश में पुलिस कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य सुविधाओं में एकरूपता लाना संभव नहीं है क्योंकि ये प्रत्येक राज्य की साधन स्थिति पर निर्भर करेंगे। फिर भी, देश में पुलिस वालों के रहन सहन तथा काम की दशाओं के संबंध में 6 जून, 1979 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में एक राष्ट्रीय मतैक्य हुआ था।

(घ) यद्यपि यह बताना संभव नहीं है कि इन निर्णयों को कार्यान्वित करने में कितने समय लगने की संभावना है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि अनेक राज्यों ने बहुत सी बड़ी शिकायतों के संबंध में अपने निर्णयों की घोषणा कर दी है। आशा है कि सभी राज्य सरकारें शीघ्र निर्णय ले लेंगी।

श्री सुरेंद्र विक्रम : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में चाहे वह सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस हो या और दूसरी फोर्स हो, सरकार तब उनकी बात को मानती है जब वह विद्रोह पर चले जाते है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 6 जून, को मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेन्स दिल्ली में हुई उसमें क्या-क्या सहूलियतें और क्या क्या बातें तय की गई और उनका एम्पलीमेंटेशन कब तक किया जायेगा।

श्री एच०एम० पटेल : उस सम्मेलन में ये निर्णय लिए गए : अर्दली प्रथा को समाप्त कर दिया जाये, पुलिस को यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाए, आवास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाए ताकि पांच वर्ष के दौरान उनकी आवास संबंधी 75 प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। सातवें वित्त आयोग ने राज्यों को इतना धन उपलब्ध कराया है कि 58 प्रतिशत पुलिस वालों के लिए आवास उपलब्ध कराया जा सके। अब हमने इस कार्य को शीघ्रता से करने का निर्णय लिया है और हमने कहा है कि इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रयत्न किया जाए। कार्य करने और जीवन दशाओं के संबंध में हमने कहा कि हमारा उद्देश्य यह देखना होना चाहिए कि पुलिस वालों को एक छुट्टी प्रति सप्ताह मिले। परन्तु इसमें समय लगेगा क्योंकि पुलिस कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करनी होगी। इसी बीच हमने यह भी कहा कि उनके काम करने के समय को उचित सीमा तक

कम किया जाए। इस समय उनका औसत कार्य दिवस 14 घंटों का था और यह कहा गया कि इसे एक उचित सीमा तक कम कर दिया जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने अनुभव किया कि कुछ मामलों में ऐसा करना अब संभव नहीं होगा। उन्हें अतिरिक्त छुट्टियां दी जाएं और यदि वे चाहें तो उन्हें इसके बदले में पैसे दिए जा सकते है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी।

श्री सुरेंद्र विक्रम : अध्यक्ष महोदय, 1973 में उत्तर प्रदेश में पी०ए०सी० का विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह के बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री कमलापति त्रिपाठी को हटना पड़ा, वे वहां से यहाँ आ गए। इसी बिना पर उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय इस पर लोक सभा और राज्य सभा में डिस्कशन भी हुआ था जिसमें कहा गया था कि उनकी ग्रीवांसेज़ को रिड्यूस किया जाए। क्या आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है—मैं जानना चाहता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे खेद है कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० के विद्रोह के पश्चात क्या वायदे किये गए थे और उनका किस सीमा तक पालन किया गया है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह निर्णय जो उन्होंने बाद में किये, अगर पहले किये जाते तो क्या आज जो स्थिति बनी है जिसमें कई लोगों को गोली का शिकार होना पड़ा है, उससे बचा नहीं जा सकता था ?

दूसरी बात आपने यह कही है कि यह राज्यों का मामला है, हर राज्य की परिस्थितियों के आधार पर, उनके पास क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार सुविधाएं दे सकेंगे, तो क्या गृह मंत्री जी केन्द्र की ओर से, राज्यों के पास जो कमी है उसको सहायता, सब्सीडी के रूप में पूरा करके सुरक्षा दल को सुविधायें प्रदान करने की योजना बना रहे हैं ?

श्री एच०एम० पटेल : माननीय सदस्य ने दो बातों को मिला दिया है। एक तो है अर्ध सैनिक दल और दूसरे हैं राज्य पुलिस दल। जहां तक राज्य पुलिस दलों का संबंध है हम राज्यों को सहायता देने का प्रयत्न करेंगे ताकि राज्य-न्यूनतम संतोषजनक दशाएं उपलब्ध करा सकें।

श्री लखन लाल कपूर : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब नहीं है इस सवाल का। सवाल था कि पहले डिसीजन क्यों नहीं लिया गया।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे खेद है। पहले निर्णय नहीं लिया जा सका। मुझे आशा है कि आप महसूस करेंगे कि मार्च 1979 तक ऐसी स्थिति नहीं आई थी। तथापि वह स्थिति कई वर्षों से चली आ रही है। अतः······

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर कल चर्चा हुई थी।

श्री एच० एम० पटेल : हम यही कह सकते हैं कि हमने शीघ्र निर्णय लिया। जैसे ही ये विशेष मामले सामने आये हमने राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कर दिया जो कि ………।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर बहुत वाद विवाद हो चुका है।

श्री विजय कुमार एन० पाटिल : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि असंतोष के कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, कांसटेबलों की पदोन्नति की समस्या और देश भर में प्रचलित अर्दली प्रथा थे परन्तु जिन प्रदेशों में असन्तोष फैला उनके नाम उन्होंने उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पंजाब बताए।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा आप उसे दोहरा रहे है।

श्री विजय कुमार एन० पाटिल : इसका अर्थ हुआ। कि ये सब जनता शासित राज्यों में हुआ पुलिस के असन्तोष का मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप था पुलिस के मामलें में इस प्रकार के राजनैतिक हस्तक्षेप के संबंध में सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती हैं ?

श्री एच० एन० पटेल : पुलिस अशान्ति केरल में भी हुई। बात यह नहीं है। मैं उन से सहमत हूं कि राजनीतिक हस्तक्षेप का अर्थ सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं बल्कि सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा हस्तक्षेप है।

भास्कर उपग्रह का कार्य

*48. **श्री एडुआर्डो फैलिरो** :
डा० रामजी सिंह : क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उपग्रह 'भास्कर' का अब तक कार्य कैसा रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे उपग्रह छोड़ने का है ; और

(ग) इस उपग्रह पर कितना व्यय हुआ है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) टी० वी० कैमरों से संबंधित प्रचालनों के अलावा भास्कर का कार्य-निष्पादन अभी तक सन्तोषप्रद रहा है। माइक्रोवेव रेडियोमीटर, अन्तरिक्षयान की दिशा निर्धारण के लिए उपग्रह नियंत्रण प्रणाली और अन्य गोण परीक्षण कुल मिलाकर सामान्य रूप में काम कर रहे हैं। जहां तक टी०वी० नीतभार के प्रचालन का संबंध है, अभी तक किए गए तीन प्रयासों के दौरान कुछ असंगतियां मालूम पड़ी थीं। कुछ अतिरिक्त अनुकार और अध्यनों के बाद टी०वी० नीतभार को कुछ सप्ताहों के बाद में चालू करने के परीक्षण किए जायेंगे।

(ख) भास्कर के दूसरे पुनः परिष्कृत रुपान्तर के 1980 में छोड़े जाने का प्रस्ताव है।

(ग) 6.35 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत में से मई, 1979 के अन्त तक 'भास्कर' पर 6.24 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या मैं माननीय राज्य मंत्री से यह जान सकता हूं कि उपग्रह द्वारा प्रेषित आंकड़े किस प्रकार के हैं, इन आंकड़ों को किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाएगा और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या इन आकड़ों को सुरक्षा या सैनिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा ?

प्रो० शेर सिंह : सबसे पहले अंतिम प्रश्न का उत्तर देता हूं मैं यह स्पष्ट करता हूं कि इन आकड़ों का प्रयोग सैनिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। भास्कर छोड़ने के पांच उद्देश्य हैं।

1. दो टेलीविजन कैमरों के प्रयोग द्वारा जल विज्ञान, भौतिकी और भूविज्ञान से संबंधित आकड़ों का भूमि निरीक्षण प्रयोग हेतु संग्रहण, जांच, विशलेषण और उन का प्रसार।

2. दो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रेडियोमीटर के प्रयोग द्वारा समुद्र की सतह की स्थिति का अध्ययन।

3. पिनहोल कैमरे के प्रयोग द्वारा एक्स-रे खगोल शास्त्र का अध्ययन करना।

4. दूरस्थ प्लेटफार्मो से मौसम विज्ञान सम्बन्धी आँकड़ों के संग्रहण और प्रचार हेतु पद्धति का निर्माण।

5. अन्तरिक्ष वातावरण के दीर्घकालीन विगोपन के अधीन देश में बनाए गये थर्मल पेंट, हीट पाइप और सोलर सेलों के कार्यों का निरीक्षण करना।

ये पांच उद्देश्य हैं। यह उपग्रह भूमि निरीक्षण-भूमि के सतह का निरीक्षण और समुद्र की सतह के निरीक्षण के लिए है। इन सभी आंकड़ों का प्रयोग देश के साधनों के विकास के लिए किया जायगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से यह धारणा बनती है कि भास्कर के साथ ही हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हो जाएगा और दूसरा चरण, जैसा कि मास्को में वार्ता के दोरान प्रधान मंत्री ने जो कि इस विभाग के कार्यभारी मंत्री भी हैं प्रकट किया था कि भारत और सोवियत रूस एक संयुक्त कार्यक्रम के अधीन एक भारतीय अन्तरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। क्या यह सच है या नहीं ?

प्रो० शेर सिंह : एक अन्य प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का अन्तरिक्ष में कोई व्यक्ति भेजने का कोई इरादा नहीं है।

डा० रामजी सिंह : अध्यक्ष महोदय, में जानना चाहता हूं कि 'आर्य भट्ट' और 'भास्कर' के बीच में जो उपलब्धियां हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये उपग्रह छोड़े गए

है, इनमें क्या विभिन्नता है तथा हम कब तक स्वावलम्बी होकर इनको छोड़ सकेंगे ? यह ठीक है कि आज हम रूस के साथ मिलकर इसको कर रहे हैं, लेकिन स्वावलम्बी होकर भास्कर जैसे उपग्रह को भारत कब तक छोड़ सकेगा ?

प्रो० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आर्य-भट्ट अन्तरिक्ष में इस प्रयोग के लिए छोड़ा गया था कि उस पर टेम्प्रेचर और दूसरी चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है। उस अनुभव का लाभ उठाते हुए, उस के बाद 'भास्कर' काफी पे-लोड के साथ भेजा गया। इससे बहुत प्रकार का डेटा आएगा। इस काम में हम इस समय रशिया के साथ सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अपना लांचिंग-व्हीकल नहीं है, जिससे हम स्वयं लांच कर सके, लेकिन 1985-86 तक शायद हम ऐसी अवस्था तक पहुंच जायेंगे कि अपने लांचिंग-व्हीकल से खुद ही लाँच कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की नागालैण्ड और केरल परियोजनाओं की लागत

41. **श्री आर० कोलनथाइवेडु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की नागालैंड और केरल परियोजनाओं में विलम्ब होने के कारण उनकी लागत में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब और सुस्ती के कारण दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों को क्यों नष्ट किया जाता है।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) (क) और (ख) : हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, नागालैंड के तुली स्थान में 33,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाला एकीकृत लुगदी तथा कागज मिल तथा केरल के वेल्लूर स्थान में वार्षिक 30,000 मी० टन की क्षमता वाली एक अखबारी कागज परियोजना की स्थापना कर रहा है। इन परियोजनाओं को चालू करने में होने वाले विलम्ब से संबंधित तथ्य तथा लागतों में उतार चढ़ाव निम्न प्रकार के है :—

(I) **नागा लैंड कागज परियोजना**

निवेश की दृष्टि से नागालैंड कागज परियोजना को जुलाई, 1972 में अनुमति प्रदान कर दी गई थी तथा नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी, जो हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की एक सहायक कम्पनी है के द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाना था। परियोजना के मूल रूप से दिसम्बर, 1977 तक शुरू हो जाने की आशा थी। किन्तु, परियोजना में कार्य चालू होने के बाद ही यह महसूस किया गया कि स्थापना-स्थल-भूस्वखलन से प्रभावित है तथा अन्य दृष्टि से भी नुकसानदेह है। सरकार द्वारा परियोजना को एक नये स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था तथा सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्ततोगत्वा यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना तुली में ही चलने दी जाए। फिर भी भू-स्वखलन से रक्षा करने, भूमी स्थिरी करण, गन्दगी की निकासी के लिए विभिन्न अतिरिक्त कदक उठाना आवश्यक हो गया था यह विलम्ब का एक प्रमुख कारण था। उपर्युक्त के अलावा भी डिजाइनों तथा उपस्करों की सप्लाई में देरी होने के कारण भी विलम्ब हुआ। परियोजना में औद्योगिक संबंध भी मतभेद मुक्त न रहे है तथा यह भी विलम्ब का एक और कारण रहा। परियोजना के अब दिसम्बर, 1979 तक शुरू हो जाने की आशा है।

परियोजना की लागत, जिसका अनुमान 1972 में मूल रूप से लगभग 19.75 करोड़ रुपये होना लगाया गया था 1977 में इसे संशोधित कर 62.12 करोड़ रुपये कर दिया गया था यह मुख्यता इसलिए हुआ कि मूल अनुमानों में आवासीय कालोनी, स्थल विकास, ब्लाक सुरक्षा आदि की आवश्यकताओं को हिसाब में नहीं लिया गया था 1972 तथा 1977 के बीच परियोजनाओं के लिए अपेक्षित संयंत्र तथा उपस्करों की लागत में भी काफी वृद्धि हो गई थी।

(II) **केरल अखबारी कागज परियोजना।**

निवेश की दृष्टि से केरल अखबारी कागज परियोजना को 82.88 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत पर 1974 में स्वीकृति दे दी गई थी तथा मूलतः परियोजना के पूरा होने की तिथि दिसम्बर, 1978 रखी गयी थी। श्रमिक असंतोष व परियोजना के लिए अपेक्षित उपस्करों के लाने ले जाने के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाने तथा उसके बदले जाने के कारण सिविल निर्माण कार्य की प्रगति में विलम्ब हुआ था। इन विलम्बों के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में व्यवधान पड़ा तथा अब इसके दिसम्बर, 1979 तक शुरू हो जाने की आशा की जाती है, प्रारम्भ में परियोजना लागत के 82.88 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। सामग्री में हुई मूल्य वृद्धि, अतिरिक्त उपस्करों के प्रावधान, परामर्श-सेवा प्रभागों तथा सिविल निर्माण कार्यों की लागत में वृद्ध होने के कारण परियोजना लागत को संशोधित कर 119.68 करोड़ रुपये कर देने का प्रस्ताव किया गया है।

श्री एल० एन० मिश्र की हत्या की जांच

49. **श्री भागीरथ भंवर :**

श्री श्याम सुन्दर दास : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने श्री एल०एन० मिश्र की हत्या के मामले की जांच पुनः करवाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में अपराध स्थिति

*50. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :—

(क) जनवरी, 1979 से मई, 1979 तक हत्या, डकैती, लूटपाट, अपहरण, चोरी आदि की घटनाओं की संख्या के अनुसार दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र में अपराध की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या गत वर्ष की उक्त अवधि की तुलना में दिल्ली में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो अपराधों की संख्या कम करने और कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) दिल्ली में अपराध की घटनाओं में कुल मिलाकर कुछ कमी हुई है। 1979 के प्रथम 5 महीनों में भा० दं० संहिता के अधीन 17,850 मामले दर्ज किए गए थे। 1 जनवरी, से 31 मई, 1978 तक की अवधि और 1979 में इसी अवधि के लिए अपराध आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है :—

अपराध शीर्ष	1978	1979
1	2	3
डकैती	34	45
हत्या	83	69
हत्या का प्रयास	118	133
लूट	297	261
दंगे	117	133
अपहरण	312	265
छीनना	120	130
चोट	919	825

1	2	3
सेंधमारी	1,670	1,227
साइकिल चोरी	2,778	2,231
विविध चोरी	6,949	6,709
मोटर वाहन चोरी	1,244	1,407
भा० दं० स० के विविध मामले	4,174	4,415
भा० दं० सं० कुल मामले	18,815	17,850

2 दिल्ली पुलिस ने अपराधों को नियंत्रित करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए है :—

1 विस्तृत रात्रि व दिन की गस्त की जा रही है। सामुहिक महत्व के स्थानों पर टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

2 अपराधियों के विरुद्ध निष्कासित करने की प्रक्रिया का अभियोजन किया जा रहा है और 1 जनवरी 1979 से 31 जुलाई के बीच 118 समाज विरोधी तत्वों को निष्कासित किया गया है।

3 जेब कतरों और महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

4 प्रत्येक जिले में विशेष सतर्कता दस्ता स्थापित किया गया है ये विशेष सतर्कता दस्ते स्थानीय पुलिस के द्वारा किऐ गए प्रबंधों में सहायता करेंगे।

5 थाने के स्तर की बैठकें नियमित रूप से की जाती है और उसमें लिए गए निर्णयों का अनुपालन किया जाता है।

6 छुरेबाजों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था और समाज विरोधी तत्वों से 1,615 छुरे बरामद किए गए थे, जिनके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किया जाना और उसकी प्रगति

*51. **पंडित द्वारका नाथ तिवारी** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1978-79 विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार के पिछड़े जिलों में कितने उद्योग स्थापित किए गए और वे किन किन स्थानों पर स्थापित किए गए ;

(ख) ऐसे उद्योगों को कितनी राजसहायता दी गई ;

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की गति बहुत धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांण्डीस) : (क) वर्ष 1978-79 में 195 आशय पत्र तथा 121 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। इसी अवधि में तकनीकी विकास के महानिदेशालय में 253 औद्योगिक एकक पंजीकृत किए गए थे। विभिन्न राज्यों में उद्योग निदेशालय में 1978 में 7,741 लघु एकक पंजीकृत किए गए थे। स्थापना स्थल एकक वार के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन औद्योगिक एककों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण 1 में तथा 2 में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1978-79 में विभिन्न राज्यों में औद्योगिक दृष्टि से अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित 2,826 औद्योगिक एककों को 15.39 करोड़ रुपये की केन्द्रीय राजसहायता दी गई थी। एक ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के प्रारंभ अर्थात 1.10.70 से 31 मार्च 1979 के अन्त तक चूने हुए अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित विभिन्न औद्योगिक एककों को कुल 5,710 लाख रुपये तक की केन्द्रीय राजसहायता दी गई है विवरण में दर्शाई गई वर्ष वार व्यय प्रवृति से यह पता चलता है कि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना में धीरे धीरे काफी प्रगति हो रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4602/79)

विवरण—I

वर्ष 1978-79 में जारी किए गए आशय पत्र औद्योगिक लाइसेंसों तथा क० नी० के महानिदेशालय में पंजीकृत औद्योगिक एककों को दर्शाने वाला विवरण

क०सं०	राज्य	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	न० वि० के महानिदेशालय में पंजीकृत एकक
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	11	11	23
2	अण्डमान और निकोबार	1	1	2
3	आसाम	1	1	...
4	बिहार	1	4	22
5	दादर और नागर हवेली	...	...	...
6	गोआ, दमन और द्वीव	3	2	1
7	गुजरात	33	11	38
8	हरियाणा	6	2	1
9	हिमाचल प्रदेश	11	3	8
10	जम्मू और कश्मीर	3	3	5
11	कर्नाटक	5	10	16
12	केरल	4	3	4
13	मध्य प्रदेश	21	...	34
14	महाराष्ट्र	21	22	33
15	मणिपुर		...	...
16	मेघालय	...	...	...
17	नागालैंड	...	...	...
18	उड़ीसा	5	2	2
19	पाण्डिचेरी	1	...	1
20	पंजाब	5	2	10
21	राजस्थान	20	5	25
22	तमिलनाडु	17	12	23

1	2	3	4	5
23	त्रिपुरा	...	...	...
24	उत्तर प्रदेश	11	10	13
25	पश्चिम बंगाल	14	13	14
26		--	*1	—
	योग	195	121	253

पाकिस्तानी परमाणु प्रौद्योगिकी

*52. **श्री वेदब्रत बरुआ :**

श्री सी० वेणु गोपाल : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) जून के दूसरे सप्ताह में दिये गये श्री सेठना के इस आशय के वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि परमाणु प्रौद्योगिकी में पाकिस्तान भारत से आगे है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यथासम्भव कम से कम समय में इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) 9 जून, 1979 को बम्बई दूरदर्शन पर हुए अपने साक्षात्कार में डा० एच० एन० सेठना ने पाकिस्तान की यूरोनियम समृद्ध करने की क्षमता के बारे में विचार व्यक्त किये थे, उनके साथ उन्होंने, समाचार के माध्यमों द्वारा इस विषय पर दिए गए समाचारों के सही या गलत होने के कुछ अनुमानों की शर्त भी जोड़ दी थी और पर्याप्त औद्योगिक आधार के बिना इस प्रकार के कार्यक्रम को जारी रखने के पाकिस्तान के सामर्थ्य की शर्त भी। हमारे देश में यूरोनियम को व्यावसायिक स्तर पर समृद्ध करने की सुविधा की स्थापना का प्रस्ताव न तो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है और न ही वह प्रस्ताव भारत के परमाणु ऊर्जा संबंधी वर्तमान कार्यक्रम से मेल खाता है।

भारी जल संयंत्रों का कार्यकरण

*53. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **परमाणु ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

*राज्य निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(क) क्या यह सच है कि देश में तीन कार्यरत भारी जल संयंत्रों में से दो संयंत्र तभी से रुग्ण रहे हैं जब उनकी स्थापना हुई थी ;

(ख) क्या उन संयंत्रों के कार्यकरण की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वडोदरा के भारी पानी का उत्पादन 4 जुलाई, 1977 को शुरू हो गया था, लेकिन 3 दिसम्बर 1977 को हुई एक दुर्घटना के कारण वह संयंत्र बंद करना पड़ा। संयंत्र की मरम्मत की जा रही है और आशा है कि दिसम्बर, 1979 तक इसमें पुनः उत्पादन शुरू हो जायेगा। तृतीकोरिन के भारी पानी संयंत्र में भारी पानी का उत्पादन 17 जुलाई, 1978 को शुरू हुआ था, लेकिन बिजली के बार-बार बन्द हो जाने और उस उर्वरक संयंत्र से, जिसके साथ यह प्लांट जुड़ा हुआ है, गैस लगातार न मिलने के कारण इस संयंत्र को निर्विघ्न रूप से चलाने के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह संयंत्र 18 मई, 1979 को दोबारा चालू किया गया तथा 10 जून, 1979 तक इसने 2,133 किलोग्राम भारी पानी तैयार किया। तथापि, निरन्तर श्रमिक अशांति के कारण इस संयंत्र में 14 जून, 1979 को तालाबन्दी कर दी गई थी। श्रमिक अशान्ति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों ने उस समय, जब यह संयंत्र 11 जून, 1979 को ट्रिप कर दिया गया था, इसे फिर से चालू करने से इंकार कर दिया। अशान्ति उस समय उत्पन्न हुई जब पुलिस ने यूनियन के 8 पदाधिकारियों को 4 ऐसे कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराये गये फौजदारी संबंधी आरोपों के आधार पर हमले के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जिन पर उन पदाधिकारियों ने हमला किया था।

(ख) इन संयंत्रों के बारे में कोई जांच आवश्यक नहीं समझी गई। तथापि, वडोदरा स्थित संयंत्र में 3 दिसम्बर, 1977 को हुए विस्फोट के बाद दुर्घटना के कारणों का पता लगाने तथा दुर्घटना की रोकथाम के उपाय सुझाने के लिये 1978 के शुरू में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञों की एक समिति ने उस विस्फोट की भी जांच की थी।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

उत्तर प्रदेश में सीमेंट की कमी

*54. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** उत्तर प्रदेश की सीमेंट के आवंटन के बारे में 18 अप्रैल, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 767 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को सीमेंट की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के लोगों को हो रही कठिनाई का पता है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में सीमेंट की मासिक आवश्यकता कितनी है और सरकार द्वारा सप्लाई की जा रही सीमेंट की मात्रा कितनी हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में सीमेंट की मांग का कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो इससे क्या तथ्य प्रकाश में आए हैं ?

उद्योग मन्त्री : (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी हां। यद्यपि उत्तर प्रदेश राज्य को किए जाने वाले सीमेंट के मूल तिमाही आवंटन में वृद्धि की गई है तो भी अभी समूची मांग को पूरा करना संभव नहीं है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि उनकी सीमेंट की मासिक आवश्यकता 3 लाख मी० टन होगी। देश में सीमेंट की आम कमी के कारण समूची मांग को पूरा करना संभव नहीं हुआ है। जनवरी-मार्च, 1979 की तिमाही में 5.5 लाख मी० टन सीमेंट के आवंटन के स्थान पर कुल 5.29 लाख मी० टन सीमेंट भेजी गई थी।

(ग) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में सीमेंट की मांग से सम्बन्धित कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

मारूति के मामले में गुप्ता आयोग की रिपोर्ट

*55. **डा० बसन्त कुमार पंडित :**
श्री श्याम सुंदर गुप्त : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मई, 1979 के अन्तिम सप्ताह में मारूति के मामले में मि० जस्टिस गुप्ता द्वारा दी गई रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ख) रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्षों और व्यक्त मत पर सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) मारूति मामलों पर गुप्ता जांच आयोग की रिपोर्ट विचाराधीन है।

भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती के लिए विशेष परीक्षा

*56. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने कुछ समय पहले मंत्रालय को यह सुझाव दिया था कि भारतीय प्रशासन सेवा में विशेष भर्ती के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाए ;

(ख) क्या सरकार ऐसी कोई परीक्षा आयोजित करने और विशेष भर्ती करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक ;

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त सुझाव पर अब तक कोई निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इस वर्ष अक्तूबर माह के अन्त तक इस बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा ?

गृह मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ) : (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

साम्प्रदायिक सद्भावना

*57. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि 17 चुने हुए जिलों तथा 10 राज्यों की राजधानियों में साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए वर्तमान प्रबन्धों में कुछ मौलिक कमियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों एवं राज्यों की राजधानियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन विशेष स्थानों में इन मौलिक कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) साम्प्रदायिक सद्भाव सम्बन्धी राष्ट्रीय स्तर की एक समिति का गठन प्रधान मन्त्री द्वारा उप प्रधान मन्त्री श्री जगजीवन राम की अध्यक्षता में किया गया है जिसके सदस्य केन्द्रीय गृह मन्त्री के अतिरिक्त 7 मुख्य मन्त्री, संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के 4 नेता और एक प्रतिष्ठित शिक्षाविज्ञ हैं । समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार गृह मन्त्रालय ने सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से साम्प्रदायिक स्थितियों से निपटने के लिए निरोधात्मक तथा प्रशासनिक पहलुओं के बारे में वर्तमान व्यवस्थाओं का 17 चुने हुए जिलों और 10 राज्यों की राजधानियों जिनकी सूचि अनुबन्ध में दी गई है, एक सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण से वर्तमान व्यवस्थाओं में अपर्याप्तताओं का पता लगा है । सर्वेक्षण के निष्कर्ष साम्प्रदायिक सद्भाव सम्बन्धी समिति के समक्ष रख दिए गए हैं । समिति को अपनी सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप देना है । समिति की सिफारशें प्राप्त होने पर सरकार उनकी जांच करेगी और उन पर उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

साम्प्रदायिक सद्भाव सम्बन्धी समिति के एक और सुझाव पर कार्यवाही करते हुए गृह मन्त्री ने साम्प्रदायिक मामलों से सम्बन्धित सूचना का प्रबोधन करने के लिए मंत्रालय में एक प्रबोधक कक्ष स्थापित किया है ।

मामले के महत्व और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गृह मन्त्री ने सभी मुख्य मंत्रियों तथा उप राज्यपालों को साम्प्रदायिक स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर वर्तमान निरोधात्मक प्रशासनिक तथा अन्य व्यवस्थाओं के तुरन्त पुनरीक्षण का सुझाव देते हुए पत्र भी लिखे हैं ।

इसके लिए गृह मन्त्रालय द्वारा राज्यों के गुणों के शासकीय स्तर के सम्मेलन बुलाने का भी निर्णय किया है । ऐसा प्रथम सम्मेलन उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों का 18-6-79 को नई दिल्ली में पहले ही हो चुका है । ऐसा अगला सम्मेलन महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का पुणे में 22 जुलाई 1979 को आयोजित करना नियत किया गया है ।

अनुबन्ध

क्रम संख्या	राज्य	राजधानी/जिला
1.	उत्तर प्रदेश	**लखनऊ**
		1. मेरठ
		2. वाराणसी
2.	मध्य प्रदेश	**भोपाल**
		1. मंदसौर
3.	पश्चिमी बंगाल	**कलकत्ता**
		1. 24-परगना
4.	आंध्र प्रदेश	**हैदराबाद**
		1. नालगोंडा
		2. हैदराबाद
5.	उड़ीसा	**भुवनेश्वर**
		1. राउरकेला
6.	कर्नाटक	**बंगलौर**
		1. बंगलौर
		2. बिदार
7.	केरल	**त्रिवेन्द्रम**
		1. कनानौर
		2. कोट्टायाम
8.	महाराष्ट्र	**बम्बई**
		1. थाना (भिवांडी)
		2. जलगांव
		3. औरंगाबाद
9.	गुजरात	**गांधीनगर**
		1. गांधीनगर
10.	बिहार	**पटना**
		1. रांची
		2. नालंदा

तमिलनाडु स्वाधीनता सेनानी समिति का ज्ञापन

*58. **श्री एम० कल्याणासुन्दरम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु स्वाधीनता सेनानी समिति से स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में दिनांक 4 जून, 1979 का कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक टिप्पणी संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4603/79]

दहेज के लिए स्त्रियों के कथित जलाये जाने संबंधी मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय

*59. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

श्री शरद यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्हें दहेज के लिए स्त्रियों के कथित जलाये जाने के विरुद्ध विरोध प्रकट करने वाली प्रदर्शनकारी महिलाओं से जो दहेज और स्त्रियों को परेशान करने संबंधी मामलों में कार्यवाही करने के लिए विशेष न्यायालयों की मांग कर रही थीं, कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) नारी रक्षा समिति से दो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं । उनमें निहित मुख्य सुझावों की सूची अनुलग्नक में दी गई है ।

ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यह है कि दहेज की जिस सामाजिक बुराई के कारण महिलाओं की आत्म हत्या/हत्या होती है और ससुराल वालों द्वारा उनके साथ बहुत बुरी तरह बर्ताव किया जाता है उससे उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के उपाय किये जाने चाहिए । हालांकि इस समस्या के समाधान के लिए 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया था और फिर भी यह अधिनियम इस बुराई को समाप्त करने में प्रभावकारी नहीं रहा है । इसलिए सरकार अधिनियम के कार्यकरण से प्राप्त अनुभव और महिलाओं के स्तर संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए वर्तमान अधिनियम के स्थान पर एक अधिक व्यापक विधान बनाने पर विचार कर रही है । परन्तु यह सामान्य अनुभव है कि विधान द्वारा समाजिक बुराई अथवा प्रथाएं संतोषजनक रूप से नियंत्रित नहीं होती अथवा उनमें सुधार नहीं होता ।

वैवाहिक और तलाक के मामले दीवानी किस्म के मामले होते हैं। ऐसे मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधि आयोग की 77वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त उपाय करने के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लिखा गया है।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यह निर्णय किया गया है कि दहेज के लिए कथित मांगों के परिणामस्वरूप मानव हत्या के सभी मामलों की जांच पड़ताल दिल्ली सी० आई० डी० की अपराध शाखा के मानव हत्या दस्ते द्वारा की जाएगी। ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने में किसी प्रकार से लापरवाह पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

1. तलाक संबंध विच्छेद आदि से संबंधित मामले पंजीकृत संगठनों के माध्यम से न्यायालयों को जाते हैं। तलाक, द्विविवाह और निर्वाह भत्ता आदि के मामलों का निपटान करने के लिए विशेष न्यायालय गठित किये जायं।
2. किसी लड़की को जलाने की घटनाएं मूल रूप से हत्या के मामले के रूप में दर्ज की जाए और गिरफ्तारी तथा मामले की छानवीन तुरन्त की जानी चाहिए। छानबीन किसी वरिष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।
3. यदि अभियुक्त एक बार दोष सिद्ध कर दिया जाए तो उसे जमानत पर रिहा न किया जाये। सजा कठोर होनी चाहिए।
4. जिस लड़की को जला दिया गया हो, उसका दहेज वापस किया जाए।
5. प्रत्येक विवाह अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाए। विवाह में दिया गया दहेज दोनों पक्षों की ओर से घोषित किया जाए।
6. तलाकी हुई पत्नी, चाहे वह काम कर रही हो या नहीं, उसे एक मुस्त रकम, जिसे 'मेहर' अथवा 'डाबर' कहा जा सकता है, प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।
7. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 और हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 के संबंध में कानून में संशोधन किया जाए।
8. भारतीय दण्ड संहिता की 494 से 498 तक की धाराओं में संशोधन आवश्यक है।
9. तलाक कानूनों के सरल होने के कारण परिवार की समस्याओं में वृद्धि हो रही है। इसके कारण बच्चों के भविष्य की अनिश्चितता की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

*कोई विशेष प्रस्ताव नहीं दिया गया है।

व्योम प्रयोगशाला का गिरना

*60. **डा० विजय मण्डल** :

श्री सी० एन० विश्वनाथन : क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने दिनांक 7 जून, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार देखे हैं कि व्योम प्रयोगशाला के 500 टुकड़े 26 जून और 4 जुलाई, 1979 के बीच में पृथ्वी पर गिर सकते हैं।

(ख) क्या भारत सरकार ने इसे रोकने और इसकी निगाह रखने की आवश्यक व्यवस्था कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) व्योम प्रयोगशाला (स्काई लैब) को अमरीकी सरकार के राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) ने छोड़ा था, तथा इसके नियंत्रण की प्रक्रिया उन्हीं के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जहां तक हमें जानकारी है, उन्होंने कर्षण को कम करने और इसकी अवनति को नियमित करने का भरसक प्रयत्न किया है। लेकिन ये प्रयास आनुभविक प्रकृति के हैं तथा इनकी सफलता सीमित होगी। फिर भी, इसकी कक्षाओं के बारे में अमरीकी स्रोतों से प्राप्त अद्यतन सूचना के आधार पर उपलब्ध सुविधाओं से व्योम प्रयोगशाला की कक्षीय स्थिति पर निगाह रखने के प्रबन्ध कर लिये हैं।

(ग) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

स्काईलैब को संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष प्रशासन ने 14 मई, 1973 को छोड़ा था। इस अन्तरिक्षयान को मूल रूप में 1983 तक स्थिर कक्षा में रखने की योजना थी। लेकिन अप्रत्याशित और सक्रियता के कारण इसकी कक्षा में ह्रास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ी हुई प्रतिरोधकता अथवा अत्यधिक कर्षण का सामना करना पड़ा। नासा ने विभिन्न कौशलों से अन्तरिक्षयान के कर्षण को कम करने और स्काईलैब के कक्षीय जीवन को दीर्घ करने के लिये प्रयास किया। जब यह प्रकट हुआ कि इसके गिरने को रोका नहीं जा सकता है, तो इसका मानीटर करने तथा इसकी अवनति को यथासंभव नियंत्रित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह सारी प्रक्रिया फिर भी आनुभविक है, क्यों कि भूमि से अत्यन्त सीमित रूप में ही इसकी दशा नियंत्रण का कार्य किया जा सकता है तथा वायुमण्डल में दुबारा प्रवेश के समय स्काईलैब के व्यवहार की शुद्ध रूप में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन स्काईलैब के पुनः प्रवेश की संभावनाओं का विश्लेषण कर रहा है तथा पुनः प्रवेश के बारे में भविस्यवाणियां करने के लिए अधिक परिशुद्ध कक्षीय

सूचना प्राप्त करने के लिये भारतीय अनुवर्तन केन्द्रों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल और प्रकाशीय अनुवर्तन केन्द्र, कवलूर के केन्द्र भी शामिल हैं। प्रकाशीय प्रणालियों से प्रभावी अनुवर्तन करने में बादलों से घिरे आकाश के कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयों और उपलब्ध राडारों के सीमित सीमा-क्षेत्र के कारण प्रारम्भिक प्रयत्न सफल नहीं रहे। फिर भी, इस संबंध में प्रयत्न जारी हैं। इसके अतिरिक्त, नासा से समय-समय पर सूचना प्राप्त की जा रही। यदि यह प्रयास सफल हो जाय, तो ये पर्यवेक्षण पुनः प्रवेश के बिन्दु की परिशुद्ध भविष्यवाणी करने में और यदि भारत के ऊपर ऐसा होता है तो उस विशिष्ट क्षेत्र में जनता को सचेत करने में सीमित रूप में उपयोगी होंगे। पर्याप्त विश्वास से केवल यह कहा जा सकता है कि अन्तरिक्षयान 50° दक्षिणी अक्षांश और 50° उत्तरी अक्षांश के बीच के क्षेत्र में वायुमण्डल में पुनः प्रवेश करेगा। चूंकि इस क्षेत्र में मुख्य रूप में समुद्र और महासागर का क्षेत्र शामिल है तथा भारतीय भू-क्षेत्र इस क्षेत्र के तीन प्रतिशत के लगभग है, अतः जीवन अथवा सम्पत्ति की हानि के आंकड़े अधिक नहीं होंगे, तथापि इनकी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। दिनांक 11 जुलाई, 1979 को 03.40 बजे (भारतीय समयानुसार) जो सूचना उपलब्ध है, उससे पता चलता है कि स्काईलैब का वायुमण्डल में पुनः प्रवेश संभवतया 11 जुलाई को 17.20 बजे (भारतीय समयानुसार) से और 12 जुलाई, 1979 के 01.44 बजे (भारतीय समयानुसार) के बीच के समय में होगा। यह प्रवेश किस क्षेत्र में होगा, इसकी भविष्यवाणी विश्वास के साथ नहीं की जा सकती है। अधिक परिशुद्ध भविष्यवाणियां पुनः प्रवेश से केवल लगभग 4 घंटे पहले करना संभव होगा, तथा तब भी वास्तविक पुनः प्रवेश की भविष्यवाणी में अनिश्चितता होगी क्योंकि इस अन्तराल में स्काईलैब इस भू-मण्डल के तीन चक्कर लगा चुकी होगी, जिसके परिणामस्वरूप पुनः प्रवेश की सही भविष्यवाणी करना काफी कठिन होगा।

संयुक्त राज्य अमरीका ने "अन्तरिक्ष पिण्डों द्वारा होने वाली हानि के लिये अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी पर अभिसमय (कन्वेन्शन)" पर हस्ताक्षर किये हैं, तथा वह स्काई-लैब से गिरने वाले मलबे से भारतीय व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की हानि के लिए मुआवजा देने के लिए औपचारिक रूप में जिम्मेदार है।

हरिजनों पर अत्याचारों के मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय

401. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर अत्याचारों से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किये हैं ; और

(ख) उन न्यायालयों को कितने मामले सौंपे गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) और (ख) : भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों से संबंधित मामलों और नागरिक अधिकार संरक्षण अधि-

नियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना पर विचार करने के लिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। ऐसे विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रश्न कुछ राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों पर अत्याचारों के मामलों और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र अभियोजन को ध्यान में रखते हुए राज्य में चार या पांच जिलों के प्रत्येक एक समूह के लिए एक चलता फिरता न्यायालय स्थापित करने का निर्णय किया है।

ब्रिटेनिया ब्रेड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा ब्रेड का उत्पादन

402. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या उद्योग मंत्री** ब्रिटेनिया ब्रेड मैनुफैक्चरिंग द्वारा डबल रोटी के उत्पादन के बारे में 21 मार्च, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या : 415 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मैसर्स ब्रिटेनिया ब्रेड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी की लाइसेंसशुदा क्षमता क्या है और उसने गत 3 वर्षों में डबल रोटी का कितना उत्पादन किया है ;

(ख) क्या इस कम्पनी ने सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जैसा कि सरकार ने परामर्श दिया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके आधार पर अधिकतम उत्पादन-क्षमता क्या निर्धारित की गई है ; और

(घ) क्या इस कम्पनी ने गत समय में अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक डबल रोटी का उत्पादन किया है और यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) मैसर्स ब्रिटेनिया बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास डबल रोटी बनाने का औद्योगिक लाइसेंस नहीं है। अतएव लाइसेंस प्राप्त क्षमता का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु कंपनी तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत है, जिसने स्वीकृत क्षमता 48,600 मी० टन प्रति वर्ष निर्दिष्ट की है। तकनीकी विकास में महानिदेशालय को सूचित किया गया डबल रोटी का गत तीन वर्षों का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

1976	40,367 मी० टन
1977	39,558 मी० टन
1978 (अनुमानित)	39,234 मी० टन

(ख) कंपनी ने सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य चालू रखने संबंधी लाइसेंस के लिए इस आधार पर आवेदन नहीं किया है कि वह पहले ही तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत है, अतएव कार्य चालू रखने के लाइसेंस की स्वीकृति के लिए कोई और आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यावेदन की जांच की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई करना

403. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने बम्बई का नाम बदल कर मुम्बई करने का निर्णय किया है, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने दिसम्बर, 1977 में प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस बारे में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ; और

(ग) इस पर निर्णय करने के लिए गत तीन माह के दौरान क्या विशेष प्रयास किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है क्योंकि उसके कुछ पहलुओं पर महाराष्ट्र सरकार के साथ सलाह मशविरा किया जा रहा है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड-सीमेंस के बीच छतरीनुमा करार के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से निर्णय लेना

404. **श्री जी० एस० तोहरा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा सीमेन्स के बीच छतरी-नुमा करार के विवादास्पद प्रस्ताव पर कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) यह संदर्भ सम्भवतः कुछ वैद्युत उत्पादों एवं प्रौद्योगिकीय प्रणालियों के लिये जानकारी प्राप्त करने हेतु पश्चिम जर्मनी के मै० सीमेंस के साथ मै० भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी०एच० ई०एल०) के प्रस्तावित सहयोग करार से संबंधित है ; सरकार अभी इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) जब तक निर्णय नहीं हो जाता विस्तृत ब्यौरा देना संभव नहीं है।

छठी पंचवर्षीय योजना

405. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या छठी योजना को अंतिम रूप दिए जाने में और विलम्ब होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फज़लुर्रहमान) : (क) और (ख) छठी योजना को अंतिम रूप देने में अब और अधिक विलम्ब होने की परिकल्पना नहीं है । योजना के अंतिम दस्तावेज को अगले महीने में राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ।

फ्रांस से परिष्कृत यूरेनियम

407. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के निकट कलपाक्कम में निर्माणाधीन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिऐक्टर के लिए फ्रांस से परिष्कृत यूरेनियम प्राप्त करने में अड़चने आ रही हैं और इस वजह से रिऐक्टर के चालू होने में विलम्ब हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय आरक्षी पुलिस दल के जवानों को छुट्टियां दिया जाना

408. **श्री दयाराम साक्य** : क्या **गृह मंत्री** केन्द्रीय आरक्षी पुलिस दल के जवानों को वार्षिक छुट्टियों के बारे में 4 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6009 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय आरक्षी पुलिस दल के जवानों को 60 दिन की छुट्टियां देने के लिए नियमों में संशोधन करने के बारे में विधि मंत्रालय से मंत्रणा कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों दलों के जवानों को उक्त छुट्टियां देने के आदेश किस तारीख से लागू होंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इन आदेशों के कार्यान्वयन की तारीख इस प्रकार है :—

(1) 9-6-79 केन्द्रीय आरक्षी पुलिस दल के कर्मचारियों के लिए और

(2) 6-6-79 सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों के लिए ।

सोवियत संघ के 'आल यूनियन इन्स्टीट्यूट फार आउटर स्पेस रिसर्च' के अध्यक्ष द्वारा दिया गया वक्तव्य

409. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के 'आल यूनियन इन्स्टीट्यूट फार आउटर स्पेस रिसर्च' के अध्यक्ष ने नई दिल्ली में यह वक्तव्य दिया था कि "स्काई लैब" के गिरने के परिणामों को बहुत ज्यादा बढ़ाचढ़ाकर बताया गया है और यह भी कि भारतीय अन्तरिक्ष यात्री को अन्तरिक्ष में छोड़े जाने से पहले उसे प्रशिक्षण देने में रूस को एक वर्ष का समय लगेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है?

राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) समाचार पत्र की रिपोर्टों के अनुसार सोवियत संघ के आल यूनियन इन्स्टीट्यूट फार आउटर स्पेस रिसर्च के निदेशक अकादमिशियन आर० जैड० सगदेयेव ने नई दिल्ली में वक्तव्य दिया था कि उसके विचार में प्रचार-साधनों ने पृथ्वी पर गिरने वाली अमरीकी प्रयोगशाला से होने वाले खतरों को बढ़ा चढ़ा कर बताया है । उसी रिपोर्ट के अनुसार अकादमिशियन सगदेयेव ने नई दिल्ली में यह भी कहा है कि किसी भारतीय को यदि उड्डयन अनुभव और इंजीनियरी विज्ञान की जानकारी हो तो उसे अन्तरिक्ष यात्री बनाने के लिये प्रशिक्षण देने में 12 से 18 महीने का समय लगेगा ।

(ख) जहां तक व्योम प्रयोगशाला के मलबे के गिरने से होने वाले नुकसान का संबंध है, भारत में सम्पति अथवा जीवन की हानि की संभावना के आंकड़ें अधिक नहीं होंगे । लेकिन इसकी संभावना से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है । भारत सरकार के वर्तमान अन्तरिक्ष कार्यक्रम में मानव को अन्तरिक्ष में भेजने का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

नाइजीरिया को साइकल निर्यात करने का करार

410. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नाइजीरिया को साइकिल निर्यात करने के बारे में दिल्ली लघु उद्योग निगम के साथ कोई करार हो गया है ;

(ख) यह करार कब हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि साइकलें सप्लाई नहीं की गई ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) से (घ) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (जो पहले दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम के नाम से जाना जाता था) ने सूचित किया है कि उन्होंने नाइजीरिया को साइकिलें और साइकिल के पुर्जों का निर्यात करने

हेतु अक्तूबर, 1976 में मै० रोडमास्टर इण्डस्ट्रीज आफ इंडिया (प्रा०) लि०, राजपुरा के साथ एक करार किया था तथा उन्होंने क्रयादेश पूरा कर दिया था ।

कपड़ा मिलों द्वारा कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन

411. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) कपड़ा मिलों ने 1977 तथा 1978 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का कंट्रोल का कपड़ा तैयार किया ;

(ख) सरकार के पास पड़े कंट्रोल के कपड़े के ऐसे भंडार का मूल्य क्या है जिसका निपटान नहीं हुआ है ;

(ग) क्या इसकी किस्म अच्छी न होने के कारण उपभोक्ता लोग इस कपड़े को खरीदने के इच्छुक नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप इसका भण्डार बढ़ता चला जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कपड़े की किस्म सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) वस्त्र एककों द्वारा 1977 तथा 1978 के दौरान तैयार किये गये नियन्त्रित कपड़े की कुल मात्रा एवं मूल्य निम्न प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन (दस लाख वर्ग मीटर)	अनुमानित मूल्य (दस लाख रु० में)
1	2	3
1977	343.43	696.98
1978	364.23	941.75

(ख) से (घ) कम मूल्यों और अच्छी किस्म के कारण नियन्त्रित कपड़ा जनता में काफी लोकप्रिय है । अत: नियन्त्रित कपड़े का सरकार के पास ऐसा कोई भंडार नहीं पड़ा है जिनका निपटान न हुआ हो । इस प्रकार के कपड़े की घटिया किस्म का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

हिन्दी अनुवादकों के रूप में कार्य कर रहे सहायक

413. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा में हिन्दी अनुवादकों के रूप में कार्य कर रहे सहायकों की सेवाओं को प्रस्तावित केन्द्रीय

सचिवालय राजभाषा सेवा में 'ग' ग्रुप के पदों के लिए उनके द्वारा सहायक के रूप में की गई सेवाओं का महत्व दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दहेज न लाने के कारण कथित मौत

414. **श्री बृज भूषण तिवारी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली में फरवरी से जून, 1979 के महीनों के दौरान दहेज न लाने के कारण अनेक महिलाओं को उनके ससुराल वालों द्वारा पीटा गया उनकी हत्या कर दी गई ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुई तथा दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) फरवरी से जून, 1979 के महीनों के दौरान दिल्ली पुलिस को 5 मामलों की सूचना दी गई थी।

(ख) 1977 में सूचित किए गये 9 मामलों में से 4 लापता रहे, 1 विचारणाधीन है, 1 दोषमुक्त किया गया था और 3 रद्द कर दिये गये थे। 1978 में सूचित किए गये 7 मामलों में से 3 लापता रहे, 3 विचारणाधीन हैं और 1 रद्द कर दिया गया था।

(ग) दहेज रोक अधिनियम, 1961 को संशोधित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इसको अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में भी यह व्यवस्था करने के लिए उनको संशोधित कर दिया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी न दहेज लेगा अथवा न देगा अथवा दहेज देने अथवा लेने के लिए अवप्रेरित नहीं करेगा अथवा किसी वधु अथवा वर के माता-पिता अथवा संक्षरक से जैसी भी स्थिति हो, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी दहेज की मांग नहीं करेगा।

स्वापक पदार्थों का धंधा करने वालों की गिरफ्तारी

415. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
श्री डी० अमात : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि स्वापक पदार्थों का धन्धा करने वाले एक कथित व्यक्ति गुईलियानी बरटालिनी और उस का साथ देने वाली मिस सिंडी को 31 मई 1979 को कनाट प्लेस के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा डाले गये छापे में तारीख 31 मई, 1979 को नरूला होटल से श्री गियूलीनो वटरलीनी और कुमारी किंडी को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से कुछ जाली पारपत्र, दवाई और विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। श्री गियूलीनो वरटालीनी के विरुद्ध खतरनाक दवाई अधिनियम की धारा 14 के अधीन और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411/460/471/420 के अधीन मामले और कुमारी किंडी के विरुद्ध विदेशी व्यक्ति अधिनियम की धारा 14 के अधीन मामला दर्ज किया गया है।

मद्य निषेध के विरोध में पांडिचेरी बन्द

416. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :—

(क) क्या यह सच है कि मद्य निषेध लागू करने और क्षेत्र में हाल ही में गृह कर एवं भूमिकर में वृद्धि के विरुद्ध पांडिचेरी में 8 जून 1979 को "पूर्ण बन्द" हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उनकी मांगों के प्रति केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) पांडिचेरी प्रशासन की सूचना के अनुसार पांडिचेरी में मद्य निषेध लागू करने और कर में वृद्धि के विरुद्ध 8 जून, 1979 को "बन्द" हुआ था।

(ख) जहां तक गृह कर का सम्बन्ध है यह गत वर्ष तक पुरानी फ्रांसिसी पद्धति के अधीन वसूल किया जाता था। पांडिचेरी पालिका अधिनियम, 1973 और पांडिचेरी ग्राम और समुदाय पंचायत अधिनियम 1973 के लागू होने से इन अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार गृह कर में संशोधन करना आवश्यक हो गया है और तद्नुसार आवश्यक कार्रवाही की जा रही है।

मद्य निषेध लागू करने से प्रभावित ताड़ी निकालने वालों के पुर्नवास के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। अधिक रोजगार अवसरों को प्रदान करने बाली योजनाओं का पता लगाया जा रहा है।

साम्प्रदायिक घटनाओं से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार का परामर्श

417. **श्री एस० आर० रेड्डी०** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने पिछले दो वर्षों में हुए साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी स्वयं समितियों की नियुक्ति की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सीमेंट की कमी और इसके मूल्य में वृद्धि

418. **डा० विजय मंडल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अप्रैल-जुलाई, 1979 की अवधि के दौरान देश में सीमेंट की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खुले बाजार में सीमेंट के मूल्य 45 रुपये प्रति बोरी हो गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में सीमेंट की कमी पूरी करने के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) 1978-79 के दौरान सीमेंट का उल्लेखनीय उत्पादन होने तथा किये गए अन्य अन्युपायों के बावजूद देश में सिंचाई तथा विद्युत क्षेत्रों में निर्माण की गतिविधियों की अप्रत्याशित तेजी, आवास तथा विकासपरक अन्य परियोजनाओं के कारण मांग की अपेक्षा सीमेंट की उपलब्धि कम ही रही है ?

(ख) सरकार को देश के कुछ भागों में सीमेंट के ऊंचे मूल्यों पर कालाबाजारी करने की शिकायतें मिलती रही हैं ।

(ग) सरकार ने (नेपाल को छोड़कर) निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर तथा 1979-80 में मिलीयन मीट्रिकटन का आयात करने की व्यवस्था कर सीमेंट की उपलब्धि में बृद्धि करने हेतु कदम उठाये हैं । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अन्य अन्युपाय जो सरकार द्वारा सीमेंट के उत्पादन तथा उपलब्धि में सुधार करने के लिये कदम उठाये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :—

1. राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे सीमेंट को जनता में वितरण करने का काम हाथ में लें, सांविधिक लाइसेंसिग की व्यवस्था करें सीधे ही स्टाकिस्टों की नियुक्ति करें, उपभोक्ताओं को परमिट जारी करें, उचित वितरण करने के लिए प्रशासकीय तंत्र की स्थापना करें तथा इस कार्य के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता प्राप्त करें ।

2. सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं की पूरी-पूरी जरूरतों को पहले से आरक्षण कर पूरा किया जा रहा है ।

3. सड़क द्वारा सीमेंट परिवहन के भाड़ा संबंधी विद्यमान नियमों को और उदार बना दिया गया है ।

4. सरकार ने बिजली की कटौती के दौरान केपटिव पावर के उपयोग में सीमेंट का उत्पादन करने के मामले में सहायता भी दी है (यह केवल उन एककों पर लागू होता है जिनके पास केपटिव पावर जनित्रण की पहले से ही सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

5. सरकार ने कोयले की पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण सीमेंट का उत्पादन करने के मामले में ईंधन तेल के उपयोग के बारे में सीमेंट उद्योग को सहायता देने संबंधी प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है ।

6. विद्यमान एककों के उत्पादन पर सतत निगरानी रखी जा रही है ताकि उद्योग में शतप्रतिशत क्षमता का समस्त उपयोग बनाये रखा जा सके ।

7. उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से प्रिकेल्सिनेटर प्रौद्योगिकी का आयात किये जाने की अनुमति दे दी गई है ।

8. चल रही परियोजनाओं के निर्माण कार्य में शीघ्रता करायी जा रही है ।

9. सरकार ने स्लैग का उपयोग करने हेतु इस्पात संयंत्रों के समीप अथवा उसी स्थापना स्थल पर सीमेंट संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया है ।

10. सरकार बड़ी संख्या में छोटे सीमेंट संयंत्रों की स्थापना को भी प्रोत्साहित करती है ।

11. एक उच्चस्तरीय समिति ने सीमेंट उद्योग का एक व्यापक अध्ययन किया है और अनेक सिफारिशें की हैं । सरकार मूल्यों तथा प्रोत्साहनों के संबंध में 3 मई, 1979 को घोषणा कर चुकी है ।

12. देश में सीमेंट के वितरण के संबंध में वर्तमान क्षेत्रीय असन्तुलन का कारण सीमेंट संयंत्रों का चूना पत्थर निक्षेपों के समीप स्थिपित होना है । सीमेंट संयंत्रों की अलग-अलग स्थापना को प्रोत्साहित कर इस असतुलन को दूर करने का विचार है ।

13. सीमेंट का परिरक्षण करने के उद्देश्य से इस समय मंत्रिमण्डल की एक उपसमिति विभिन्न अन्युपायों पर विचार कर रही है । एवत्ती सामग्री जैसे हाईडेटेड चूना, धानभूसी सीमेंट, सागल, चूना गारा आदि के उपयोग द्वारा सीमेंट के परिरक्षव प्राप्त करने का विचार है ।

वैस्टर्न इंडिया मैच फैक्ट्री के उत्पादन में कमी

419. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला :**

श्री चिमन भाई एच० शुक्ल :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गत दो वर्षों में वैस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी के उत्पादन में बहुत अधिक कमी हो गई है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप "विमको" माचिसों की कमी हो गई है ; और

(ग) माचिसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार को इस बारे में कोई शिकायत अथवा सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) दियासलाइयों का उत्पादन केवल लघु तथा कुटीर क्षेत्र में विकास के लिए सेफ्टी आरक्षित कर दिया गया है तथा विद्यमान एककों का विस्तार करके एवम् नये एककों की स्थापना करके उनके उत्पादन में वृद्धि करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

अतिरिक्त सचिवों और निदेशकों के पद समाप्त करना

420. **श्री युवराज** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने प्रशासकीय व्यय को घटाने की दृष्टि से अतिरिक्त सचिवों और निदेशकों के पद समाप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त सचिव और निदेशक किन-किन विभागों में काम कर रहे हैं और उन पर कितना व्यय होता है ;

(ग) व्यय में कमी लाने के लिये इन पदों को कब तक समाप्त कर दिया जाएगा ; और

(घ) यदि इन पदों को समाप्त नहीं किया जायेगा तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख), (ग) तथा (घ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अपर सचिव तथा निदेशक के पद विद्यमान है। चूंकि ऐसा महसूस किया जाता है कि केन्द्रीय सचिवालय में निदेशक तथा उपसचिव के पदों से सम्बद्ध ड्यूटियां तथा कार्य एक जैसे हैं, इसलिये यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या दोनों ही स्तरों के पदों को जारी रखे जाने की कोई आवश्यकता है, अथवा क्या इन्हें एकल स्तर पर एक साथ मिलाया जा सकता है।

भारी इंजीनियरी निगम तथा खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम का बंद किया जाना

श्री यशवन्त बोरोले : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने भारी इंजीनियरी निगम तथा खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम को बन्द करने के लिए कार्यवाही की है ;

(ग) गत तीन वर्षों में भारी इंजीनियरी निगम तथा खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम द्वारा कितने मूल्य के पूंजीगत सामान का निर्माण किया गया और उपलब्ध कराया गया और कितने मूल्य के पूंजीगत सामान का आयात किया गया ; और

(ग) आयात करने की अपेक्षा उनको आर्डर क्यों नहीं दिये गये है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न केवल यह नहीं है कि एच० ई० सी० और एम० ए० एम० सी० कितनी सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसे आयातित उपकरणों की उतरने पर लागत की तुलना में डिलीवरी की निर्धारित तालिका के अन्तर्गत और प्रतियोगी मूल्यों पर सप्लाई करने की उनकी क्षमता से सम्बद्ध करना आवश्यक होगा। फिर भी यह कहा जा सकता है कि जहां एच० ई० सी० और एम० ए० एम० सी० ने इन शर्तों को पूरा किया है वहां आयात की आमतौर पर अनुमति नहीं दी गई है। 1977-78 की तुलना में 1978-79 में एककों द्वारा उत्पादन में की गई वृद्धि और इनके पास पड़े क्रयादेशों से भी इसकी पुष्टि होती है जैसा नीचे दिया गया है :—

(रु० करोड़ों में)

	उत्पादन का मूल्य			31-3-1979 तक
	1976-77	1977-78	1978-79	कम्पनी के पास क्रयादेश
एच० ई० सी०	92.64	42.15	70.69	172.07
एम० ए० एस० सी०	35.23	9.46	26.37	60.50

एम० ए० एम० सी० के मामले में क्रयादेश स्थिति बहुत कुछ हद तक संतोषजनक समझी जाती है और एच० ई० सी० के मामले में यह तय किया गया है कि भिलाई के ब्लास्ट फर्नेंस कम्पलेक्स और बिशाखापतनम स्टील प्लांट के लिये काफी मात्रा में उपकरणों के लिए उनको पर्याप्त क्रयादेश दिए जायेंगे।

जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना में हुई प्रगति

422. **श्री पी०एस० रामालिंगम :**

श्री ए० बाला पजनोर :

डा० रामजी सिंह :

श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) इस समय कितने जिला उद्योग केन्द्र चल रहे हैं और उन पर अब तक कितना खर्च किया गया है ;

(ख) उनमें से ऐसे कितने केन्द्र प्रभावी रूप से चल रहे है, जिनमें ईमानदारी से सर्मपित और सक्षम कर्मचारी कार्य कर रहे है ;

(ग) नए उपक्रमों को चलने और उन्हें सहायता देने के रूप में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) उनसे अनुमानतः कितने रोजगार उपलब्ध हुए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधीन आज तक 346 जिला उद्योग केन्द्रों को स्वीकृति दी गई है। सभी 346 जिला उद्योग केन्द्रों को एक साथ स्वीकृति नहीं दी गई थी बल्कि इनकी स्वीकृतियां कई महीनों की अवधि में दी गई थी। जिला उद्योग केन्द्र स्वीकृत हो जाने के पश्चात साधारणतया नियुक्ति-नियम बनाने, चयन समितियां बनाने, कर्मचारियों की नियुक्तियां करने व उन्हें प्रशिक्षण देने और कार्य प्रारम्भ करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालय बनाने जैसे प्रविधि संबंधी मामलों में लगभग 4 महीने लग जाते हैं उपलब्ध जानकारी के अनुसार 346 जिला उद्योग केन्द्रों में से 246 जिला उद्योग केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को वर्ष 1978-79 के दौरान 2600.62 लाख रुपए की राशि दी गई थी जिसमें से 1900.62 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में तथा 700 लाख रुपए की राशि ऋणों के रूप में दी गई थी।

(ख) समूचे देश में अनेक क्षेत्रों में 1031 कार्यकारी प्रबंधकों की सहायता से 217 जिला उद्योग केन्द्र प्रभावी रूप से कार्य कर रहें हैं।

(ग) और (घ) अब तक स्वीकृत 346 जिला उद्योग केन्द्रों में से 194 जिला उद्योग केन्द्रों के बारे में वास्तविक प्रगति रिपोर्टें भेजने वाले 194 जिला उद्योग केन्द्रों में वर्ष 1978-79 में 59,700 उद्यमियों का पता लगाया गया है और उनकी सहायता हेतु 18,601 परियोजना संबंधी रूप रेखाएं प्राफाइल्स तैयार की गई हैं। इन जिला उद्योग केन्द्रों में 49,609 नए एकक स्थापित किए गए हैं जिनमें से 34,010 कामगर उन्मुख एकक हैं तथा 15,599 लघु एकक हैं और जिनसे 1,46,695 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वित्त संस्थानों ने 58.72 करोड़ रुपए राशि की ऋण सहायता प्रदान की थी। 1901 एककों को 2.10 करोड़ रुपए

राशि की मूल/सीमान्त राशि प्रदान की गई थी। 4,575 एककों को 9.04 करोड़ रुपए की नगद राजसहायता दी गई थी। 592 रुग्ण एककों को सहायता दी गई। नए व पुराने दोनों प्रकार के 44,306 एककों को तकनीकी, विपणन व कच्चे माल से सबंधित सहायता भी प्रदान की गई थी।

"पेपर ड्र नोट पे मोर" शीर्षक समाचार

423. **श्री कृष्ण कांत : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान कागज मिल मालिकों की ओर से नेशनल प्रेस में "पेपर डू नोट पे मोर" शीर्षक से प्रकाशित विज्ञापन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि मिलें उपभोक्ताओं को कागज की सीधी सप्लाई करने से इन्कार कर देती है और उनके एजेन्ट तथा वितरण "विज्ञापित" मिल दरों से 50 से 70 प्रतिशत अधिक मुनाफा मांगते हैं ;

(ग) क्या सरकार कागज की कमी को पूरा करने के लिये राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कागज का आयात कर रही है ; यदि हां, तो कितनी मात्रा में ;

(घ) क्या उपभोक्ता संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार कागज का सीधा आयात करने की अनुमति दें ; और

(ङ) क्या उन्हें इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि पाठ्य पुस्तकों तथा कापियों के लिये उनके स्थानीय एजेन्टों के माध्यम से छोटे पैमाने के लिए मुद्रकों के लिये विशेष कोटा निर्धारित किया जाये ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी, हां।

(ख) अनेक वितरकों तथा विक्रेताओं के माध्यम से सप्लाई की व्यवस्था करना कागज उद्योग की एक सामान्य कार्यविधि है। सूचीगत मूल्य से अधिक मूल्य लेने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ग) सरकार ने मांग और सप्लाई के बीच का अन्तर जिसके 50 हजार मीट्रिक टन तक होने का अनुपात लगाया गया है को पूरा करने हेतु भारतीय व्यापार निगम के जरिये कागज को आयात करने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) कागज की कमी तथा प्रकाशकों एवं मुद्रकों की जरूरतों को पुरा करने हेतु उठाए जाने वाले अभ्युपायों के सम्बन्ध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आयात की व्यवस्था करने के आलावा भी सरकार ने छपाई का सफेद कागज, क्रीम वोव लड पेपर जिससे कि प्रकाशकों तथा छोटे छोटे मुद्रकों की जरूरतें आंशिक रूप से पूरी होती हैं के संबंध में निर्देश जारी करने के उद्देश्य से कागज (नियन्त्रण) आदेश, 1979 के आधीन शक्तियां प्राप्त की हैं।

जनजातीय विकास सम्बन्धी कार्यदल द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए सिफारिस की गई योजनाएं

424. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जनजातीय विकास के कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार योजनायें, कार्यक्रम एवं नीतियां तैयार करली हैं और सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालय को भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय मंत्रालयों से सम्बद्ध मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) मंत्रालयों द्वारा जनजातीय विकास के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) ये सभी सिफारिशें कब तक कार्यान्वित करदी जायेंगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) तक कार्यकारी दल की सिफारिशें मध्यम अवधि योजना 1978-83 के दौरान मंत्रालयों के लिए उनके क्षेत्रीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में ली जानी है। इनको सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और अन्य संबंधित विभागों को परिचालित किया गया था।

मंत्रालयों ने योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और अपने क्षेत्रीय कार्यक्रमों में से आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले धन की मात्रा निर्धारित करने पर विचार विमर्स आरम्भ किया है। विचार विमर्स मध्यम अवधि योजना 1978-83 की रूपरेखा तैयार करने के एक भाग के रूप में किया जा रहा है।

कागज की कीमत में वृद्धि

425. **श्री पी० के० कोडियान :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :
श्री छीतू भाई गामित :
श्री जनार्दन पुजारी :
श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री रुडोल्फ रोड्रिग्ज :
श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि कागज की कीमत पिछले कुछ महीनों में लगभग दो गुना हो गई है ;

(ख) देश में कागज की कीमत घटाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है अथवा क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) देश में छपाई के सफेद कागज की इस समय मांग और उपलब्धता क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांण्डीस) : (क) क्रीम वोव अथवा लेड कागज जो सिविल बाजारों में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कागज की किस्म है, की कीमत जो 1 अप्रैल 1978 को 4700 रु० प्रति मी० टन थी, बढ़कर जून 1979 में 5,400 रुपए प्रति मी० टन हो गई है ।

(ख) सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उद्योग करते हुए 30 जून, 1979 को कागज (नियंत्रण) आदेश, 1979 जारी किया है । आदेश में छपाई के सफेद कागज तथा क्रीम वोव अथवा लेड कागज की कारखाने से निकलते समय की कीमतें क्रमशः 3,000 रु० तथा 3,785 रु० प्रति मी० टन निर्धारित की गई है ।

(ग) छपाई का सफेद कागज पूर्णतः शैक्षिक क्षेत्र द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और 1.80 लाख मी० टन की वर्तमान उपलब्धता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । किन्तु चालू वर्ष में छपाई तथा लिखाई के कागज का समग्र उत्पादन का इसकी मांग से लगभग 50,000 मी० टन तक कम होने का अनुमान है ।

जूतों, नहाने के साबुन, माचिस, टुथ पेस्ट, आदि के उत्पाद के संबंध में बहुराष्ट्रीय उद्योगों का एकाधिकार

426. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बहुराष्ट्रीय उद्योगों ने जूतों, नहाने के साबुन, माचिस, टुथ पेस्ट तथा टुथब्रुश के उत्पादन पर एकाधिकार स्थापित कर रखा है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण उद्योगों को प्रगति का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा हालांकि इन वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता उनके पास हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन 1977-78 और 1978-79 में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया गया ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं का उत्पादन धीरे-धीरे इन बहुराष्ट्रीय उद्योगों से लेकर उसे लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को सौंपने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) 23 दिसम्बर, 1977 को संसद में रखी गई सरकार की औद्योगिक नीति में उन उद्योगों का उल्लेख किया गया है जो पूर्णतः लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है इनमें चमड़े के जूते, कपड़े धोने का साबुन, दियासलाईयां, टुथ पेस्ट टुथ ब्रुश आदि उद्योग शामिल है । नीति में यह भी बताया गया है कि जो बड़े एकक (बहुराष्ट्रीय एककों सहित) अब लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, उनकी क्षमता में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा । बल्कि

दूसरी ओर इन वस्तुओं के लिए कुल क्षमता में इन एककों के भाग को धीरे धीरे कम किया जाएगा और लघु एवं कुटीर क्षेत्र के भाग को बढ़ाया जाएगा।

इस नीति को ध्यान में रखते हुए कतिपय उपभोक्ता माल बड़े उद्योगों के विनिर्माताओं से कार्रवाई योजना तैयार करने हेतु बातचीत शुरू की गई है जिससे कि संगठित क्षेत्र, लघु क्षेत्र के पक्ष में अपनी विनिर्माण गतिविधियों को छोड़ दे और यह भी सुनिश्चित करें कि इन उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कम से कम दिक्कत हो तथा विद्यमान रोजगार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाये।

कागज के कारखानों की उत्पादन क्षमता

427. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में कागज के उद्योग संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कितनी है और इस समय वे किस अनुपात में उत्पादन कर रहे हैं ; और

(ख) कागज की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय सोचे जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) 1 अप्रैल, 1979 को कागज तथा गत्ते के उत्पादन के लिए कागज संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता 12.65 लाख मी० टन प्रतिवर्ष थी। वर्ष 1978-79 में करीब 10.06 लाख मी० टन का उत्पादन हुआ था और क्षमता उपयोग का 79.5 प्रतिशत रहा है।

(ख) कागज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अभ्युपाय किए गए है :—

(1) कागज का उत्पादन करने के लिए परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जा रही हैं।

(2) कृषि अवशेष माल, खोई आदि जैसे गैर परम्परागत कच्चे माल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(3) आयातित लुगदी तथा विदेशी कच्चे माल के संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति उदारता पूर्वक दी जा रही हैं।

(4) 30 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाले पुराने कागज संयंत्र का आयात करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

(5) कागज संयंत्रों के बारे में लाइसेंसिंग नीति उदार है और अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन दिया गया है।

(6) उपर्युक्त के अलावा की ठोस कार्यवाही योजना तैयार करने से कागज का उत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न अल्पावधि तथा दीर्घावधि अभ्युपाय किये जा रहे हैं।

बोट क्लब नई दिल्ली पर बंगला देश परिवारों द्वारा भूख हड़ताल

428. **श्री सरद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बंगला देश के 24 शरणार्थी परिवार अपने स्थायी पुनर्वास एवं रोजगार की मांग को लेकर बोट क्लब, नई दिल्ली पर भूख हड़ताल कर रहे थे और दिल्ली पुलिस द्वारा भीषण धूप में बेरहमी से उनको बोट क्लब से हटा दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उसको जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराने तथा उनकी आवास समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) बंगला देश के लगभग 60/70 शरणार्थियों ने 30-4-79 को उद्योग भवन के लान में "धरना" देना शुरू किया था। शरणार्थियों में से दो ने अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल की जिसको उन्होंने 28-5-79 को समाप्त कर दिया था। उसके बाद अन्य शर्णार्थियों ने क्रमिक भूख हड़ताल की। 25-6-79 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निशेधाज्ञा लागू की गई और शरणार्थियों को अपना 'धरना' उठाने के लिए कहा गया। पुलिस की मनमानी करने के संबंध में आरोप को अस्वीकार किया गया है।

(ख) सरकार ने उन शरणार्थियों को, जो कि राहत कैम्पों और पुनर्वास स्थानों से चले गये थे, सहायता देने की आवश्यकता की जांच की है। केवल पांच परिवार राहत के लिए योग्य पाये गए थे अन्य परिवार अपने प्रमाणिक प्रवासी होने के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर सके।

सम्पत समिति की सिफारिशें

429. **श्री बी०जी० हाण्डे : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सम्पत समिति ने देश में कारखानों तथा उद्योगों के लिए उत्पादन शुल्क में रियायत एवं सीमेंट कोटा देने की सिफारिशें की हैं ;

(ख) समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या किसी कारखाने/उद्योग पर उक्त सिफारिशें लागू की गई हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) से (ग) अप्रैल 1974 में खाद्य विभाग (कृषि मंत्रालय) द्वारा गठित सम्पत समिति ने सीमेंट के बारे में कोई सिफारिश नहीं की थी। इस समिति ने नयी चीनी मिलों तथा अधिक लागत से स्थापित होने वाली विस्तार परियोजनाओं की जांच की थी तथा रियायतों की सिफारिश की थी। सरकार ने दिसम्बर, 1975 में समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। ये रियायतें चीनी की बिक्री का अतिरिक्त कोटा तथा लेवी कर की ऊंची प्रतिशतता से मुक्त चीनी देकर की गई थी। 16 अगस्त, 1978 से चीनी पर से

नियंत्रण हटाने के पश्चात, प्रोत्साहन योजना बन्द कर दी गई । प्रोत्साहन योजना का पुनरीक्षण विचाराधीन है ।

दिसम्बर, 1975 में प्रोत्साहन योजना की घोषणा के बाद खाद्य विभाग को 63 चीनी कारखानों (33 नये चीनी कारखाने तथा 30 विस्तार परियोजनाएं) से दावे प्राप्त हुए हैं : 6 चीनी कारखानों (एक नया कारखाना और 5 विस्तार परियोजनाएं) के दावों को अंतिम रूप दे दिया गया है । 3 चीनी कारखानों के दावों को अंतिम रूप दे दिया गया है । 3 चीनी कारखानों के दावे अस्वीकार कर दिए गए हैं । शेष चीनी कारखानों के दावों की विभिन्न चरणों में जांच की जा रही है ।

टायरों के मूल्यों में वृद्धि

430. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में टायरों की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का देश में टायरों का मूल्य कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और उसने टायरों का मूल्य कम करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) यद्यपि पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में मोटर गाड़ियों के टायरों के समग्र उत्पादन में वृद्धि हुई है, फिर भी देश के कुछ भागों से ट्रैक्टर एवं स्कूटर टायरों की कमी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

(ख) मोटर गाड़ियों के टायर एवं ट्यूबों का खुले सामान्य लाइसेंसों के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति है । फिर भी सरकार ने ओ०ई० उत्पादन कर्ताओं को सीमा शुल्क की घटी दरों पर ट्रैक्टर के टायरों का आयात करने की अमुमति दी है ।

जहां तक मूल्य वृद्धि का संबंध है टायरों की मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है फिर भी, सरकार उत्पादन लागत के संबंध में मूल्यों के प्रश्न पर उद्योग के साथ बातचीत कर रही है ।

रायलसीमा में भारी उद्योगों की स्थापना

431. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या रायलसीमा में किसी समय भारी उद्योग की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में कोई भारी उयोग प्रारंभ करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) तथा (ख) 41 करोड़ रुपये के निवेश में 42,000 मी० टन वार्षिक क्षमता में लिखाई तथा छपाई कागज के लिए एक पेपर मिल (रायल सीमा पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम और शीर्षक के अधीन) आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में स्थापित करने हेतु आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है तथा परियोजना कार्यान्वयन की अग्रिम अवस्था में है।

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया का विचार आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के येरागुंतल में 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 4 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता वाला एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का है।

पंच-वर्षीय योजना प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की देखभाल के लिए एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना

432. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार पंचवर्षीय योजना प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की देखभाल करने के लिए एक पृथक केन्द्रीय संगठन की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) संगठन का स्वरूप क्या होगा ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में पंच-वर्षीय योजना प्रोजेक्टों के कार्यान्वयन की देखभाल करने के लिए वर्तमान व्यवस्था क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फज़लुर्रहमान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) (1) राज्यों की योजनागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा सामान्य रूप से राज्य योजना विभागों/योजना बोर्डों द्वारा की जाती है।

(2) केन्द्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति की समीक्षा हर वर्ष वार्षिक योजना को तैयार करने के समय संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा और योजना आयोग द्वारा की जाती है।

(3) इस्पात, उर्वरक, पैट्रोलियम, कोयला, विद्युत आदि जैसे चुने हुए प्रमुख क्षेत्रों में केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए, योजना आयोग में एक प्रबोधन प्रभाग है। केन्द्रीय मंत्रालय भी अपने-अपने प्रभार में आने वाली विभिन्न सरकारी परियोजनाओं की प्रगति का प्रबोधन और आवधिक समीक्षा करते हैं।

दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

433. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या गृह **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार 1968 के पुलिस आन्दोलन के दौरान सेवा से निकाले गये दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों के मामलों पर फिर से पुनर्विचार करने का है ;

(ख) क्या सरकार ने सभी राज्यों के लिए आदर्श पुलिस कौन्सिलों के किसी प्रारूप को तैयार कर लिया है ;

(ग) क्या सरकार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस जवानों से बेगार लिए जाने की प्रथा की बुराई को दूर करने के लिए दिल्ली पुलिस में अर्दली ड्यूटी को समाप्त करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसे कब तक समाप्त कर दिया जाएगा ?

गृह **मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०डी० पाटिल)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) अर्दली प्रणाली के वर्तमान स्वरूप को समाप्त करने का निर्णय किया गया है । वैकल्पिक प्रबन्धों की रूपात्मकता का पता लगाया जा रहा है ।

परमाणु खनिजों की खोज

434. **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या परमाणु उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यूरेनियम और अन्य परमाणु खनिजों की खोज करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भू-वैज्ञानिकों के दल स्थल सर्वेक्षण द्वारा यूरेनियम तथा अन्य खनिजों के लिए समूचे देश का अन्वेषण कर रहे हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सफलता प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग पिछले 29 वर्षों से यूरेनियम, थोरियम, कोलम्बियम, टेंटेलम, बेरिलियम आदि जैसे आण्विक खनिजों का सर्वेक्षण कर रहा है । इस कार्य के अन्तर्गत न केवल भू-सर्वेक्षण ही किऐ जाते हैं, बल्कि वायुयानों की सहायता से भी सर्वेक्षण किये जाते हैं। बिहार के सिंहभूम जिले में जादुगोड़ा नामक स्थान पर यूरेनियम की एक खान में मिल की सहायता से उत्पादन हो भी रहा है । मध्य प्रदेश के

राजनन्दगांव जिले में बोडल नामक स्थान पर पाये गए एक और भण्डार के समन्वेषण में भी काफी प्रगति हुई है। मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में जजावल और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में अथोटा-ख्या क्षेत्रों में क्रोड-वेधन के साथ-साथ भूमिगत विकास कार्य भी चल रहा है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के सुधरे हुए कार्यकरण के लिये सोमेन्स के साथ समझौता

435. **श्री सी० एन० विश्वानाथन :**

श्री अरविन्द बाला पजनौर : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के कार्यकरण में सुधार के लिए सीमेन्स के साथ प्रस्तावित समझौते के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) समझौते को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) यदि उक्त समझौता वास्तव में देश में संगठन के लिए लाभ प्रद है तो उसमें विलम्ब के कारण राष्ट्र को कितनी आर्थिक हानि हो रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) बी० एच० ई० एल० तथा सीमेंस के मध्य विशेष क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव उच्च स्तर पर सरकार के विचाराधीन है।

(ख) चूंकि प्रस्ताव के अंतर्गत विभिन्न वैद्युत उत्पाद तथा प्रौद्योगिकी प्रणालियां भी आती हैं इसलिए इसकी विभिन्न संबंधित प्राधिकरणों द्वारा तथा भिन्न-भिन्न स्तरों पर जांच की गई है। करार को अन्तिम रूप देने के लिए कुछ अधिक समय लिया गया है क्योंकि कुछ मुद्दों पर आगे विचार करने के लिए मामला विदेशी निवेश मंडल को पुनः भेजा गया था।

(ग) चूंकि प्रस्ताव में विशेष वैद्युत उत्पादों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी ज्ञान प्रणाली के अधिग्रहण की व्यवस्था है इसलिए इस विलम्ब से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बी० एच० ई० एल० को कुछ आर्थिक हानि हो रही है। फिर भी, इस पर बी. एच. ई. एल. तथा सीमेंस के मध्य प्रस्तावित सहयोग जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पूर्ण तथा विशद जाच करने की वांछनीयता के संदर्भ में विचार किया जाना है। इस प्रस्ताव की जांच के लिए लिये जा रहे समय से राष्ट्र को कितनी आर्थिक हानि हो रही है यह बताना कठिन है।

आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय

436. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) आर्थिक अपराधों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) ऐसे न्यायालयों की स्थापना के लिए सहमत होने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और कौन-कौन से राज्य अभी तक इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए हैं और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे न्यायालय कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) उन राज्यों में जहां ऐसे अपराधों की घटनायें ऐसे न्यायालयों की स्थापना को न्यायसंगत ठहराती हैं वहां विशिष्ठ केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत केवल आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की एक योजना तैयार की गई है। तद्नुसार इस प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली की सरकारों को अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने हेतु अप्रैल 1979 में कहा गया है।

(ख) और (ग) : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली की सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसे न्यायालय स्थापित करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है। उन्होंने वह तिथि सूचित नहीं की है जिस तिथि से ये न्यायालय काम करना शुरू करेंगे। अन्य राज्य जिनको लिखा गया था से कार्यवाही की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। किसी राज्य सरकार ने ऐसे न्यायालय स्थापित करने के बारे में अनिच्छा अथवा अस्वीकृति की सूचना नहीं दी है।

मध्य प्रदेश में ग्वालियर रेयन्स को रासायनिक कारखाना घोषित करने की मांग

437. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि यह मांग की जा रही है कि मध्य प्रदेश में बागदा स्थित ग्वालियर रेयन्स को एक रासायनिक कारखाना घोषित किया जाये और यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या अन्य ऐसी रेयन्स फैक्टरियों को रासायनिक कारखाने माना जाता हैं अथवा कपड़ा कारखाने और यदि इस प्रकार के कुछ कारखाने रासायनिक कारखाने माने गये हैं तो तत्सम्बन्धी विस्तृत जानकारी क्या है।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांण्डीस) : (क) और (ख) : जी हां। लाइसेंस देने के प्रयोजन से उद्योग (विकास एवं विनियमन, अधिनियम 1951 के अधीन कुछ उद्योगों का वर्गीकरण गया है। यह वर्गीकरण इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिया गया है। मैसर्स ग्वालियर रेयन, नागदा के (मध्य प्रदेश) वस्त्रों, वस्त्रमशीनों व विसकोज, स्टेपल फाइबर का उत्पादन कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक उद्योग को प्रथम अनुसूची की विभिन्न मदों के अधीन औद्योगिक

लाइसेंस जारी किए गए हैं। केवल विसकोज फाइबर के मामले में प्रथम अनुसूची की मद सं० 23 अर्थात वस्त्र के अधीन वर्ष 1957 में लाइसेंस जारी किया गया था क्योंकि फाइबर का अंतिम उपयोग वस्त्र उद्योग में होता था। इसी प्रकार के विसकोज स्टेपल का उत्पादन करने वाले अन्य एकक अर्थात साउथ इण्डिया विसकोज के पास भी ऐसा ही एक लाइसेंस है। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अधिन ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है। जिसके अधीन किसी उद्योग को एक खास उद्योग घोषित किया जाए।

2. वस्तुतः विसकोज स्टेपल फाइबर रसायन कारखानों की श्रेणी में आता है और वर्ष 1962 के पश्चात से इसे इसी श्रेणी में लाइसेंस दिए गए हैं। विसकोज फाइबर के सभी नए एककों को प्रथम अनुसूची की मद-19 के अधीन लाइसेंस दिए गए हैं। वर्ष 1960 से पूर्व के लाइसेंस शुदा सभी पुराने एकक प्रथम अनुसूची की मद 23 अर्थात वस्त्र के अधीन आते हैं।

बड़े उद्योगों से लघु उद्योगों को तकनीकी जानकारी अन्तरित करना

438 : **श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में जिन्हें लघु उद्योगों द्वारा सरलता से उत्पादित किया जा सकता है वर्तमान बड़े उद्योगों के उत्पादन कार्यक्रम को धीरे धीरे बदलने की योजना के अन्तर्गत बड़े उद्योगों से लघु उद्योगों में तकनीकी जानकारी अन्तरित करने की भी कोई व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) तथा (ख) : 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के समक्ष रखे गए औद्योगिक नीति विवरण के अनुच्छेद 19 में लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन में लगे बड़े औद्योगिक एककों की गतिविधियों के विनियमन से सम्बन्धित नीति को स्पष्ट किया गया है जहां बड़े गृहों से सम्बन्ध रहते हों अथवा नहीं, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन में पहले से ही लगे हुए हैं, उनकी उत्पादन क्षमता में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, इन वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता में इन एककों के भाग को धीरे धीरे कम किया जाएगा तथा लघु क्षेत्र एवं कुटीर क्षेत्र के भाग को बढ़ाया जाएगा। बड़े क्षेत्र से लघु क्षेत्र को किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी का हस्तान्तरण लघु क्षेत्र तथा बड़े क्षेत्र के बीच इस उद्देश्य के लिए परस्पर किए गए समझौतों पर निर्भर करेगा।

व्योम प्रयोग शाला के टुकड़े गिरने का संभावित क्षेत्र

439 **श्रीमती मृणाल गोरे** :

डा० बापू कालदाते :

श्री पी० के० कोडियन : क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दौर स्थित होल्कर साइंस कालेज के अन्तरिक्ष रिकार्डर ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बहुत से भागों में उन स्थानों पर जहां अमरीकी व्योम प्रयोगशाला के मलबे के गिरने की आशंका है कुछ उपाय सुझाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर पूरा विचार किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अमरीकी व्योम प्रयोगशाला उपग्रह के मलबे के गिरने के सम्बन्ध में होल्कर साइंस कालेज, इन्दौर द्वारा सुझाये गये उपायों की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूमिगत गतिविधियां

440. **श्री एन० टोम्बोसिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को पता है कि गत कुछ वर्षों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जिनमें मनीपुर, मिजोरम, नागालैंड आते हैं, भूमिगत गतिविधियां बढ़ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने विद्रोहियों और विदेशों के बीच संभावित सम्पर्क के बारे में कोई जांच कराई है यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार पुर्वोत्तर क्षेत्र में भूमिगत विद्रोह के पीछे आर्थिक राजनैतिक और सामाजिक तत्वों का अध्ययन करने और इस क्षेत्र को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु संसद सदस्यों का कोई दल नियुक्त करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसका विकल्प क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में 1977,1978 और 1979 (जुलाई, 1979 के प्रथम सप्ताह तक) में घटित हिंसात्मक घटनाओं का विवरण परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है। सरकार ने सुरक्षा के उपाय तेज करने और हिंसात्मक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए कदम उठाये हैं। मिजो राष्ट्रीय मोर्चा तथा तत्संबंधी संगठनों को अवैध गतिविधि (रोक) अधिनियम, 1967 के अधीन अवैध घोषित किया गया है। मिजोरम में सुरक्षा दलों की संख्या बढ़ाई गई है। सुरक्षा दलों की कार्यवाही रोकने के लिए पहले दिये गये आदेशों को रद्द कर दिया गया है।

(ग) सरकार को जानकारी है कि भूमिगत नागा और मिजो लोग कुछ विदेशी राष्ट्रों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। किंतु उनको हाल में ऐसी सहायता मिलने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) और (ङ) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण—परिशिष्ट क

हिंसात्मक घटनाओं की संख्या का विवरण।

राज्य	1977	1978	1979
मणिपुर	—	10	5
मिजोरम	5	2	12
नागालैंड	1	2	12

आपातस्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों के लिए गठित किये गये जांच आयोग

441. **श्री मृत्युजंय प्रसाद** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मन्त्रियों, सरकारी अधिकारियों तथा उनके रिश्तेदारों व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा आपतस्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों और गैर कानूनी कार्यवाहियों के बारे में पूरे तथ्यों का पता लगाने और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नियत करने के लिए सरकार द्वारा कितने जांच आयोग नियुक्त किये गये तथा उनके नाम क्या हैं एवं उन आयोगों के अध्यक्षों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक आयोग को कौन-कौन से मामले अथवा काम सौंपा गया है और किस-किस आयोग ने सरकार को अपने अन्तिम प्रतिवेदन दे दिये हैं कौन-कौन से आयोग ने 30, जून, 1979 तक केवल अपने अन्तरिम प्रतिवेदन पेश किये ;

(ग) सरकार द्वारा किन-किन अन्तिम और अन्तरिम प्रतिवेदनों पर इस बीच विचार एवं निर्णय कर लिया है ; और

(घ) कौन-कौन से प्रतिवेदन सभापटल पर रख दिये गये हैं और शेष प्रतिवेदन कब तक सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) तक : वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् इस प्रकार के चार आयोग नियुक्त किये गये हैं। इन सभी आयोगों ने अपनी अंतरिम/अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है जिन्हें उन पर की गई कार्रवाही के ज्ञापन के साथ सभा पटल पर रखा जा चुका है।

इन आयोगों तथा इनके अध्यक्षों के नाम और संक्षिप्त में उनके विचारार्थ विषयों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	आयोग एवं उसके अध्यक्ष का नाम	संक्षिप्त विचारार्थ विषय	रिपोर्ट पर किया गया निर्णय
1	2	3	4
1.	श्री न्यायमूर्ति जे० सी० शाह, उच्चतम न्यायालय से अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ।	आपातकाल के दौरान, उसकी घोषणा के तुरन्त बाद के दिनों में राजनैतिक प्राधिकारियों लोकसेवकों, उनके मित्रों और अथवा रिश्तेदारों द्वारा की गई ज्यादतियों, भ्रष्टाचार और अपराधों की जांच करना ।	सरकार ने जांच आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्णय किया है ।
2.	श्री न्यायमूर्ति जे० आर० विमद लाल आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ।	आन्ध्र प्रदेश के कुछ विधान सभा सदस्यों द्वारा दिनांक 6.4.77 के ज्ञापन में लिखे गए आन्ध्र प्रदेश के भू० पू० मुख्य मंत्री श्री जे० वैंगलराव तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध लगाए गए कुछ आरोपों की जांच करना ।	सरकार ने आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है और जहां आवश्यक हो उस पर आवश्यक कार्रवाई अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गयी है ।
3.	श्री न्यायमूर्ति ए० एन० ग्रोवर, उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त	कुछ विधान सभा सदस्यों द्वारा मंत्री को संशोधित दिनांक 12.4.1979 के एक ज्ञापन	सरकार ने आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है और उन पर आवश्यक

1	2	3	4
	न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ।	में लगाए गए कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री डी० देवराज अर्स एवं अन्य मंत्रियों के विरुद्ध लगाए गए कुछ आरोपों की जांच करना ।	अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कर्नाटक सरकार को रिपोर्ट भेज दी है ।
4.	श्री न्यायमूर्ति पी० जगमोहन रेड्डी, उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ।	हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री एवं भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री बंशी लाल से संबंधित 12 विशिष्ट मामलों की जांच करना ।	सरकार ने आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है और आयोग के निष्कर्षों को देखते हुए ,आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए हरियाणा सरकार को रिपोर्ट भेज दी है ।

शुल्क रहित कागज का आयात

442. **श्री ईश्वर चौधरी :**

श्री सुरेन्द्र झा सुमन :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने कागज की वार्षिक माँग तथा उसके उत्पादन के बीच अन्तराल का अध्यन किया है ;

(ख) क्या सरकार यह महसूस करती है कि उक्त कमी को बड़ा जमा-भंडार बनाने के लिए शुल्क रहित कागज सीधे ही आयात करके दूर किया जा सकता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रकाशकों को वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंसों के आधार पर कागज का आयात करने की अनुमति देने का है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क), (ख) और (ग) विगत में सामान्य किस्म के कागज तथा कागज के गत्ते की मांग पूरा करने के लिए देश में होने वाला उत्पादन कुल मिलाकर पर्याप्त रहा है तथा केवल विशेष किस्म के कागज अर्थात् इलैट्रीकल इन्सुलेशन पेपर, फिल्टर पेपर आदि का आयात किया जाना आवश्यक था। किंतु चालू वर्ष में कागज की मांग व पूर्ति के बीच आर्थिक स्थिति में सामान्य सुधार हो जाये, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम व जनसाक्षरता जैसे कार्यक्रमों के लिए परिणामस्वरूप कुछ असंतुलन आ गया है और कागज की मांग काफी बढ़ गई है। अतएव कमी को पूरा करने के लिए सरकार का प्रस्ताव कागज का आयात करने का है। चूंकि इकट्ठे (बल्क में) क्रयादेश देने के अलावा आयातित कागज प्राप्त करना कठिन है, अत: प्रत्येक वास्तविक उपभोक्ता द्वारा किये गये आयात से प्रकाशन उद्योग को सहायता मिलेगी यह संदिग्ध है।

ऊन की कमी

443. **श्री छात्रबहादुर क्षेत्री** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में ऊन की अत्याधिक कमी है ; और

(ख) सरकार बुनकरों के लिए ऊन की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी, नहीं। ऊन की ऐसी कोई भारी कमी नहीं है। देशी ऊन की 40 एस से अधिक वाली किम्म के निर्यात पर रोक लगा देने तथा ओ० जी० एल० के अन्तर्गत कच्ची ऊन के आयात को आ जाने के फलस्वरूप ऊन की कमी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) बुनकरों को ऊनी धागे से मतलब होता है न कि, ऊन से। उर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए बुनकरों को ऊन प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सोवियत संघ से अन्तरिक्ष में भारतीय उपग्रह छोड़े जाने के कारण

444. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० बापू कालदाते : क्या **अन्तरिक्ष मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) जून के प्रथम सप्ताह में सोवियत संघ के प्रक्षेपण केन्द्र से अन्तरिक्ष में छोड़े गये भास्कर नामक अन्तरिक्षयान के कितने प्रतिशत पुर्जे भारतीय वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों ने बनाये थे ;

(ख) भारतीय भूमि से इस उपग्रह को न छोड़े जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि अगले वर्ष एक और उपग्रह के सोवियत संघ के प्रक्षेपण केन्द्र से अन्तरिक्ष में छोड़े जाने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो भारत स्थित अन्तरिक्ष केन्द्र से उपग्रह को छोड़े जाने में क्या कठिनाइयां हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) लगभग 85 प्रतिशत।

(ख) भारत में इस समय ऐसे प्रमोचक राकेट नही हैं, जो इतने बड़े उपग्रहों को अन्तरिक्ष में छोड़ सकें।

(ग) जी, हां। सोवियत संघ से भास्कर के दूसरे माडल को उपयुक्त रूप में दुबारा परिष्कृत करके अगले वर्ष छोड़ा जायेगा। इस उपग्रह को भारत से नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के उपग्रह को छोड़ने के लिए 1980 में भारत के पास प्रमोचक-राकेट नहीं होगा। सरकार के पास, फिर भी, ऐसे प्रमोचक राकेटों के विकास की तथा 1985-86 की समय अनुसूची में इनकी जांच की योजना है।

रजनीश आश्रम के कार्यकरण में अनियमितताएं

445. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार प्राप्त हुए हैं कि रजनीश आश्रम के कार्यकरण में अनियमितताएं की जा रही हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस आश्रम के कार्यकरण की जांच कराने के लिये एक आयोग नियुक्त करने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस आश्रम की गतिविधियां लोक हित के सार्वजनिक नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है और नागरिक जीवन पर विपरीत प्रभाव डाल रही हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त होने वाले वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर जिनमें बताया जाता है कि कई अनियमितताओं का पता लगा है जिसमें बिना बाउचर रखे बड़ी मात्रा में धन का खर्चा जाना, काफी नकदी हाथ में रखना, ट्रस्ट के कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध पुस्तकों की बिक्री पर कमीशन का भुगतान, स्थानीय रूप से प्राप्त दान का ट्रस्टियों द्वारा उचित रिकार्ड न रखना आदि शामिल है सहायक चैरीटी कमिशनर ने बम्बई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 की धारा 41 बी के अधीन इन कथित अनियमितताओं तथा इसका भी कि क्या आचार्य रजनीश के शिष्यों तथा अनुयायियों तथा रजनीश फाउन्डेशन की गतिविधियाँ सार्वजसिक मनोबल अथवा सार्वजनिक हित के प्रतिकूल है और पूर्ण नगर के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए 5-6-1979 को एक जांच का आदेश दिया था।

(ख) तथा (ग) : रजनीश फाउन्डेशन की मां योग लक्ष्मी के पत्र के उत्तर में प्रधान मंत्री ने उन्हें सूचित किया था कि रजनीश आश्रम पूणे की गतिविधियों के बारे में समाचार पत्रों में जो बातें प्रकाशित हुई हैं और संसद एवं अन्यत्र जो विचार प्रकट किए गए हैं उनको देखते हुए आश्रम की गतिविधियों पर विचार करने के लिए एकजांच आयोग का गठन उपयुक्त होगा। यदि श्री रजनीश प्रधान मंत्री जी को स्वयं लिखें कि वे ऐसा करने के लिए सहमत है तो सरकार इस पर आगे विचार कर सकती है।

(घ) आश्रम की गतिविधियों के बारे में समाचार पत्रों में कुछ फोटो और रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशियों द्वारा आश्रम की गतिविधियों के बारे में आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना टी० वी० फिल्म तैयार की गई थी। यह सच है कि इन फोटो और रिपोर्टों की अनेक लोगों ने आलोचना की है कि उनमें भारतीय संस्कृति एवं धार्मिक संकल्पना तथा मानदंडों को विकृत किया गया है। सहायक चेरीटी कमिश्नर पुणे द्वारा दिये गये जाँच के आदेश में जैसा प्रश्न के भाग (क) में उल्लेख किया गया है यह पहलू आ जाता है।

कागज मिलों द्वारा सप्लाई के अपने दायित्व पूरे किया जाना

446. **श्री रुडोल्फ रोड्रिग्स** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज मिलों ने सरकार को कागज सप्लाई करने के अपने दायित्व पूरे किये है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) तथा (ख) जहां तक सरकार को कागज की सप्लाई करनेका सम्बन्ध है कागज मिलों को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के साथ हुई कर संविदा (रेट कन्ट्रेक्ट) के अनुसार अपने दायित्व पूरे करने होते हैं। जहां तक 1974 में हुए

ऐच्छिक करार के अन्तर्गत शैक्षिक क्षेत्र के लिए सफेद छपाई कागज की सप्लाई के लिए मिलों के दायित्व का प्रश्न है मिलों ने कुल मिला कर अपने अपने आवटनों के अनुसार कागज की सप्लाई की है यद्यपि, कुछ मिलें समय-समय पर अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति तथा बिजली की कमी के कारण ऐसा करने में असफल रही हैं।

घड़ियों के फालतू पुर्जों को आयात-शुल्क छूट

447. **श्री राम सागर :**

श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के बजट में घड़ियों के पुर्जों के आयात पर से आयात शुल्क हटा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या प्रयोजन है ; और

(ग) इस छूट के बावजूद हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को घड़ियों के मूल्य बढ़ने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रालयों को आदेशों के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण जारी करना

448. **श्री गंगा भक्त सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में जारी किये जा रहे हैं और उन पर लिखा होता है कि उनका हिन्दी अनुबाद भेजा जायेगा लेकिन हिन्दी अनुबाद या तो भेजा नहीं जाता अथवा वह जब भेजा जाता है जब आदेशों का महत्व समाप्त हो जाता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे आदेशों को हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करने का है जिससे उनका महत्व और उपयोगिता कम न हों ;

(ग) क्या स्थिति का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(घ) जनवरी, से जून, 1979 में जारी किये गये ऐसे परिपत्रों और आदेशों की प्रतिशतता कितनी थी जिनमें यह टिप्पणी थी कि इनका हिन्दी अनुबाद भेजा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार यह अपेक्षित है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों के सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं। इस संबंध में प्रशासनिक हिदायतें भी दी गई हैं कि हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर साथ-साथ जारी किए जाने

चाहिए। फिर भी, कुछ मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों के सामान्य आदेश इस रूप में जारी नहीं होते अथवा हिन्दी रूपांतर अंग्रेजी रूपांतर के बाद जारी होता है।

(ख) हिन्दी के प्रयोग के संबंध में सन् 1979-80 के लिए जो वार्षिक कार्यक्रम तय किया गया है, उससे संबंधित आदेश जारी करते हुए इस बात पर पुनः जोर दिया गया है कि हर मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय में ऐसे जांच बिन्दू बनाए जाएं जो यह सुनिश्चित करें कि सामान्य आदेशों के हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर साथ साथ जारी हों।

(ग) तथा (घ) : विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से हर तिमाही में जो प्रगति रिर्पोट मंगाई जाती है, उसमें यह सूचना होती है कि कितने सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में जारी हुए और कितने द्विभाषी रूप में (हिन्दी और अंग्रेजी में) जारी हुए। तिमाही प्रगति रिपोर्ट द्वारा जो सूचना आती है, उसमें इस बात की जानकारी नहीं होती कि कितने परिपत्र तथा अन्य सामान्य आदेशों के हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर साथ साथ जारी हुए और कितनों के हिन्दी रूपांतर बाद में जारी हुए। यह सूचना इस प्रश्न के संदर्भ में एकत्रित की जा रही है।

सूती कपड़े की कीमत में कटौती

449. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मंत्री महोदय के सूती कपड़े की कीमतों में कटौती करने सम्बन्धी आह्वान के परिणाम स्वरूप सूती कपड़ा उद्योग द्वारा मूल्यों में कटौती की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन कपड़ों की कीमतों में कटौती की गई है और पिछली कीमत एवं घटाई हुई कीमत क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : वस्त्र आयुक्त द्वारा नमूने के तौर पर 168 किस्म के कपड़ों के किए अध्ययन से पता चलता है कि 119 किस्म के कपड़ों के मूल्य अक्तूबर, 1978 के स्तर तक और उससे भी नीचे के स्तर तक पहुंच गए हैं लेकिन 49 किस्म के कपड़ों के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) इण्डियन कार्टन मिल्स फेडरेशन द्वारा कुछ किस्म के कपड़ों के बारे में अलग से संकलित किया गया एक विवरण, जिसमें कुछ ब्यौरे दिए गए हैं, संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4604/79]

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

450. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) शिकायतों में दिए गए आरोपों के ब्यौरों को प्रकट करना उचित नहीं होगा । निर्धारित कार्यविधि का पालन करते हुए शिकायतों में दिए गए आरोपों की जांच मुख्य मंत्री से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए की गई थी । उनके द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति और मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधान सभा में विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में निहित मुख्य आरोपों को ध्यान में रखने के बाद यह बात मुख्य मंत्री पर छोड़ दी गई थी कि वे विरोधी पक्ष को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें, जिसे उन्होंने विधान सभा के सदन में भी स्पष्ट कर दिया है ।

पेट्रोल के स्थान पर एथनोल का उपयोग

451. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश में एक इंटरनल कम्ब्यूशन इंजन सफलतापूर्वक तैयार किया गया है जो केवल स्थनोल से चलता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पेट्रोल के स्थान पर एथनोल का व्यापक उपयोग करने पर विचार करेगी ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) देश में आई० आई० टी०, मद्रास, आई० आई० टी० दिल्ली, गिंडि इंजीनियरिंग कालेज, मद्रास, आदि जैसी संस्थाओं में आंतरिक दहन इंजनों (इंटरनल कम्ब्यूशन इंजनों) में एथनोल के उपयोग किए जाने के बारे में अनुसंधान कार्य चल रहा है । ऐसे आंतरिक दहन इंजनों, जिन्हें कि पूर्ण रूप से एथनोल से चलाया जा सके और उनका बड़े पैमाने पर विनिर्माण किया जा सके, के विकास में बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है । वर्तमान आंतरिक दहन इंजनों में संशोधन करने के प्रयास किए गए हैं । यह ज्ञात हुआ है कि गिंडि इंजीनियरिंग कालेज, मद्रास ने कार के एक इंजन में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है जो कि पेट्रोल की बजाए एथनोल से चलाई जा सकती है ।

(ख) पेट्रोल के स्थान पर एथनोल का व्यापक उपयोग करने की संभावना पर सरकार द्वारा विचार किए जा रहे हैं । पेट्रोल द्वारा चलाए जाने वाले वर्तमान इंजनों को पेट्रोल में 20% तक एथनोल का मिश्रण करके, बिना कोई संशोधन किए, चलाया जा सकता है । वास्तविक उपयोगिकरण इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में अल्कोहल की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।

पुलिस के वेतनमान पर अन्तरिम रिपोर्ट

452. **श्री अनन्त दबे** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में हाल के पुलिस आन्दोलन का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा गठित पुलिस आयोग पर यह दबाव डालना था कि वह उनके वेतनमानों और सेवा-शर्तों के प्रश्न पर शीघ्र विचार करे और इस संबंध में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयोग से इस प्रकार की अन्तरिम रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) क्या अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के वेतनमानों के बारे में सरकार का तदर्थ निर्णय घोषित करने का भी विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं, उठता ।

नई सूती कपड़ा नीति

453. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि नई सूती कपड़ा नीति से कमी की मनोवृति पैदा हो गई है जिसके फलस्वरूप घरेलू बाजार में कपड़ों के दाम बढ़े और निर्यात का प्रश्न दूसरे स्थान पर आ गया है ; और

(ख) नई नीति में किस और किस हद तक लाभ पहुंचा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी, नहीं 7 अगस्त, 1978 को नई वस्त्र नीति की घोषणा होने के बाद यार्न तथा कपड़ा दोनों ही के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ख) उठाए गए लाभ की मात्रा बताना तो संभव नहीं है किन्तु वस्त्र उत्पादों के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को ही नई वस्त्र नीति से लाभ पहुंचा है ।

फ्रांस की एक कम्पनी बेरियट के सहयोग से वाणिज्यिक गाड़ियों का निर्माण

454. **श्री सौगत राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र में एक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है जिसमें एक फ्रांसीसी कम्पनी बेरियट के सहयोग से वाणिज्यिक गाड़ियां बनाई जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) सरकारी क्षेत्र के एककों जिनमें पश्चिम बंगाल स्थित सरकारी क्षेत्र के एकक भी शामिल हैं, की क्षमताओं

का उपयोग करके देश में वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माण में वृद्धि करने के संदर्भ में सरकार विभिन्न प्रस्तावों की जांच कर रही है, जिनमें फ्रांस की बेरलियट का प्रस्ताव भी शामिल है।

उद्योग में संकट

455. **श्री चित बसु : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हाल में औद्योगिक संकट में बहुत वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक संकट वाले क्षेत्रों का पता लगा लिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने संकट के मुख्य कारणों का भी पता लगा लिया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) बढ़ते हुए संकट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) औद्योगिक रुग्णता की कोई सार्वभौम स्वीकृति परिभाषा नहीं है। अतः सही प्रकार से इसका अनुमान लगाना कठिन है कि उद्योग में रुग्णता के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(ख) से (ङ) औद्योगिक रुग्णता अन्य बातों के साथ साथ कई कारणों से हो सकती है जिसमें उपस्करों तथा प्रौद्योगिकी का गत प्रयोग हो जाना, बिजली तथा कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता, वित्तीय कठिनाईयां, बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों तथा प्रबंधकों का उदासीन होना आदि शामिल है।

(च) रुग्ण उद्योगों के बारे में एक व्यापक नीति संसद के दोनों सदनों में 15 मई, 1978 को घोषित कर दी गई थी जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि रुग्ण औद्योगिक उपक्रम का पुनर्वास करने की जिम्मेवारी केवल एक अभिकरण की ही नहीं हो सकती है। एक एकक अथवा उद्योग में किसी प्रकार की रुग्णता को प्रभावशाली ढंग से निपटाने के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा इस भार को वहन किया जाना चाहिए जिसमें केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारें, श्रमिक, वित्तीय संस्थान बैंक, प्रबन्धक समिति एवं अंशधारी शामिल हो। सरकार की नीति के परिणामों का पता कुछ देर के पश्चात चलेगा।

देश के अपने प्रक्षेपणास्त्रों के निर्माण में आत्म-निर्भरता

456. **श्री कंवर लाल गुप्ता**
श्री बाला साहेब विखे पाटिल :
श्री दुर्गा चंद : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी अन्य देश की सहायता के बिना अन्तरिक्ष में अपने प्रेक्षणास्त्रों का निर्माण कब तक करने की स्थिति में होगा ;

(ख) दो भारतीय उपग्रहों के छोड़े जाने के बाद इनसे सरकार को प्राप्त हुए लाभ क्या हैं ;

(ग) भारत द्वारा छोड़े गये प्रत्येक उपग्रह की लागत क्या थी ; और

(घ) बाद में छोड़े जाने वाले दूसरे 'भास्कर' में किये जाने वाले मुख्य सुधार क्या होंगे ?

राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) उपग्रह प्रमोचक राकेट (एस० एल० वी०-3) भारत का प्रथम प्रमोचक राकेट है, जो कि 40 किलोग्राम भार के उपग्रह को भू-कक्षा में छोड़ने में सक्षम होगा। इसे 1979 के दौरान छोड़ा जायेगा।

(ख) आर्यभट ने अन्तरिक्ष उपयुक्त प्रणाली के स्वदेशी डिजाइन और निर्माण को प्रमाणित किया है, और इसने भावी उपग्रहों के डिजाइन और निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश प्रदान किए है। पृथ्वी और समुद्री सतह के तापमान और जल वाष्प की मात्रा सम्बन्धी पर्यवेक्षणों के लिये भास्कर एक प्रायोगिक उपयोग उपग्रह है। अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में इन कदमों का उद्देश्य भावी संचार, मौसमविज्ञान, सुदूर संवेदन और अन्य उपयोग उपग्रहों का स्वदेशी रूप में डिजाइन तथा निर्माण का अन्ततः विकास करना है।

(ग) आर्यभट की कुल लागत 5.09 करोड़ रुपये थी। निर्मित अवसरंचना की लागत को निकाल कर उपग्रह की वास्तविक लागत 3.5 करोड़ रुपये थी। भास्कर की स्वीकृत लागत 6.35 करोड़ रुपये है, जिसमें से मई, 1979 के अन्त तक 6.24 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

(घ) भास्कर के आदि प्ररूप माडल का पुनः परिष्कृत रूप दूसरा भास्कर होगा। दूसरे भास्कर की किस्म के उपग्रह के मुख्य सुधार टी० वी० कैमरा नीतभार के स्पेक्ट्मी बैण्डों में और उन अवयवों में किए जायेंगे, जिनका प्रथम उपग्रह के कक्षा में कार्यकरण के दौरान पता चला है। भास्कर-2 के प्रमोचन का मुख्य लाभ भूमि के संसाधनों के उपयोग के लिए भारत का बेहतर रूप में आवरण प्राप्त करना होगा।

वर्ष 1977-और 1978 में तमिलनाडु को योजना राशि का आवंटन

457. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु को वर्ष 1977 और 1978 में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिये कितनी योजना राशि का आवंटन किया गया ;

(ख) तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए कितनी योजना राशि का उपयोग नहीं किया ; और

(ग) आवंटित योजना राशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़जलुर्रहमान) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है जिसमें 1977-78 के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय और वास्तविक व्यय, तथा 1978-79 के लिए अनुमोदित परिव्यय और प्रत्याशित व्यय दिखाया गया है। 1977-78 और 1978-79 वर्षों के लिए कुल व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक था। तथापि 1977-78 वर्ष में जल और विद्युत के विकास, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर व्यय में तथा 1978-79 वर्ष में आर्थिक सेवाओं पर व्यय में कुछ कमी हुई थी। केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) योजना आयोग ने चुने हुए क्षेत्रकों—सिंचाई, विद्युत, खनन, परिवहन, उर्वरक, आदि में प्रमुख योजनागत परियोजनाओं की समग्र प्रगति को देखने के लिए एक प्रबोधन प्रणाली स्थापित की है। इन आवधिक समीक्षाओं के अलावा, विभिन्न क्षेत्रकों में प्रगति की समीक्षा वार्षिक योजना अभ्यास के एक भाग के रूप में भी की जाती है। राज्य सरकारों के विभागों में योजना प्रबोधन प्रणालियों और व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

'विवरण'

1977-78 और 1978-79 की वार्षिक योजनाएं तमिलनाडु

विकास का शीर्ष	1977-78		1978-79	
	परिशोधित परिव्यय	वास्तविक	परि-शोधित परिव्यय	परि-शोधित अनुमान
1	2	3	4	5
कृषि) भूमि सुधार)	646	1706	1527	162
छोटी सिंचाई	702	589	629	832
भू और जल संरक्षण	219	226	243	274
क्षेत्र विकास	31	37	42	53
खाद्य	450	450	132	132

1	2	3	4	5
पशुपालन)	292)	223)	251	316
डेरी विकास)	)	)	15	3
मीन उद्योग	168	202	127	122
वन	273	248	334	347
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	—	+	80	+
सामुदायिक विकास और पंचायतें	262	320	370	384
1. कृषि और संबद्ध सेवाएं	**3043**	**4001**	**3750**	**4083**
2. सहकारिता	**615**	**975**	**725**	**933**
सिंचाई	2144)	1508	2017	2345
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	64)			
विद्युत्	9491	9247	11369	11879
3. जल और विद्युत् विकास	**11669**	**10755**	**13386**	**14224**
उद्योग	958	846	1012	1010
ग्राम और लघु उद्योग	605	632	688	737
खनन और धातुकर्मीय उद्योग	18	22	45	40
4. उद्योग और खनिज	**1581**	**1500**	**1745**	**1787**
पत्तन, प्रकाश स्तंभ और नौवहन	7	11	325	329
सड़कें और पुल	1141	2088	1498	2247
सड़क परिवहन	1079	874	1186	1180
पर्यटन	24	22	46	46
5. परिवहन और संचार	**2251**	**2995**	**3055**	**3802**
सामान्य शिक्षा	1087	999	1877	1512
कला और संस्कृति	21	20	28	29
तकनीकी शिक्षा	90	76	106	95
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	583	481	577	631

1	2	3	4		5
मल व्यवस्था और जल पूर्ति		2196	2010	2113	2483
आवास)) पुलिस आवास)		1412	843	1193	945
शहरी विकास		563	519	601	874
सूचना और प्रचार		13	11	37	48
श्रम और श्रमिक कल्याण		32	28	36	37
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		481	816	865	967
समाज कल्याण		71	52	99	128
पोषाहर		41	42	48	67
अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं		28	43	33	32
6. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं		**6618**	**5946**	**7613**	**7848**
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		1	1	1	2
विशेष और पिछड़े क्षेत्र		121	20	140	16
आर्थिक सूचना और सांख्यिकी अन्य आर्थिक सेवाएं		10	10	15	14
7. आर्थिक सेवाएं		**132**	**31**	**156**	**32**
लेखन सामग्री और मुद्रण					
लोक निर्माण-कार्य		89	284	76	92
8. सामान्य सेवाएं		**89**	**284**	**76**	**92**
कुल जोड़		26028	26481	30506	32801

बड़े व्यापार गृहों द्वारा लाइसेंस क्षमता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन

458. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) बड़े व्यापार गृहों से सम्बन्धित ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन पर लाइसेंस क्षमता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने सम्बन्धी आरोप लगाया गया है ;

(ख) अधिक उत्पादन के विशेष मामले क्या हैं ; और

(ग) ऐसी सम्बन्धित कम्पनियों के खिलाफ यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

उद्योग मंत्री (जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भागीरथी पश्चिम बंगाल के दोनों ओर उद्योगों की स्थापना

459. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) अब, जब कि फरक्का बराज समूह में सुपर तापीय संयंत्र की स्थापना स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार हो रही है, तो क्या फरक्का के नीचे की ओर भागीरथी के दोनों तरफ बड़े, मध्यम, तथा छोटे औद्योगिक एकक स्थापित करने की संभावनाओं के लिए कोई योजना तैयार की गई है अथवा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का मसौदा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) फरक्का में एक क्षेत्रीय तापीय केन्द्र (थर्मल स्टेशन) की स्थापना के लिए अभी हाल ही में निर्णय लिया गया था । इस परियोजना से केवल 1984 अर्थात् चालू पंचवर्षीय योजना (1978-83) को पूरा हो जाने के बाद ही बिजली प्राप्त होने की आशा है ।

हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों को काम पर रखा जाना

460. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कई महीनों पहले हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने फोटोग्राफी तथा एक्स-रे सामग्री के वितरण का काम गैर-सरकारी वितरण ऐजेन्सियों से अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन उन एजेन्सियों के बहुत सारे कर्मचारियों को, जिनको उपर्युक्त कारण से नौकरी से हाथ धोना पड़ा था ; हिन्दुस्तान फोटो

फिलम्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में अभी तक काम पर नहीं रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन छटनी शुदा कर्मचारियों को खपाये जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (एच०पी०एफ०) द्वारा वितरण कार्य को अपने अधिकार में लेने के बारे में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप छंटनी किये गये निजी वितरकों के कर्मचारियों को उनकी पात्रता के आधार पर कम्पनी की विपणन व्यवस्था में रखा जा रहा है। भूतपूर्व वितरकों के 290 भूतपूर्व कर्मचारियों के मामलों पर चयन समिति द्वारा विचार किया गया था, इसमें से 124 व्यक्तियों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गए थे, जिनमें से 101 व्यक्तियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शेष रिक्त पदों के लिए चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए अन्य व्यक्तियों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

पटसन उत्पादक राज्यों के सहकारी विपण संघ तथा संस्थाओं को ऋण देने के प्रावधान

461. **श्रीमती अहिल्या पी० रायनेकर** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय पटसन निगम के वर्ष 1979-80 के वसूली मौसम के लिए पटसन उत्पादक राज्यों के सहकारी विपणन संघों तथा संस्थाओं को पर्याप्त ऋण प्रदान करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य के सहकारिता मंत्रालय ने अग्रिम राशि की मांग की है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय पटसन निगम से अनुरोध किया है कि वह आवश्यक ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से बात-चीत करे ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) कलकत्ता में 2 जून, 1979 को हुई एक संयुक्त बैठक में भारतीय पटसन निगम के प्रतिनिधियों और आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश की राज्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के बीच इस बात पर सहमति हुई थी कि भारतीय पटसन निगम, भारतीय पटसन निगम तथा सहकारी समितियों के लिए वसूली के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वित्तीय आवश्यकता का अनुमान लगाएगा तथा भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक धन देने के लिए अनुरोध करेगा।

(ख) और (ग) जी, हां ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय पटसन निगम को ऋण के किसी भी अंश को देने के लिए सहमत नहीं है, जिसका उपयोग पटसनकी प्रारम्भिक खरीद करने के लिए सहकारी समितियों को अग्रिम राशि देने के लिए किया जाता है ।

देशी स्रोतों से हैवी वाटर की प्राप्ति

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **परमाणु ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या ऐसी संभावना है कि वर्ष 1983 के अंत तक भारत देशी स्रोतों से हैवी वाटर की बढ़ती हुई अपनी मांग को पूरा कर सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परमाणु ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) वर्तमान 5 संयंत्रों में से 3 में उत्पादन शुरू हो चुका है । तथापि, वडोदरा स्थित संयंत्र 3 दिसम्बर, 1978 को दुर्घटनावश हुए विस्फोट के कारण बंद करना पड़ा था । तूतीकोरिन स्थित संयंत्र में भारी पानी के उत्पादन पर उस उर्वरक संयंत्र के बार-बार बंद हो जाने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है । शेष दो संयंत्रों, अर्थात् तलचर और कोटा में निर्माणाधीन संयंत्रों को चालू करने में विभिन्न कारणों से विलम्ब हुआ है परिणामस्वरूप, भारी पानी का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम रहा है ।

औद्योगिक संकट को दूर करने के लिए स्थायी समिति बनाना

463. **श्री नीहार लास्कर :**
श्री ए० आर० बद्री नारायण :
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय श्रमिक संघ संघठन की एक समिति ने यह सिफारिश की थी कि औद्योगिक संकट के मूल कारणों को दूर करने के तरीके सुझाने और संकटग्रस्त उद्योगों में शांति रखने के लिए एक स्थायी समिति बनाई जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति की सभी सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां तो औद्योगिक संकट को दूर करने के लिए अन्य क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) यदि नहीं, तो सिफारिश को स्वीकार न करने के क्या मुख्य कारण हैं ; और

(ङ) कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी हां। उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित सेन्ट्रल ट्रेड यूनियनों के कार्य दल ने औद्योगिक रूग्णता संबंधी एक स्थायी समिति गठित करने की सिफारिश की है।

(ख) से (ङ) सरकार कार्य दल की विभिन्न सिफारिशों पर विचार कर रही है।

हरिजनों के लिए छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि किया जाना

464. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शैक्षणिक-प्रयोजनों के लिए हरिजनों और आदिवासियों के लिए छात्रवृत्ति की राशि में बृद्धि करने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मन्डल) : भारत सरकार की अनूसूचित जातिओं और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 छात्रवृति योजनायें हैं [अर्थात् :—

1. 'अस्वच्छ' व्यवसायों अर्थात सफाई, चमड़ा उतारने और रंगने के कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को भारत में अध्ययन के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृतियां और 3 राष्ट्रीय समुद्र पार छात्रवृतियां।

3. मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना को 1974-75 में युक्तिसंगत बनाया गया था और शैक्षणिक वर्ष 1974-75 से सभी, पाठ्यक्रमों के लिए निर्वाह भत्ते की दरें बढ़ा दी गई थी। चिकित्सा और इंजिनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए और छात्रवास में रहने के लिए निर्वाह भत्ते को 1-1-1978 से बढ़ा दिया गया है।

सरकार का अभी तीनों योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृति बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

बिहार में समाज सेवा संस्थानों को अनुदान

465. **श्री हुकम देव नारायण यादव** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में ऐसे समाज सेवा संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1975 से 1978 तक गृह मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रदान किये गये हैं, अनुदान कितनी कितनी राशि के थे और क्या उनके खातों की लेखा-परीक्षा की गई थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री धनिक लाल मण्डल) : 1975-78 की अवधि के दौरान बिहार में रामाकृष्णा मिशन आश्रम रांची ही एकमात्र ऐसा संगठन था जिसको इस मंत्रालय से केन्द्रीय स्कीम 'स्वयंसेवी संगठनों को सहायता' के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों जैसे खानाबदोश जनजातियों, अर्द्ध खानाबदोश जनजातियों तथा

विमुक्त जनजातियों के लिए सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है। इन वर्षों में रामाकृष्णा मिशन आश्रम, रांची को स्वीकृत किया गया सहायता अनुदान इस प्रकार है।

वर्ष	**स्वीकृत धनराशि**
1975-76	1,46,704
1976-77	1,52,944
1977-78	1,69,760

उपर्युक्त सहायता अनुदान के लेखों के लेखा परीक्षा विवरण रामाकृष्णा मिशन आश्रम रांची से इस मन्त्रालय में प्राप्त हो गए हैं।

आसाम की स्थायी राजधानी का स्थल

466. **श्री बेदब्रत बरुआ** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आसाम की स्थायी राजधानी के स्थल के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्राथमिकता के क्रम से सिफारिश किये गये विभिन्न स्थल कौन-कौन से हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि समिति ने ऐसे स्थल के लिए अत्यधिक उपयुक्त स्थान के रूप में सिलत्राट पर विचार किया है ;

(घ) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अब सूचित किया है कि राज्य सरकार नई राजधानी के निर्माण पर आगे कार्य नहीं करना चाहेगी और दिसपुर में राजधानी बनाए रहना चाहेगी ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस बारे में यथासंभव शीघ्र कोई अन्तिम निर्णय करने के लिए कहा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) आसाम की स्थायी राजधानी के स्थल के प्रश्न की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। इस समय इन सिफारिशों के संबंध में कोई ब्योरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) राज्य सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि मामला अभी उनके विचाराधीन है।

आसाम में पटसन मिलों को आशयपत्र जारी किये जाना

467. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आसाम में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित दो पटसन मिलों को जारी किये गए आशयपत्र गत वर्ष वापस ले लिये जाने के पश्चात अब पुनः जारी किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दो परियोजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन क्या हैं ;

(ग) उक्त परियोजनाओं के कब पूरा होने की आशा है ; और

(घ) ये दोनों परियोजनाये कहां-कहां स्थित हैं और प्रत्येक की परियोजना लागत कितनी कितनी है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) परियोजनाएं दारंग व बारपेटा में स्थापित करने का प्रस्ताव है और आशय-पत्र के लिए आवेदन करते समय प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत 184 लाख रुपए थी।

स्वयं को सन्सद सदस्य बताने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी

468. **श्री माघवराव सिंधिया** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि स्वयं को संसद सदस्य बताने वाला तथा संसद सदस्यों को उपलब्ध सभी सुविधाओं का लाभ उठाने वाला एक व्यक्ति हाल ही में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा किये गये अपराधों का व्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) एक व्यक्ति श्री प्रेम शंकर शुक्ल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा टाटा आयरन, इंडियन आयरन के अधिकारियों, महाप्रबंधक दिल्ली टेलीफोन और भारतीय तेल प्राधिकारियों के सामने एम० एल० शुक्ल, संसद सदस्य के रूप में बतलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसने एम०पी० क्लब, नार्थ ऐवन्यू, नई दिल्ली के नाम पर जी० सी० शीटों के आवंटन टेलीफोन तथा खाना बनाने की गैस की स्वीकृति प्राप्त की थी। उसके विरुद्ध नकली रूप धारण करने, ठगी, जालसाजी तथा जाली दस्तावेजों के प्रयोग करने के 9 मामले दर्ज किये गये हैं।

(ग) श्री प्रेम शंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह न्यायिक हिरासत में है। सभी 9 मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है।

बड़े राज्यों के विभाजन की मांग

469. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि प्रशासन की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान जैसे बड़े-बड़े राज्यों का विभाजन किए जाने की मांग उन लोगों में जोर पकड़ती जा रही है जिन्होंने हाल ही में इन राज्यों के विभाजन की मांग के समर्थन में आवाज उठाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े-बड़े राज्यों के विभाजन की मांगे समय समय पर की जाती रही हैं।

(ख) जैसा कि सदन में पहले ही कहा जा चुका है, सरकार इस समय को किसी राज्य के पुनगर्ठन के प्रश्न को हाथ में लेने के लिए अनुकूल नहीं समझती है।

तकनीकी विकास महानिदेशालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले उद्योगों में प्रगति दर में कमी होना

470. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले कुछ उद्योगों ने गत कुछ महीनों के दौरान प्रतिदर में वृद्धि दिखाई है, जब कि कुछ उद्योगों में प्रवृतिदर में ह्रास दिखाया है ;

(ख) यदि हां, तो व्यौरा क्या है ; और

(ग) घटती हुई प्रगति दर दिखाने वाले उद्योगों में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) और (ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची के अन्तर्गत आने वाले चुने हुए 104 उद्योगों के समूह की हाल ही की उत्पादन प्रवृत्ति की समीक्षा से यह पता चला है कि 69 उद्योगों में 10 प्रतिशत और उससे अधिक की वृद्धि हुई है, 21 उद्योंगों में 10 प्रतिशत से कम की वृद्धि हुई है तथा 21 उद्योगों के उत्पादन में कमी हुई है। 8 उद्योगों में 10 प्रतिशत से कम तथा 13 उद्योगों में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की गिरावट आई है।

(ग) अखबारी कागज, सिंथेटिक रबड़, औद्योगिक विस्फोटक सामग्री, सीमेंट, सीमलैस पाइप और ट्यूब, वाइन्डिग वायर्स के उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति मुख्य रूप अवस्थापना सम्बन्धी बाधाओं के कारण आई है। विशेषरूप से, पूर्वी क्षेत्र में स्थित एककों पर जिनमें से औद्योगिक विस्फोटक सामग्री, सीमेंट, सीमलैस पाइप व ट्यूब तथा वाइन्डिग वायर्स जैसे उत्पादन बनाने वाले कुछ एकक भी शामिल है, बिजली की कमी, जिसका रेल वैगन उद्योग पर भी आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा था, का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। सोडा एश के उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति

उद्योग के एक प्रमुख एकक को रखरखाव करने के लिए बन्द कर देने के कारण आई है बायलर खनन मशीन, धातुकर्मी मशीन जैसी विभिन्न मशीनी वस्तुओं के मामले में इन का उत्पादन क्रम लम्बा है तथा इनके कुछ महीनों के उत्पादन से सही स्थिति का पता नहीं चलता है। इन एककों के उत्पादकों की क्रयादेश-पंजिका (आर्डर बुक) की स्थिति संतोषजनक है इन उद्योगों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अच्छी विकास दर प्राप्त कर लिये जाने की आशा है। एजो रंजक परार्थ की कमी को अन्य क़िस्म के रंजक पदार्थो के जिनका कुछ भाग एजो रंजक पदार्थ द्वारा बनाया जाता है, अतिरिक्त उत्पादन द्वारा पुरा किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के माध्यम से इन्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड गोमिया के लिए बिजली प्राप्त करने हेतु प्रयास किये गए हैं। अल्युमीनियम फोइल्स, पी०वी०सी० रेजिन्स आदि जैसी सामग्री की आयात के लिए पहले की कार्रवाई पर अमल किया गया है तथा 10,000 मी० टन पी०वी०सी० रेजिन्स वितरित किया जा रहा है की गई अन्य कार्रवाईयों में विविध-ईधन जलाने की सुविधा रखने वाले सीमेंट एककों को ईधन तेल की उपलब्धता तथा यथासंभव सीमा तक पांवर सैटों के लिए सहायक डीजल की उपलब्धि में सहायता देना शामिल है।

दिल्ली के पुलिस थानों में बरामद की गई चोरी की वस्तुओं का पड़ा रहना

471. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह **मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) राजधानी के पुलिस थानों में बरामद की गई चोरी की पड़ी हुई वस्तुओं की संख्या और व्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या है ;

(ख) उन वस्तुओं को उनके वास्तविक मालिकों को न लौटाये जाने के क्या कारण हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु वहां पर कितने वर्षो से पड़ी हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि ये वस्तुएं वर्षों के दौरान खुले में पड़े रहने के कारण खराब हो रही है और उनके अनेक कलपुर्जे निकाल लिये गये हैं और क्या सरकार का विचार एक ऐसा कानून बनाने का है जिसके अधीन इन वस्तुओं को नीलाम किया जा सके और उससे प्राप्त धनराशि सरकारी खजाने में जमा करा दी जाये ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) लगभग 25,50,421.00 रुपए की 5940 वस्तुएं दिल्ली के थानों में हिरासत में हैं।

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 451, 452 और 458 बरामद की गई सम्पति के निपटान को विनियमित करती है। न्यायालयों में मामलों पर अंतिम रूप से फैसला होने पर ही सम्पत्ति उनके मालिकों को दी जा सकती है। खोजबीन होने तक ऐसी बस्तुएं न्यायालय के आदेश से सुपरदारी पर वापिस की जा सकती है। इनके मालिक अधिकांशत: सुपरदारी पर वस्तुओं को स्वीकार करने के अनिच्छुक होते है क्योंकि ऐसा करने से वे विचारण के दौरान वस्तुओं को न्यायालय में पेश करने के जिम्मेवार हो जाते हैं।

(ग) वस्तुएं मालखानों में रखी जाती हैं । जगह की तंगी के कारण यह संभव है कि किसी जगह कुछ वस्तुएं खराब हो जाती हैं । जिस सम्पत्ति का दावेदार कोई नहीं होता है उसे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नीलाम कर दिया जाता है । ऐसी सम्पत्ति के नीलाम आदि के विषय में कोई नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

बस्तर में रेयन ग्रेड के कागज तथा लुग्दी के कारखाने की स्थापना

472. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मध्य प्रदेश उद्योग निगम से बस्तर जिले में रेयन ग्रेड के एक कागज तथा लुग्दी के कारखाने की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन पत्र पेश किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कब तक निर्णय कर लिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांण्डीस) : (क) तथा (ख) रेयन ग्रेड लुगदी तथा छपाई एवं लिखाई के लिए कागज तैयार करने हेतु परियोजनाएं स्थापित करने का मैसर्स मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीज कारपोरेशन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तथा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है आशयपत्र जारी कर दिये गये हैं :—

आशय पत्र की संख्या तथा तारीख	परियोजना का स्थापना स्थल	उत्पादन की वस्तु	वार्षिक क्षमता (मी० टनों में)
आशय पत्र की संख्या 185(79) दिनांक 30-6-79	जिला-बस्तर	रेयन ग्रेड लुगदी	30,000
आशय पत्र सं० 186(79) दिनांक 30-6-79	जिला-बस्तर	छपाई एवं लिखाई का कागज	50,000

मध्य प्रदेश वस्त्र निगम के विरुद्ध मामले दायर किया जाना

473. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या निगम के 7 कपड़ा मिलों द्वारा भुगतान किये जाने के कारण कुछ पार्टियों ने मध्य प्रदेश वस्तर निगम के खिलाफ मामले दायर किये हैं ; और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या और मामले दायर करने वालों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश वस्त्र निगम ने भी ऐसी कुछ पार्टियों तथा फर्मों के विरुद्ध मामले दायर किए हैं जिन्होंने उसको सप्लाई किये गये माल के लिए भुगतान नहीं किया है और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और उन पार्टियों के नाम क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स इन्दौर द्वारा रंगाई और छपाई के सामान की खरीद

474. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **उद्योग मंत्री** कपड़ा निगम (मध्य प्रदेश द्वारा ग्रे और तैयार कपड़े की बिक्री के बारे में 16 अगस्त, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 4 7 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) जनवरी, 1978 से जून 1979 तक की अवधि में इन्दौर मालवा यूनाइटेडमिल्स इन्दौर द्वारा कितनी कितनी मात्रा में और किन किन पार्टियों से रंगाई छपाई का सामान, कपड़े प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले कैमीकल, मशीनरी व साइजिंग में प्रयोग होने वाला सामान, स्टेशनरी व प्रिंटिंग का सामान खरीदा गया और नियमानुसार उसके भुगतान की अवधि क्या है और पार्टियों को कितनी अवधि में भुगतान किया गया ; और

(ख) क्या यह सच है कि 25,000 रुपये से ऊपर का भुगतान वस्त्र उद्योग निगम इन्दौर के चेयरमैन से मिलने के बाद किया जाता है, और यदि हां, तो उपयुक्त अवधि में ऐसे कितने भुगतान किये गये और उन पार्टियों के नाम क्या क्या हैं जिनको भुगतान 4 माह से ऊपर की अवधि में किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) मांगी गई जानकारी काफी विस्तृत है तथा इससे निकलने वाला परिणाम इसको एकत्रित करने में लगने वाले परिश्रम के अनुकूल नहीं होगा ।

(ख) जी नहीं, मिलों द्वारा सहायक निगम को सूचित किए बिना ही सीधे भुगतान कर दिया जाता है । मिलों से उन मामलों में भुगतान करने को कहा गया था जिनमें संभरणकर्ताओं ने सहायक निगम से संपर्क किया गया था । जनवरी, 1976 से जनबरी, 1976 की अवधि के दौरान इस प्रकार के किए गए भुगतानों की संख्या तथा जिन पार्टियों को 4 माह की अवधि के उपरांत भुगतान किया गया था उनके नामों से संबंधित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

475. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान कितने जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है और इन केन्द्रों से कितने व्यक्तियों को काम मिलने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : देश के 399 जिलों में से 345 जिलों को जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम में शामिल करने हेतु स्वीकृति दी गई है। इन 346 जिला उद्योग केन्द्रों के अधीन लगभग 358 जिले आएंगे। कुछ राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में एक जिला केन्द्र के अधीन एक से अधिक जिले आते हैं। योजना में महानगरीय शहरों में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम शुरू करने का विचार नहीं है। इस तरह से दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद व हैदराबाद आदि जैसे महानगरीय क्षेत्रों को इस योजना के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। आशा है कि अगले कुछ महीनों में देश के शेष जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा।

194 जिला उद्योग केन्द्रों ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्ष 1978-79 में 1,46,695 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए थे। जिला उद्योग केन्द्रों से कहा गया है कि वे ऐसी कार्रवाई योजनाएं तैयार करें जिनमें संबंधित जिले की मांगे, कार्यकुशलता व अतिरिक्त संसाधनों और खण्डवार कार्यक्रम के ब्यौरे उपलब्ध कराने तथा कामगरों पर आधारित क्रियाकलापों छोटे व लघु एककों, के लिए अलग से वित्तीय, नियोजन व उत्पादन संभव्यताओं का पता लगाने पर ध्यान दिया जाए। आशा है कि चालू वित्त-वर्ष में प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र लगभग 2,500 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा जिससे लगभग 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

अन्तरिक्ष अनुसंधान के बारे में सोवियत संघ का प्रतिनिधि मण्डल

476. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के 'आल यूनियन इन्स्टिट्यूट पर आउटर स्पेस रिसर्च' के 34 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल अभी हाल में भारत आया था ;

(ख) प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के उनके पदों सहित पूरे नाम क्या हैं ; और

(ग) यात्रा का प्रयोजन क्या था ?

राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ग) सोवियत संघ के विभिन्न अन्तरिक्ष अनुसंधान संस्थानों के संबंधित 30 सोवियत वैज्ञानिकों का एक प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था। यह प्रतिनिधिमण्डल कमेटी आन स्पेस रिसर्च, जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, के दिनांक 29 मई से 9 जून, 1979 तक बंगलौर में हुए XXII प्लेनरी एण्ड एसोशिएटिड सिम्पोजिया में भाग लेने के लिये आया था। कोस्पार (कमेटी आन स्पेस रिसर्च) की बैठकों में विदेशों से 230 वैज्ञानिकों ने भाग लिया था।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों की सूची संलग्न है। इनके पदों के बारे में पूरी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

विवरण

	नाम	पदनाम/ संबंद्धीकरण
	1	2
1.	डा० लियोन ए एलेक्जेंड्रोव	जी० यू० जी० एम० एस०, पावलीकाम मोरोजोवा 12, मास्को।
2.	जी० एस० बालायन	वैज्ञानिक सचिव, इन्टरकास्मास कौंसिल, मास्को।
3.	आइगर ब्यालवा	—
4.	इवग्वेम चौलजेन्को	—
5.	एम० ड्म्यिटजेव	—
6.	पीमा फैडरोवा	—
7.	विक्टर एम० जेय्जिन	दी यू०एस० एस० आर० स्टेट कमेटी फार हाइड्रो—मिटिरियोलोजी एण्ड कंट्रोल आफ नेचुरल रिसोर्सिज, मास्को।
8.	वेडिम जी इसटोमिन	—
9.	डा० एण्ड्रेल आइवन अड्वनोवस्की	यू० एस०एस०आर० स्टेट कमेटी आन हाइड्रो-मिटिरियोलोजी एण्ड नेचुरल रिसोर्सिज, मास्को।
10.	लेव ब्लेडिमिस कालकोटस्की	—
11.	योऊगई काझारोव	—
12.	योंइरी पी० कोशेलुकोव	यू०एस०एस०आर०, स्टेट कमेटी आन हाइड्रोमिटिरियोलोजी एण्ड नेचुरल रिसोर्सिज कन्ट्रोल, मास्को।
13.	ग्वेनेडी क्वोजनेटसोव	—

1	2	3
14.	वी० वी० कूपरीअनोव	स्टेट हाइड्रोलाजिकल इन्स्टिटट्यूट, मास्को ।
15.	एस० वी० लैसाएम्को	—
16.	प्रो० एस० येल० मेंडलशतम	इन्स्टिटट्यूट आफ स्पेक्ट्रोसकापी, यू० एस० एस० आर० एकादमी आफ साईंसस्, मास्को ।
17.	प्रो० मिखाइल या मारोव	इन्स्टिटट्यूट आफ एपलाईड मेथिमेटिक्स यू० एस० एस० आर० एकाडमी आफ साईंसस्, मास्को ।
18.	प्रो० वासिली आई मोरोज	स्पेस रिसर्च इन्स्टीट्यूट यू० एस० एस० आर० एकाडमी आफ साईन्सस्, मास्को ।
19.	डाऊज मउझाकोव	—
20.	योरी पेरफ्लिाइर	—
21.	गेरी ए० पोनोव	हाइड्रोसिटिरियोलोजिकल सर्विसस आफ दी यू०एस०एस०आर०, मास्को
22.	ओ० एफ० प्रीलअऊटस्के	स्पेस रिसर्च इन्स्टिटट्यूट, यू० एस० एस० आर० एकाडमी आफ साईंसस्, मास्को ।
23.	एकादमिशियन आर० जेड० सगदेयेव	हेड, स्पेस रिसर्च इन्स्टिटट्यूट, यू० एस०एस० आर०, एकाडमी आफ साईन्सस् मास्को ।
24.	एलमज एन सौसनोवेट्ज	—
25.	एलेग्जैं स्टावेटसेव	—
26.	एण्डजै वेसिलियेविट्च टलइन	—
27.	व्लडिमिक फिलिपोविच टुलिनोव	दी यू० एस० एस०आर० स्टेट कमेटी फार हाइड्रोमिटिरियोलेजी एण्ड कंट्रोल आफ नेचुरल रिसोर्सिज, मास्को ।

1	2	3
28.	इ० आई ग्रिगोरी वोरोबीव	—
29.	एस० एस० योरोव	इन्स्टिट्यूट आफ बायलोजिकल फिजिक्स, यू०एस०एस०आर० एकाडमी आफ साईन्सस्, पुजचिनो।
30.	जार्ज वोरिस झडानोव	यू० एस० एस० आर० एकाडमी आफ साईंसस् मास्को।

श्री प्रभात रंजन सरकार के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश

477. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिये हैं कि आनन्द मार्ग के प्रमुख श्री प्रभात रंजन सरकार अपने विदेशी दौरे से लौटने के पश्चात् देश से बाहर नहीं जायेंगे ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं ; और

(ग) अपने विदेशी दौरे के पश्चात् उनके स्वदेश कब लौटने की आशा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने की याचिका एवं बाहर के कुछ देशों का भ्रमण करने के लिए पारपत्र स्वीकार करने के लिए श्री पी० आर० सरकार की प्रार्थना को स्वीकार करने के पटना उच्च न्यायालय की रांची पीठ के दिनांक 13-4-79 के आदेश के साथ पठित दिनांक 20 अप्रैल, 1979 के स्टे आदेश के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उच्चतम न्यायालय ने 4 मई, 1979 को सुनवाई की थी। पटना उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश पर कार्रवाई रोकने के लिए आदेश दिया गया था उसके बाद श्री पी० आर० सरकार भारत से चले गए थे।

सर्वेश्वरानंद अवधूत को पारपत्र मंजूर करने के बारे में बिहार सरकार ने दिनांक 7-6-69 को उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिऐ याचिका प्रस्तुत की थी। उस याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने भी दिनांक 12-6-79 को आदेश दिया कि लगभग 8 या 9 जून, 1979 को अथवा उसके बाद बाहर के देशों में वापस आने के बाद श्री पी० आर० सरकार को भारत से बाहर जाने से रोका जाए। वकील को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने 21-6-79 को विशेष अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी जहां न्यायालय द्वारा पहले मंजूर किया गया स्टे आदेश रद्द किया गया।

(ग) श्री सरकार विदेश से 5 जून, 1979 को भारत वापस आ गए हैं।

कागज की कमी

478. **श्री सरत कार :**
श्री शरद यादव :
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कागज की गंभीर कमी का पुस्तक प्रकाशन, व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में बहुत से प्रकाशकों ने बच्चों के लिये विशेष पुस्तकें प्रकाशित करने की परियोजनाओं को त्याग दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गर्मी की छुट्टियों के पश्चात स्कूलों के खुलने पर पाठ्य पुस्तकें दुर्लभ हो गई हैं ;

(ग) वार्षिक मांग और उपलब्धता में कितना अन्तर है ; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या प्रयास किये है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) सरकार को कागज का मूल्य बढ़ जाने तथा उसकी कमी के बारे में प्रकाशकों से शिकायतें मिली है। किन्तु, इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रकाशकों ने बच्चों के लिए विशेष पुस्तकें बनाने की परियोजनाएं छोड़ दी हैं।

(ख) इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है कि गर्मियों की छुट्टियों के पश्चात् शिक्षण संस्थानों के पुनः खुलने पर पाठ्य पुस्तकों की बड़ी कमी हो गई है।

(ग) और (घ) : यह अनुमान लगाया गया है कि इस समय कागज विशेष रूप से लिखने तथा छपाई किस्मों की मांग व पूर्ति के बीच 50,000 मी० टन का अन्तर है। देश में होने वाले उत्पादन में वृद्धि करने के अलावा कमी को पूरा करने के लिए कागज का आयात करने का भी सरकार का प्रस्ताव है।

कागज पर मूल्य नियंत्रण आदेश

479. **श्री सरत कार :**
डा० विजय मंडल :
श्री शरद यादव :
श्री जी० वाई० कृष्णन् :
श्री छीतू भाई गामित :
श्री रूडोल्फ रोड्रिग्स :
श्री बीरेन्द्र प्रसाद : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज की कमी को देखते हुए कागज को आवश्यक वस्तु घोषित करके और प्रभावी मूल्य नियंत्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : **(क) तथा (ख)** कागज को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पहले ही "आवश्यक वस्तु" घोषित किया जा चुका है। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 जून, 1979 को कागज (नियंत्रण) आदेश, 1979 जारी किया है। इस आदेश के अन्तर्गत क्रमशः छपाई के सफेद कागज तथा क्रीम ओव कागज के कारखाने से निकलते समय के मूल्य प्रति मी० टन के लिए 3000 रुपए तथा 3785 रुपए निर्धारित किए गए हैं तथा सरकार को कागज की इन किस्मों की बिक्री के सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने के भी अधिकार दिए गए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक

480. **श्री के० मालम्ना** :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश भर में पुलिस की समस्याओं पर विचार करने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की केन्द्र सरकार के साथ कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये निर्णय का व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कार का निर्माण

481. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्राजील सरकार कारों का निर्माण करने की परियोजना आरम्भ कर रही है जो पूरी तरह से पावर एल्कोहल से चलाई जा सकती है ; और

(ख) क्या सरकार भी ऐसा करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) मोटर गाड़ियों के ईंधन के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल करने के लिए ब्राजील की परियोजना के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) मोटर कार के ईंधन के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल करने के विभिन्न पहलुओं की सरकार जांच कर रही है।

दार्जिलिंग बन्द

482. **श्री के० मालन्ना** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनाँक 29 मई, 1979 को, प्रधान मंत्री के दार्जिलिंग के दो दिन के दौरे पर आगमन के समय सुबह से शाम तक के बन्द का आयोजन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो बन्द का व्यौरा क्या है और इसका आयोजन करने वाली पार्टियों की क्या मांग थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) **और** (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार अखिल भारतीय नैपाली भाषा समिति ने संविधान की आठवीं सूचि में नैपाली भाषा को सम्मिलित करने के लिए प्रधान मंत्री की जिले की यात्रा के अवसर पर 29 मई, 1979 को दार्जिलिंग बन्द का आवाहन किया था। विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकताओं ने बन्द के समर्थन में कुछ सरकारी संस्थापनाओं पर धरना दिया और उनमें से कुछ ने दार्जिलिंग के टेलिफोन एक्सचेंज को क्षाति पहुंचाई ।

अन्तरिक्ष अनुसंधान का विकास

483. **श्री दिलीप चक्रवती** : क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की यह नीति है कि अन्तरिक्ष अनुसंधान के विकास के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त की जाये :

(ख) क्या भारतीय प्रेक्षण स्थल से तीसरा भारतीय उपग्रह छोड़ना संभव होगा ;

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई समय-बद्ध कार्यक्रम है तो वह क्या है ; और

(घ) यदि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय प्रमोचक राकेटों के बिकास का समय-बद्ध कार्यक्रम निम्न प्रकार है :

(1) तीसरे भारतीय उपग्रह को 1979 के अन्त तक छोड़ा जाना है, जो कि 40 किलोग्राम भार का रोहिणी उपग्रह (आर० एस०-1) है। इस उपग्रह को देश में ही विकसित उपग्रह प्रमोचक राकेट (एस० एल० बी०-3) द्वारा श्री हरि कोटा से छोड़ा जायेगा ।

(2) 1985-86 की समय-अनुसूची के अन्तर्गत 500-600 किलोग्राम भार के नीतभार को 500-600 किलो मीटर की सूर्य-समकालिक कक्षा में छोड़ने में सक्षम एस० एल० वी०-परिवर्ती प्रमोचक राकेट के डिजाइन, निर्माण और प्रमोचन की योजना बनाई गई है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भास्कर की उपलब्धियां तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान में सं।वियत सहायता

484. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :**
श्री एडुआर्डो फैलीरो :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री पी० राजगोपाल नायडू :
श्री सौगत राय :
श्री के० राम मूर्ति :
डा० मुरली मनोहर जोशी :
डा० रामजी सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या वर्ष 1975 में आर्यभट्ट को अन्तरिक्ष में छोड़कर अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिन विशाल और अधिक आश्चर्यजनक एवम् अधिक व्यवहार्य उपलब्धियों की आकांक्षायें की गई थीं वे अब भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर को छोड़ने के पश्चात् पूरी तरह अथवा काफी हद तक पूरी हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या इस कार्य में सोवियत संघ ने भारत की सहायता की है ;

(घ) यदि हां, तो कैसे और कब तथा किस प्रौद्योगिकी, निधियों, उपकरणों आदि से सहायता की है ;

(ङ) क्या सोवियत नेता श्री ब्रेजनेव ने जून, 1979 में भारत के प्रधान मंत्री से उनकी सोवियत यात्रा के समय यह वायदा किया था कि सोवियत संघ अन्तरिक्ष में मानव भेजने के कार्य में भारत की सहायता करेगा ; और

(च) सोवियत संघ के उक्त प्रस्ताव/पेशकश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) राष्ट्रीय विकास में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में भास्कर एक और कदम उठा रहा है ।

(ख) आर्यभट्ट की तुलना में भास्कर एक अधिक जटिल उपग्रह हैं । इसका डिजाइन अधिक जटिल नौतभारों और कक्षीय नियंत्रण प्रणाली के साथ बनाया गया है, जिसमें मुख्य रूप में टी० वी० कैमरे और उपग्रह माइक्रोवेव रेडियोमीटर हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सोवियत संघ ने निःशुल्क प्रमोचन सेवा और अन्तरिक्ष यान के लिये आवश्यक सौर व्यूह, बैटरियां, टेप-रिकार्डर गैस की बोतलें तथा तापीय-पेन्ट जैसी कुछ उप-प्रणालियां प्रदान करके भारत की सहायता की है। इन मदों की सप्लाई स्वीकृत समय-अनुसूचि के अनुसार की गई थी। प्रमोचन सहायता इस वर्ष जून के प्रारम्भ में प्रदान की गई थी।

(ङ) जी, हां।

(च) सोवियत नेताओं को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत सरकार के वर्तमान अन्तरिक्ष कार्यक्रम में मानव को अन्तरिक्ष में भेजने का कोई कार्यक्रम नहीं है। इस प्रस्ताव पर इसके सभी पहलुओं की दृष्टि से विचार करना होगा।

महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बीच सीमा विवाद

485. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों के बीच लंबी अवधि से चले आ रहे सीमा विवाद को हल करने के प्रयोजन से दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को आमंत्रित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त दोनों मुख्य मंत्रियों की जून 1979 में बैठक हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो कहां तथा उक्त बैठक की कार्यसूची क्या थी ;

(घ) क्या मंत्री महोदय ने उक्त बैठक में भाग लिया था और क्या अन्य किसी मुख्य मंत्री अथवा मंत्री (राज्य अथवा केन्द्रीय) ने भी इस बैठक में भाग लिया था ; और

(ङ) उक्त वैठक की कार्यवाही तथा उसमें लिये गये निर्णयों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : **(क) और (ख)** गृह मंत्री ने महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों को 21 जून, 1979 को दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया था। बैठक को स्थगित करना पड़ा क्योंकि कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि वे अस्वस्थ थे।

(ग), (घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

मान्यता प्राप्त पिछड़ी जातियां

486. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **गृह मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों के रूप में कौन-कौन सी विभिन्न जातियों, समुदायों और जनजातियों को मान्यता दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : शब्द पिछड़े वर्ग में सामान्यत : अनुसूचित जातियां अनुसूचित जन जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग शामिल होते हैं। केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के अधीन केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को विनिर्दिष्ट किया है। विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचित किये जाते हैं तथा समय समय पर चुनाव कानून नियमावली और भारत के संविधान के संस्करणों में भी पुर्नप्रकाशित किये जाते हैं।

जहां तक 'अन्य पिछड़े वर्गों' की सूची का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने अभी तक ऐसे वर्गों की कोई अखिल भारतीय सूची तैयार नहीं की है।

परन्तु, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4594, दिनांक 2-5-1972 के आश्वासन की पूर्ति में सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया था जिसमें राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा तैयार की गई और सूचित की गई पिछड़े वर्गों की सूची दी गई थी।

दिल्ली में जाली डाक लेखन-सामग्री छापने के कारण पकड़े गये व्यक्ति

487. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** :
श्री शरद यादव :
श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और नई दिल्ली में जाली डाक लेखन सामग्री छापने का काम करने वाले कितने व्यक्तियों को जून, 1979 में गिरफ्तार किया था ; और

(ख) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कारगर कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जून, 1979 में दिल्ली पुलिस द्वारा सात व्यक्ति गिर्फतार किए गए थे और जाली कोर्ट फीस स्टैम्प और जाली डाक लेखन सामग्री की छपाई और बिक्री के सम्बन्ध में थाना हौज काजी, दिल्ली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 255/256/257/258/259/260/120 ख के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 321 तारीख 21-6-79 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।

(ख) डाक तार विभाग ने सूचित किया है कि उन्होंने क्षेत्र अधिकारियों को सावधान कर दिया है। सम्प्रेषण के दौरान वस्तुओं की सूक्ष्म अचानक जांच करनी पड़ती है।

पकड़ गये विदेशी जासूस

488. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) 1 जनवरी से 20 जून, 1979 की अवधि के दौरान कितने विदेशी जासूस पकड़े गये थे और वे किन-किन देशों के हैं ; और

(ख) क्या उनसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पकड़े गये थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सम्बद्ध अवधि के दौरान 9 व्यक्तियों को (8 व्यक्ति पाकिस्तान के और एक इरान का) गिरफ्तार किया गया था। सूचना में जम्मू और काश्मीर की केवल 31-3-1979 तक की संख्या शामिल है। शेष अवधि की सूचना सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) उनमें से कुछ से कुछ कागजात बरामद हुए हैं।

पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जाना

489. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में 1 अप्रैल, 1979 से 14 जून, 1979 तक कितने पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये हैं ;

(ख) देश की सुरक्षा के हित में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान जासूसों का काश्मीर में अवैध प्रवेश अभी तक जारी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जम्मू तथा कश्मीर राज्य के अतिरिक्त जहां से सूचना की प्रतीक्षा है और सदन के पटल पर रखी जाएगी, देश में संगत अवधि के दौरान पाकिस्तानी जासूसों के रूप के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र और राज्यों की सुरक्षा ऐजेंसियों द्वारा सतत सतर्कता बरती जा रही है।

(ग) ऐसी जासूसी गतिविधियों का पता लगाना, निष्कासन और रोक थाम एक निरन्तर प्रक्रिया है और सतत निगरानी रखी जाती है।

संवर्धित यूरेनियम की सप्लाई के लिए लम्बित आवेदन पत्र

490. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :**

श्री लेखन लाल कपूर :

श्रीमती मृणाल गोरे :

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

श्री दिलीप चक्रवर्ती : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा संवर्धित यूरेनियम की सप्लाई के लिये पेश किये गये निर्यात लाइसेंस आवेदन-पत्र अमरीकी परमाणु नियंत्रण आयोग के पास लंबित है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) अमरीका सरकार ने क्या कारण बताये हैं ?

परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क), (ख) और (ग) 19.8 मीटरिक टन परिष्कृत यूरेनियम के निर्यात-लाइसेंस के लिए 20 सितम्बर, 1978 को दिया गया एक आवेदन-पत्र अमरीकी अधिकारियों के विचाराधीन है। 28 मार्च, 1979 को अमरीका के डिपार्टमेंट आफ स्टेट ने यह लाइसेंस जारी करने की सिफारिश अमरीका के न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन से की थी और तब से वह आवेदन उस कमीशन के विचाराधीन है। 25 मई, 1979 को उक्त कमीशन ने उस आवेदन के बारे में अमरीका के डिपार्टमेंट आफ स्टेट से स्पष्टीकरण तथा कुछ और सूचना मांगी हैं।

ग्रोवर आयोग का प्रतिवेदन

491. **श्री भागीरथ भंवर** :

श्री प्रसन्न भाई महेता :

श्री ईश्वर चौधरी :

श्री जी० एस० तोहरा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रोवर आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; आर

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख) तथा (ग) कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री डी० देवराज अर्स तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री ए० एन० ग्रोवर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग की द्वितीय तथा अन्तिम रिपोर्ट, उस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित, 9 मई, 1979 को लोकसभा के पटल पर रख दी गयी थी। चूंकि रिपोर्ट के अन्तर्गत आने वाले मामले राज्य के कार्यकलाप-क्षेत्र के अन्दर आते हैं, इसलिए रिपोर्ट को उसमें दिए गए आयोग के निष्कर्षों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के लिए 8 मई, 1979 को कर्नाटक सरकार को भेज दिया गया था।

साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए किये गये प्रबंधों की समीक्षा

492. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने और साम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने के लिए किये गए वर्तमान निरोधात्मक, प्रशासकीय तथा राज्य प्रबंधों की समीक्षा करने के लिए राज्यों को कोई निदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में राज्य सरकारों द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) केन्द्रीय गृहमन्त्री ने 5 जून, 1979 को मुख्य मन्त्रियों तथा उपराज्यपालों को जोर देते हुए लिखा कि साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक प्रबंध सुदृढ़ किये जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद् तथा अन्य तत्सम्बन्धी जांच आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन में होने वाली ढील ढाल पर चिन्ता व्यक्त की। अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया था कि साम्प्रदायिक रूप से सवेदनशील जिलों एवं स्थानों में कानून लागू करने वाली ऐजसियों की जन शक्ति एवं अन्य संस्रोतों का मूल्यांकन करने के लिए प्राथमिकता से विचार किया जाए और पुलिस दलों विशेष रूप से सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों एवं भर्ती नीति को यथोचित नेतृत्व प्रदान करने, मनोबल बनाये रखने, कार्य कुशलता बढ़ाने एवं स्थिति के प्रति संवेदनशीलता सुनिश्चित करने की दृष्टि से समीक्षा की जाए। यह उल्लेख किया गया था कि साम्प्रदायिक संवेदनशील स्थानों के सम्बन्ध में सांप्रदायिक अशांति नियंत्रण योजना नए सिरे से बनाई जाए और इसके अतिरक्त होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के अधिक सार्थक उपयोग पर विचार किया जाए। इस पृष्ठ भूमि के विपरीत मुख्य-मन्त्रियों और उपराज्यपालों से सांप्रदायिक सदभाव बनाए रखने के लिए सरकारी प्रयत्नों को जारी रखने के उपाय करने और विभिन्न स्तरों पर सहयोग करने के लिए वर्तमान रोकथाम के उपायों प्रशासनिक और अन्य प्रबंधों की तुरन्त समीक्षा करने का अनुरोध किया था।

2. इस सम्वन्ध में गृह मन्त्रालय ने राज्यों के ग्रुपों के साथ अधिकारी स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने का भी निश्चय किया है। ऐसा पहला सम्मेलन उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के साथ 18-6-79 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के निष्कर्षों को उन पर प्राथमिकता से विचार करने के लिए सभी राज्य सरकारों को भेजा गया है। उसमें से उल्लेखनीय निष्कर्ष इस प्रकार है :--

सांप्रदायिक-संवेदनशील जिलों के लिए स्टाफ एवं मशीनरी की अधिकतम आवश्यकता का पता लगाया जाये और इस प्रबंध की प्रभावशीलता के प्रयोग के लिए दो या तीन जिलों का चयन करके उन्हें वहां रखा जाए, सांप्रदायिक अशांति रोकने, मामलों की जांच करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए चुने हुए सवेदनशील क्षेत्रों में मिश्रित दस्ते गठित किए जांय, सांप्रदायिक सवेदनशील जिलों के जिला स्तर के अधिकारियों को विचार विनिमय करने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करने के लिए समय समय पर बैठक की जांय।

2. ये हाल में किए गए पत्र व्यवहार हैं और इनसे हुई प्रगति का मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं हो सकता है।

हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

493. **श्री भागीरथ भंवर : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) इन आरोपों को भूतपूर्व मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया था और उनकी टिप्पणी प्राप्त की गई थी ।

प्रत्येक योजना में हरिजनों तथा आदिवासियों के कल्याण पर प्रति व्यक्ति व्यय

494. **श्री राम अवधेस सिंह** : क्या **योजना मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :—

(क) प्रत्येक योजना अवधि के दौरान हरिजनों तथा आदिवासियों के कल्याण पर प्रति व्यक्ति औसतन कितना व्यय हुआ ;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक योजनावधि में पिछड़े वर्गों की राज्य सूचियों के आधार पर पिछड़े वर्गों के शैक्षिक एवं सामाजिक उत्थान पर कुल कितना व्यय किया गया ; और

(ग) क्या उन पर प्रति व्यक्ति औसतन व्यय का वहन सरकार द्वारा करने का भी विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फज़लुर्रहमान) : (क) हरिजनों और आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनावार प्रति-व्यक्ति परिव्यय की गणना करना संभव नहीं है, क्योंकि (1) हरिजनों और आदिवासियों के लाभ के लिए विकास के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं, और (2) इन समूहों के लिए कल्याण स्कीमों के लिए योजनेतर परिव्यय के आंकड़े भी तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । तथापि विशेषरूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए छात्रवृतियों जैसी योजना स्कीमों के लिए परिव्यय इस प्रकार थे :—

	(करोड़ रु०)
पहली योजना	28.01
दूसरी योजना	73.55
तीसरी योजना	89.26
1966 से 1969 तक की वार्षिक योजनाएं	67.19
चौथी योजना	142.40
पांचवीं योजना (1974-78)	212.49

इसके अलावा छात्रवृत्तियों पर राज्यों में योजनेतर परिव्यय थे, जिनकी धनराशि इस समय प्रतिवर्ष 35 करोड़ रु० है। इसके अतिरिक्त पांचवीं योजना में जनजातीय उपयोजनाओं के लिए 112.35 करोड़ रु० खर्च किए गए थे।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में भी व्यय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे उन्हें योजनाओं में क्षेत्रीय कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त हुआ होगा।

(ग) "अन्य पिछड़े वर्गों" के कल्याण और विकास के लिए उपयुक्त उपायों पर हाल ही में स्थापित पिछड़े वर्ग आयोग विचार कर रहा है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की रिपोर्ट

495. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिलों के कार्यकरण पर गठित अध्ययन दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) इसकी मुख्य सिफारिशों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी हाँ।

(ख) अध्ययन दल की रिपोर्ट, जिसमें निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश निहित है, की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी गई हैं।

(ग) अध्ययन दल की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

भारत में आर्थिक तथा व्यापारिक शक्ति के केन्द्रित होने की प्रवृत्ति

496. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय जन प्रशासन संस्थान द्वारा "भारत में आर्थिक तथा व्यापारिक शक्ति का केन्द्रीकरण" विषय पर किये गये अध्ययन संबंधी प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रकाशित "ट्रेन्डस इन कान्सन्ट्रशन इन इंडिया" (इकानामिक एण्ड बिजनेस पावर) शीर्ष के अन्तर्गत प्रोफेसर एस० के० गोयल द्वारा किये गए अध्ययन की रपट का सरकार को पता है।

(ख) सरकारी नीति का उद्देश्य एकाधिकार वादी वृद्धि पर अंकुश लगाना है। 23 दिसम्बर 1977 को संसद के समक्ष रखे गये औद्योगिक नीति विवरण के पैराग्राफ 17, 18 तथा 19 में सरकारी नीति का स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

भारी पानी के संयंत्रों की स्थापना

497. **श्री एस० आर० दामाणी :**

डा० विजय मंडल : क्या **परमाणु ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार देश में भारी पानी के कुछ और संयंत्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना कहां करने का विचार है और इसके लिए कितना धन आबंटित किया गया है ; और

(ग) आदानों की पर्याप्त और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ताकि यह संयंत्र आरम्भ से ही रुग्ण न हो जाये जैसा कि विद्युत तथा अमोनिया आदि का निरंतर सप्लाई न होने के कारण वर्तमान संयंत्रों के साथ हो रहा है ?

परमाणु ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है कि नए भारी पानी संयंत्र कहां-कहां लगाए जाएंगे। चालू पंच-वर्षीय योजना (1978-83) में 64.2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि फीड गैस लगातार न मिल सकने से भारी पानी संयंत्रों के कार्य में बाधा उत्पन्न न हो, हम यह विचार कर रहे हैं कि नए भारी पानी संयंत्रों को या तो मल्टिपल अमोनिया प्लांटों के साथ जोड़ा जाए, या फिर ऐसे भारी पानी संयंत्र लगाये जाएं जो अमोनिया पर निर्भर न हों, और अमोनिया हाइड्रोजन एक्सचेंज-बाटर फैड सिस्टम पर आधारित हों। ऐसे स्थानों पर, जहां ग्रिडों में बिजली कि बोल्टेज एक स्तर पर कायम नहीं रहती है. बिजली के बंद होने के कारण उत्पन्न होने वाली रुकावटों को कम करने के उद्देश्य से भारी पानी संयंत्रों के लिए कैप्टिव पावर प्लांट लगाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग का प्रतिवेदन

498. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री के० टी० कोसलराम :

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशों की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें सरकार के परीक्षाधीन हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी पंजीकरण अधिनियम का उल्लंघन

499. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 6 महीनों में विदेशी नागरिकों के विरुद्ध विदेशी पंजीकरण अधिनियम के उल्लंघन और उनके पास चोरी का माल होने के कितने मामले दर्ज किये गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कागज का उत्पादन तथा आयात

500. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार देश में कागज की भारी कमी को देखते हुए देश में ही अधिक उत्पादन करने तथा उसका अधिक आयात भी करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1979-80 के दौरान कागज का कितनी मात्रा का आयात करने का विचार है ;

(ग) वर्ष 1979-80 में वर्ष 1978-79 के उत्पादन की तुलना में कागज के उत्पादन के क्या लक्ष्य रखे गये हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) तथा (ख) जी हां। चालू वर्ष में कागज की मांग और पूर्ति के बीच 50,000 मी० टन का अन्तर होने का अनुमान है, तथा कागज की इस कमी को पूरा करने के लिए कागज का आयात करने का प्रस्ताव है। किन्तु, आयात किए जाने वाले कागज की वास्तविक मात्रा कागज की वास्तविक कमी उपलब्धता तथा सम्भरणकर्त्ताओं की निश्चित सुपर्दगी सूची पर निर्भर करेगी।

(ग) वर्ष 1979-80 में 11.50 लाख मी० टन कागज तथा गत्ते का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि वर्ष 1978-79 में इसका उत्पादन 10.06 लाख मी० टन था।

अश्लील साहित्य के विरुद्ध कार्यवाही

501. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अश्लील साहित्य का उत्पादन और बिक्री रोकने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं अथवा क्या विशेष

कार्यक्रम बनाया गया है ताकि ऐसे साहित्य को खुले रूप में बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके और ऐसे साहित्य को रोकने की कार्यवाही में माता-पिता तथा अध्यापकों को जोड़ा जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र प्रशासनों से विभिन्न प्रकाशनों की समीक्षा में अधिक सतर्क रहने के लिए कहा गया है ताकि जिनमें अश्लील सामग्री हो, उन पर कानून के अधीन प्रभावशाली कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जा सके। अभिभावक और अध्यापक संघ युवा पीढ़ी को अश्लील साहित्य के प्रभाव से बचाने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ।

सीमेंन्ट की उत्पादन-क्षमता, उसका उत्पादन और आयात

502. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में सीमेंट उत्पादन के लिये अधिष्ठापित क्षमता क्या थी और कुल उत्पादन कितना हुआ तथा वर्ष 1978-79 में कितनी मात्रा में सीमेंट का आयात किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि मांग और सप्लाई का अन्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है ; और

(ग) आवश्यकता को पूरा करने के लिये देश में सीमेंट उत्पादन के लिए क्या योजना है और वर्ष 1979-80 तथा 1981 में सीमेंट उत्पादन के लिये कितनी नयी क्षमता और बनाने का प्रस्ताव है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सीमेंट की अधिष्ठापित क्षमता तथा कुल उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन
1977-78	21.87	19.28
1978-79	23.00	19.60

वर्ष 1978-79 की अवधि में 1.67 मिलियन मीट्रिक टन सीमेंट का आयात किया गया था ।

(ख) और (ग) :— वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान 7.76 मिलियन मीट्रिक टन की नई क्षमता के और शामिल किये जाने की आशा है । इस प्रत्याशित क्षमता के उपलब्ध कराये जाने से आशा की जाती है कि देश में सीमेंट की मांग तथा सप्लाई के बीच अन्तर कम हो जायेगा ।

मोटर कार उद्योग के पुनगर्ठन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

503. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर कार उद्योग के पुनर्गठन सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशें क्या हैं और सरकार का उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : मोटर गाड़ी उद्योग विशेषत: ईंधन क्षमता एवं यात्री सुविधाओं के संदर्भ में आवश्यक समकालीन प्रोद्योगिकी के उन्नयन के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं ।

योजना व्यय के कारण आय विषमताओं में वृद्धि

504. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना व्यय के परिणामस्वरूप भारत में आय विषमताओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो योजना व्यय के उपयोग द्वारा आय में अधिकतम एवं न्यूनतम विपमता से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कितनी कटौती हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात को देखने के लिए कभी कोई प्रयास किया है कि इस व्यय का लाभ किस आय समूह को प्राप्त हुआ है और कितना ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान) : **(क) से (घ) तक** देश में आय के वितरण पर योजना व्यय के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। अनेक उपादानों के परिणामस्वरूप आय के वितरण में परिवर्तन होते हैं और इस वितरण पर योजना-व्यय के प्रभाव को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता । विशिष्ट योजनागत कार्यक्रमों के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए अनेक अध्ययन किए गए हैं । परंतु ये कार्यक्रम विशिष्ट आय वर्गों के लिए नहीं हैं, इसलिए आय में सापेक्ष परिवर्तनों का मूल्यांकन इन अध्ययनों में नहीं किया जाएगा ।

भारतीय आर्थिक सेवाओं में नियम 7 को लागू करना

505. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आर्थिक सेवाओं के प्रारम्भ किये जाने के बाद से भारतीय आर्थिक सेवा अधिनियम 1961 के नियम 7 का प्रयोग कितनी बार किया गया और इसके परिणाम स्वरूप इस सेवा में किन-किन व्यक्तियों के नामों को सम्मिलित किया गया है ;

(ख) सेवा में इन व्यक्तियों को सम्मिलित किये जाने के क्या कारण और औचित्य थे ;

(ग) क्या सरकार इस आशय का आश्वासन दे सकती है कि उसके बाद नियम 7 के अधीन कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) भारतीय आर्थिक सेवा नियमावली, 1961 का नियम 7 उक्त सेवा के प्रारंभिक गठन के सम्बन्ध में है। सेवा के प्रारंभिक गठन के पूरा हो जाने के बाद, उक्त नियम को लागू नहीं किया गया है।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस-सिपाही का दर्जा बढ़ाया जाना

506. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें पुलिस-सिपाही का दर्जा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में अवर लिपिक श्रेणी के बराबर है ;

(ख) क्या कम से कम संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस-सिपाही के दर्जे को चतुर्थ श्रेणी से उठाकर अवर श्रेणी लिपिक के बराबर करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) : राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशें

507. **श्री के० टी० कोसलराम** :

श्री दुर्गाचन्द : क्या **गृह मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने अभी तक राष्ट्रीय एकता परिषद् के किसी भी सुझाव को कार्यान्वित नहीं किया है ;

(ख) राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा दिए गये ऐसे सुझावों का संक्षिप्त सार क्या है जिनको राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत तथा कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ग) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने राज्यों में साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए जांच आयोग द्वारा दिये गये सभी सुझावों को कार्यान्वित कर लिया है ; और

(घ) सम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए 1977 से गठित किये गये जांच आयोगों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है और उनकी उन सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण क्या है जिनको सरकार द्वारा राज्यों में अभी तक भी कार्यान्वित नहीं किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय एकता परिषद् जिसकी अन्तिम बैठक जून, 1968 में हुई थी, की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों

को भेज दी गई थी। हमें राज्यों से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि उनके द्वारा इन सिफारिशों में से कोई सिफारिश अस्वीकृत कर दी गई है।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और जब प्राप्त होंगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और पश्चिम जर्मनी की 'सीमन्स' के बीच हुए नए करार

508. **डा० विजय मण्डल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स और पश्चिम जर्मनी के 'सीमन्स' के बीच हाल ही में कोई नये करार हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) करार की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी नहीं ।

(ख) व (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सीमेंट के उत्पादन में गिरावट

श्री एस० एस० सोमानी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत महीनों के दौरान सीमेंट के उत्पादन में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) देश में इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उद्योग के क्षेत्र में देश में कोयले तथा वैगनों की कमी और बिजली के संकट को सीमेंट एककों के और असंतोषजनक कार्य के लिये दोषी ठहराते हैं ;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) से (ङ) जनवरी से जून, 1979 की अवधि में सीमेंट का उत्पादन 95.58 लाख मी० टन हुआ जबकि पिछले 6 महीनों की अवधि में 97.28 लाख मी० टन उत्पादन हुआ था। बिजली कोयला तथा रेलवे वैगनों की कमी जैसे महत्वपूर्ण कारणों का उत्पादन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फिर भी इस मामले की निरंन्तर मोनीटरिंग की जा रही है तथा जब भी आवश्यक होता है वैगनों, कोयला और बिजली की सप्लाई में सुधार करने हेतु रेलवे, कोयला विभाग तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकरणों के

साथ मामले को उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कोयले की जगह कैप्टिव पावर और कहीं तेल का उपयोग करने पर राजसहायता मंजूर करके सीमेंट उद्योग को कुछ रियायतें देने की अनुमति दी है ताकि कोयला और बिजली की कमी के कारण उत्पादन में आने वाली गिरावट को रोका जा सके। वैगनों की कमी होने की स्थिति में सड़क द्वारा सीमेंट भेजने को प्रोत्साहन देने के लिए सड़क द्वारा सीमेंट लाने ले जाने पर आने वाले भाड़े की प्रतिपूर्ति को और उदार बना दिया गया है।

भारतीय रूई निगम को घाटा

510. **श्री एस० एस० सोमानी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय रूई निगम के घाटे को वहन कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि आयातित रूई की खरीद तथा बिक्री में भी गिरावट आई है ; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) भारतीय कपास निगम के सामान्य व्यापार संचालन में होने वाली हानि सरकार द्वारा वहन नहीं की जाती है। केवल भारतीय कपास निगम को सौंपे गये विशिष्ट अधिकरण सम्बन्धी कार्यों के प्रकरण में (जैसा कि वर्ष 1975-76 तथा वर्ष 1976-77 में कपास का बड़े पैमाने पर आयात होने पर हुआ था जब निगम को आयातित कपास देशी किस्मों की कपास के बराबर के मूल्यों पर बेचने के लिए कहा गया था) सरकार हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत हुई थी।

(ख) और (ग) देश में कपास के उत्पादन को देखते हुए वर्ष 1976-77 के कपास मौसम के पश्चात कपास का आयात नहीं किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन

511. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल ने भारत में लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्यन किया है और हाल ही में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) लघु उद्योगों के विकास के बारे में उन्होंने क्या आधारभूत कमियां बताई हैं ; और

(ग) इसमें सुधार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) इस मंत्रालय को किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन किये जाने तथा उसके द्वारा हाल ही में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली पुलिस कर्मचारियों/दिल्ली जेल कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ

512. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्री जनार्दन पुजारी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के लिये और अधिक सुविधाओं की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ये सुविधाएं दिल्ली जेल कर्मचारियों को भी दी जाएंगी ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली जेल कर्मचारियों में असंतोष है तथा उन्होंने यह मांग की है कि उन्हें दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के बराबर लाया जाये ; और

(ङ०) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान् ।

दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं की घोषणा की गई है :—

1. सहायक उप निरीक्षकों, हैड कास्टेवलों और कान्सटेवलों का भोजन भत्ता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2 रु० से बढ़ा कर 4 रु० कर दिया गया है ।

2. उच्च अधीनस्थ कर्मचारियों का यात्रा भत्ता 52.50 से बढ़ाकर 65 रु० प्रतिमास और निम्न अधीनस्थ कर्मचारियों का यात्रा भत्ता 6 रु० से बढ़ाकर 10 रु० प्रतिमास कर दिया गया है ।

3. अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को 10 रु० प्रतिमाह की दर से धुलाई भत्ता स्वीकृत किया गया है ।

4. अराजपत्रित कर्मचारियों को उनकी वर्तमान पात्रता के अतिरिक्त अधिक से अधिक 30 दिन की प्रतिपूरक छुट्टियों की स्वीकृति दी गई है और यदि कार्य की आवश्यकता के कारण इस प्रकार की छुट्टियां स्वीकार करना संभव न हो तो जितने दिनों की छुट्टी अस्वीकार की गई हो, उनके बदले में एक दिन के कुल वेतन (वेतन महंगाई भत्ता अतिरिक्त महंगाई भत्ता) के रूप में प्रतिपूरक अदायगी स्वीकार की जा सकती है, बशर्ते कि ऐसी प्रतिपूरक अदायगी साल में अधिकतम 30 दिन से अधिक न हो ।

5. आशुलिपिकों के लिए सलैक्शन ग्रेड आरंभ किया गया है । आशुलिपिकों के 4 पदों का दर्जा बढ़ा कर 425-700 रु० के वेतनमान में कर दिया गया है ।

6. सुरक्षा यूनिट के उच्च और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए विशेष वस्त्र भत्ते को बढ़ा कर 120 रु० प्रतिमाह कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों (प्रधान मंत्री को छोड़कर) की सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों को 10 रु० प्रतिमाह की दर से आऊट किट भत्ता और प्रधानमंत्री की ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को 15 रु० प्रतिमाह की दर से आऊट किट भत्ता स्वीकार किया गया है । विशेष शाखा के पुलिस सहायक आयुक्त को 850 रु० प्रतिवर्ष की दर से विशेष वस्त्र भत्ता स्वीकार किया गया है ।

7. मलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले पुलिस कर्मचारियों को 7.2 लाख रुपये की प्रारंभिक लागत से मच्छरदानीयां उपलब्ध करायी जाएगी ।

8. दिल्ली पुलिस के वायरलैस आपरेटरों/रेडियो तकनीशियनों को क्रमश: 20 रु० प्रतिमाह और 40 रु० प्रतिमाह की दर दक्षता वेतन ।

9. हैड कांस्टेबल (चालकों) और कांस्टेबल (चालकों) को 20 रु० प्रतिमाह का विशेष वेतन स्वीकृत किया गया है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) और (ङ) : सरकार को दिल्ली जेल कर्मचारियों की समस्या की जानकारी है । उनकी मांगों में एक मांग यह भी है कि उनको पुलिस कर्मचारियों के बराबर समझा जाए । इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है कि उनकी सेवाओं की दशाओं को कैसे सुधारा जा सकता है ।

राज्यों में पुलिस हड़तालों से निपटने के लिये निदेश

513. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री भगत राम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में पुलिस हड़तालों से निपटने के लिये कोई नए निदेश अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) विभिन्न राज्यों में हाल की हड़तालों के दौरान कितने पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार/नजरबन्द किया गया/निलम्बित/सेवा से बर्खास्त किया गया ; और

(घ) कितने कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है ? और कितने अभी भी जेलों में बन्द हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और जैसे ही उन से प्राप्त होगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के टूल रूम प्रशिक्षण केन्द्र में आग

514. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के टूलरूम प्रशिक्षण केन्द्र में दिनांक 10 जून, 1979 को आग लगी थी ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है तथा कुल क्षति कितनी हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि फायर ब्रिगेड नियंत्रक कक्ष ने सम्पर्क स्थापित किये जाने पर इस समाचार की पुष्टि नहीं की है और सम्पति के अनुमानित नुकसान को नहीं बताया ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी हां ।

(ख) (ग) तथा (घ) रविवार 10 जून, 1979 को जब छत के कुछ हिस्सों की वैल्डिंग की जा रही थी, दिल्ली के टूल-रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र में संयोगवश आग लग गई थी । केन्द्र के दो वैल्डरों तथा केन्द्र में चौकीदार ने आग पर काबू पाने की कोशिश की तथा स्थानीय अग्निसमन केन्द्र को सूचित किया । केन्द्र ने तुरन्त कार्रवाई की तथा आग को बुझा दिया । आग के कारण मौटे तौर पर लगभग 10 लाख रु० की क्षति होने का अनुमान है । दिल्ली प्रशासन ने भी इस घटना की न्यायिक जांच करने के आदेश दिये है ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार, और तिरूचिरापल्ली एककों की विस्तार योजना ।

515. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार, और तिरूचिरापल्ली एककों की विस्तार योजना का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी, हां

(ख) इन दो प्रस्तावों की प्रमुख बातें नीचे दी जाती हैं :—

हरिद्वार—इस समय हरिद्वार एकक की क्षमता प्रतिवर्ष 210 मे० वा० के 7 सैटों का उत्पादन करने की है । किन्तु अधिक क्षमता के सेटों और ब्लेडों, या टर्बाइनों पर ओवर स्पीड

टेस्ट करने के लिए कोई निर्माण सुविधाएं नहीं हैं। इस परियोजना का विस्तार कार्य पूरा होने के बाद हरिद्वार एकक की क्षमता प्रतिवर्ष 210 मे० वा० के 6 सेटों और 500 मे० वा० के 4 सेटों का निर्माण करने की हो जायेगी। ब्लेडों का निर्माण करने और टर्बाइनों पर ओवर स्पीड टेस्ट करने के लिए इस उत्पाद-मिश्र को बदला जा सकता है।

तिरूचिरापल्ली—हाई प्रेसर बायलर प्लांट, तिरूचि की वर्तमान क्षमता 2,500 मे० वा० की क्षमता तक के वायलरों और बायलर हाउस सहायक सामान का निर्माण करने के लिए है। विस्तार परियोजना से 500 मे० वा० के बायलरों के निर्माण हेतु क्षमता उत्पन्न होगी और सम्पूर्ण क्षमता 4,000 मे० वा० तक बढ़ जायेगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीपों में जन जातियां

516. **श्री ओमप्रकाश त्यागी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपों में मूल जनजातियों एवं निवासियों की जनसंख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से ऐसी जनजातियों की संख्या क्या है जिनके आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के मामले में सरकार को कुछ सफलता प्राप्त हुई है ;

(ग) उन जनजातियों की संख्या कितनी है जिनके साथ सरकार सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकी अथवा जो अभी भी अपनी पुरानी स्थिति में रह रही हैं ; और

(घ) इन जनजातियों के उत्थान के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) निकोबारी उत्पादक अर्थ व्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। ग्रेट अंडमान निवासियों को स्थायी रूप से बसाया जा रहा है और उनके लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। औंज के एक दल को विकास कार्यक्रमों की परिधि के अन्तर्गत लाया गया है।

(ग) जारवा, सेंटालनियों तथा शोमापन अभी पहले की अवस्था की भांति रह रहे हैं। सेंटलानियों के उग्र हिंसक दल से, संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका है हांलाकि जारवा और शोमपन से कुछ सम्पर्क स्थापित करना संभव हुआ है।

(घ) निम्नलिखित कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं :—

1) डिसपेंसरियां स्थापित करना।

2) अस्पतालों का विस्तार।

3) शिक्षा और बालवाड़ी ।

4) आवास ।

5) फल के बगीचों का विकास ।

6) कम्यूनिटी हाल ।

7) नारीयल वृक्ष रोपण तथा सब्जियों के बाग ।

8) सुअर तथा दुधारू पशु विकास ।

9) औंज बस्तियों का विद्युतिकरण ।

10) उचित दर दुकानें ।

विवरण

1971 की जनगणना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जन जातियों की अलग अलग जनसंख्या :

जनजातियां	1971
1. ग्रेड अण्डेमानी	24
2. जरावा	275*
3. औंज	112*
4. सेन्टीलेनी	82*
5. निकोबारी	17874
6. शोम पैन	92
कुल योग	18,459

*जनगणना संचालन निदेशालय द्वारा आंकलन ।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन

517. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या उद्योग **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों/बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित की जा रही आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण लघु उद्योग क्षेत्र को सौंपने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो उसके नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांण्डीस) : (क) से (ग) संसद के समक्ष 23 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत की गई सरकार की औद्योगिक नीति में केवल लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों, जिनमें माचिस, टूथपेस्ट, लान्ड्री सोप जैसी कुछ आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी शामिल हैं। नीति में यह भी उल्लिखित है कि जहां बड़े एकक (जिनमें बहुराष्ट्रीय एकक भी शामिल है) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन में पहले से ही लगे हुए हैं, उनकी उत्पादन क्षमता में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, इन वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता में इन एककों के भाग को धीरे धीरे कम किया जाएगा तथा लघु क्षेत्र एवं कुटीर क्षेत्र के भाग को बढ़ाया जाएगा।

इस नीति के अनुरूप कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के बड़े उत्पादकों के साथ एक कार्यवाही योजना तैयार करने के लिए बातचीत शुरू की गई है। जिसके द्वारा संगठित क्षेत्र अपनी उत्पादन की गतिविधियां लघु क्षेत्र के लिए छोड़ देगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कम-से-कम व्यतिक्रम होने पाये तथा विद्यमान रोजगार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाये।

महाराष्ट्र में राजसहायता के लिये जिलों का चयन

519. **श्री बी० जी० हांडे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राजसहायता देने तथा उद्योग स्थापित करने के लिये महाराष्ट्र राज्य में तीन जिले चुने हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं तथा उनका जिलावार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के औरंगाबाद, रत्नगिरि तथा चन्द्रपुर जिलों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के लिए पात्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किया है। 30-6-1978 की सूचनानुसार 535 औद्योगिक एककों को 585.71 लाख रुपए की राशि राजसहायता के रूप में बांटी गई थी, बांटी गई राजसहायता का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(लाख रु० में)

जिला	एककों की संख्या	स्वीकृत की गई राजसहायता की राशि
औरंगाबाद	276	380.83
रत्नगिरि	174	138.27
चन्द्रपुर	85	66.61
कुल जोड	535	585.71

महाराष्ट्र में खादी और ग्रामीण उद्योग

520. **श्री वी० जी० हांडे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) महाराष्ट्र राज्य में खादी और ग्रामीण उद्योगों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के प्रत्येक जिले में खादी और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पिछड़े राज्यों को सिंचाई और पेय जल के मामले में सहायता देने संबंधी विशेष कार्यक्रम

521. **श्री वी० जी० हांडे** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पिछड़े राज्यों को सिंचाई और पेय जल के मामले में सहायता देने के बारे में सरकार की एक विशेष योजना है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की उक्त विस्तृत योजना के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है और उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य को भी वित्तीय सहायता दी गई है ; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) पिछड़े राज्यों को सिंचाई और पीने के पानी के लिए सहायता देने का विशेष कार्यक्रम नहीं है। सिंचाई और पानी की पूर्ति राज्य के विषय हैं और इसलिए इन कार्यक्रमों के लिए स्कीमों/परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था और कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय सरकार राज्यों को सामान्य ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता देती है जो किसी विशिष्ट कार्यक्रम परियोजना से संबद्ध नहीं होती है । 1978-83 की योजना के प्रारूप में सूखा-प्रवृत, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में सिचाई परियोजनाओं के कार्यान्वियन पर, तथा ऐसे समस्या वाले गावों में पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है जहां पानी का साधन नहीं है या जहां पानी के साधन में रोगों के उत्पन्न होने की आसंका है ।

तथापि, पीने के पानी के लिए, भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम की वित्त-व्यवस्था करती है जिसका उद्देश्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में परिशोधित

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में समस्या और कठिनाई वाले गांव में पीने के पानी की पूर्ति की सुविधाओं की व्यवस्था करना है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य को त्वरित जल पूर्ति स्कीम के अंतर्गत 1977-78 में 3.13 करोड़ रु० की और 1978-79 में 4.04 करोड़ रु० की सहायता दी गई है।

रायल सीमा में उद्योगों की स्थापना

522. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :—

(क) रोजगार के अवसरों को जुटाने के लिए उत्तर पूर्वी भारत में कौन-कौन से उद्योग लगाए गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रायलसीमा में भी ऐसे ही उद्योग लगायेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) और (ख) इस क्षेत्र में कागज तथा सीमेंट संयंत्र, प्लाईबुड कारखाने, पटसन मिल जैसे बड़े तथा मझोले उद्योग बुनियादी तौर पर स्त्रोतों पर आधारित हैं। स्वभावतः इन उद्योगों में सीधे ही अतिरिक्त रोजगार के अवसर मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। जहां तक बड़े तथा मझोले उद्योग से भिन्न क्षेत्रों का संबंध है, सरकार की भूमिका अधिक सवर्धनात्मक है तथा निजी उद्योगों को वित्त प्रशिक्षण सुविधाएं, तकनीकी सलाह आदि की सहायता दी जा रही है। ऐसा करने के लिए रोजगार.प्रधान योजनाओं को पर्याप्त समर्थन दिया जाता है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों की केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के संबंध में प्राप्त विवरणों से यह पता चलता है कि निजी क्षेत्र में अनेक लघु उद्योग निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं, चावल मिल, मोम बत्ती, फर्नीचर, हस्तशिल्प वस्त्र, छपाई, साबुन, कृषि औजार, बढ़ईगीरी, सिले-सिलाए वस्त्र, बेकरी, हथकरघा, बूल नीटिंग तथा मोटर वाहन मरम्मत वर्कशाप।

आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र में लगभग इसी प्रकार के तथा अन्य क्षेत्रों में लघु एकक स्थापित हो गए हैं।

आंध्र प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करना

523. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **उद्योगमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) आंध्र प्रदेश में कितने जिला उद्योग आरम्भ किए गए है ; और

(ख) इनमें से कितने जिला उद्योग केन्द्रों ने कार्यवाही योजनाएं पेश की हैं ?

उद्योगमंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) ग्यारह जिला उद्योग केन्द्रों ने आंध्र प्रदेश में 1 नवम्बर, 1978 से कार्य करना शुरू कर दिया है। 28.3.1979 को तीन और जिला उद्योग केन्द्रों को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है।

(ख) चार जिला उद्योग केन्द्रों ने कार्रवाही योजनाएं प्रस्तुत की है ।

सौराष्ट्र के सीमेंट कारखाने के लिए कोयले की कमी

524. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सौराष्ट्र के सीमेंट एककों को अप्रैल और मई, 1979 के दौरान कोयले की भारी कमी का सामना करना पड़ा था ;

(ख) क्या बिकानेर में रूफिंग और फ्लोर टाइल्स बनाने वाले 40 प्रतिशत एकक इन महीनों में बन्द हो गये थे ;

(ग) यदि हां, तो सौराष्ट्र में इन सीमेंट एककों को कुल कितनी हानि हुई ; और

(घ) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इन एककों को कोयले की कमी के संकट से मुक्ति पाने में सहायता करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सीमेंट संयंत्रों को अप्रैल तथा मई, 1979 के महीनों में मासिक कोटे से कम कोयला प्राप्त हुआ था ।

(ख) विकानेर के पास स्थित कोई भी रूफिंग टाइल्स एकक कोयले की कमी के कारण पूर्णतया बंद नहीं हुआ है कुछ एककों ने उत्पादन कम कर दिया था जबकि अन्य एककों द्वारा सड़क द्वारा कोयला लाया गया है ।

(ग) चूंकि हानि होने के कई अन्य कारण भी हैं, अतएव, केवल कोयले की ही कमी के कारण हुई हानि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(घ) इन सीमेंट संयंत्रों को कोयले की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए इस मामले में रेलवे तथा कोयला प्राधिकारियों से बातचीत की गई है । इस प्रकार के प्रयोग में ऊंची लागत आने के कारण इन एककों को राजसहायता देकर उन्हें फरनेश तेल का प्रयोग करने की भी अनुमति दी गई है ।

गुजरात में उद्योगों की स्थापना

525. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मूल के विदेशी निवासियों ने गुजरात राज्य में नये एककों की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा कुल कितने उद्योग स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा उनको राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा क्या सुविधाएं दी जायेंगी ;

(ग) ऐसे औद्योगिक एककों की स्थापना कहां की जायेगी ; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए राज्य में कुल कितना खर्च आएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीस) : (क) से (घ) पिछले एक वर्ष के दौरान गुजरात में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए गैर भारतीय प्रवासियों से 5 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उनका व्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	वस्तु जिसके लिए आवेदन किया गया	बताई गई पूंजीगत लागत	स्थापना स्थल
1.	श्री डी० भास्कर डी० पटेल	मिट्टी हटाने के उपकरण	लगभग 9 लाख रु०	अहमदावाद के बाहर गुजरात
2.	श्री जमनादास पटेल	अल्युमिनियम फाइल	4 करोड़ रु०	तहसील भड़ोच गुजरात
3.	श्री आई० वी० नथालिया	प्रक्रियागत निर्मित धागे	30 लाख रु०	-वही-
4.	श्री एच० ताहेरभाई (मे० प्लास्टोमाईट स्ट्क्चरल फोम (प्रा० लि०)	स्ट्क्चरली फोम मोल्डेड आर्टिकिल्स	56 लाख रु०	तहसील वापी गुजरात
5.	-वही-	-वही-	60 लाख रु०	-वही-

उपर्युक्त क्रम सं० 1 और 2 के आवेदन पत्र स्वीकृत हो गए हैं। शेष 3 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

सरकार ने 1976 में भारत में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए गैर-भारतीय प्रवासियों के लिए सुविधाओं की एक उदार योजना की घोषणा की थी जो अभी तक लागू है।

गुजरात में एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना करना

526. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने राज्य में सीमेंट के संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा भी कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है ;

(घ) सीनेन्ट का वार्षिक उत्पादन कितना होगा ; और

(ङ) उत्पादन कब तक प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) से (ङ) दस लाख मी० टन सीमेंट के वार्षिक उत्पादन हेतु एक संयंत्र की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने के बारे में गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड से 28 जून, 1979 को एक आवेदन प्राप्त हुआ है इस परियोजना पर कुल 65 करोड़ रु० आने का अनुमान है वित्तीयन पद्धति में वित्तीय संस्थानों से सहायता की परिकल्पना की गई है । चूंकि आवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है और उस पर अभी विचार किया जाना है इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं होगा कि उत्पादन कब से शुरू होने की सम्भावना है ।

सुम्राखेड़ा में सीमेंट कारखाने की स्थापना

527. डा० **लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मंदसौर जिले (मध्य प्रदेश) के नीमच क्षेत्र में चुना पत्थर के निक्षेप उपलब्ध है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने सुआखेड़ा क्षेत्र के लिए एक सीमेंट कारखाने को मंजूरी दे दी है ;

(ग) क्या संयुक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि कारखाना तुरन्त स्थापित किया जाना चाहिये ; और

(घ) यदि हां, तो आशयपत्र कब तक जारी किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) के नीमच क्षेत्र में चूना पत्थर के निक्षेप उपलब्ध हैं ।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जावद में एक सीमेंट परियोजना की स्थापना के लिए सिफारिश की है ।

(ग) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि० तथा राज्य सरकार के भूतत्व एवं खनन विभाग के अधिकारियों के एक दल ने नवम्बर, 1978 में इस क्षेत्र में किए गए अनुमानित कार्य का संयुक्त अध्ययन किया था । किन्तु इस क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र की तत्काल स्थापना करने के लिए इस दल द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई थी ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा संस्तुत आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है ।

'भास्कर' पर किया गया व्यय तथा तत्संबंधी प्रौद्योगिकी

528. **श्रीमती मृणाल गोरे :**
डा० **बापू कालदाते** : क्या **अन्तरिक्ष मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या 'भास्कर' को सोवियत रूस से छोड़ा गया था ; और

(ख) 'भास्कर' उपग्रह को छोड़ने में कुल कितना व्यय हुआ ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) जी, हां।

(ख) 6.35 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत में से मई, 1979 के अन्त तक 'भास्कर' पर 6.24 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई है। जबकि उपग्रह को सोवियत संघ ने निःशुल्क छोड़ा था।

मणिपुर में सीमेंट और कागज तथा लुगदी कारखाने स्थापित करने के बारे में प्रगति

529. **श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मणिपुर में प्रस्तावित सीमेन्ट तथा कागज तथा लुगदी कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कारखाने आरम्भ करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है; **और**

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कारखाओं की स्थापना में गति लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांण्डिस) : (क) से (ग) : मणिपुर में सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मणिपुर सरकार को वर्ष 1974 में 66,000 मी० टन लुगदी एवं कागज तथा 8250 मी0 टन इन्सूलेटिंग कागज का उत्पादन करने के लिए एकक स्थापित करने हेतु आशय पत्र मन्जूर किये गये थे। किन्तु, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कागज परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अनुकूलतम योजना तैयार करने तक इन परियोजनाओं में निवेश के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये नियतन

530. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर, मेघालय, नागालेंड, त्रिपुरा के छोटे-छोटे राज्य और अरुणाचल और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये अब तक किया गया नियतन इस क्षेत्र की अविलम्बनीय और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं रहा;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र की भावी योजना में इसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर पूर्वोत्तर परिषद् के माध्यम से समन्वय के ढांचे पर पुर्नविचार कर रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान) :—(क) और (ख) विभिन्न राज्यों के लिये योजना के आवंटन निर्धारित करते समय, जो राज्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, उन्हें विशेष श्रेणी के राज्यों में सम्मिलित किया जाता है और कार्यान्वयन की सम्भावनाओं के अनुरूप उनकी तत्कालिक और मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हु; उनकी योजना का आकार निर्धारित किया गया है। चालू पंच वर्षीय योजना में उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल योजना आवंटन की राशि अस्थाई रूप से 1753 करोड़ रु० निर्धारित की गई है। इसके अलावा इस पंच वर्षीय योजना में उत्तर-पूर्वी परिषद् द्वारा समन्वित की जाने वाली विकास स्कीमों के लिए 212 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

(ग) जी, नहीं।

मारुति जांच आयोग में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

531. **श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि मारुति जांच आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद आयोग में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों की उनकी प्रवरता बनाये रखने के विचार से नियुक्ति करने में कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप उनमें असन्तोष व्याप्त है और वास्तविक प्रवरता के अधार पर नियुक्ति किये जाने तक बहुत से अधिकारी छुट्टी पर चले गये है;

(ख) क्या जब वे प्रतिनियुक्ति पर थे उनके मूल विभागों में पदोन्नति के मामले में उनकी उपेक्षा की गई और उनसे कनिष्ठ अधिकारी पदोन्नत कर दिये गये और क्या ऐसे कोई दृष्टांत सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मामले में क्या कार्रवाई की जानी हैं; और

(घ) क्या सरकार विशेष न्यायालयों, विभिन्न आयोगों, आदि में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले अधिकारियों को आश्वासन नहीं देती कि उनकी प्रवरता को प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसे कोई मामले नहीं आये है। तथापि प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों के हितों का आम तौर पर उनके मूल संगठनों में सम्बन्धित सवर्ग प्राधिकारियों द्वारा संरक्षण किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठया।

मिजोरम में भूमिगत तत्वों द्वारा हिंसा को बढ़ावा दिया जाना

532. **श्री रुडोल्प रोड्रिग्स :**
श्री अमर राय प्रधान :
श्री जी एस तोहरा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मिजोरम में भूमिगत तत्वों द्वारा हाल में हिंसा फैलाये जाने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस बढ़ती हुई हिंसा के कारणों को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह **मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (ग) : जून, 1979 को मिजोरम नेशनल फ्रंट ने सभी गैर मिजों को "मिजोरम छोड़ो नोटिस" जारी किया था। नोटिस में सभी गैर मिजो को 1 जुलाई, 1979 तक मिजोरम छोड़ देने को कहा गया था इस नोटिस के अनुसरण में एम एन एफ के कुछ भूमिगत शस्त्रधारियों ने तारीख 13 जून, 1979 को मिजोरम पी डब्ल्यू डी के सब डिवीजनल अधिकारी श्री आर सी० चौधरी का अपहरण किया और उन्हें मार दिया। 23 जून को एम एन एफ के भूमिगतों ने सेतूल में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में मिजोरम पुलिस गार्ड पर गोली चलाई जिसके कारण एक कान्सटेबल को चोटें आई तारीख 1 जुलाई 1979 को कोलंशिव में घटी एक अन्य घटना में केन्द्रीय रिर्जव पुलिस के दो जवान मारे गए और दो जख्मी हुए। इसके अतिरिक्त मिजोरम में चार अन्य हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें एम एन एफ के भूमिगतों ने सुरक्षा दलों पर गोली चलाई हांलाकि सोभाग्यवश जान हानि की कोई सूचना नहीं है।

मिजोरम के मुख्य मंत्री के साथ विचार विमर्श पर सुरक्षा के उपाय और अधिक कड़े कर दिए गए है और रक्षा मंत्रालय के साथ पराम र्श से स्थिति से सुदृढ़ता से निपटने के लिए सुरक्षा दलों की संख्या में उचित रूप से वृद्धि की गई है। मिजोरम में सुरक्षा दलों द्वारा कार्रवाई को स्थगित करने के आदेश रद्द कर दिए गए है। मि० ने० फ्र० और इसके सहायक संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम, 1967 के अधीन 7 जुलाई को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है।

दंगों के बाद लापता अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र

533. **श्री राम सागर :**

श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कितने छात्र वहां हुये दगों के बाद अब तक लापता हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनका पता लगाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) तथा (ग) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार एम. बी. बी. एस. चतुर्थ वर्ष का छात्र और विश्व-विद्यालय के हादीहसन हाल का निवासी केवल एक छात्र नामतः श्री हरविन्द्र पाल सिंह, लापता है। यह छात्र अप्रैल, 1979 के मध्य से छात्रावास/कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो रहा था। 30 मई 1979 को अलीगढ़ के सिविल लाईन्स पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई है और जांच पड़ताल की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में लघु सीमेन्ट संयन्त्रों की स्थापना करना

534. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :—

(क) क्या सरकार की गत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में लघु सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने की योजना थी और यदी हां, तो क्या इन दो वर्षों में प्रतिवर्ष इस संबंध में नियत वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश में 1979-80 के दौरान कितने लघु एकक स्थापित किये जाने हैं और इनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर की जानी है;

उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नांण्डिस : (क) सरकार, सीमेंट की कमी को दूर करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सहित देशभर में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने को प्रोत्साहन दे रही है। किन्तु, मिनी सीमेंट संयंत्रो की स्थापना करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। यह इस हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्भर करेगा।

(ख) उत्तर प्रदेश, देहरादून में मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु दो पार्टियों ने तकनीकी विकास के महानिदेशालय में अपने नाम पंजीकृत कराये हैं।

"काप डिटेंस डाक्टर ; रो ओवर लिफ्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

535. **श्री के० ए० राजन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जून, 1979 के "पैं ट्रियट" काप में डिटेस डाकर; रो ओबर लिफ्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) इस मामले में दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

1978-79 की योजनावधि के दौरान धन लगाने के लिए रेलवे कार्य दल की सिफारिशें

536. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा 1977 में गठित रेलवे कार्य दल ने रेलवे में योजनावधि 1978-83 के दौरान 5,330 करोड़ रुपये लगाये जाने की सिफारिश की थी ;

(ख) इस सिफारिश के प्रति योजना आयोग द्वारा किया गया नियतन क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा किए गए इन नियतनों पर पुन:विचार के लिए दूसरा कार्य दल को गठित किया है ;

(घ) यदि हां, तो कब और क्या दल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं ;

(ङ) यदि हां, तो इस दल की क्या सिफारिशें हैं और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिए गए हैं ; और

(च) यदि नहीं तो कार्यदल कब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान) : (क) जी, हां।

(ख) 3350 करोड़ रु० ।

(ग) जी, हां।

(घ) पुर्नगठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नही की गई है।

(ङ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(च) कार्यकारी दल के अपनी सिफारिशें जल्द ही प्रस्तुत कर देने की आशा है।

हरिद्वार में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा जनित्रों का निर्माण

537. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को उसके हरिद्वार संयंत्र में 200 मेघावाट और 500 मेघावाट जनित्रों के निर्माण की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें किसी अन्य विदेशी फर्म के साथ तकनीकी सहयोग सम्मिलित है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इसमें जनित्रों के डिजाइन में मूलभूत परिर्वतन करना पड़ेगा जिस कार्य को भारतीय हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अभी तक कभी नहीं किया है ।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) कोई नया तकनीकी सहयोग सम्मिलित नहीं है । अगस्त, 1976 में सीमेंस की एक सहायक कम्पनी, क्राफ्टवर्क यूनियन के साथ हुए वर्तमान सहयोग करार से आवश्यकता पूरी हो जाएगी ।

(घ) हालांकि बी० एच० ई० एल० 210 मेघावाट क्षमता तक के जेनरेटरों का निर्माण करने में अभ्यस्त है, 1981 में पहली बार यह 500 मेगावाट के जेनरेटर का निर्माण करेगा। अब तक बी० एच० ई० एल० द्वारा बनाये जा रहे डिजाइनों की तुलना में क्राफ्टवर्क यूनियन के डिजाइन में बिशिष्ट सुधार हुआ है और इसलिए यह नये सुधारे हुए डिजाइन से शीघ्र अभ्यस्त हो जायेगा क्योंकि यह क्राफ्टवर्क यूनियन के साथ सहयोग करार के अन्तर्गत जेनरेटरों का निर्माण करता है ।

करुणामूलक आधार पर नियुक्ति

538. **श्री अनन्त दवे** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, करुणामूलक आधार पर रोजगार देने के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों का कुछ मन्त्रालयों/विभागों द्वारा उल्लघंन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्वन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या करुणामूलक आधार पर दी गई नौकरी को मनगढ़न्त आधार पर कुछ विभागों द्वारा समाप्त किये जाने की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है,

(घ) क्या ऐसे मामलों में उन्हें रोजगार देने के लिए पुनरीक्षित आदेश जारी करने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं तो क्यों ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख) तथा (ग) ऐसे कोई मामले सरकार की जानकारी में नहीं आए हैं।

(घ) **तथा** (ङ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

हाल ही में मूल्य वृद्धि के कारण योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

539. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या हाल ही में हुई मूल्य वृद्धि के कारण योजना को अन्तिम रूप देने में बिलम्ब हुआ है ;

(ख) योजना आयोग की मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) योजना को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान) : (क) और (ग) जी, नहीं। योजना को अन्तिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है और योजना के अन्तिम दस्तावेज़ को अगले महीने राष्ट्रीय विकास परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

(ख) इनमें ये उपाय शामिल हैं—मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज की दरों में वृद्धि, वाणज्यिक क्षेत्र को विशेष रूप से सट्टे बाजारी के लिए भंडार के संचयन के लिए बैंक के ऋण में वृद्धि पर रोक, केन्द्रीय सरकार के अविकासात्मक व्यय में कमी, आवश्यक आम उपयोग की वस्तुओं—खाद्यान्न, चीनी, खाने का तेल और सामान्य कपड़ा, आदि, की कीमतों को उचित स्तर पर बनाये रखना, आदि।

पटसन आयुक्त द्वारा अपना पद त्यागा जाना

540. **श्री सौगत राय** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत सरकार के पटसन आयुक्त ने अपना पद त्याग दिया है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं।

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में परिवर्तन के बारे में उद्योगपतियों की समिति का प्रतिवेदन

541. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग मन्त्री** एकाधिकार तथा निबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में परिवर्तन के बारे में उद्योगपतियों की समिति के प्रतिवेदन के बारे में 5 फरवरी,

1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9290 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने इस बीच प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय क्या है ?

उद्योग मन्त्री (**श्री जार्ज फर्नाण्डिस**) : (क) तथा (ख) उद्योगपतियों की समिति के प्रतिवेदन की सरकार द्वारा जांच की जा रही है । प्रतिवेदन में निहित विभिन्न सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

औद्योगिक कानूनों की खामियों को दूर करने के लिए व्यापक विधेयक

542. **श्री चित बसु** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक कानूनों और खामियों को दूर करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) तथा (ख) सरकार उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन करने के साथ-साथ लघु उद्योगों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है फैक्ट्री "नई वस्तु" "पर्याप्त विस्तार" इत्यादि शब्दों को परिभाषा में पुनः संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है । इसके साथ-साथ उद्योगों में रुग्णता दूर करने के लिए प्रस्तावित संशोधन भी हैं । यह भी प्रस्ताव है कि अधिनियम के दण्डनीय उपबन्धों को ओर अधिक कठोर बनाया जाए ।

कार के मूल्यों में बृद्धि और मोटरकार उद्योग का अधिग्रहण

543. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) कार के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही ;

(ख) यदि हां, तो इन मूल्यों को कम से कम स्थिर कर देने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ;

(ग) क्या सरकार ने मोटरकार उद्योग को अधिग्रहीत करने तथा इसको पुनर्गठित करने का विचार अंतिम रूप से त्याग दिया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : **(क) तथा (ख)** यात्री कारों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है । निर्माताओं ने यह श्रेय दिया है कि कच्चे माल, हिस्सों

पुर्जों, शुल्कों तथा अन्य लेवियों की लागत बढ़ने के कारण ही समय-समय पर यात्री कारों के मूल्यों में वृद्धि की गई है। अत्यावश्यक निदेशों की मूल्य स्थिरता के उपायों से आशा है कि यात्री कारों के मूल्यों पर उनका असर पड़ेगा।

(ग) तथा (घ) मोटरगाड़ी उद्योग विशेषतया ईंधन क्षमता तथा यात्री सुविधाओं के संदर्भ में आवश्यक समकालीन प्रौद्योगिकी के उन्नमन के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। मोटरगाड़ी उद्योग को अधिकार में लेने का कोई फैसला नहीं किया गया है।

लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशें

544. **श्री चित्त बसु : क्या उद्योग मंत्री** लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशों के बारे में 28 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5165 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सिफारिशों की जांच इस बीच पूरी हो गई है।

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस): (क) (ख) और (ग) :—लघु उद्योग बोर्ड की प्रमुख सिफारिशें जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकरण, लघु उद्योगों के लिये विधान बनाने, लघु क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने के लिए शीघ्र एजेन्सी का सृजन, कच्चे माल का आवंटन एवं वितरण तथा लघु उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन में सहायता करने के सम्बन्ध में थी।

कच्चे माल का आवंटन तथा वितरण लघु क्षेत्र के लिये विपणन सहायता देने के संबंध में दी गई सिफारिशें तो स्वीकृत कर ली गई है उनका कार्यान्वयन हो रहा है किन्तु लघु उद्योग के लिये विधान बनाने से सम्बन्धित सिफारिशों पर उच्चस्तर पर विचार किया जा रहा है। संसद के वर्तमान सत्र में ही विधान को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

जहां तक लघु तथा टाइनी क्षेत्र के लिये वित्तीय व्यवस्था करने तथा ऋण की मानीटरिंग करने हेतु एक शीर्ष एजेन्सी की स्थापना के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक कार्य कारी दल का गठन किया है, जिसमें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, विकास आयुक्त (हथकरघा), विकास आयुक्त (लघु उद्योग) भारत सरकार तथा स्टेट बैंक आफ इन्डिया को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कार्यकारी दल के विचारार्थ विषयों के अनुसार उसे लघु क्षेत्र के लिए एक शीर्ष एजेन्सी की स्थापना करने विषयक प्रस्ताव तथा इस प्रकार के निकाय का गठन किये जाने की आवश्यकता बताने विषयक प्रस्ताव की जांच करना है। विषयगत अन्य सिफारिशों के सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने सभी परिपत्रों, आवेदनों के कार्यों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक विवरणिका निकालने का निश्चय किया है जिसे बैंकों के उपप्रबन्धकों तथा जिला उद्योग केन्द्रों को भेजा जायेगा। इसके अलावा

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक मासिक समाचार पत्रिका निकालने की योजना भी बना रहा है जिसमें सरल भाषा में लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों से सम्बन्धित परिपत्रों को प्रकाशित किया जायेगा ताकि हर व्यक्ति उसे समझ सके और इस पर अमल करे।

जिला उद्योग केन्द्र योजना सरकार की औद्योगिक नीति को कार्यान्वित करने हेतु एक महत्वपूर्ण अंग बन गयी है। 346 जिला उद्योग केन्द्रों के लिए स्वीकृत दी जा चुकी है, तथा देश के शेष जिलों के लिये शीघ्र ही जिला केन्द्रों की स्वीकृत दिये जाने की संभावना है। छठी योजना-वधि में इस कार्यक्रम के चलते रहने की संभावना है। जिला उद्योग केन्द्रों के लिये स्वीकृत किये गये विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती का काम पूरा करने के प्रयास भी किये जा रहें हैं।

देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लघु कुटीर, एवं ग्रामोंद्योगों के विकास का सवंधन करने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं व जिसके लिए अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की एक विशेष स्थायी समिति का गठन कर दिया गया है। स्थायी समिति की पहली बैठक मई 79 में शिलांग में हुई थी और आगामी बैठक को अगस्त 1979 के दूसरे सप्ताह में करने का विचार किया गया है।

जिला उद्योग केन्द्रों की उपयोगिता

545. **डा० रामजीत सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने जिला उद्योग केन्द्रों की उपयोगिता के बारे में सन्देह प्रकट किया है।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : जी नहीं। जिला उद्योग केन्द्रों की उपयोगिता के बारे में योजना आयोग ने कोई सन्देह प्रकट नहीं किया है।

पुलिस कर्मियों द्वारा संघ (एशोसियेशन) की स्थापना

546. **डा० रामजी सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार पुलिस कर्मियों द्वारा अपना संघ (एशोसियेशन) स्थापित करने के अधिकार को मान्यता देती है और क्या सरकार का विचार पुलिस कर्मियों को हड़ताल करने का अधिकार भी देने का है; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) पुलिस कर्मियों को पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबंध) अधिनियम 1966 के उपबन्धों के अन्तर्गत संघ बनाने का अधिकार दे दिया गया है बशर्ते कि संबंधित सरकार इसकी अनुमति दे।

6 जून, 1979 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भी इस मामले पर विचार विमर्श किया गया जिसमें यह सहमति हुई कि निम्नलिखित मार्ग दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राज्यों द्वारा संघों को मान्यता दी जानी चाहिए।

1. सदस्यता केवल सेवारत पुलिस कर्मियों तक सीमित होगी। बाहर का कोई व्यक्ति चाहें वह सरकारी कर्मचारी हो अथवा नहीं, सदस्यता अथवा संघ के पदाधिकारी के रूप में कार्य करने अथवा किसी सलाहकार या अन्य क्षमता से इससे सम्बद्ध होने का पात्र नहीं होगा।

2. सदस्यों को हड़ताल करने, अथवा अपनी सेवाएं उपलब्ध न कराने अथवा किसी प्रकार से अपने कर्तव्यों के पालन में बिलम्ब करने का अधिकार नहीं होगा।

3. संघ अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आन्दोलन अथवा किसी प्रकार के बल प्रयोग का सहारा नहीं लेगा।

4. संघ कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे बल की कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़े अथवा इसके अनुशासन को क्षति पहुंचे।

5. संघ पूर्व रूप से गैर राजनैतिक होगा और किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं होगा।

कलकत्ता तथा मद्रास में हथकरघा विकास के लिए प्रदर्शनियां

547. **श्री दुर्गा चन्द : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कलकत्ता और मद्रास में भारत सरकार के हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा हाल ही में प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इन पदर्शनियों में हथकरघा कपड़े की बिक्री का ब्यौरा क्या है और उनमें कुल कितने रुपये की बिक्री हुई थी; और

(ग) देश तथा विदेश में ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिये क्या अग्रेतर कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) जी हां। पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग में हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय ने फरवरी—मार्च, 1979 में कलकत्ता में नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया था। हथकरघा विकास आयुक्त ने अप्रैल—मई, 1979 में अखिल भारतीय हथकरघा प्रदर्शनी, मद्रास, में भाग लिया।

(ख) कलकत्ता प्रदर्शनी में 2.20 करोड़ रुपये के हथकरघा वस्त्रों की बिक्री हुई। मद्रास के तो बिक्री का प्रश्न ही नहीं उठता था क्योंकि हमने वहां पर केवल हैंडलूम थीम पेविलियन ही लगाया था। प्रदर्शनी में कोजापटेक्स ने बिक्री आयोजित की थी जो 1 करोड़ रुपये से अधिक की हुई थी।

(ग) चालू वित्त वर्ष में देश के विभिन्न भागों में हथकरघा एक्सपों तथा मेले आयोजित करने का प्रस्ताव है । एक अथवा दो अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भाग लेने का भी हमारा विचार है।

राज्यों को विकास प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदानों में कमी

548. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या योजना आयोग के माध्यम से राज्यों को विकास प्रयोजनों के लिए वर्ष 1978-79 की तुलना में वर्ष 1979-80 में दिये गए विवेकाधीन अनुदानों में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के मामले में कितनी कमी हुई है;

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि अनुदानों में उक्त कमी के कारण राज्यों में विकास प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का स्थिति से कैसे मुकाबला करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़जलुर्रहमान) : **(क)** योजना आयोग के जरिये राज्य योजनाओं के लिये वितरित की गई केन्द्रीय सहायता में 1978-79 की तुलना में 1979-80 में कुछ कमी हुई है। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित कुछ वस्तुपरक सिद्धांतों के आधार पर ही राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है । इस प्रकार राज्यों को केन्द्रीय सहायता आवंटित करने में योजना आयोग के पास अपना निर्णय करने को बहुत कम गुंजाइश रह जाती है ।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए 1979-80 के लिये विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इसलिए इस समय हरेक राज्य के मामले में कमी की सीमा को बताना संभव नहीं है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1979-80 में राज्यों को केन्द्रीय करों और शुल्कों का काफी अधिक अवक्रमित भाग प्राप्त होगा, जिससे वे विकास के लिये संसधानों का विनिवेश कर सकेंगे । इसलिए राज्यों में विकास की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

लघु उद्योग के लिये आरक्षित वस्तुएं

549. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नई औद्योगिक नीति घोषणा के अन्तर्गत हाल ही में लघु क्षेत्र में उत्पादन हेतु भारतीय वस्तुओं की संख्या बढ़ाकर 807 कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें हाल ही में ऐसा प्रस्ताव किया है कि भारत सरकार के विभागों और सरकारी उद्योगों द्वारा पूर्णतया खरीद वस्तुओं की संख्या भी बढ़ाकर 807 कर दी जानी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) (क) जी, हां। लघु क्षेत्र में उत्पादन हेतु आरक्षित वस्तुओं की संख्या अप्रैल, 1978 में बढ़ाकर 807 कर दी गई थी।

(ख) तथा (ग) जी नहीं।

पश्चिम बंगाल के लिए आशयपत्र/लाईसेंस देने के लिए आवेदन पत्रों का नामंजूर किया जाना

550. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल से आशयपत्रों/लाईसेंसों के लिए दिये गये कितने आवेदनपत्र भारत सरकार ने नामंजूर किये/वस्तुओं के निर्माण के लिये दे दिए ;

(ख) पश्चिम बंगाल से आशयपत्रों/लाईसेंसों के लिए कितने आवेदनपत्र भारत सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हुये हैं।

उद्योग मंत्री (श्री आर्ज फर्नाण्डिस) (क) 1.1.1978 से 30.6.1979 की अवधि में प्राप्त कुल 148 आवेदनों में से 37 आवेदन नामंजूर किए गए थे। नामंजूर किए गए आवेदन पत्र इस्पात उत्पादों, दवाईयों तथा औषधियों रसायनों, औद्योगिक गैसों, स्टैकरें, रिक्टमेमरों, कन्वेयर प्रणालियों, प्लास्टिक की वस्तुओं, चमड़े की वस्तुओं, लचीली रेल क्लिपों तथा क्लैम्पों रोगनों तथा वाछबिशो, सिंथेटिक रेजिनों, साईकल का रिमों, गलनेनिस्ड हैमिल्टन पोलों, माइका तथा माइका पेपर, विद्युतआकरणों केबलों तथा आटोमोबाईल की आनुषंगिक वस्तुओं तथा पोलिएस्टर रेशों से सम्बन्धित हैं।

(ग) 1.7.79 को औद्योगिक लाईसेंसों से सम्बन्धित पश्चिम बंगाल के बारे में 46 आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हुए थे, तथा विचार किये जाने की विभिन्न अवस्थाओं में थे।

पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या और कच्चे माल का नियतन

552. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) 1977 और 1978 में देश में पंजीकृत लघु उद्योग एककों की राज्यवार संख्या कितनी थी ;

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक राज्य को कितने मीट्रिक टन कच्चे माल का नियतन किया गया ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को वास्तव में कितना कच्चा माल प्राप्त हुआ।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) (क) 1977 तथा 1978 में देश में पंजीकृत लघु एककों के संलग्न विवरण के अनुसार राज्य वार संख्या सभापटल पर रखी जाती है।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 1977-78 में लोह तथा अलोह किस्म के अधिकांश माल की कमी नहीं थी तथा कोई आवंटन प्रक्रिया प्रचलित नहीं थी। सरकार ने वर्ष 1978-79 में यह निर्णय लिया था कि लघु एककों को प्रभावी रूप से इस्पात सामग्री का वितरण करने के लिए प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग निगमों को एकल अभिकरण बना दिया जाए। तदानुसार इस्पात तथा खान मंत्रालय द्वारा गत वर्षों की सर्वोत्तम खरीद के आधार पर सम्बन्धित राज्य लघु उद्योग निगम को अधिकांश किस्म की इस्पात सामग्री आबंटित कर दी गई थी। 1978-79 में लोहे तथा इस्पात का किया गया आबंटन तथा विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त मात्रा की जानकारी, जो विवरण-11 में दी गई है, सभा पटल पर रखी जाती है।

रासायनिक कच्चे माल के प्रकरण में सरकार राज्यों को केवल भेढ़ की चर्वी पैराफिन फोम का आर्बटन कर रही है। वर्ष 1977 तथा 1978 का भेढ़ की चर्वी/रसायुक्त अम्ल का राज्य-बार आबंटन तथा राज्यों द्वारा उठायी गई भेढ़ की चर्वी की मात्रा विवरण 111 तथा 1141 में दी गई है तथा जो सभापटल पर रखी जाती है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4605/79)

सोवियत संघ से भारी जल का आयात

553. **श्रीमती आहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अविलम्ब आवस्यकताओं को पूरा करने के लिये सोवियत संघ से अब तक कुल कितना भारी जल आयात किया गया है और कितना आयात किये जाने की आशा है ?

परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : हमने 1972 में सोवियत संघ से 80 मीटरिक टन भारी पानी का आयात वाणिज्यिक शर्तों पर किया था। सन् 1976 में हुए एक अनुबंध के अनुसार राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के लिए सोबियत संघ से 200 मीटरिक टन भारी पानी और प्राप्त किया गया है। सोवियत संघ से 200 मीटरिक टन भारी पानी और आयात करने के लिए बातचीत चल रही है।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स द्वारा पश्चिम बंगाल में दो एककों की स्थापना करना

554. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा छटी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में दो एककों—एक 'सर्विसिज' एकक तथा दूसरा निर्माण एकक की स्थापना करने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांण्डिस) (क), (ख) तथा (ग) पश्चिम बंगाल में बी० एच० ई० एल० के किसी नये निर्माण एकक की स्थापना करने की इस समय कोई योजना नहीं है। फिर भी, बी० एच० ई० एल० के नये एककों और विस्तार प्रस्तावों के बारे में एक अध्ययन दल विस्तार से जांच कर रहा है। इस प्रकार की योजनाओं की जीव्यता के बारे में एक बार निर्णय हो जाने पर एककों के अति उपयुक्त स्थापना स्थल के एक प्रश्न पर विचार किया जायेगा। पश्चिम बंगाल में बी० एच० ई० एल० के एक सर्विसिंग एकक की स्थापना के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सिवाय बड़ी मरम्मत के मामले में, जो निर्माण संयन्त्रों में की जाती है जहां उपयुक्त सुविधायें उपलब्ध हैं, विद्युत केन्द्र उपकरणों की सर्विसिंग अधिकाँशतः स्थल पर ही की जाती है।

जांच-अधिकरणों की कार्यप्रणाली की जांच के लिए नियुक्त की गई समिति

555. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** :
श्री निहार लास्कर :
श्री ए० आर० बद्रीनारायण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आसूचना तथा जांच अधिकारणों की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए केन्द्र द्वारा नियुक्त की गई उच्च स्तरीय समिति ने उनकी कार्य प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से शाह आयोग के अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को पेश कर दी हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने उसकी सिफारिशों पर बिचार कर लिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) सरकार ने शाह आयोग को पहली दो अन्तरिम रिपोर्टों में दी गई टिप्पणी को देखते हुए आसूचना ब्योरो तथा केन्द्रीय जाँच ब्योरो की कार्यविधि की समीक्षा करने तथा लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय हित में उनके यथोचित कार्य करने एवं नागरिकों को आंतकित करने से रोकने के लिए यथेष्ट उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की है जिसमें श्री एल० पी० सिंह (उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्यपाल) अध्यक्ष एवं श्री एम० एम० एल० हुआ (अवकाश प्राप्त निर्देशक, आसूचना ब्योरो), श्री डी० पी० कोहली (अवकाश प्राप्त निर्देशक केन्द्रीय जांच ब्यौरो) सदस्य और श्री बी० एस० राघवन (अतिरिक्त सचिव, कृषि व सिंचाई मंत्रालय) सदस्य सचिव हैं।

(ख) से (ङ) तक : समिति ने 19-6-79 को अपरी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है। इसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

हरिजनों के लिए होस्टल

556. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार छात्रों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये जिला मुख्यालयों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में और अधिक हरिजन होस्टल खोलने की बढ़ती हुई मांग से आवगत है ?

गृह मंत्रालत में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) भारत सरकार, अनुसूचित जाति और विशेष रूप से अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिये छात्रावास की मांग को महसूस करती है। अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिये एक केन्द्र प्रायोजित योजना अब कई वर्षों के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को उनके प्रस्तावों के लिए धन दिया जा रहा है। 1977-78 में इस योजना के अन्तर्गत 45 लाख रुपये का व्यय हुआ, 1978-79 में 50 लाख रुपये दिये गये और चालू वित्तीय वर्ष के लिये 100 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया है। अनुसूचित जातियों के लिये कन्या छात्रावास का निर्माण आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा चुने गए स्थानों पर किया जाता है। केन्द्र प्रायोजित योजना के अतिरिक्त अधिकतर राज्य सरकारों की अनुसूचित जाति की लड़कियां और लड़कों के लिये छात्रावासों के निर्माण की अपनी अपनी योजनायें हैं ?

सीमा सुरक्षा बल सहित पुलिस बल में हरिजनों की प्रतिशतता

557. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल सहित पुलिस बल में काम कर रहे हरिजनों की प्रतिशतता कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पुलिस स्टेशनों में हरिजन थाना इन्चार्ज

558. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरिजनों और आदिवासियों पर आक्रमण की बढ़ती हुई घटनाओं की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में एक हरिजन थाना इन्चार्ज या सहायक थाना-इन्चार्ज तैनात करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : जी नहीं, श्रीमान्।

श्रेणी तीन और चार के पदों के लिये आयु सीमा

559. **श्री दया राम शाक्य :** क्या गृह मंत्री श्रेणी तीन और चार के पदों के लिये आयु सीमा के बारे में 18 अप्रैल 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7458 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवालय और अधीनस्थ सेवाओं में श्रेणी तीन और चार के पदों के लिये आयु सीमा बढ़ा कर 28 वर्ष करने के प्रस्ताव की इस बीच जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) मामले को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने और आदेश जारी कर दिये जाने की आशा है ।

दिल्ली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध झूठे मामले बनाना

560. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **गृह मंत्री** दिल्ली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध झूठे मामले बनाने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 9211 दिनांक 2 मई, 1979 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो मामलों के बारे में जांच इस बीच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस डी० पाटिल) : (क) और (ख) (1) एक लाला जिसकी जांच का आदेश पी० पी० आर० 16.38 (1) (क) के अनुसार दिया गया था उस पर उत्तरी जिले के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की देखरेख के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन की जा रही जांच कार्यवाही पूरी होने तक कार्यवाही रोक दी गई है । जब जांच कार्यवाही पूरी कर ली है । यह पाया गया है कि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी । पी० पी० आर० 16.38 (1) (क) के अधीन जांच पुनः शुरू कर दी है ।

(2) दूसरी जांच के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता न्यायालय में चला गया है और आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने अवैध गिरफ्तारी और गैर कानूनी नजरबन्दी की है । न्यायालय ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और पढ़ने पर रिपोर्ट दायर की है । दिल्ली पुलिस ने सूचना दी है कि पी० पी० आर० 16-38 (1) (क) के अधीन भी जांच पूरी कर ली है और आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं ।

मिजोरम में दंगों में मारे गये लोग

561. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम में हाल के दगों में कितने गैर-मिजो लोग मारे गये थे और क्या उनके निकट सम्बन्धियों को कोई मुआवजा दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मिजोरम में व्याप्त तनाव को ध्यान में रखते हुए वहां से गैर-मिजो लोगों को अन्यत्र ले जाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) मिजोरम से अब तक कितने गैर-मिजो लोगों को अन्य स्थानों पर भेजा गया हैं और इस बारे में उन्हें क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) **और** (ख) मिजोरम में एम० एन० एफ० द्वारा हाल में की गई हिंसक घटनाओं में 3 गैर-मिजो मारे गये । इसमें पी० डब्ल्यू डी का एक सब डिवीजनल अधिकारी भी है जो 13-6-79 को मारा गया था और तारीख 1 जुलाई, 1979 को कोलोसिब में सब-डिवीजनल अधिकारी के घर पर गार्ड ड्यूटी पर तैनात केन्द्रिय रिजर्व पुलिस दल के दो काश्टेबल भी शामिल थे । मिजोरम सरकार ने सब डिवीजनल अधिकारी के परिवार को 5000 रु० अनुग्रहपूर्वक अनुदान और केन्द्रिय रिजर्व पुलिस दल के प्रत्येक कान्सटेबल को 10,000 रु० का अनुग्रहपूर्वक अनुदान देने की घोषणा की है ।

(ग) और (घ) संघ शासित क्षेत्र प्रशासन मिजोरम में रह रहे सभी गैर मिजो की जान माल की सुरक्षा के लिये आवश्यक कदम उठा रहा है । अतः स्वदेश लौटाने का प्रश्न नहीं उठता । तथापि लगभग 500 व्यक्तियों को उनके अनुरोध पर पुलिस संरक्षण में कछार जिले में ले जाया गया है ।

मृत्यु दण्ड की समाप्ति

562. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मृत्यु दण्ड की सजा के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ख) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव के अनुसार मृत्यु दण्ड को समाप्त करने का भारत सरकार का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) भारत के मुख्य न्यायाधीश से मृत्यु दंड समाप्त करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक 1978 जैसा राज्य सभा द्वारा 23-11-78 को पारित किया गया है और इस सदन के विचाराधीन है का उद्देश्य धारा 302 (हत्या के लिए दंड) संशोधन करना है ताकि यह व्यवस्था की जाए कि हत्या के लिए सामान्य दंड आजीवन कारावास हो और कुछ गम्भीर परिस्थितियों में मृत्युदंड की सजा देना न्यायालय के विवेक पर होगा । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 की उप धारा (3) के साथ पठित प्रस्तावित धारा

302 जब वह कानून बन जायेगी जिसमें अपेक्षा होगी कि यदि मृत्यु दंड दिया जाए तो न्यायाधीश द्वारा उसके लिए विशिष्ट कारण देने होंगे, का प्रभाव यह होगा कि हत्या के अपराध में सामान्य सजा आजीवन कारावास की होगी और मृत्यु दंड एक अपवाद होगा ।

गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में निवेश की दर

563. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी एवं सरकारी क्षेत्र में निवेश की दर गत दो वर्षों से उत्साह जनक नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) विशेषरूप से उद्योगों में उत्पादन तथा रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक निवेश अन्तः प्रेरित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़जलुर्रहमान) : (क) जी, नहीं । योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार निवेश की दर (वर्तमान बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में सकल पूंजी निर्माण) निजी क्षेत्रक में 1977-78 में 13.09 से बढ़कर 1978-79 में 13.68 हो गई और सरकारी क्षेत्रक में 1977-78 में 9.59 से बढ़कर 1978-79 में 10.40 हो गई ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) छठी योजना के प्रारूप में प्रस्तावित कुल निवेश 1977-78 की कीमतों पर 1,05,900 करोड़ रु० है । इससे पांचवीं योजना में प्रस्तावित निवेश से पर्याप्त वृद्धि स्पष्ट होती है । निवेश दर के 1977-78 में 18.9 प्रतिशत से बढ़कर 1982-83 में 23.9 प्रतिशत हो जाने की आशा है ।

सरकारी क्षेत्रक में निवेश के बढ़े हुए स्तर को वार्षिक योजनाओं के साधन और व्यवस्था के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है ।

योजना के प्रारूप में ग्रामीण विकास के लिए सरकारी क्षेत्रक के परिव्यय के पांचवीं योजना में 14,751 करोड़ रु० की तुलना में 29,925 करोड़ रु० होने का अनुमान है । उद्योग के लिये सरकारी क्षेत्रक का परिव्यय भी पांचवी योजना में 7,362 करोड़ रु० से बढ़ाकर छठी योजना में 10,350 करोड़ रु० किया जा रहा है । ग्राम और लघु उद्योगों में वृद्धि विशेष रूप से पर्याप्त है क्योंकि इसके परिव्यय के 510 करोड़ रुपये से बढ़कर 1410 करोड़ रु० हो जाने की आशा है ।

उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए उपायों में ये शामिल हैं-- लाइसेंस देने की कार्यविधियों का सरलीकरण, कुछ उद्योगों के लाइसेंस समाप्त कर देना, कच्चे

माल और मशीनों के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात का उदारीकरण, कीमत नियन्त्रणों के क्षेत्र में कमी, सीमेंट, कागज आदि की नियंत्रित 'कीमत का लाभप्रद स्तर पर निर्धारण तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य सरकारी वितीय संस्थाओं के जरिए अधिक समर्थक सहायता।

दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस द्वारा विद्रोह

564. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने देश भर में केन्द्रीय आरक्षि पुलिस की कई वटालियनों को भंग करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर केन्द्रीय आरक्षि पुलिस के जवानों द्वारा अकस्मात ही विद्रोह कर दिए जाने के कारणों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सरकार ने केन्द्रीय आरक्षी पुलिस दल की तीन बटालियनों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के कर्मचारियों के एक ग्रुप सेन्टर को भंग करने का निर्णय किया है।

(ख) यह कार्रवाई इन बटालियनों और ग्रुप सेन्टर के कर्मचारियों की गंभीर अनुशासन-हीनता के कारण आवश्यक थी।

(ग) इस अनुशासनहीनता के कारणों की जांच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

प्राकृतिक प्रकोपों के कारण औद्योगिक उत्पादन में गिरावट

565. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले गत 12 माह के दौरान सूखा, बाढ़, "तूफान" तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोंपों के कारण कच्ची सामग्री के अभाव में विभिन्न उद्योंगों में उत्पादन में कोई कमी आई है और कितनी कमी आई है (उद्योगवार स्थिति बतायें)।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : वस्तुत: प्रत्येक राज्य सरकार किसी एक या दूसरे प्राकृतिक प्रकोप से कुछ हद तक प्रभावित हुई है। प्राकृतिक प्रकोपों के कारण उत्पादन में गिरावट के बारे में ठीक-ठीक उद्योगवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

वैगनों की कमी तथा कोयले/ईंधन की कम सप्लाई के कारण उत्पादों में कमी

566. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में (एक) बैगनों की कमी तथा (दो) कोयले/ईंधन आदि की कमी के कारण गत 12 महीनों के दौरान कोई कमी आई है और कितनी कमी आई है (उद्योगवार ब्यौरा दें); और

(ख) बैगनों/ईंधन आदि की कम सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) विगत 12 महीनों में रेलवे बैगनों की कमी तथा कोयला/ईधन की कम सप्लाई होने के कारण उत्पादन में हुई हानि विषयक ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) रेलवे बैगनों की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये निम्न लिखित कदम उठाये गये हैं।

1. वापिसी में सुधार हेतु परिवहन ढांचे का पुर्नगठन करना;
2. अवरोध दूर करने-हेतु विशेष प्रयत्न करना तथा बैगनों के आने जाने में शीघ्रता लाना;
3. ट्रैफिक के ब्लाक टेक आवागमन में वृद्धि करना;
4. नये तथा पुराने-लाइन स्टेबल्ड बैगनों पर रखने के लिये पहियों के सैंटों का आयात करना;
5. प्रभागीय, जोनल रेलवे तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर विभिन्न सायानों में बैगनों की आवा जाही की दिनरात मानीटरिंग किये जाने की व्यवस्था को सुदृढ बनाना;

कुछ औद्योगिक एककों को महंगा माल जैसे अपने बायलर चलाने हेतु कोयले के स्थान पर ईधन तेल/एल० डी० आयल का प्रयोग करना पड़ता है। रेल द्वारा कोयले के लाने ले जाने की अपर्याप्त स्थिति से उत्पन्न कमियों से कभी-कभी औद्योगिक एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा इस सम्बन्ध में तकनीकी विकास के महानिर्देशालय के अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक एककों द्वारा अनुभव की जा रही इन कठिनाइयों को जहां तक हो सका ऐसे औद्योगिक एककों को जिनके पास दोहरी फायरिंग प्रणाली (तेल और कोयला) विद्यमान की अर्थात कोयले की कमी को वे ईधन तेल से पूरा कर सकते थे, उन्हें विकल्प स्वरूप कोयला भेजकर सहत पहुंचा कर यथा-सम्भव कम किया गया। इसके अलवा प्रभावित एककों को सड़क द्वारा कोयला ले जाने की सुविधा प्रदान की गयी। जब कभी भी उद्योग कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की सहायता मांगते हैं तो इस सम्बन्ध में पार्टी को आवश्यक सहायता पहुंचाने हेतु रेलवे तथा कोयला विभाग से कहा जाता है।

पश्चिमी बंगाल में उद्योग लगाना

567. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना अथवा विस्तार के लिये कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(ख) उन में से कितनों को आवश्यक स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) पश्चिम बंगाल में 1-1-1978 से 31-12-1978 तक उद्योगों की स्थापना करने के लिये प्राप्त कुल 110 आवेदनों में से 10 लम्बित रहे थे।

(ख) आशयपत्र देने के लिये चौबीस आवेदनों पर स्वीकृत दी गयी थी; सैंतीस आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये थे। तथा शेष उन्तालीस मामलों का अन्यथा निपटारा कर दिया गया था अन्यथा निपटाये गये मामलों में वे मामले भी सम्मिलित थे जो या तो बंद कर दिये गये थे अथवा आवेदनकर्त्ताओं द्वारा वापिस ले लिया गया था अथवा जहां आवेदनों के सम्बन्ध में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन छूट दे दी गई थी।

(ग) जिन कारणों से 37 आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये थे उन्हें बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	रद्द किये गये मामलों की संख्या	रद्द करने के कारण
1.	13	अतिरिक्त क्षमता के सृजन की कोई गुंजायश नहीं ।
2.	13	प्रस्तावित स्थापना स्थल सरकार की वर्तमान स्थापना स्थल संबंधी नीति के अनुरूप नहीं था ।
3.	3	लघु क्षेत्र में निर्माण के लिये आरक्षित/योग्य ।
4.	3	अभी उद्योग नीति का.निर्णय किया जाना है ।
5.	2	एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया ।
6.	1	पार्टी निर्यात का दायित्व लेने की इच्छुक नहीं ।
7.	1	वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार नहीं ।
8.	1	चूंकि पार्टी का तैयार उत्पादों का प्रस्ताव रद्द किया जा चुका था, केपटिव खपत के लिये निर्माण की वस्तु विषयक प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया था ।
कुल	37	

सरकारी उपक्रमों में हानियां

568. **श्री बसंत साठे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास और भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत कम से कम 30 सरकारी उपक्रम काम कर रहे है और उनमें से अधिकतर को वर्ष प्रति वर्ष हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1978-79 तक पिछले पांच वर्षों में एकक-वार हुई हानियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) हानियों के कारणों के विश्लेषण के आधार पर पता लगाने वाले हानियों के उत्तर-दायी कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों में क्या कदम उठाये गये हैं और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) से (घ) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा विदेशी साम्य पूंजी का कम किया जाना

569. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार ने ब्रिटिश ट्रांसनेशनल कारपोरेशन यूनीलीवर की भारतीय सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर के इस दावे को अस्वीकार कर दिया है कि इसे इस आधार पर अधिक विदेशी साम्य पूंजी की अनुमति दी जानी चाहिए कि यह उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है और कम्पनी को कहा है कि वह अपनी विदेशी साम्य पूंजी कम करके 40 प्रतिशत करें ; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनी द्वारा किये गये दावे क्या थे और इन्हें किन आधारों पर नामंजूर किया गया था ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी द्वारा जनवरी, 1975 से तथा मई 1976 में दिये आवेदनों में यह दावा किया गया था कि औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, 1973 के परिशिष्ट 1 में समाविष्ट गतिविधियों विषयक वार्षिक उत्पादन जटिल प्रकार की प्रौद्योगिकी तथा 1974 और 1975 में किये गये निर्यात 60 प्रतिशत तथा कुल पण्यावर्त के इससे अधिक थे। इस प्रकार कम्पनी 51 प्रतिशत गैर आवासीय प्रवासीधारिता की पात्र बन जाती है कम्पनी के दावों का मूल्यांकन करने पर यह पाया गया है कि परिशिष्ट 1 में दी गई गतिविधियां, जटिल प्रकार की प्रौद्योगिकी तथा निर्यात कुल पण्यावर्त के विहित 60 प्रतिशत से बहुत ही कम थे। तदनुसार, रिर्जव बैंक आफ इंडिया द्वारा इस र्शत के अधीन कि कम्पनी दो वर्षों अर्थात 5 जुलाई, 1979 की अवधि के

अंदर प्रवासी हित को 40 प्रतिशत से अनधिक स्तर पर ले आयेगी उसे अपनी गतिविधियां चालू रखने की अनुमति प्रदान कर दी थी।

2. बाद के अभ्यावेदनों में कम्पनी ने अर्द्ध उत्पादन की गणना हेतु एक भिन्न आधार का दावा किया जिसमें यह तर्क दिया गया था कि उससे कम्पनी 51 प्रतिशत की विदेशी साम्यपूंजी धारिता रखने की पात्र बन जायेगी, नये सिरे से इन दावों का मूल्यांकन किया गया किंतु पाया यह गया कि आधारिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात परिशिष्ट 1 की गतिविधियों में वार्षिक उत्पादन, जटिल प्रकार की प्रौद्योगिकी तथा निर्यात वार्षिक पण्यावर्त के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं था। अतएव रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस आधार पर अभ्यावेदनों को रद्द कर दिया और कम्पनी से 31 दिसम्बर, 1979 तक विदेशी अशंपूजीधारिता को 40 प्रतिशत से अनधिक स्तर पर ले जाने को कहा गया है।

सिक्कम में भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों का पदोन्नति कोटा

570. **श्री छत्र बहादुर क्षेत्री** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम संवर्ग में भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों का पदोन्नति कोटा न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : सिक्किम ने भारतीय प्रशासनिक सेवा सवर्ग के प्रारम्भिक गठन की भर्ती वर्ष 1978 में ही पूरी हुई थी। भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 3 के उपबन्धों के अनुसार चयन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना है। राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों सिक्किम के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदोन्नति कोटे में नियुक्ति के लिए चुनाव करने हेतु चयन समिति के गठन का प्रश्न राज्य सरकार के परामर्श से विचाराधीन है।

सिक्कम में विदेशी 'ट्रेकरों' के ठहरने की अवधि का बढाया जाना

571. **श्री छत्र बहादुर क्षेत्री** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सिक्किम में विदेशी "ट्रेकरों" के ठहरने की वर्तमान दस दिन की अवधि बढ़ाकर बीस दिन करने पर बिचार कर रही है जैसाकि राज्य सरकार ने पहले अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : **(क) और (ख)** इस विषय में प्राप्त प्रस्ताव पर कार्रवाही की जा रही है।

राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए रूस द्वारा भारी पानी की सप्लाई

572. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **परमाणु ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ राजस्थान परमाणु संयंत्र के लिए भारी पानी सप्लाई करने पर सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो सोवियत संघ की पेशकश का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) भारी पानी की सप्लाई कब आरम्भ की जायेगी ; और

(घ) भारी पानी कितनी मात्रा में सप्लाई किया जायेगा ?

परमाणु ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) सोवियत संघ से 200 मीटरिक टन भारी पानी और सप्लाई करने की शर्तों और (घ) के बारे में बातचीत चल रही है ।

एक संसद सदस्य द्वारा इस्पात और खान मन्त्री के विरूद्ध दिये गये ज्ञापन की जांच

574. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्होंने एक संसद सदस्य द्वारा वर्तमान इस्पात और खान मन्त्री के विरूद्ध दिये गये ज्ञापन एवं उस पर उनके उत्तर की इस बीच जांच कर ली है ; और

(ख) क्या उनका विचार दोनों की प्रतियां सभा पटल पर रखने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) प्रश्न में जिस ज्ञापन का हवाला दिया गया है उनकी अभी जांच की जा रही है और इसकी विषय-वस्तु इस स्तर पर बताना जनहित में नहीं होगा ।

नवविवाहिताओं के प्रति अत्याचार

575. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में युवा नवविवाहिताओं द्वारा स्वयं अपनी आत्महत्या करने अथवा पर्याप्त दहेज न लाने के कारण ससुराल वालों द्वारा उनको आत्महत्या के लिए बाध्य किये जाने के बारे में प्रकाशित हुए अनेक समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किये गए हैं अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वर्तमान दहेज रोक अधिनियम, 1961 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस के स्थान पर संसद में शीघ्र एक विधान पेश करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। विधान में अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए जिन्हें जांच के सीमित उद्देश्यों के लिये प्रसेय बनाया जायेगा, बढ़े हुए दण्ड का प्रावधान होगा और फिजूल खर्चों तथा विवाहों में उपहारों के प्रदर्शन पर रोक का भी प्रयत्न होगा।

उच्चतम न्यायालय का राज्यों में विचाराधीन कैदियों को छोड़ने के बारे में निदेश

576. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री निहार लास्कर .
श्री ए० आर० बद्रीनारायण : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 4 मई, 1979 को चार अन्य राज्यों को उन विचाराधीन कैदियों को रिहा करने को कहा है जो बिना मुकदमा चलाये 6 महीनों से अधिक समय से जेलों में बन्द हैं ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने पहले भी अन्य राज्यों को राज्यों में बन्द विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का निदेश दिया था ;

(ग) कितने राज्यों में विचाराधीन कैदियों को 6 महीनों से अधिक समय से जेलों में रखा हुआ है और विभिन्न राज्यों में इस समय ऐसे कितने व्यक्ति हैं ;

(घ) कितने राज्यों ने उच्चतम न्यायालय के निदेश का पालन किया है ; और

(ङ) केन्द्र सरकार का इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान्। सूचना मिली है कि उच्चतम न्यायालय ने जम्मू व काश्मीर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से अनुरोध किया है कि वे उन सभी अभियुक्तों को रिहा करने के लिए सहमत हो जाए जो बिना मुकदमा चलाये छः महीने से अधिक अवधि से जेलों में हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) 1-1-79 तक की 27 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सूचना उपलब्ध है। इसके अनुसार 23 राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों की जेलों में छः महीने से अधिक अवधि तक के रखे गए 15,434 व्यक्ति थे।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ङ) इस सम्बन्ध में किये गये विभिन्न उपायों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :—

(1) विचाराधीन 'दियों के विशेष संदर्भ में जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के लिए ठोस उपाय करने की दृष्टि से भारत सरकार ने 9 अप्रैल, 1979 को राज्यों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन बुलाया था। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ विचारणाधीन कैदियों के मामलों की नियमित समय में समीक्षा करने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर समीक्षा समिति गठित करने, गरीब कैदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जेलों में पूर्वकालिक अथवा अशंकालिक विधिवेता अधिकारी नियुक्त करने और मामलों की खोज और जांच पड़ताल आदि करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में दंड प्रतिक्रिया-संहिता 1973 के उपबंधों को लागू कराने वाली एजेंसियों द्वारा अनुपालन करने की सिफारिश की है।

(2) न्याय विभाग द्वारा पहल करने के परिणामस्वरूप एवं राज्यों में न्याय प्रशासन में सुधार लाने के लिये 7वें वित्त आयोग 402 फौजदारी न्यायालय (299 निम्न फौजदारी न्यायालय और 103 उच्चतर फौजदारी न्यायालय) और 136 दिवानी न्यायालय (111 निम्न दीवानी न्यायालय और 25 उच्चतर दीवानी न्यायालय) स्थापित करने और उनके लिये भवन निर्माण करने तथा अतिरिक्त पीठासीन अधिकारियों के रिहायशी मकान बनाने के लिए 24 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करने के लिए सहमत हुआ है।

(3) जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या में कमी करने के लिये विधि आयोग की 78वीं रिपोर्ट में उल्लिखित प्रस्तावों समेत दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने के लिए कुछ प्रस्ताव राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिये भेजे गए हैं।

श्री एस० जी० युसाय्यन की हत्या के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

577. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या प्रधान् मन्त्री को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तंजाबुर जिला समिति द्वारा दिया गया ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संसद सदस्य श्री एस० जी० युसाय्यान की, जो नागपट्नम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, हत्या के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने की मांग की गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में 4 फरवरी, 1979 के सप्ताहिक 'न्यू एज' में प्रकाशित समाचार प्रधान मन्त्री के ध्यान में लाया गया है ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) प्रधान मन्त्री को संबोधित तारीख 26 जनवरी, 1979 के ज्ञापन में तंजावुर सी० पी० आई० के जिला परिषद के सचिव ने मामले की छानबीन में पुलिस प्राधिकारिणों के विरुद्ध आरोप लगाए है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा हत्या के मामले की जांच कराये जाने की मांग की है ।

मामले में तारीख 6-2-79 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था । मजिस्ट्रेट ने मामले को तारीख 13-3-79 को सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया । चूंकि अब मामला न्यायाधीन है अतः केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच और खोजवीन करना कानूनी रूप में स्वीकार्य नही हैं ।

साम्प्रदायिक दंगे

578. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :**

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या **गृह मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में गत छह महीनों में साम्प्रदायिक दंगों में राज्यवार मरने वालों और जख्मी होने वालों की अलग अलग संख्या कितनी है;

(ख) जान और माल की हानि का अनुमान क्या है; और

(ग) इन साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) 1-1-79 से 31-5-79 की अवधि के दौरान साम्प्रदायिक दंगों में 146 व्यक्ति मारे गये और 812 व्यक्ति जख्मी हुए । इन आकड़ों का एक राज्यवार विवरण संलग्न है ।

1-6-79 से 30-6-79 की अवधि की सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) 1-1-79 से 30-6-79 की अवधि के दौरान 16.70 लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई अथवा क्षतिग्रस्त हुई । 1-6-1979 से 30-6-1979 की अवधि और जमशेदपुर दंगों के दौरान सम्पत्ति को हुई क्षति की सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) उप प्रधान मंत्री (रक्षा) की अध्यक्षता में साम्प्रदायिक सदभाव पर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है । समिति की बैठकें कई वार हो चुकी है और जल्दी ही अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की सम्भावना है । विभिन्न जांच आयोगों/राष्ट्रीय एकता परिषद समिति और भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किये गये विचार विमर्श के आधार पर किये गये विभिन्न निर्णयों/सुझाओं के कार्यान्वियन का

पता लगाने के लिये गृह मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल ने हाल ही में अनेक राज्यों का दौरा किया है।

इस विषय में प्रगति पर निगरानी रखने के लिये गृह मंत्रालय में एक मोनिटरिंग एकक स्थापित किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के लेफ्टीनेंट गर्वनरों को लिखे अपने पत्र में राज्यों द्वारा एन० आई० सी० और अन्य सम्बन्धित जांच आयोगों की सिपारिशों के कार्यान्वियन की धीमी प्रगति को प्राथमिक आधार पर दूर करने के लिए जोर दिया। उनसे साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित मूल मामलों अर्थात राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में आसूचना ढांचे का पुनरीक्षण करना, प्रतिनिधित्व प्रदान करना/राजनैतिक दलों और स्थानीय निकायों आदि से रचनात्मक सहयोग प्राप्त करना आदि पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया गया है।

गृह मंत्रालय ने साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के लिये उपायों पर विचार विमर्श के लिये अधिकारी स्तर पर अर्न्तराज्जीय बैठकें करना शुरू कर दिया है। बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार में प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक तारीख 18-6-79 को रखी गई थी। महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों के साथ तारीख 22-7-79 को बैठक होगी।

विवरण

1-1-1979 से 31-5-1979 की अवधि के दौरान साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए और **जख्मी हुए व्यक्तियों की संख्या का विवरण।**

राज्य 1	मारे गये व्यक्तियों की संख्या 2	जख्मी व्यक्तियों की संख्या 3
आन्ध्र प्रदेश	4	51
असम	1	35
बिहार	127	441
गुजरात	1	48
हरियाणा	—	7
जम्मू और काश्मीर	—	2
कर्नाटक	—	38
केरल	—	9
मध्य प्रदेश	—	22
महाराष्ट्र	3	61
उडीसा	—	6

1	2	3
राजस्थान	3	36
तमिलनाडु	—	8
उत्तर प्रदेश	7	24
पश्चिम बंगाल	—	16
दिल्ली	—	8
जोड़	146	812

सांप्रदायिक दंगों से ग्रस्त होने वाले जिलों विषयक केन्द्रीय दलों के प्रतिवेदन

579. **श्री एस० आर० रेड्डी :**
श्री छीतू भाई गामित :
श्री दुर्गा चन्द :
श्री ए० आर० बद्रीनारायण :
श्री पी० एम० सईद :
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दोनों केन्द्रीय दलों ने, जिन्होंने साम्प्रदायिक दंगों से ग्रस्त होने वाले अनेक जिलों का दौरा किया था, अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दलों के सदस्यों के नाम क्या है और इन दलों ने किन किन जिलों का दौरा किया; और

(ग) उन्होंने सरकार को क्या विचार और सुझाव प्रकट किया है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) प्रधान मन्त्री द्वारा श्री जगजीवन राम उप प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में स्थापित साम्प्रदायिक सद्‌भाव सम्बन्धी समिति के अनुरोध पर गृह मन्त्रालय के अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से साम्प्रदायिक स्थितियों से निपटने के लिए निरोधात्मक तथा प्रशासनिक पहलुओं के बारे में वर्तमान व्यवस्थाओं का 17 चुने हुए जिलों और 10 राज्यों की राजधानियों जिनकी सूचि अनुबन्ध में दी गई है, एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से वर्तमान व्यवस्थाओं में अपर्याप्तताओं का पता लगा है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष साम्प्रदायिक सद्‌भाव सम्बन्धी समिति की

21-6-79 को हुई पिछली बैठक में इसके समक्ष रख दिए गए हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव सम्बन्धी समिति को अपनी सिफारशों को अभी अन्तिम रूप देना है। यह सिफारशें प्राप्त होने पर सरकार उनकी जांच करेगी और उन पर उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

मामले के महत्व और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय गृह मन्त्री ने सभी मुख्य मंत्रियों तथा उप राज्यपालों को साम्प्रदायिक स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर वर्तमान निरोधात्मक प्रशासनिक तथा अन्य व्यवस्थाओं के तुरन्त पुनरीक्षण का सुझाव देते हुए पत्र भी लिखे हैं। इसके लिए गृह मन्त्रालय द्वारा राज्यों के गुणों के शासकीय स्तर के सम्मेलन बुलाने का भी निर्णय किया है। ऐसा प्रथम सम्मेलन उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों का 18-6-79 को नई दिल्ली में पहले ही हो चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का ऐसा अगला सम्मेलन पुणे में 22 जुलाई 1979 को आयोजित करना नियत किया गया है।

विवरण

अनुबन्ध

क्रम संख्या	राज्य	राजधानी/जिला
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	**लखनऊ**
		1. मेरठ
		2. वाराणसी
2.	मध्य प्रदेश	**भोपाल**
		1. मंदसौर
3.	पश्चिम बंगाल	**कलकत्ता**
		1. 24-परगना
4.	आंध्र प्रदेश	**हैदराबाद**
		1. नालगोंडा
		2. हैदराबाद
5.	उड़ीसा	**भुवनेश्वर**
		1. राउरकेला

1	2	3
6.	कर्नाटक	**बंगलौर**
		1. बंगलौर
		2. बिदार
7.	केरल	**त्रिवेन्द्रम**
		1. कनानौर
		2. कोट्टायाम
8.	महाराष्ट्र	**बम्बई**
		1. थाना (भिवांडी)
		2. जलगांव
		3. औरंगावाद
9.	बिहार	**पटना**
		1. रांची
		2. नालंदा
10.	गुजरात	**गांधीनगर**
		1. गांधीनगर

आमार बंगाली आन्दोलन

580. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'आमार बंगाली आंदोलन' के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है जो जिला परिषद् अधिनियम के पास होने के बाद से त्रिपुरा में जनजाति लोगों के संरक्षण के लिये उस राज्य में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितनी सम्पत्ति क्षति ग्रस्त/नष्ट हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 18 व्यक्ति मारे गये हैं। पेचारथल में बाजार के जलने से दस लाख रुपये की क्षति होने का अनुमान है। नूतन बाजार, अम्पी तथा कृष्णापुर पुलों की अनुमानित क्षति

28,500 रुपये है। तेलियापुरा में सम्पत्ति के नष्ट हो जाने तथा क्षति ग्रस्त होने का अनुमान 4,83,500/- रु० है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : चूंकि गृह मन्त्री महोदय यहां है, अतः मैं एक बात कहना चाहता हूं। रिर्जव बैंक में कर्मचारियों का पुलिस द्वारा पीछा किया जाता है............

***(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं यह मामला गृह मन्त्रालय को भेज चुका हूं। अब, सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभापटल पर रखे गये पत्र

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे तथा उनकी समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण, अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1976-77 और 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिस) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, के वर्ष 1977-78 के लेखे की समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4587/79)

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

(2) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(3) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4588/79)

ब्रिटेनिया इन्जिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (मोकामेह यूनिट) और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण अधिनियम 1978 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति कुमारी आभा मयती) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

1. ब्रिटेनिया इन्जिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (मोकामेह यूनिट) और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम 1978 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ब्रिटेनिया इन्जिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (मोकामेह यूनिट) और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) नियम 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 मई 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 296 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

   (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या 4589/79 के)

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पटसन वस्त्र (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 336 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

   (ग्रन्थालय में रखी गई। (देखिये एल० टी० संख्या 4590/79)

आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं श्री धनिक लाल मण्डल की ओर से, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयुध (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं। जो दिनांक 19 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 694 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या 4591/79)

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(ऐक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (सवर्ग में पद संख्या निर्धारण चौथा संशोधन विनियम 1979 जो दिनांक 10 मई, 1979 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 10 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 290 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 10 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 291 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सीय सुविधा) नियम, 1979 जो दिनांक 26 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 713 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (सवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1979 जो दिनांक 9 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 770 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 9 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 771 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 16 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 812 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 20 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 386 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4592/79)

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे तथा उसकी समीक्षा तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

1. (एक) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4593/79)

2. (एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड के नौ सहायक निगमों के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4594/79)

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी* संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी 4595/79)

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बिन्धी समिति का प्रतिवेदन 35वां प्रतिवेदन

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 35 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

* प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण और समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों) 22 दिसम्बर 1978 को सभा पटल पर रखे गये थे।

बहुराज्य सहकारी समितियां विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

चौधरी ब्रह्मप्रकाश (बाह्य दिल्ली) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा उन सहकारी सोसाइटियों से उनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो एक से अधिक राज्य में अपने सदस्यों के हितों को पूरा कर रही हैं सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय शरदकालीन सत्र (1979) के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है" ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन समय बढ़ाने की अनुमति देता है ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : संसद का अधिवेशन जल्दी बुलाने के कारण कुछ कठिनाई आ गई हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : सदन ईस प्रस्ताव पर विचार करेगा, क्योंकि मेरे विचार से और सदन ईस बात से सहमत होगा कि इस प्रस्ताव ने पहले के सारे रिकार्डों को तोड़ दिया है । चौधरी ब्रह्म प्रकाश की समिति, जिसके प्रति मेरे हृदय में आदर है, का समय तीन बार वढ़ाया जा चुका है । जहां तक मैं जानता हूं समय की अवधि इतनी ही बढ़ाई जा सकती है । सदन को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि क्या समिति का समय और बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि जो कारण दिये गये हैं वे निराधार हैं । हमें ज्ञापन आज सुबह ही प्राप्त हुआ है । यदि आप इसे पढ़ें तो यह बड़ा विलक्षण होता जाता है । इसमें कहा गया है कि तीन बार समय बढ़ाया गया । पहला 21 जुलाई, 1978 को, दूसरा.........

अध्यक्ष महोदय : इसका ज्ञापन में उल्लेख है ।

श्री हरि विष्णु कामत : संयुक्त समिति का गठन 15 मई, 1978 को किया गया था । आज 11 जुलाई, 1979 है । अत: एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है । अब वह शरद-कालीन सत्र के अन्तिम दिन तक अर्थात् दिसम्बर, 1979 तक समय बढ़ाना चाहते हैं । मैं इसका विरोध करता हूं । मुझे विश्वास है कि समय बढ़ाने वाला यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जायेगा । यदि यह स्वीकार्य न हो, तो मेरे विचार से समय को शरदकालीन अधिवेशन के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया जाये और आखिरी दिन तक नहीं । सब से पहली बात तो यह है कि मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं कि प्रस्ताव का विरोध करके इसे अस्वीकृत कर दिया जाये । यदि यह स्वीकृत नहीं होता तो सही बात यह होगी कि अगले अधिवेशन के पहले दिन तक इसकी अवधि बढ़ा दी जाये । क्योंकि दिये गये कारण.........

अध्यक्ष महोदय : आप उनका उल्लेख कर चुके हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : चौधरी ब्रह्म प्रकाश अपने ज्ञापन में कहते हैं कि समिति ने 2 जुलाई से 5 जुलाई तक अपनी बैठकों की अनुसूची पहले ही तैयार कर ली थी । समय बढ़ाने के लिए दिये गये कारणों में से एक कारण यह है कि जुलाई सत्र को समय से पहले बुलाया गया है । यह कारण स्वीकार्य नहीं है । यह भविष्य के सभी समितियों के लिये समय बढ़ाने का गलत उदाहरण सिद्ध होगा, समितियां दौरों पर जाकर समय बढ़ाती रहेंगी । वह कारण दर्शन अथवा विश्व दर्शन पर जाकर समय बढ़ाती रहेंगी । हम ऐसा नहीं चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका सुझाव यह है कि इसे शरदकालीन अधिवेशन के प्रथम दिन तक कर दिया जाये ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह विकल्प हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि सदन शरदकालीन सत्र के प्रथम दिन अथवा प्रथम सप्ताह के लिये सहमत हो सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : पहला दिन ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : शरदकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किस वर्ष के ?

अध्यक्ष महोदय : इस वर्ष के । क्या सदन इस समिति के समय की अवधि शरदकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाने के लिये सहमत है ?

कई माननीय सदस्य : हां ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा उन सहकारी सोसाइटियों से जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो एक से अधिक राज्य में अपने सदस्यों के हितों को पूरा कर रही हैं, सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय शरदकालीन सत्र (1979) के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अनुच्छेद 75 (3) के अधीन मन्त्री-परिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी : स्वाभाविक है कि सदन के नेता प्रधान-मन्त्री महोदय भी इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं । अब हम उस एक अत्यन्त ही निर्णायक प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने वाले हैं जिसे मेरे दल के

नेता श्री यशवन्तराव चह्वाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसी अफवाहें फैल रही है कि मन्त्रीगण त्यागपत्र देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री वयालर रवि : सदस्य को स्थिति के बारे में जानने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण विधेयक

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से उन राज्यों को जिन पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधि का विस्तार है, विद्युत पर संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगमों के समतुल्य राशि संदत्त करने का तथा वित्त आयोग द्वारा 28 अक्तूबर 1978 की रिपोर्ट में सिफारिशों के अनुसार उन राज्यों में उक्त राशियों के वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत की संचित निधि में से उन राज्यों को जिन पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधि का विस्तार है, विद्युत पर संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगमों के समतुल्य राशि संक्षत्त करने का तथा वित्त आयोग द्वारा 28 अक्तूबर, 1978, की रिपोर्ट में सिफारिशों के अनुसार उन राज्यों में उक्त राशियों के वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अंतरिक्ष प्रयोगशाला (स्काईलेब) के बारे में अद्यतन जानकारी देने वाला विवरण

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं स्काई लैब (अन्तरिक्ष प्रयोगशाला) के बारे में नवीनतम सूचना देना चाहता हूं।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : क्या बर्तमान सरकार की स्काई-लैव ?

श्री मोरारजी देसाई : वह तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सिद्ध हो जायेगा। अविश्वास प्रस्ताव की प्रतीक्षा कीजिए। फिर आपको मालूम हो ही जायेगा। मैं उसके फैसले का पालन करूंगा।

स्काई-लैब के बारे में नवीनतम अनुमान यह है कि यह आज रात को 6.18 और 11.18 म० प० के बीच के समय में गिरेगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका प्रभाव 8° उत्तर और 168.3° डिग्री पूर्व में पड़ेगा। यह भी अनुमान लगाया गया है कि स्काई-लैब के कक्षा मण्डल सं० 18 में ध्वस्त हो जाने की सम्भावना है। यह सम्भावना है कि इसे कक्षा मण्डल सं० 8 और 28 तथा कुछ भाग 38 और 168.3 में ध्वस्त कर दिया जाये। इनमें से कोई भी कक्षा मण्डल भारत से होकर नहीं जाता। अतः ताजा समाचारों के अनुसार अन्तरिक्ष प्रयोगशाला के भारत के किसी भी भाग में टुकड़े-टुकड़े होकर गिरने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री राज नारायण (राय बरेली) : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। मैंने एक प्रिवलेज मोशन का नोटिस दिया था। वह प्रधान मन्त्री जी के खिलाफ है। यह नम्बर्ज के बारे में था। प्रधान मन्त्री ने कहा था कि 230 है जबकि काउंटिंग में वह 205 ही निकला था। आपने इसके बारे में रूलिंग भी दे दिया था। प्रधान मन्त्री ने कहा था कि मशीन खराब है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल और जानबूझ कर प्रधान मन्त्री ने सच्चाई को सप्रेस किया था और हाउस को मिसगाइड किया था। आज मैं अपने मित्र रवि वयालार रवि को बताना चाहता हूं कि यह अफवाह नहीं है नम्बर के बारे में और हम ने बाकायदा प्रेजीडेंट को लिख कर दे दिया है कि यह 268 हो गया है। यह तो स्पष्ट है —

अध्यक्ष महोदय : नहीं ; नहीं यह सब असंगत बात है।

श्री राजनारायण : मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अस्वीकार कर चुका हूं।

श्री राजनारायण : परन्तु महोदय मेरा निवेदन है कि यह लोकसभा है। लोक-सभा को चैम्बरर्स हाउस मत बनाइये।

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को यह सूचित करता हूं कि दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ मेरी जो बैठक 10 जुलाई, 1979 को हुई थी, उसमें यह सिफारिश की गई थी कि :—

(1) श्री यशवन्तराव चह्वाण द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मन्त्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पन्द्रह घन्टे का समय दिया जाये।

(2) बुद्धबार, 11 जुलाई, को प्रश्नकाल की समाप्ति पर प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा शुरू की जा सकती है।

(3) प्रस्ताव पर चर्चा के दिनों में दोपहर के भोजन के समय की व्यवस्था वनी रहेगी।

(4) जहां तक सम्भव हो सकेगा, सभा 6 बजे म० प० के निश्चित समय पर ही स्थागित होगी।

(5) इस प्रस्ताव पर चर्चा के दिनों में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अल्प-सूचना प्रश्नों को रखने की आवश्यकता नहीं है।

मुझे आशा है कि सभा इन सुझावों से सहमत है।

मन्त्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव

श्री यशवन्तराव चह्वाण (सतारा) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मन्त्रिपरिषद् में अपना अविश्वास व्यक्त करती हैं।"

अध्यक्ष महोदय, मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध इस अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय मैं यह बता देना चाहता हूं कि ऐसा मैं इसे अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य ससझकर कर रहा हूं। यह कोई अच्छा काम नहीं है, अपितु यह एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। हम ऐसा कोई औपचारिकता-वश या संसदीय दावंपेच के कारण नहीं कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की व्यक्तिगत नापसन्दगी अन्यथा किसी व्यक्ति-विशेष या व्यक्ति-समूह के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाने जैसी कोई बात ही नहीं है। राष्ट्रीय स्थिति की मांग के कारण ही मैंने यह प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है।

आज देश की हालत क्या है ? यदि आप आज देश की आम स्थिति का सर्वेक्षण करें तो हम पाते हैं कि विश्वास का पूर्णतया अभाव है या फिर मैं जनता पार्टी अध्यक्ष के शब्दों में कहूं तो आज 'विश्वास का संकट' छाया हुआ है और विश्वास के इस संकट को जीवन में कदम-कदम पर देखा जा सकता है। अन्ततः सरकार को चाहिये कि वह जनता किसी वर्ग या विभाग का प्रतिनिधित्व अवश्य करें। आज वे किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री सौगतराय (बैरकपुर) : जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। (**व्यवधान**)

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ठीक है, आपने इसका उत्तर दे दिया। परन्तु मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आज वे किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यदि हम बुद्धि जीवियों या विशिष्ट वर्ग के लोगो से मिलें तो······ (**व्यवधान**)। यदि हम बुद्धि जीवियों और विशिष्टवर्ग के लोगों से मिलें और उनके विचार जाने तो हम पायेगें कि वे इस सरकार से असन्तुष्ट हैं यदि हम किसानों से मिलें या औद्योगिक मजदूरों से वातें करें तो पायेंगे कि उनमें आक्रोश व्याप्त है और जो बहुत से काम यह सरकार कर रही है, उनसे वे अप्रसन्न हैं। यदि हम शहरी क्षेत्रों के आम छोटे व्यक्ति से मिलें तो उनमें भी आक्रोश की वही भावना व्याप्त है। यदि हम अल्प संख्यकों के पास जायें तो हम कहेंगे कि उनमें भय की भावना व्याप्त है जो कि इस देश के लिए अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने इस देश को विकसित करने के लिये जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम किये उनमें से एक था धर्मनिरपेक्षता का राष्ट्रीय लोकाचार। आज इस देश में इसी लोकाचार का विनाश हो रहा है, जो कि बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई भी खड़ा होकर यह कहेगा कि सरकार इस पर एक वक्तव्य दे सकती है परन्तु सरकार के वक्तव्य से ही कोई इस मामले में धर्मनिरपेक्षता के लोकाचार का निर्णय नहीं कर सकता। सच्ची बात तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता के लोकाचार का बनना या बिगड़ना तो अन्ततः अल्प संख्यकों की स्वयं की भावना पर, अल्पसंख्यकों के सरकार में विश्वास पर और देश की नीतियों पर निर्भर करता है।

मुझे देश में आज यही स्थिति दृष्टि गोचर हो रही है। अविश्वास का वातावरण व्याप्त है तथा देश में संकट की लहर फैल रही है। अतः में कहता हूं कि यह कोई संसदीय चालमात्र नहीं हैं परन्तु इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करना मैंने अपना कर्त्तव्य समझा जिससे कि जनता यह जान जाये कि उनकी भावनाओं को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। मैं देख रहा हूं कि श्री राजनारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने पहले से ही मेरी मांग को पूरा करना शुरू कर दिया है।

मेरे विचार से विपक्ष का यह उत्दृष्ट कर्त्तव्य है कि वह चुनावों के बीच की अवधि में लोगों का ठीक से प्रतिनिधित्व करें। यहां पर हम चुनावों के परिणाम स्वरूप बैठते है, परन्तु लोकतन्त्र में समाज बदलता रहता है, मनोवृत्तियां बदलती रहती हैं। आज आम जनता की क्या मनोवृत्ति है ? हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आज आम जनता की मनोवृत्ति जनता पार्टी के खिलाफ है। यह एक सच्चाई है।

मुझे महान नेता जयप्रकाश नारायण जी और श्री वाजपेयी जी के बीच बम्बई में हुए उनके एक मनोरंजक वार्तालाप की याद आ रही है। जिसके बारे में मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा था। जयप्रकाश जी ने वाजपेयी जी से पूछा : देश का क्या हाल है? वाजपेयी जी ने उत्तर दिया : देश का हाल मत पूछिये, विदेश का पूछिये।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : उसे सही रूप से प्रकाशित नहीं किया गया था। यह प्रश्न मुझसे लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने नहीं पूछा था। यह प्रश्न तो किसी संवाददाता ने पूछा था, श्री जय प्रकाश नारायण ने नहीं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : यह तो एक बुद्धिमत्तापूर्ण टिप्पणी थी परन्तु बुद्धि-मतापूर्ण टिप्पणी या हास्यरसपूर्ण टिप्पणी से कई बार उसका अन्तर्मूल सत्य भी बाहर आ जाता है तथा आपने यह टिप्पणी कि : देश का हाल मत पूछिए, विदेश का पूछिए भी कुछ ऐसी ही है।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : कृपया इसे अंग्रेजी में कहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्री जयप्रकाश ने इनसे पूछा कि "आजकल देश की स्थिति कैसी है ?" और श्री वाजपेयी ने कहा कि आप देश की नहीं अपितु विदेश की स्थिति के बारे में पूछिए। "इससे तो इसी बात का अहसास होता है कि हमारे मंत्री लोग जब विदेशों में होते हैं तो अपने आपको बहुत सुखी महसूस करते हैं। वहां वह अपनी विदेश नीति के सिद्धांतों आदि की चर्चा करते रहते हैं, मैं यह तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं विदेश नीति को इस अविश्वास प्रस्ताव का आधार नहीं बनाना चाहता। यह बात मैं बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं परन्तु मंत्रियों की जो वास्तविक मनोस्थिति है, उसे इस प्रकार से देश की स्थिति का प्रतीक माना जा सकता है। जब वह देश में वापिस आते हैं तथा यहां की वास्तविक स्थिति को देखते हैं तो उस समय इस प्रकार की सहजाभिव्यक्ति का हो जाना स्वाभाविक ही कहा जा सकता है और श्री वाजपेयी जी ने जो कुछ कहा है, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं तथा उन्हें स्वीकार करता हूं।

यद्यपि मैं यह कह चुका हूं कि मैं विदेश नीति को इस अविश्वास प्रस्ताव का आधार नहीं बनाना चाहता परन्तु फिर भी मैं एक महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि कोई भी विदेश नीति, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसके पीछे देश की सशक्त आन्तरिक तथा घरेलू नीतियां न हों। किसी भी सरकार या देश का वास्तविक मूल्यांकन उसकी आन्तरिक नीतियों के आधार पर ही किया जाता है जब कोई प्रधान मन्त्री किसी दूसरे देश के दौरे पर जाता है तो उस समय वहां से लोग केवल उस प्रधान मन्त्री के चेहरे की ओर ही नहीं देखते, वह उसके चेहरे के माध्यम से उसके सम्पूर्ण देश तथा उसकी आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब देखने का प्रयास करते हैं। इसी को विदेश नीति की अन्तिम परीक्षा कहा जाता है। हमें यह देखना पड़ता है कि देश की आन्तरिक स्थिति कैसी है तथा देश का कैसा बिम्ब उभर कर सामने आता है। आज हमें देश की स्थिति पर दृष्टिपात करना चाहिए। आज देश की राजनीतिक स्थिति कैसी है ? जैसा कि मैंने आपको बताया देश की आम स्थिति बहुत संकटग्रस्त है। परन्तु जब कभी कोई प्रधान मन्त्री से इसके बारे में पूछे तो मुझे विश्वास है कि वह यही उत्तर देगें कि देश में कोई ऐसा संकट नहीं है और हर चीज ठीक ढंग से चल रही है तथा ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा मैं भी यही समझता हूं कि वर्तमान स्थिति से तो हमें केवल परमात्मा ही बचा सकता है क्योंकि अब हम ऐसी स्थिति को पहुंच गए हैं जहां कि हमें केवल परमात्मा ही बचा सकता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) परमात्मा या देवी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि आप चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि देवी भी बचा सकती है । मैं राजनीतिक स्थिति के बारे केवल दो ही बातें कहना चाहता हूं । आज भला राज्यों में कार्यकरण कैसे चल रहा है ? सभी राज्यों की ओर भी जाने की भला क्या आवश्यकता है, हम केवल उन्हीं राज्यों को क्यों न देख लें जहां कि जनता सरकारें शासन कर रही हैं । पिछले दो या तीन महीनों से इन राज्य सरकारों की प्रशासन व्यवस्था को गिराने की मानों स्पर्धा चल रही है । जब शीर्षक नेता ही प्रशासन को गिराने तथा राज्यों में एक प्रकार से अप्रशासन की स्थिति पैदा करने के लिए प्रयत्नशील है तो फिर इन परिस्थितियों में भला देश का राजनीतिक वातावरण कैसा हो सकता है ? अच्छा हो यदि हम इसके बारे में विचार ही न करें ।

हम अनुशासनहीनता की बात करते हैं । मैं पुलिस हड़ताल के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं । यह कहा जाता है कि अनुशासन बहुत अनिवार्य है । परन्तु यह केवल एक शब्दमात्र ही नहीं है, यह तो एक पूरे रवैये को प्रतिबिम्बित करता है । आप तो अपने दल या अपनी सरकारों को ही सही ढग से नहीं चला रहे हैं । आप उन्हें दलगत नीति के आधार पर चला रहे हैं तथा स्वयं ही राज्य सरकारों को गिराना चाहते हैं । सरकार को गिराने का तात्पर्य क्या होता है ? सरकार को गिराने का तात्पर्य यही होता है कि देश में उच्च वर्ग के लोग, गरीब तथा ग्रामीण लोगों के खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं तथा सरकार को गिरा डालते हैं । सरकार को गिराने का महत्व यही होता है (व्यवधान) । मैंने सच्ची बात कही है और मुझे उसकी प्रतिक्रिया भी प्राप्त हो गई है । राज्य सरकारों को गिराने के बारे में मैं यही कुछ कहना चाहता हूं ।

साम्प्रदायिक दंगे हमारे देश के लिए बहुत ही कलंक का कारण है । यह ठीक है कि साम्प्रदायिक दंगे पहले भी इस देश में होते रहे हैं परन्तु पहले बड़े से बड़े दंगे भी दो, तीन या चार दिन से अधिक समय तक नहीं चले । परन्तु अब यह महीनों तक चलते रहते हैं । यदि दंगे आरम्भ होते हैं तो यह जमशेदपुर, अलीगढ़, नादिया आदि तक फैल जाते हैं । (व्यवधान) मैं राष्ट्रीय स्थिति से बात कर रहा हूं । मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सब कुछ यहां हो रहा है, मैं इसके बारे में क्या कुछ कर सकता हूं ? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज मुस्लिम इस देश में अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । उनका परमात्मा में विश्वास नहीं है । फिर अल्पसंख्यकों का प्रश्न आता है और मैं भी प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त की गई साम्प्रदायिक समन्वय समिति का सदस्य हूं । हमने निर्णय किया है कि इसके बारे में प्रत्येक दल अपना टिप्पण प्रस्तुत करेगा । परन्तु मेरे टिप्पण का अन्तिम निष्कर्ष यही होगा कि हमें वही कुछ करना चाहिए जिसकी कि हमारे देश के अल्प संख्यक मांग करते हैं । अल्पसंख्यक क्या चाहते हैं ? अभी दो या तीन दिन पहले जमायत उलेमानी द्वारा सिविल अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ किया गया था । यह संगठन देशभक्तों का एक संगठन है जोकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ा

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

तथा जिसने दो राष्ट्रों के सिद्धांत का डट कर विरोध किया। यह लोग भारत के साथ रहे हैं और अब यह सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ रहे हैं। क्या इन लोगों की मांगों को मानना हमारा कर्त्तव्य नहीं है ? (व्यवधान) हमें यह बताया गया है कि उन लोगों को धमकियां दी जा रहीं हैं। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति से जोकि अपने आपको देशभक्त कहने का दावा करता है, 10 गुना अधिक देशभक्त हैं। अतः साम्प्रदायिक एकता तथा अल्पसंख्यकों का प्रश्न अपने आपमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अब धार्मिक स्वतन्त्रता के नाम से एक बिधेयक प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और ऐसा सामान्य वातावरण तैयार किया जा रहा है कि सरकार इस विधेयक को प्रोत्साहन देना चाहती है। जब सरकार से इसके बारे में पूछा जाता है तो वह भी यह अस्पष्ट सा उत्तर दे देती है कि सरकार श्री त्यागी के विधेयक का विरोध नहीं करती। आज इस देश में मुस्लिम जो कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि इस देश के इसाई भी ऐसा ही महसूस करते रहे ? यह सब क्या हो रहा है ? दो वर्षों में स्थिति क्यों पहुच गई है ? क्या इसी प्रकार आप राष्ट्रीय मामलों की देख रेख कर रहे हैं। आधार-भूत बातों को पूर्णतया भुला दिया गया है तथा बहुत साधारण बातों को बहुत अधिक प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

देश के पूर्वोत्तर भाग की स्थिति को ही लीजिये। यह देश का काफी महत्त्वपूर्ण भाग है। इसके साथ हमारी अन्तराष्ट्रीय सीमायें जुड़ी हुई हैं और ऐसा क्षेत्र है जहां कि विद्रोह की सम्भावना बनी रहती है। आप इसके साथ कैसे निपटने जा रहे हैं ? मुझे विश्वास है इस समस्या को बुद्धिमता पूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जा रहा है। गोली बंदूक से किसी भी समस्या को हल नहीं किया जा सकता। मैं यह भी नहीं मानता कि समस्या को सुलझाने के लिए बंदूकों की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु अन्ततः आपको इसके लिए राजनीतिक उपाय करने होंगे तथा उनके नेताओं के साथ बातचीत जारी रखनी होगी। इसी बातचीत का दूसरा नाम ही तो लोकतन्त्र है और मैं समझता हूं कि बातचीत के माध्यम से ही हम स्थिति में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। हमें ऐसा करना ही होगा।

जहां तक पुलिस विद्रोह का सम्बन्ध है, अभी तक एक दिन पहले ही इस पर 3 घंटे तक चर्चा की गई थी। मैं इस के बारे में और व्यापक रूप से कुछ नहीं कहना चाहता। सरकार द्वारा इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया था। उन्होंने कहा था कि इसके लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन 70 वर्ष के बाद किया है। यह तो ऐसा लगता है जैसे किसी स्कूल का अध्यापक बच्चों को यह बता रहा हो कि उसने बहुत बड़ी बात कर दी हो। उन्हें यह भी मालूम है कि इस बीच पुलिस आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया था ? औपनिवेशिक शासन के दौरान सम्पूर्ण पुलिस को राष्ट्रीय पुलिस मानने की आवश्यकता समझी जाती थी।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

संविधान के लागू हो जाने के बाद यह दायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक राज्य में पुलिस आयोग की नियुक्ति की है। क्या इस प्रश्न पर विचार करने का प्रयास किया है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति करके आपने क्या किया है ? आप एक कमरे में बैठकर अपने आपको एक राष्ट्र मान लेते हैं तथा राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति कर देते हैं ? क्या आपने राष्ट्रीय पुलिस आयोग को कार्य करने दिया ? एक नौकरशाह को राष्ट्रीय पुलिस आयोग का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : श्री धर्मबीर को, जो कि एक बदनाम नौकरशाह है।

श्री यशवंत राव चह्वाण : मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं करूंगा जो यहां उपस्थित नहीं हैं।

जब तक आप राज्य सरकारों को विश्वास में नहीं लेते तब तक आप कोई ठोस कार्य नहीं कर सकते। राज्य सरकारों की अपनी समस्यायें हैं। उनकी अपनी वितीय सीमायें हैं तथा अपने मामलों की अलग प्राथमिकतायें हैं। निश्चय ही आपको इन सब के बारे में विचार करना होगा। भारत सरकार की भी अपनी विशेष पुलिस है जैसे कि सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस औद्योगिक सुरक्षा दल आदि। केन्द्र उनके बारे तो विचार कर सकता है। परन्तु आप उन्हें कार्य नहीं करने देते। मुझे एक बहुत ही विश्वासनीय व्यक्ति-उपप्रधान मंत्री श्री जगजीवन राम जी, इस समय उपस्थित नहीं है—ने बताया, जबकि मैं सम्प्रदायिक एकता समिति में उनसे मिला। उन्होंने वताया कि जनता सरकार के एक मुख्यमंत्री ने कहा, कि "गृह मंत्री महोदय आपने भला क्या किया ? आपको राष्ट्रीय पुलिस आयोग का प्रतिवेदन मिला और आपने उसे एक गोपनीय दस्तावेज़ बना कर गृहमंत्रालय में रख लिया। परन्तु राष्ट्रीय पुलिस आयोग के प्रतिवेदन जिसे कि आप गोपनीय दस्तावेज़ बनाये हुये थे, की प्रतियां पुलिस वालों के पास मौजूद थी। राज्य सरकारों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी।"

इस प्रकार से आपका शासन चल रहा है। इस प्रकार से आप राष्ट्रीय मामलों को हल कर रहे हैं। यदि आप राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति करते हैं तो यह कोई बुरी बात नहीं है परन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आपको राष्ट्रीय मामलों को राष्ट्रीय स्तर पर रखना चाहिये तथा उनके साथ उसी स्तर पर निपटना चाहिये। राष्ट्रीय समस्याओं को इस अकुशल, लाहपरवाहीपूर्ण तथा नौकरशाही ढंग से सुलझाने के कारण ही आज हमारी यह हालत हो गई है। यह है हमारी राजनीतिक स्थिति। कानून और व्यवस्था की स्थिति दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है। साम्प्रदायिकता की दशा हर रोज खराब होती जा रही है। देश के उत्तरपूर्वी आंचल में स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। जो भी समस्या खड़ी होती है उसका समाधान होने की बजाय वह और भी गम्भीर रूप धारण कर रही है। यह है

राजनीतिक स्थिति जो वहुत ही खराब है। आर्थिक क्षेत्र में भी स्थिति उतनी ही दुखद है। (व्यवधान)

एक ही वाक्य में समग्र स्थिति का समापन किया जा सकता है—उत्पादन गिर रहा है और कीमतें बढ़ रही हैं। यही वाक्य देश की समग्र आर्थिक दशा को प्रतिबिम्बित करता है। (व्यवधान) इसका सरकार के पास क्या जवाब है। जवाब है अध्यादेश। यदि हम उत्पादन को समुचित ढंग से व्यवस्थित करना चाहते हैं तो औद्योगिक कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध सुधारना बहुत जरूरी है। इन कर्मचारियों के साथ अच्छे सम्बन्धों के बारे में आपकी क्या नीति है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वह आपके रास्ते पर चल रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अगर वह हमारे रास्ते पर चलते तो इस स्थिति में नहीं पहुंचते। वह कम से कम तीस वर्ष तक अवश्य बने रहते। आपके होते हुए भी बासु जी हम तीस वर्ष तक सत्ता में रहे। (व्यवधान)

पिछले तीन चार वर्षों में कृषि उत्पादन कुछ अच्छा रहा है। प्रकृति ने हमारा साथ दिया है आशा है इस वर्ष भी प्रकृति हमारा साथ देगी। पर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मुझे समाचार मिला है कि मेरे राज्य में कम से कम 15 जिलों में सूखे की स्थिति है। यदि यही दशा दो अन्य राज्यों में भी होती है तो स्थिति और भी बिगड़ जायेगी।

जब वित्त मन्त्री ने बजट पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि लगभग 1300 करोड़ या 1500 करोड़ रु० की घाटे की व्यवस्था का अनुमान है। पर पेट्रोलियम मंत्री का बयान पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि घाटे की व्यवस्था लगभग 3,000 करोड़ रुपये की होगी। बल्कि यह 4,000 करोड़ रु० तक पहुंच सकती है। अगर यह स्थिति है तो आप देश में कीमतों और मुद्रा स्थिति की समस्या का कैसे हल निकाल सकते हैं ? गरीब आदमी की दशा और बिगड़ जाएगी और अमीर इसका फायदा उठायेगा। वह फायदा उठाता रहा है और उसमें सफल भी हुआ है।

यह है आर्थिक स्थिति। यह बहुत बुरी तरह खराब होती जा रही है। यह सरकार इसका समाधान करने में असमर्थ है। इन बातों को देखते हुए ही यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। मेरे विचार में आर्थिक और राजनैतिक दोनों मोर्चो पर स्थिति बिलकुल खराब है और इस सरकार को सरकार के रूप में बने रहने के लिए कोई औचित्य नहीं है।

अब हम मन्त्रिमण्डल के काम करने के तरीके पर आते हैं। आमतौर पर किसी भी लोकतंत्र में मन्त्रिमण्डल ही प्रशासन की दिशा देता है। यह दिशा इस बात पर निर्भर है कि उनके आपस में कैसे सम्बन्ध हैं, जनता के साथ कैसे सम्बन्ध हैं और जो समस्याएं

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

खड़ी होती है उन्हें वे कैसे निपटाते हैं। इससे एक अलग किस्म का वातावरण बनता है । इसी प्रकार लोकतंत्री समाज चलता है, उसकी संस्कृति का विकास होता है । पर वर्तमान मंत्रिमण्डल किस प्रकार काम कर रहा है ? क्या मंत्रिमण्डल में आपस में कोई समन्वय है ? प्रधानमन्त्री की एक दमदार प्रधानमंत्री होने की सनख है और मैं जानता हूं कि वह एक कुशल प्रशासक हैं और साथ ही लौह पुरुष भी हैं। पर यही काफी नहीं है । आवश्वकता है मंत्रियों के बीच कुशल सम्बन्ध और सहयोग की। इस देश में सबसे महत्त्वपूर्ण है इस्पात उत्पादन, कोयला उत्पादन, बिजली उत्पादन, पैट्रोलियम, परिवहन, सीमेंट इन कार्यों में लगे मन्त्रालय महत्वपूर्ण है ....

एक माननीय सदस्य : विमान व्यवस्था ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है । पर ये मन्त्री नीति सम्बन्धी वक्तव्य अपनी इच्छा से दे देते हैं और वह सरकारी नीति के अनुकूल नही होते । प्रधानमन्त्री के विचार कुछ अलग ही होते हैं । फिर नीति क्या है ? वित्त मन्त्रालय, योजना आयोग और प्रधानमन्त्री के सचिवालय में आपस में समन्वय होना चाहिए विशेषरूप से मजदूरी और कतिपय आर्थिक नीतियों के मामलों में । समन्वय के विना कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो पाता। पर यहां वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग के बीच समन्वय का नितान्त अभाव है । मजदूरी संबंधी नीति को ही लें । कतिपय मन्त्री मजदूरी और बोनस के बारे में वक्तव्य देते रहते हैं । मैं इसके गुणावगुणों को ध्यान में रख कर यह नहीं कह रहा । **(व्यवधान)** यदि यह करना पड़ा तो हम अवश्य करेंगे । हम जल्दी में नहीं हैं । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी सहानुभूति कामगार वर्ग के साथ है । आप यह न मान लें कि उनका नेतृत्व करना और उनके हितों की रक्षा करना केवल आपका ही एकाधिकार है । **(व्यवधान)** उदाहरण के लिए मजदूरी नीति देश की आर्थिक नीति का एक अनिवार्य अंग है । आय और मजदूरी नीतियां आपस में जुड़ी हुई हैं और इन मामलों में मन्त्रिमण्डल में ही कोई समन्वय नहीं है ।

यदि मन्त्रिमण्डल के चलने का यही ढंग है तो, हमें परिणाम भला किस प्रकार प्राप्त होंगे ? इसके विपरीत समन्वय के इस अभाव के कारण और कठिनाई उत्पन्न हुई है, तथा हमारी समस्याएं कई गुना बढ़ गई हैं ।

श्री रामधन (लालगंज) : हमारे मन्त्रीगण कोई बन्धुआ मजदूर नहीं हैं, जैसे आप थे ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने पाया है कि आर्थिक-नीति में पूर्णरूप से अस्थिरता का वातावरण छाया हुआ है । यदि आर्थिक-नीति में इस अस्थिरता को चलते रहने दिया जाये तो, हमारा अन्त प्रत्याशा से भी पूर्व ही आने वाला है । आज जिस कष्टप्रद स्थिति का देश में हम सामना कर रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है । जैसाकि मैं बता चुका हूं इस देश

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

में धर्मनिरपेक्षता के राष्ट्रीय लोकाचार का विनाश हो रहा है, राजनीतिक मंच की चिन्ताजनक दयनीय स्थिति हैं। आर्थिक क्षेत्र में पूर्णरूप से बिगड़ती हुई तस्वीर है। मन्त्रिमण्डल में समन्वय का पूर्णतया अभाव है और राजनैतिक दल-प्रणाली में पड़ने वाले व्यवधान अनेक हैं।

अब देखना यह है कि ऐसी परिस्थितियों में, जबकि देश को आगे बढ़ने की आवश्यकता है ; उसे उन्नति के पथ पर आगे कैसे ले जाया जा सकता है ? यही तो वह समय है जब सरकार और उसके नेतागण आगे आयें और देश का नेतृत्व करें और उन्हें बताएं : "हम आपके साथ है, आपकी ये कठिनाईयां हैं और उनके ये समाधान हम आपको देना चाहते हैं ? " किसी सरकार से यही आशा की जाती है। कोई लोकतांन्त्रिक सरकार केवल शासन ही करना नही चाहती, उसे लोगों का नेतृत्व भी करना चाहिए और नेतृत्व लोगों की दैनिक परिस्थितियों, दैनिक-जीवन और दैनिक समस्याओं में करना चाहिये। लोकतंत्रिक जीवन-दर्शन से हमारा यही तात्पर्य है।

ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसे हम झेल रहे हैं और यह राजनैतिक हालात हैं। अल्प-संख्यकों और हरिजनों की ऐसी भावनाएं हैं। हरिजनों के साथ क्या हो रहा है ? वे आज भी देश के तिरस्कृत और शोषित वर्ग हैं। **(व्यवधान)**। हमने इसके बारे में शोर मचाया, जो कुछ हम कर सकते थे वही करने का हमने प्रयत्न किया, परन्तु इसमें हमें कोई खास उपलब्धि नहीं हुई। ये वे समस्याएं हैं। जिनका उत्तर चाहिये और जिनको नेतृत्व की आवश्यकता है। सरकार को अवश्यमेव रूप से नेतृत्व करना चाहिये और यदि सरकार नेतृत्व करने में असफल रहती है तो इसका सरकार के समक्ष एक ही विकल्प बचा रहता है कि वह सत्ता से हट जाये। इसका कोई और इलाज, कोई और उपाय नहीं है। यह कोई नेकी का दम भरने का प्रयासमात्र नहीं हैं क्योंकि जैसा कि कह चुका हूं मैं तो अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य निभा रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति में अरूचि के कारण उसके प्रति वैरभाव के कारण ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। व्यक्तिगत रूप में मेरी आप सबके प्रति सदभावनाएं हैं। परन्तु व्यक्तिगत सम्बन्ध ही कोई सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात नहीं होती। महत्वपूर्ण तो राष्ट्रीय समस्याएं और उनके आवश्यक समाधान होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस अवस्था पर में अधिक समय लेना नहीं चाहता। दूसरी ओर से जो मुद्दे उठाये जायेंगे उनका उत्तर देने का मुझे अधिकार होगा। मेरे विचार से मैंने 30 मिनट का समय लिया है और मैं समझता हूं कि इस अवस्था में यह समय पर्याप्त है।

मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार कर लेगा।

श्री गौरी शंकर राय (गाज़ीपुर) : मान्यवर, मैं बड़े गौर से विरोधी दल के भाषण को सुनने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि यह बड़ा गम्भीर मसला था। लेकिन सुनने के बाद बड़ी निराशा हुई, ऐसा लगा जैसे सड़क पर चर्चा हुआ करती है। कम से कम हमारे चह्वाण

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

साहब जैसे एक्सपीरिएन्स्ड आदमी से मैं ऐसी आशा नहीं रखता था। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में "नो-कान्फीडेंस" मोशन दो कारणों से आया करता है, एक तो चर्चा के लिये आता है, जिस से जनता की भावनाओं को व्यक्त किया जा सके और सरकार की कमियों की तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया जा सके। दूसरा कारण होता है—सरकार को अपदस्थ करना। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में प्रमुख विरोधी दल की शेडो-गवर्नमेन्ट हुआ करती है, सरकार के गिर जाने पर विरोधी दल के नेता प्रधान मंत्री बनते हैं। अब मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि चह्वाण साबह इस देश में आल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर के रूप में उभर कर सामने आये हैं, तो मैं उन से पूछना चाहता हूं—उन्होंने आज शिकायत की है कि देश की पोलिटीकल सिचुएशन ठीक नहीं है, जनता पार्टी में आपसी मतभेद हैं। मैं मानता हूं—जनता पार्टी में आपसी मतभेद हैं और ये मतभेद नहीं होने चाहियें, लेकिन जिस पार्टी की ओर से आप वैकल्पिक प्रधान मंत्री के रूप में पदस्थ होना चाहते हैं, क्योंकि प्रधान मंत्री बनना आप का राष्ट्रीय कर्तव्य है—तो क्या आप की पार्टी के अन्दर इतनी राजनीतिक शक्ति है कि आप प्रधान मंत्री बन सकेंगे ? यह ठीक है कि नेता विरोधी दल प्रधान मंत्री का विकल्प होता है, लेकिन आप मुझे बतालाइये कि ऐसा कौन सा विकल्प आप देश के सामने प्रस्तुत करेंगे, ऐसी कौनसी राजनीतिक पार्टी है जो विकल्प के रूप में सामने आ सकती है।

आप ने कहा कि हमने 30 साल तक सरवाइव किया है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि 30 साल तक जो इन्होंने सरवाइव किया, वह अपनी मेरिट्स पर नहीं किया बल्कि उस राष्ट्रीय आन्दोलन की भूमिका पर किया, जिस राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल होने का हक इधर के लोगों को ज्यादा रहा वनिस्बत उधर के लोगों के।......(**व्यवधान**) ...आर० एस० एस० राष्ट्रीय आन्दोलन में नहीं रहा है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : गांधी जी का उन्होंने मर्डर किया। ...(**व्यवधान**)...

श्री गौरी शंकर राय : मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं क्योंकि वे अभी तिफ़्ले-मकतब हैं—तिफ़्ले-मकतब का मतलब होता है, जो स्कूल का बच्चा होता है—कि अगर उन को राष्ट्रीय आन्दोलन की कोई जानकारी है तो वे यह पायेंगे कि राष्ट्रीय आन्दोलन की तपस्या और त्याग में इधर के लोगों का परसेन्टेज तादाद के हिसाब से ज्यादा होगा बनिस्वत उधर के लोगों के। ...(**व्यवधान**)...

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था ? उस बात को मत भूलिये।

श्री गौरी शंकर राय : मान्यवर, मैं किसी को हत्यारा नहीं कहता क्योंकि "मर्डरर" शब्द कहना मैं अच्छा नहीं मानता, वरना मैं नेता, विरोधी दल को, बावजूद उनके प्रति

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अपने सारे सम्मान के, प्रजातन्त्र के हत्यारे की संज्ञा देता। इसलिए उनकी जमायत के लोगों को ऐसा शब्द इस्तेमाल करने की आदत नहीं होनी चाहिए क्योंकि न तो यह पार्लियामेन्टरी है और न डेमोक्रेटिक कन्वेंशस के अनुरूप है। मैं अपने मित्रों से कहना चाहूँगा कि वे इस बारे में श्री चह्वाण साहब से पूछें। अगर इस तरह से हत्यारा शब्द कहा जाने लगा, तो न मालूम कितनों को हत्यारा कहा जाएगा और फिर एक मुश्किल की बात हो जाएगी।

चह्वाण साहब बड़े जिम्मेदार आदमी हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा है कि हम आल्टरनेटिव गवर्नमैंट बनाने को तैयार हैं। यह उनका राष्ट्रीय कर्तव्य है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि न उनका दल इतना सशक्त है और न उन के पास इतनी शक्ति है कि आज वे देश के सामने एक विकल्प प्रस्तुत कर सकें। इसलिए यह जो अविश्वास का प्रस्ताव है, मेरी राय में यह ऐसा ही है जैसा कि एक रिचुअल होता है। आप ने राजनारायण जी के विरोध का स्वागत किया और हम आपकी पार्टी में जो विकरिंग्स हैं, उनका स्वागत करते हैं। एक तरफ़ तो पार्टी देश में राजनीतिक स्वार्थ और प्रजातन्त्र की बात कहते हैं और दूसरी तरफ़ पार्टी के विकरिंग्स को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। यह डबल करेक्टर होना कोई विचित्र बात नहीं है। 30 साल के राष्ट्रीय आन्दोलन के अनुभव कुछ और भी इनके पास हैं।

मान्यवर, सेकूलरइज्म की बात कहते हैं हमारे नेता विरोधी दल। मैं मानता हूं कि कुछ बलवे हुए हैं और मैं यह भी मानता हूं कि उन बलवों से तकलीफ़ सभी को होती है लेकिन बलवे हमेशा होते रहे हैं, यह उन्होंने स्वीकार किया है कि जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय बिल पहले आया था, उस में सरकारीकरण करने वाले चह्वाण साहब और उधर बैठने वाले लोग, अब इस तरह की बात करते हैं। उनमें बहुत से बुजुर्ग लोग भी हैं। जिन की मैं कद्र करता हूं वे लोग राष्ट्रीय आन्दोलन से आए हुए हैं। इसलिए कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करने में मुझे संकोच हो रहा है, नहीं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया था, उसको देखते हुए कोई भी हयादार आदमी यह नहीं कह सकता कि माइनोरिटीज के लिए उनके मन में हमदर्दी है। उसको तब्दील करने के बाद भी आज वे क्रोकोडायल टियर्स बहाना चाहते हैं। राजनीतिक भाषण देना आवश्यक है, पब्लिक में भी भाषण देना आवश्यक है। दीजिए, आपको कोई मना नहीं करता है लेकिन मैं यह समझता था कि स्टीफन साहब से अधिक सोवर अप्रोच आपकी होगी। ऐसी बात नहीं हुई और मैं यह कहना चाहता हूं कि कम्युनल प्राब्लम इस देश की लीगेसी है, इतिहास के साथ यह आई है। इस समस्या का समाधान करने में हम 30 साल तक असमर्थ रहे हैं और आज भी असमर्थ हैं। इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है और आप यह अपेक्षा करते हैं कि दो साल में ही इस का समाधान हो जाएगा जबतक कि 30 सालों तक इसका समाधान नहीं हुआ। जब ऐसी बात है, तो फिर क्यों ऐसी कमेन्ट आप करते हैं। इस बात को आप को सोचना चाहिए।

अभी नेता, विरोधी दल ने कहा कि पार्टी में डिस्सिपलिन होना चाहिए और फैक्शनल फाइट नहीं होनी चाहिए। मैं फिर उस बात को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मेरे पास समय कम

है और मैं नेता, विरोधी दल नहीं हूं । फैक्शनल फाइट के हम भी खिलाफ़ हैं लेकिन हमारे जो चह्वाण साहब नेता, विरोधी दल बने हैं, वे फैक्शनल फाइट पर ही बने हैं, फैक्शनल फाइट के कारण ही उनका पुनर्जन्म हुआ है और वे नेता, विरोधी दल बने हैं । विपक्ष के नेता के रूप में आपका पुनर्जन्म भी इसी दलबन्दी की लड़ाई के आधार पर हुआ है । और उनके आराध्य देव अर्स साहिब हैं, जो उनके आदर्श हैं । उनकी कृपा से ही यह स्थान उनको मिला है । फैक्शनल फाइट किसी की मोनोपली नहीं है । पार्टीज में विकरिंग्स भी होती रहती है और प्रजातन्त्र के साथ यह एक बुनियादी दोष है सभी पार्टियों में लोग टूटे हैं । ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं लेकिन शीशे के घर में रहने वाले किसी पर पत्थर मारेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं रहेगा ।

एक और बात इन्होंने कही है कि स्टेट्स में अनसीट करने का कार्यक्रम चल रहा है । भूल गये, चह्वाण साहब । वे होम मिनिस्टर रहे हैं और मत्रिमण्डल के एक प्रभावशाली आदमी भी रहे हैं । जब से इन्होंने अपना भगवान 'ही गाड' को नहीं 'शी गाड' को माना है तब से मान्यवर ये अनवरत प्रयास करते रहे हैं कि किसी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर वही हो जो 'शी गाड' के लड़के के चरण स्पर्श करे । इस से अधिक ये विचारे और क्या कर सकते थे ?

मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि केबिनेट मिनिस्टर्स को अलग अलग आवाज में नहीं बोलना चाहिए । अगर वे मेरी बात को मानें तो मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें एक आवाज में बोलना चाहिए । लेकिन मैं ऐसी आवाज नहीं चाहता हूं जैसी कि आपकी थी । उस समय आपके गले रूंदे हुए थे । आप उस समय बिल्कुल मजबूर थे । हमारे भाई रामधन उस समय की हकीकत जानते हैं । उस समय की जो स्थिति थी उसके लिए मैं बोण्डेड लेबर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा । लेकिन नेशनल लेवल के लीडर होते हुए भी आप नेशनल प्राब्लम्स पर मजबूर हो कर रह गये और कुछ नहीं बोले । क्या इसके* लिए देश का इतिहास आपको कभी माफ करेगा ? कभी नहीं करेगा ।

मैं सख्त शब्द इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूं । लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि राष्ट्रीय समस्याओं के मामले पर, जब कि देश के संविधान की हत्या की गयी, जब कि कांग्रेस की पुरानी मर्यादाओं को समाप्त किया गया, आप नम्बर एक के सेनानी तो कभी रहे नहीं, आप नम्बर दो पर और ब्रेकिटिड नम्बर दो पर बराबर बने रहे । यह बात मैंने एक दफा और कही है । **(व्यवधान)**

जब नेता विरोधी दल बोलेंगे तो हम प्रोवोक नहीं करेंगे । मैं यह मानता हूं कि जिन लोगों में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण नहीं होता है, वह दूसरों को सुनाना नहीं चाहता है ।

मान्यवर, राष्ट्र के एक बड़े नाजुक मौके पर विरोधी दल के नेता और उनके साथियों ने मजदूर हो कर गलत रास्ता पकड़ा और ऐसा रास्ता पकड़ा जो संविधान के विपरीत था,

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

राष्ट्र के हित के विपरीत था। क्या उस गलत रास्ते पर मजबूर हो कर चलने वाले ये लोग देश की नाव को खे सकते हैं? जो लोग एमर्जेंसी की सपोर्ट कर सकते हैं, क्या उस दल के नेता को यह देश प्रधान मंत्री बनायेगा? माना कि नेता विरोधी दल योग्य आदमी हैं, पुराने हैं लेकिन देश जानता है कि आपने बढ़े नाजुक समय में नेशनल इन्ट्रेस्ट के खिलाफ काम कर के उस समय की प्रधान मंत्री के चरणों में सिर टेक दिया। **(व्यवधान)**

मान्यवर, मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। हमारे नेता विरोधी दल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। कहते हैं कि बहुत ही समझदार फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन आप डेफिसिट फाइनेंसिंग और फाइनेशन्यल इन्डिसिप्लीन के प्रणाता और जनक रहे हैं। आज आप डेफिसिट फाइनेंसिंग और फाइनेंशनल इन्डीसिप्लीन की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि यह फाइनेंशनल इन्डीसिप्लीन नहीं होना चाहिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग पर चलना चाहिए। लेकिन जो यह सब करते रहे, जो इन सब के जनक और प्रणेता रहे। वे इस देश की हिस्ट्री में पहली दफा नेता विरोधी दल हुए हैं। आप फाइनेंशयल इन्डीसिप्लीन पर इस देश में रूल करते रहे हैं और आज आप बात करते हैं कि देश में फाइनेंशयल डिसिप्लीन आये। मैं आप से कहता हूं कि आपको यह उपदेश देने का नैतिक हक नहीं है।

मान्यवर माननीय विरोधी दल के नेता के पोलिटिकल समराइजेशन को सुन कर मैं संकट में पड़ गया। आपने कहा कि हरिजनों की हालत खराब है, कम्युनल सिचुएशन खराब है। यह इस तरह से कह दिया गया कि साहब सड़कों पर लोग हमारी शिकायत करते हैं कि हम बहुत बुरे आदमी हैं, हमारी शक्ल अच्छी नहीं है। क्या माननीय नेता विरोधी दल इन्हीं शिकायतों के बलबूते पर वैकल्पिक प्रधान मंत्री बनने का राष्ट्रीय कर्तव्य ले कर देश के सामने आये हैं? मैं सोच रहा था कि देश के सामने जो सवाल हैं उनको वे यहां रखेंगे लेकिन उन्होंने हाफ हार्टेडली इस प्रस्ताव को यहां रखा और हाफ हार्टेडली मैंने उनके भाषण को सुना। जब मैं उनके भाषण को सुन रहा था तो मैंने पाया कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया और चुहिया भी नहीं, उसकी लाश।

मैं एक-दो मिनट आपके और लूंगा।

पुलिस कमीशन के बारे में भी उन्होंने कहा है। असल में किसी नीति सम्बन्धी सवाल को उन्होंने अगर उठाया होता तो मैं भी उसका जवाब देता, कोई बुनियादी बात को उठाया होता तो मैं भी उसका जवाब देता लेकिन जिन दूसरी बातों को उन्होंने उठाया है उन्हीं पर तो मैं बोल सकता हूं। नैशनल पुलिस कमीशन की जो स्थापना की गई थी माननीय विरोधी दल के नेता को उसका तो स्वागत करना चाहिए था, इतनी तो उदारता उनको वरतनी चाहिए थी। जो सही काम होता है उसकी सराहना तो उनको करनी चाहिए थी। यह तो उनको कहना चाहिए था कि पुलिस कमीशन बना कर के इस सरकार ने एक अच्छा काम किया है लेकिन उसको भी

*कार्यवाही वृत्तांत में समिलित नहीं किया गया।

इन्होंने रिडीक्यूल करने की कोशिश की है । मैं समझता हूं सभी यह चाहते हैं और मानते हैं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में सारे देश में यूनिफार्मिटी होनी चाहिए । जब आप का राज्य था तब बराबर आपका ध्यान पुलिस के अधिकारी वर्ग पर ही केन्द्रित रहा और कांस्टेबल के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा और न किया । अब इस सरकार ने जो एक अच्छा काम किया है आर्डरली सिस्टम को समाप्त करके उसके लिए तो आपको इनको धन्यवाद देना चाहिए था और उसमें तो जिस को माइजरलीनेस कहते है वह आप को नहीं दिखानी चाहिए थी । जब हम राज्य में राजनीति किया करते थे, स्टेट में अपनी राजनीति किया करते थे तो हमेशा हम लोग यह डिमांड किया करते थे और हमारी हमेशा यह इच्छा रहती थी कि नैशनल लेवेल पर एक पुलिस कमीशन बने । लेकिन इसको भी इन्होंने रिडीक्यूल किया है । नेशनल पुलिस कमीशन के परसौनल के बारे में उनकी राय अलग हो सकती है और हो सकता है कि आप बयूरौक्रैटस को उस में न चाहते हो और उसके बारे में मैं बहस भी नहीं करता हूं, वह आप की राय हो सकती है लेकिन दूसरों की उसके बारे में दूसरी रायं हो सकती है, इस वास्ते इन दोनों रायों का हम को आदर करना चाहिए । उसकी रिर्पोट आई । उस का इम्प्लेमेंटेशन हो रहा है । उसने आर्डरली सिस्टम को हटाने की बात कही, उस को हटाया गया । अब मैं उन से पूछना चाहता हूं कि इस सिस्टम को हटाने के लिए क्या किसी कमीशन की आवश्यकता थी और क्यों नहीं इन्होंने अपने तीस-बतीस साल के राज्यकाल में इस सिस्टम को समाप्त किया? न मालूम क्यों 32 साल तक सिपाही को सरकारी अफसर का मुलाजिम, नौकर और उसके घर के कपड़े साफ करने वाला बना कर रखा ? पता नहीं इसमें इनकी कौन सी पौलिटिकल मजबूरी थी ?

सी आर पी वाली जो घटनाएं हुई हैं या दूसरी घटनाएं हुई हैं उस दिन भी मैंने कहा था कि ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है किसी भी देश के लिए और किसी भी देश में पुलिस और सेमी मिलिटरी के लोग इस तरह से उठ खड़े होते है और उनको मिलिटरी द्वारा दबाया जाता है तो यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, इसको मैं मानता हूं । मैं नहीं चाहता कि इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण अवसर फिर कभी आए । उत्तर प्रदेश में भी यह जो नैशनल लेवेल पर डिसकंटैटमेंट था वह भड़क उठा था-उसको मैं जस्टिफाई नही करता हूं--लेकिन उसमें इससे डयौढ़े से अधिक लोग मारे गए थे । तब हवाई जहाज बम ले कर घूम रहा था । यह आप के जमाने की बात है ।

सी पी एम वाले कहें, जनसंघ वाले कहें इस सरकार के खिलाफ इस तरह की बातें तो मैं समझ सकता हूं, वे अगर कहें कि सरकार ने काम नहीं किया है तो मैं उसको समझ सकता हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : आप का किस जनता पार्टी से आशय है—जनता (सी) ?

श्री गौरी शंकर राय : जनता पार्टी के अन्दर या बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं और राष्ट्र को मैं जनता पार्टी से या किसी भी पार्टी से बड़ा मानता हूं । आप अपने तीस बतीस साल के कर्मों और कुकर्मो को देखें तब फैसला करें ।

आपने यह अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है लेकिन कुछ नीति सम्बन्धी बात नहीं कही है . स्ट्रीट टाक की बात ही आप कर रहे थे । उसी को आप रिपीट कर रहे थे तीन बार आपने अपनी बात को समेराइज किया है । मैं कहूंगा कि ऐसा करके आपने बहुत अच्छा किया है । प्रैस भी आपकी बात को पकड़ लेगा । लेकिन आपको चाहिए था कि आप बुनियादी बातों पर जाते । आपने मतभेदों का जिक्र कर दिया है और उनको बहुत उछाला है, झगड़ों के बारे में कहा है । अभी इन झगड़ों को लेकर आपको भी लोग अच्छी संज्ञा नहीं दिया करते थे । हमारे मित्र खुश है कि साठे साहब की पार्टी और स्टीफन साहब की पार्टी में फैक्शनल फाइट हो गई है और वे उस का आनन्द ले रहे हैं और आप भी ले रहे है । लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूं कि देश के सामने विकल्प क्या है । जनता पार्टी की सरकार के जाने का मतलब होता है देश में प्रजातंत्र की बुनियाद को खतरा पैदा करना । मुझे विश्वास है कि जो देश भक्त है और जो प्रजातन्त्र को मानते हैं —वे इस अविश्वास के प्रस्ताव का साथ नहीं देगे और इस सरकार को कायम रखेंगे और चव्हाण साहब को एक अराष्ट्रीय कर्त्तव्य करने से रोकेगे ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप दोपहर के भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

लोक सभा मध्यान भोजन के पश्चात् दो बज कर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री सी० एम० स्टीफन : उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने बताया है मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मैं सोचता हूं कि अलगाव की तर्कसम्मत प्रक्रिया अच्छी तरह पूरी होने के कुछ देर से ही यह प्रस्ताव आता है । कुछ भी हो इस डर से कि जो शब्द मैं प्रयोग करूंगा उनसे बास्तविक शत्रु अर्थात जनता पार्टी सरकार पर आरोपण का विस्तारण होगा, मैं और कोई टिप्पणी नहीं करूंगा ।

कुछ समय पूर्व मैंने श्री मोरार जी देसाई का एक वक्तव्य पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अल्पसंख्यक सरकार को चलाने वाले व्यक्ति नहीं है । उन्होंने अपने इस लम्बे चौड़े दावे की घोषण इसी सदन में भी की थी, "मैं अल्पसंख्यक सरकार चलाने का कतई भी हामी नहीं हूं ।" जैसा कि वे ईमानदार व्यक्ति होने का दावा करते हैं, उन्हीं के शब्दों को सच मानते हुए मैंने सोचा था कि आज वे यहाँ उपस्थित नहीं होंगे.........(व्यवधान) क्योंकि यह बात तो

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

अब सभी जानते हैं ....(व्यवधान)। मैंने जो शब्द प्रयोग किए है उनकी व्याख्या के लिए जनता पार्टी के विशेषज्ञ आक्सफोर्ड-कोर्स और विश्वकोष को उलटना पलटना प्रारम्भ कर देगें। उसके लिए मेरे पास समय नहीं है।

जनता पार्टी सरकार अब तो पहले से ही अल्पसंख्यक दल की सरकार बन गई है। इसके पर्याप्त बहुत सारे सदस्य पार्टी छोड़ चुके हैं, अतः यह पार्टी अब अपने आप में कोइ बहुमत वाली पार्टी नहीं रह गई है। मेरे मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा बैशाखियों की तलाश में चारों ओर मारे मारे फिर रहे हैं। कुछ समय के लिए तो बैशाखियां मिल भी सकती हैं। **(व्यवधान)** यदि यहां तक नौबत आ चुकी है तो वे उसे मेरे कुत्ते से भी उधार मांग सकते हैं। **(व्यवधान)** लेकिन असल बात तो यह है कि आखिर ऐसा संकट उत्पन्न कैसे हुआ। मैं अपने इस प्रश्न पर अभी नहीं आना चाहता जिसका कि मैं आगे उल्लेख करूंगा।

प्रश्न यह उठता है कि श्री राजनारायण और अन्य मित्र जनता पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं अब प्रश्न यह खड़ा किया गया है कि जो जनता पार्टी चुनाव में खड़ी हुई थी अब वह पार्टी नहीं है जो कि सरकार चला रही है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि जनता पार्टी विभिन्न दलों की अब एक अटूट, समन्वित इकाई नही रह गई है। यह तो एक जनसंघ द्वारा नियन्त्रित सरकार रह गई है। उनका तो यह कहना है कि श्री मोरारजी देसाई आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ के बन्दी बन कर रह गए हैं। क्या कोई आदमी इस बात से इनकार कर सकता है? (व्यवधान) जनता पार्टी में......... (व्यवधान) आप तो जनसंघी हैं। मैं किसी और से पूछ रहा हूं। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें।

टुकड़े-टुकड़े करके यह कहते हुए लोग जनता-पार्टी से बाहर आ रहे हैं कि वे मोरारजी देसाई की या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रतिनिधि सरकार में सहभागी नहीं रह सकते। आज जो कुछ हो रहा है वह यह है कि भारत सरकार एवजी रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा चलाई जा रही है। श्री मोरारजी देसाई प्रधान-मन्त्री होने पर दावा करते हैं। श्री मोरारजी देसाई को तो यहां तक की त्यागपत्र देने तक की छूट नहीं है। **(व्यवधान)**। वह तो एक कैदी हैं। उन्हें त्यागपत्र देने तक की आज्ञा नहीं है। वे तो उस सीमा तक रा० स्व० से० सं० के बन्दी बन चुके हैं इसीलिए उन्हें दूसरी सीमा तक को भी छूना पड़ा, जबकि वे अपने स्वयं के कहे शब्दों के बिरूद्ध भी चले गये*अर्थात महात्मा गांधी की हत्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने की थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को खुश करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया था। एक यथार्थ भूल अथवा यदि मैं संसदीय शब्द का प्रयोग करूं तो कह सकता हूं "शब्दावलीजन्य अशुद्धता"। उन्होंने ही ऐसी घोषणा की थी। आखिर क्यों? अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। याद रखो, उस पाखण्ड के लिए अब स्वर्ग से भगवान की कोप-दृष्टि उसपर पड़नी शुरू हो गई है। वे उस हद तक पतित हो चुके हैं। प्रश्न तो यह उठता है कि जनता पार्टी सरकार का चयन जनता ने अपनी संकल्पना विशेष के साथ किया था। प्रश्न तो यह रह गया है कि जब यह

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

बिखर चुकी है, जब इसका स्वरूप नष्ट हो चुका हैं जब यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रतिनिधि सरकार-मात्र बनकर रह गई है तो क्या इस सरकार को नैतिकरूप से सत्ता में बने रहने का कोई हक है ? आज एक अल्पसंख्यक सरकार सत्ता में बनी हुई है। हम इसका परीक्षण करेंगे और उसके लिए सभी के राजनैतिक दांव-पेच अपनाये जायेंगे उन्हें जो चाल वे चलें चलने दो।

ईमानदारी से होना क्या चाहिये ? आपको यह तथ्य स्वीकार कर लेना चाहिये कि 1977 में जो जनता पार्टी बनी थी वह समाप्त हो चुकी है। आपको यह बात मान लेनी चाहिये कि यह घटकों का गठजोड़ मात्र है। यह बात मान लीजिये कि यह एक मिली जुली संविद सरकार है या अब होने वाली है। सब घटको अलग-अलग हो जाओ ! समाजवादी कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, जनसंधी अलग से बैठकें कर रहे हैं और भारतीय लोकदल कहीं पर अलग से बैठक बुला रहा है। उत्कल काँग्रेस अलग से ही अपनी बैठक बुलाती है। हर कोई अलग-अलग बैठकें कर रहा है। हर कोई अपने स्वयं के जुड़े हुए भिन्न-भिन्न संगठनों को पुनर्जीवित कर रहा है। आप यह बात मान लीजिए कि आप अलग-अलग हैं। अलग-अलग कार्य शुरू कीजिए। मेरा तो यह कहना है : मैं नहीं चाहता कि आप सत्ता में न रहें। परन्तु चलिये तो एक दम से अलग-अलग। मोरारजी देसाई त्याग पत्र दे दें तो आप अलग-अलग हो जायेंगे। उसके बाद फिर एक हुइये और देश का राज्य चलाईये। आप परीक्षण करके तो देखिए। कपटपूर्ण प्रक्रियाएं जारी न रखें। राष्ट्र को नष्ट न करें। एक यह बात मुझे कहनी है।

श्री मोरारजी भाई के बारे में मैं कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। बाइबल की एक उक्ति है। ईसा ने उस कपटपूर्ण स्थिति के सम्बन्ध में "व्हारटलैड सेपेल्कर" का उल्लेख किया था।

मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। क्योंकि ऊपर से सफेदी भी समाप्त हो गई है। सभी जगह गन्दगी है। यह वस्तु स्थिति है। क्या कोई व्यक्ति, इस बात से इन्कार कर सकता है कि हर मोर्चे पर वे नीचे गिरे हैं। जब पीछे मई 1977-78 में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था तो एक विशेष राय व्यक्त की गई थी। यह राय शासक दल जनता पार्टी के सभी वर्गों द्वारा व्यक्त की गई थी जिसमें कहा गया था कि स्थिति बुरी है परन्तु हम उसका सुधार करेंगे। मेरे प्रिय मित्र श्री समर मुखर्जी ने जनता सरकार की सबल अलोचना की उनका कथन था 'आप सही रूप से कार्य नहीं' कर रहे। आप देश में कुशासन चला रहे हैं। स्थिति में सुधार कीजिए। अन्यथा आपको निकाल दिया जायेगा।" यही मंतर था विभिन्न मोर्चों पर गिरावट तभी शुरू हो गई थी। धीरे-धीरे गिरावट बढ़ती गई। यह स्वाभिक है। हम संकट की ओर बढ़ रहे हैं। विभिन्न रास्ते सामने आये। अलग-अलग नेता अलग-अलग मार्गो पर ले जाने लगे। एक वर्ष पहले के निर्मित पर कार्य चलता रहा बाद में रूकावट आ गई और अब टूटना शुरू हो गया। अब विनाश आने वाला है। यह स्थिति है।

मेरे मित्र श्री राज नारायण ने कहा है कि जनता पार्टी अब जनता पार्टी (सी) बन गई है। इस अभिव्यति, में उन्होंने काक कौशल का परिचय दिया है। 'सी' से उन्होंने समापित

साम्प्रदायिक तथा जातिवादी की अभिव्यक्ति की है। क्या कोई कवि इन बातों से इन्कार कर सकता है। जनता पार्टी सरकार भ्रष्ट है, उसमें उत्साह नहीं है। जब चौधरी चरणसिंह के बारे, में जांच की बात चली 'जब उन्होंने कहा जांच कराओ' उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। भ्रष्टाचार से बचने के लिए श्री मोरारजी देसाई सभी प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। जनता पार्टी 'सी' शब्द का उपयोग सही किया गया है क्योंकि यह पार्टी भ्रष्ट है। यदि जनता पार्टी की कोई नीति है तो यह पूंजीवादी कुल की नीति है। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस ढ़ंग से कार्य चल रहा है। क्या कोई व्यक्ति इस बात से इनकार कर सकता है। क्या कोई ऐसा कह सकता हैं कि आपकी नीति पूंजीवादी नहीं है।

क्या विभिन्न मामलों पर आपकी स्पष्ट विचारधारा है। आप स्वयं भ्रम में पड़े हुए हैं तथा पार्टी को भी भ्रमित कर रहे हैं। आप संकट में पड़ गये हैं। आपकी पार्टी अपराधियों की पार्टी है। यह स्थिति है। आप में जनता पार्टी के युक्त कोई बात नहीं है। जनता शब्द के प्रयोग द्वारा इसको दुरुपयोग न करें आप कोई अन्य नाम अपना लें।

विभिन्न पहलुओं की चर्चा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। देश की साम्प्रदायिक दशा पर समिति में चर्चा की गई थी। उसका सभापतित्व बाबू जगजीवन राम जी कर रहे थे। उसमें मैंने गृह मन्त्री को घटनाएं बताई थीं। मैंने अलीगढ़ तथा जमशेदपुर में घटी घटनाओं का उल्लेख किया था। स्थिति पर नियन्त्रण करने की चेष्टा करें। क्या आप किसी प्रकार उन पर काबू पा सकते हैं ? क्या यह सच नहीं है कि आज मुस्लिम समुदाय को अपने अस्तित्व का भय बना हुआ है। क्या कभी इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ है ? किसी भी स्थिति में विस्थापित भारत से बाहर नहीं गये। 1947 में ऐसा हुआ था परन्तु बाद में वे वापस आ गये। पहली बार नदियां से हजारों विस्थापित बाहर गये। (**व्यवधान**)

प्रो० समर गुह (कन्टाई) : जिन बातों का आपको पता नहीं है उनपर टिप्पणी न करें।

श्री सी० एम० स्टीफन : उनके असंतोष के लिए मैं कह सकता हूं कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) पार्टी का कोई दोष नहीं है। सचाई यह है कि नदियों से हजारों विस्थापित बंगला देश गये हैं। आज हमारे देश की यही स्थिति है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : यह असत्य का स्रोत है।

प्रो० समर गुह : इतनी कम बुद्धिमता। इतनी कम जानकारी।

श्री सी० एम० स्टीफन : जहां पर ईसाई साम्प्रदाय भी है जिससे मेरा संबंध है। जब संविधान बना तब 'फादर डी सोजा' ने कहा था कि हमें कोई संरक्षण अथवा आरक्षण नहीं चाहिए। हमने अपना भविष्य बहुमत के हाथों में रखा। क्या कभी इस देश में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि ईसाई साम्प्रदाय ने अपने को असुरक्षित पाया हो। अब यह विधेयक लाया गया है। क्या यह प्रधान

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

मंत्री का कर्त्तव्य नही था कि इस पर स्पष्ट वक्तव्य देते । उन्होंने ऐसा नहीं किया । उन्होंने बताया कि विधेयक उचित है । जो भी बिशप लोग उनसे मिलें उन्होंने यही कहा इसमें बुराई क्या है ? वह ऐसा रवैया अपनाते हैं और जब कठिनाई पैदा हो जाती है तब तुरन्त कह देते हैं कि यह मेरे निजी विचार हैं । हर बात में उनके दो मत हैं, एक निजी और दूसरा सरकारी ।

एक माननीय सदस्य : आप गौ हत्या को समर्थन क्यों देते हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : इस समुदाय का इतिहास ईसाईयत के इतिहास से जुड़ा हुआ है । यह कोई नया धर्म नहीं है । यह 2000 बर्ष पुराना है । यह समुदाय अब असुरक्षित है क्योंकि प्रधान मन्त्री आर० एस० एस० के बन्दी हैं और आर० एस० एस० द्वारा लाये गये विधेयक की निन्दा नहीं कर सकते हैं ।

हरिजनों की क्या स्थिति है ? क्या मैं पुनः दोहराऊंगा । अनेकों बार यह कहा जा चुका है मैं उसे दौहराना नहीं चाहता । तथ्य यही है जैसा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कहा गया है, हरिजन अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । अर्थ-व्यवस्था की क्या स्थिति है । मैं आंकड़े दुहराना नहीं चाहता परन्तु इस देश के लोग संकट का सामना कर रहे हैं । एक गृहणी जो बाजार जाती है वस्तुओं के मूल्य जानती है । आंकड़े स्वयं इस बात को कहते हैं । मुद्रा स्थिति में 29 प्रतिशत वृद्धि हुई, यह अध्ययन आंकड़े हैं । परन्तु विस्मयजनक बात यह है कि प्रधान मंत्री कहते हैं पूरे दम्य और असंतोष से कहते हैं कि हमने मूल्यों पर नियंत्रण कर लिया है । वह समझ नहीं पा रहे हैं । वह अपने महल में रहते हुए या तो सच नहीं बोलते अथवा उन्हें वस्तुस्थिति का पता नही है । मूल्य बढ़ रहे हैं परन्तु वह कहते हैं हमने मूल्य स्तर पर नियंत्रण कर लिया है । उत्पादन में कमी हुई है । जार्ज फर्नाण्डिस आंकड़ों के विशेषज्ञ हैं । मुझे पता नहीं है कि उनके आंकड़े कहां से आते हैं । किस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा हैं हर क्षेत्र में उत्पादन में कमी आई है । वस्तुस्थिति यह है कि आज देश में बहुराष्ट्रीय व्यवसायियों को खुली छूट है । हमारे वैज्ञानिक समुदाय में आंतक फैला है वैज्ञानिक समुदाय को समाप्त कर दिया गया है । यही वस्तुस्थिति है ।

'स्टील अथारिटी आफ इंडिया जैसे शक्तिशाली संगठन को बढ़ावा मिला हुआ है । दोनों पक्षों की ओर से पुरजोर विरोध के बावजूद इस्पात का उत्पादन अधिक है उसका क्या परिणाम निकला ? इस्पात के मामले में पूरी तरह अराजकता छाई हुई है । कोयले का उत्पादन बढ़ गया था, वह भी कम हो गया है । हरक्षेत्र में मूलभूत ढांचे गिर रहे हैं । अर्थ-व्यवस्था गिर रही है आम व्यक्ति के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है । आपने इस देश की अर्थ-व्यवस्था का इस प्रकार कुप्रबन्ध किया है कि इसके विरुद्ध महाअभियोग चलाया जाना चाहिए । ईन मामलों के प्रबन्ध करने का ढंग ही आपकी अपराधिता है ।

प्रैस की क्या स्थिति है ? आप समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की बात करते हैं । क्या कोई श्रमजीवी पत्रकार कह सकता है कि उन्हें वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त है ? जहां पर नियोक्ता समाचार पत्रों पर नियंत्रण करते हैं, जहां वे अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं ले पाते

तथा उनके विद्रोह करने वाला श्रमजीवी पत्रकार सुरक्षित नहीं है। आज समाचार पत्रों का स्वतंत्रता का अर्थ पूंजीपति की स्वतंत्रता है जोकि समाचार पत्रों पर नियंत्रण करता है। समाचार पत्रों की कोई स्वतंत्रता नहीं है। वर्तमान प्रेस एक बन्दी है। (**व्यवधान**)

श्रमजीवी वर्ग की क्या स्थिति है ? अपने निर्वाचन घोषणापत्र में आपने उनकी दशा पर आंसू बहाये थे। उनके कठिनता से प्राप्त किया गया अधिकार छीन लिया गया। मंहगाई भत्ते को रोक दिया गया। उसके बोनस को छीन लिया गया और अधिकार का दुरुपयोग किया गया है।

जमा मंहगाई भत्ते की क्या स्थिति है ? आप अभी भी उसको अदायगी निलम्बित कर रहे हैं। बोनस की क्या स्थिति है। आप अभी भी उसकी अदायगी में देरी कर रहे हैं। आपने उसको देने का बचन दिया था। (**व्यवधान**)

मैं यह कह रहा था कि आपने अपने चुनाव घोषणापत्र में वचन दिया था। यह प्रश्न कि आपने क्या किया जनता से पूछिए। आप उन बचनों के आधार पर सत्ता में आये और अब आपने उन बातों को त्याग दिया है और अब जब आप जनता के समक्ष जायेंगे तो जनता आपको त्याग देगी। क्या मेरा यह कथन तर्क युक्त नहीं है ?

अब इस पूरी असुरक्षा, कठिनाईयों तथा बढ़ते हुए तनावों के लिए कौन उत्तरदायी है। दुर्भाग्य से प्रधान मन्त्री उत्तरदायी हैं वह पांडिचेरी गये। वहां पर घोषणा करते हैं तब वहां उपद्रव शुरू हो जाते हैं। और लोग मारे जाते हैं वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आ जाते हैं कुछ लोग नेपाली भाषा पर प्रश्न रखते हैं। वह कहते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो देश को छोड़कर जा सकते हैं। शीघ्र हुल्लड़ शुरू हो जाता है। जहां पर स्थिति शांतिमय होती है श्री मोरारजी देसाई स्काईलैब की तरह वहां पर पहुंचते है और उपद्रव शुरू हो जाते हैं। यहाँ कहीं भी शांति है वह उसे सहन नहीं कर सकते। वह कह देते हैं कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। उस निजी राय से देश खत्म हो गया होता। देश की प्रगति के बारे में अप्रभावित रहना और हठधर्मिता अपनाना देश के लिए कड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। यह जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए उत्तेजना देने वाले वही हैं मेरा यही निवेदन है।

ऐसे आधार बहुत से हैं जिनके लिए जनता पार्टी पर हमला किया जा रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके बल पर वह जारी रहने की मांग कर सकते हैं। उनका हर क्षेत्र में पतन हुआ है। नेतृत्व का पतन हुआ है : वह अल्पमत में रह गये हैं। उनका दल विछिन्न हो गया है। उनकी निजता समाप्त हो गई है : मैं स्वीकार करता हूं कि यह नेतृत्व के प्रति अविश्वास का है। राजनीतिक नेतृत्व समाप्त हो गया है। प्रशासनिक नेतृत्व समाप्त हो गया है। सांपों की सर्कस हो रही है। इस प्रकार देश का नेतृत्व नहीं होता।

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

मैं यह नहीं कहता कि 65 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में एक ही नेता होना चाहिए। हमें मनोबल दिशा निर्देशन और दूरदृष्टि की आवश्यकता है। आपको देश में अस्थिरता लाने का कोई अधिकार नहीं है। अब क्या हो गया है। आपमें विषमता अधिक है। आप मिलकर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। यदि कोई समाजवादी मंत्री आर्थिक कार्यवाही करता है तो स्वतन्त्र दल का मंत्री उसका विरोध करता है। यदि स्वतन्त्र घटक का मंत्री कोई निर्णय लेता है तो समाजवादी घटक का मंत्री तत्काल बड़बड़ाता है। अत: कोई कार्यवाही की जाती है तो उसकी देश में तत्काल प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए आपने निष्क्रिय कहना उचित समझा है। निष्क्रियता से देश में प्रतिक्रिया होती है। कार्यवाही से पार्टी में प्रतिक्रिया होती है। आप किसी भी प्रकार काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है आपका गठन ही ऐसा है। पिछली बार जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी मैंने कहा था कि देश यह सहन नहीं कर सकता कि प्रयोग होते रहें। यह प्रयोग सफल भी नहीं होगा क्योंकि आप लोग कई दल हैं, जिनका जन्म कांग्रेस की कोख से हुआ है। जब मतभेदों के बावजूद कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया तो आप इस अच्छी प्रकार संगठित पार्टी में नहीं रह सके। आप इससे बाहर चले गए और अलग-अलग दल बना लिए, अब परस्पर निकट आकर आप स्वयं को एक पार्टी कहते हैं। इस प्रकार आप कैसे कार्य चला सकते हैं। आप एक मिली-जुली सरकार के रूप में कार्य कर सकते हैं, परन्तु एक दल के रूप में नहीं। इन दो वर्षों के दौरान आपने देश को बड़ी विपत्ति में डाल दिया है तथा तबाह कर दिया है। आप देश की एक ही सेवा कर सकते हैं, वह यही है कि आप त्याग-पत्र दे दें और सरकार छोड़ जाएं ताकि लोग अपने आप को बचाने के लिए कोई और मशीनरी स्थापित कर सकें। अन्यथा, जो कोई भी आएगा वह स्थिति को सुधार नहीं सकेगा। आप देश को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जिससे यह उभर नहीं सकेगा। **(व्यवधान)** यदि आप के बश का नहीं है तो लोगों पर छोड़ दीजिए। आप लोगों की प्रभुसत्ता और उनके अधिकारों की बात करते हैं। आपने यह प्रमाणित कर दिया है कि आपके वश की बात नहीं है। आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि आप इकट्ठे नहीं रह सकते। आप ने सिद्ध कर दिया है कि आप के विचार एक जैसे नहीं हैं। हमें रोकिए मत। खुदा के वास्ते इस देश की बागडोर छोड़िए ताकि ये अपनी कोई और व्यवस्था कर सके। यदि आप कोई अन्य व्यवस्था करना चाहते हैं तो कर देखिए। अगर नहीं कर सकते तो लोगों के पास जाइये। यदि आप अन्य व्यवस्था कर सकते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप तत्काल लोगों के पास जाएं। **(व्यवधान)**

आपके लिए सही और ईमानदारी का एक ही रास्ता है कि आप लोगों के पास जाएं। परन्तु यदि आप अन्य कोई प्रयोग करके देखना चाहते हैं तो आप करके देखिए। परन्तु आप असफल हो गए हैं। श्री मोरारजी देसाई की सरकार असफल हो गई है। आपको आगे नहीं बने रहना चाहिए। आपने धर्म निरपेक्ष राष्ट्र को साम्प्रदायिक राष्ट्र में बदल दिया है। आपने समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल दिया है।

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

आपने सरपट दौड़ती अर्थव्यवस्था और विकास को बिल्कुल अविकास में बदल दिया है और इसे पीछे ले जा रहे हैं। आपने लोगों को कष्ट दिए हैं। खुदा के वास्ते अब बस कीजिए। बस मुझे यही कहना है।

मेरा समय समाप्त हुआ। समाप्त करते-करते स्थिति को देखकर मुझे कॉलरिज की एक कविता स्मरण हो आती है।

जिसका भाव यह है जनता पार्टी के कामों पर आंसू बहाना मूर्खता है और हंसना दुष्टता। देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा था कि चार वर्ष की अवधि में कोई भी व्यक्ति सरकार को इतना नुकसान नहीं कर सकता जिसकी पूर्ति की जा सके। यदि अब्राहम लिंकन आज जीवित होते तो वे अपने आपको सुधार लेते और कहते मैंने ऐसा कहकर भयंकर भूल की है। यदि सरकार ऐसे भयंकर व्यक्तियों के हाथों चली जाए जैसे कि आज हैं तो केवल दो वर्षों में ही इतना नुकसान किया जा सकता है, जिसकी क्षतिपूर्ति न हो सके। एक दिन बीतेगा यह क्षति अपूर्णीय होती जाएगी। ज्यों ज्यों समय बीतता चला जाएगा यह क्षति बिल्कुल अपूर्णीय होती जाएगी। अतः आज ही त्यागपत्र दे डालो और देश को मुक्त करो। मैं प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करता हूं।

श्री मनी राम बागड़ी (मथुरा) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वाएंट आफ आर्डर है। जनता पार्टी (सी) से 44 मेंम्बर निकल कर के जनता पार्टी (एस) में आ गये हैं। जब जनता पार्टी (सी) माइनोरिटी पार्टी रह गयी है। इसलिए जनता पार्टी (सी) को अब सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं हैं। अगर इस पार्टी में कोई अखलाखी आदमी है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इन को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री दौलत राम सारण (चुरु) : ये कम्युनल हैं, हम सैक्युलर हैं। जिन लोगों ने वादा खिलाफी की है उनको कोई अधिकार नही है शासन में रहने का। जो नैतिकता का दम भरने वाले हैं उन में जरा भी नैतिकता रह गई है तो वे त्यागपत्र दे करके सामने आएं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : महोदय, मैंने विरोधी पक्ष के नेता के भाषण को सुना है तथा मैंने विरोधी पक्ष के भूतपूर्व नेता को भी सुना था। जहां तक विरोधी पक्ष के नेता के भाषण का सम्बन्ध है, इसमें कोई जान नहीं थी और निराशाजनक था। जहां तक विरोधी पक्ष के भूतपूर्व नेता का सम्बन्ध है। यह निराशा और क्रोध से परिपूर्ण था।

जब श्री स्टीफन विरोधी पक्ष के नेता बने तो इन्होंने भी अविश्वास प्रस्ताव रखा था। क्यों? संभवत विरोधी पक्ष के नेता के रूप में अपना विजयोत्सव मानने के लिए। यह प्रथा रही है। अब श्री चह्वाण पुनः विरोधी पक्ष के नेता बने हैं। उन्होंने भी अविश्वास प्रस्ताव रखना उचित समझा है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : चूंकि आपको शिक्षित करने की आवश्यकता है इसलिए मैं आपको सूचित करता हूं कि मैंने अविश्वास प्रस्ताव पहले रखा था और विरोधी पक्ष का नेता बाद में बना हूं।

श्री कंवर लाल गुप्ता : अब वे विरोधी पक्ष के नेता बन गए हैं। वे भी अपनी विजय की खुशी मना रहे हैं। परन्तु उनके भाषण में आपको कुछ नहीं मिलेगा न कोई जोश, न कोई जान। वे पहले भी विरोधी पक्ष के नेता थे। बाद में वे हटा दिए गए और अब फिर बन गए हैं। और अब वे अपनी विजय की खुशी मना रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे कि एक युवा दम्पति विवाह के पश्चात् हनीमून के लिए जाता है। परन्तु तलाक का क्या हुआ ? आप इसमें सहृदयता क्यों नहीं लाते ? वे तलाकशुदा थे क्योंकि अब वे फिर विरोधी पक्ष के नेता बन गए हैं। मैं नहीं जानता कि वे कितना समय इस पद पर रहेंगे। संभवतः एक पखवाड़े के बाद वे फिर वदल दिए जाएं और स्टीफन पुनः विरोधी पक्ष के नेता बन जाएं। यह एक ही परिवार है।

श्री चव्हाण कहते हैं: आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ? हम इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। परन्तु क्या मैं भी श्री चव्हाण से प्रश्न कर सकता हूं, आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ? मैं आंकड़े देता हूं। पिछले आम चुनावों के पश्चात् 16 लोक सभा और 41 विधान सभा के चुनावों में से इन्होंने केवल 5 पर चुनाव लड़ा। और एक स्थान पर विजयी हुए। अन्य शेष चार स्थानों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। जहां तक विधान सभा के स्थानों का संबंध है 41 स्थानों में मुझे पता नहीं इन्होंने कितनों पर चुनाव लड़ा परन्तु इन्होंने जीते केवल 2 स्थान और अन्य सभी स्थानों पर इनकी जमानत हो गई जब्त। आप जमानत जब्त होने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं यह तथ्य है कि श्री चव्हाण इस सदन में विरोधी पक्ष के नेता है। परन्तु जनता में वे क्या हैं ? वे शून्य हैं। श्री अर्स का धन्यवाद कीजिए कि वे विरोधी पक्ष के नेता बन गए हैं। इसके लिए संजय गांधी को भी धन्यवाद दीजिए। श्री चव्हाण कोई अपने गुणों से इस पद पर नहीं पहुंचे।

अब मैं कांग्रेस (आई) को लेता हूं। इन्होंने 13 लोकसभा स्थानों के लिए चुनाव लड़ा और 6 पर विजय प्राप्त की। लड़े गए 22 विधान सभा स्थानों में से इन्हें केवल 8 पर विजय मिली। चार स्थानों से उनकी जमानत जब्त हुई।

अब में जनता पार्टी पर आता हूं (**व्यवधान**) आपको सन्तोष करना चाहिए। मैं श्री चव्हाण और श्री स्टीफन के बीच में कभी नहीं बोला हूं। इससे पता चलता है कि उनका प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है जनता पार्टी ने क्या कार्य किए हैं ? हम इसलिए शासन में आए क्योंकि हमने चुनाव जीते।

श्री सी० एम० स्टीफन : कौन सी जनता ?

श्री कंवर लाल गुप्त : हमने चुनाव जीता और शासन में आ गए।

उपाध्यक्ष महोदय. जनता पार्टी ने 13 लोक सभा की सीटें लड़ीं और 13 में से 7 सीटें जीतीं, लेकिन कांग्रेस की एक को छोड़ कर बाकी सब जगह जमानत जब्त हुई। 6 सीटें कांग्रेस

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नही किया गया।

(आई) ने जीतीं। तो अब बताइये कि तीनों पार्टियों में से किसका सबसे अच्छा रेकार्ड है ? इतना ही नहीं असेम्बली की हमने 34 सीटें लड़ीं और उनमें से 18 जीतीं ...

श्री वसन्त साठे (अकोला) : जनता पार्टी (सी) ने या जनता पार्टी (एस) ने ?

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं कि केवल 1977 में हमने चुनाव जीता था. बल्कि आज तक ढाई साल में जितने भी चुनाव हुए उनमें आप दोनों से मिला कर के ज्यादा सीटें जनता पार्टी ने जीतीं हैं। और मेरे पास इन्दिरा गांधी जब प्रधान मन्त्री थीं उस समय के शुरू के ढाई साल के समय में जितनी सीटें उन्होंने हारी हैं उसके आंकड़े निश्चित अभी मेरे पास नहीं हैं, लेकिन में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जनता पार्टी का रेकार्ड उनसे ज्यादा अच्छा है। तो आज जनता को कौन रिप्रजेन्ट करता है ? जनता पार्टी जनता को रिप्रजेन्ट करती है। चव्हाण साहब अगर आप नो-कान्फीडेंस मोशन लाना चाहते हैं तो जनता में जाइये, अपने कुछ रूल्स बनाइये, आजकल बारिश का मौसम है प्लान्टेशन कीजिये, खाद लगाइये, पानी दीजिये, तब वहां बैठने का स्वप्न देखिये । अन्यथा केवल यहां बैठकर दबी और मरी आवाज़ से बातें करने का कोई लाभ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि चव्हाण साहब ने भी और स्टीफन साहब ने भी माइनोरिटी की बातें कहीं हैं और कहा कि यहां पर दंगे बहुत हुए। मेरे पास उन दगों की भी फिगर्स हैं। मैं उन सब लोगों में से हूं, जो यह समझते हैं कि अगर एक भी दंगा होता है तो वह हमारे लिये शर्म की बात हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं और आप भी शामिल हैं। पहले भी दंगे होते थे, उसके लिये भी हम सब शर्मिन्दा थे। भारत में किसी मज़हब और धर्म के बारे में दंगे हों और अगर किसी एक का गला भी काट दिया जाये, अगर एक आदमी के साथ भी ऐसा होता है, तो सारे देश का सिर शर्म से झुकना चाहिए और झुकता है। आज हमारे भाई कह रहे हैं कि जनता पार्टी में बहुत ज्यादा दंगे हुए हैं। मैं आंकड़े दे रहा हूं जो कि आपके बनाए हुए हैं, जब चव्हाण साहब होम मिनिस्टर थे, उनके समय के आंकड़े देना चाहता हूँ।

श्री बसन्त साठे : आंकड़ों से तो मारे गए लोग वापिस नहीं आ सकते।

श्री कंवरलाल गुप्त : 1969 में 519 दंगे हुए जिसमें 603 आदमी मारे गए, 1970 में 521 दंगे हुए जिसमें 297 मारे गए, 1971 में 321 दगे हुए जिसमें 103 आदमी मारे गए, 1977 में 188 दंगे हुए और 1978 में 230।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि दंगों की अगर संख्या दे दी जाए तो क्या आपके समय दंगे नहीं हुए थे ? अगर वह गलत थे, तो यह भी गलत हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर एक भी दंगा होता है, तो वह गलत है।

मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसमें माइनोरिटीज की रक्षा के लिए माइनोरिटी कमीशन बैठाया। 30 साल में आपने क्या किया ? केवल बातें की हैं और कुछ नहीं किया है।

कहा जाता है कि जनसंघ और आर० एस० एस० के लोग इसमें शामिल हैं, वह दंगे कराते हैं। मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। चह्वाण साहब, आप हृदय पर हाथ रखकर देखिए, आप सीनियर लीडर हैं। हम जनता पार्टी के अलग-अलग घटक नहीं हैं, लेकिन अगर अलग-अलग घटक से भी देखा जाए तो जहां पर जनसंघ के मुख्यमन्त्री हैं, क्या कहीं पर भी एक जगह भी कोमुनल राइट हुआ है ? आपकी कांग्रेस और कांग्रेस (आई) और जनता में भी हुए हैं।

मैंने इसीलिए कहा कि अगर एक भी राइट होता है तो वह गलत है।

एक बात और यहां पर कही गई कि बहुत अत्याचार होता है, ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। मैं समझता हूं कि जब चह्वाण साहब होम मिनिस्टर थे, मैं चौथी लोक-सभा में यहां था, मैंने कितनी बार यह सवाल उठाया, यहां पर डिस्कस भी हुआ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं उसमें से कोट कर सकता हूं, चह्वाण साहब ने कहा कि ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

एमंजेन्सी में क्या हुआ ? बह बताता हूं। मैंने एक सवाल पूछा—

प्रश्न : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में देश में कितनी बार गोली चलाई गई और इनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

उत्तर : राज्य और संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस ने आपातकाल में 313 बार गोली चलाई और 178 व्यक्तियों की इससे मृत्यु हुई।

श्री चह्वाण जी यह आपका रिकार्ड रहा है। और यहां तो रिकार्ड पर है। अगर रिकार्ड से अलग हिसाब लगाया जाए तो और भी ज्यादा है।

हमारे स्टीफन साहब कह रहे थे कि यह क्रिमिनल गवर्नमेंट है। आपको बहुत अच्छा लगता है—एक सरकार जिसने लाखों लोगों को उनकी गलती बताए बिना उनका दोष वताए बिना कैद कर लिया, एक सरकार जिसने प्रैस का गला घोंटने के लिए सब कुछ कर डाला और न्यायालयों के दरवाजे बन्द कर दिए, इन्हीं लोगों ने संविधान की हत्या की और इसे नष्ट कर डाला आप कहते हैं, यह क्रिमिनल गवर्नमेंट है।

हम विधान के अनुसार शासन करते हैं क्या यह सही नहीं है कि आप यहां पर एक बिल लाए जिसमें कहा कि प्रधान मन्त्री के ऊपर कोई चीज लागू नहीं होगी, प्रधान मन्त्री एगजेम्प्ट होंगे— उनके लिए कोई रूल आफ़ ला नहीं है ? अगर कोई तांगे वाला कुछ गड़बड़ करेगा, तो पकड़ कर अन्दर किया जाएगा।

मेरे दोस्त, स्टीफन साहब, ने बोनस की बात कही। बोनस किसने खत्म किया था ? आपने खत्म किया, और जनता पार्टी ने आकर उसको रेस्टोर किया।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम इसी कारण हार गए थे। आप यही वायदे करके वापस आए हैं। आपने क्या किया है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : स्टीफन साहब कहते हैं कि आपकी पार्टी में कोई डायरेक्शन नहीं है, अलग-अलग बातें होती हैं। मैं मानता हूं कि किसी हद तक अलग-अलग बातें होती हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर डायरेक्शन है। बस यही डायरेक्शन है।

श्री कंवर लाल गुप्त : लेकिन हम ऐसी पार्टी भी नहीं बनाना चाहते हैं, जिसमें एक ही आदमी की डायरेक्शन हो और बाकी पत्थर बन जायें। हमारी पार्टी इन्सानों की पार्टी है, हमारे यहां प्रजातन्त्र है। वह कहते हैं कि यह चले गए, वह चले गए, कुछ लोग निकल गए। ठीक है, निकल गए, लेकिन आपका अपना क्या हाल है ?

श्री चह्वाण साहब, 1966 में जो कुछ हुआ मैं आपको उसकी याद दिलाना चाहता हूं। तब आपने क्या भूमिका निभाई ? आप में विभाजन हुआ। तब आप पहले व्यक्ति कहां थे ? क्या यह तथ्य नहीं है कि आप बदल गए। आप फिर वदले और कांग्रेस का पुनः विभाजन हुआ। इसमें अब फिर विभाजन हो गया है। कितनी बार कांग्रेस का विभाजन हो चुका है ? अन्तिम स्थिति यह है कि एकता कायम करने के लिए श्री स्वर्णसिंह ने भरसक प्रयास किया। इसमें सफलता क्यों नहीं मिली ? क्योंकि संजय गांधी आड़े आ गया। अतः आप एक नहीं हुए। क्या मैं गलत कह रहा हूं ? इतनी ही बात थी। झगड़ा क्या था ? झगड़ा था संजय गांधी। अतः आप एक नहीं हुए। आपको संजय गांधी से भय था। यह तथ्य है। कांग्रेस ने चिकमंगलूर में इन्दिरा गांधी का समर्थन किया। इन्दिरा गांधी के बारे में आपको कोई आपत्ती नहीं है।

श्री चह्वाण एथारिटेरियनिज्म की बात कहते हैं लेकिन इन्दिरा गांधी को स्पोर्ट करते हैं। आज वह फिर वही बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देवराज अर्स के बारे में, जिनकी मेहरबानी से वह लीडर आफ दी अपोजिशन बने हैं, कमीशन ने क्या कहा है। वह भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं। साठे साहब मैं ठीक कह रहा हूँ।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : आप ठीक नहीं कह रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : आप प्रधान मन्त्री से पूछें।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह जो इनफ़ाइटिंग है, यह कौन जनता पार्टी, की ही बीमारी नहीं है। यह कोई कांग्रेस की ही बीमारी नहीं है। यह राष्ट्र की 30, 32 साल की **पुरानी बीमारी है।**

चह्वाण साहब ने कहा कि आपने स्टेट गवर्नमेंट् को गिराया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह "आयाराम" और "गयाराम" कहां से शुरू हुआ। मैं उस वक्त इस सदन का सदस्य

था। यह शब्द किसने कायन किया था ? श्री चह्वाण ने किया था। उस वक्त हरियाणा की गवर्नमेंट को किसने गिराया था ? यू० पी० में श्री बहुगुणा की गवर्नमेंट को किसने टापल किया था ? क्या इन्दिरा गांधी ने टापल नहीं किया था ? यह "आयाराम" "गयाराम" और टापलिंग वगैरह का खेल किसने शुरू किया था ? क्या यह आज की बीमारी है ? यह पुरानी लेगेसी चली आ रही है। मैं एग्री करता हूं कि इस को खत्म करना चाहिए। लेकिन अगर माननीय सदस्य इसी बात को लेकर नो कान्फिडेंस मोशन लायेंगे, और अपनी पुरानी बीमारियों, और आज की बीमारियों को भी, भूल जायेंगे, तो वह अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर सिर्फ एक फ़ार्मलिटी पूरी कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते हैं।

चह्वाण साहब ने कहा कि हम ने मिज़ोरम में लोगों को गोली से भून दिया। उन्होंने मिज़ोराम और नागालैंड में क्या किया था ? मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि नागालैंड में सप्लाई मिनिस्टर, टाक्यो हुए सेमा, को चार एम० एल० एज़० के साथ एवडक्ट किया गया, दूसरी जगह ले जाया गया और यू० डी० एफ० की गवर्नमेंट को टापल कराया गया। आप की सरकार के द्वारा जो कि एलेक्टेड थी। मैं यह कहना चाहता हूं, इस की एक एन्क्वायरी करायी जाये कि मिजोरम में, नागालैंड में और उस सारे एरिया में कितने लोगों को आप की सरकार ने मारा और हमारी सरकार ने कितना किया। इस की एन्क्वायरी होनी चाहिए। उस वक्त होम मिनिस्टर भी चह्वाण साहब थे। मुझे याद है मैं उस समय नागालैंड गया था आप की मर्जी से वहां पर जितने गांव हैं, उस से ज्यादा मिलिटरी के कैम्प थे। मैं बताना चाहता हूं कि वह सेंसिटिव एरिया है। उस में गड़बड़ पहले भी थी, पहले ज्यादा थी, आज भी गड़बबड़ है लेकिन यह मत कहिए कि जनता पार्टी के आने से हुआ। आप ऐसे नये तथ्य बताइए जिस में जनता पार्टी के आने के बाद बढ़ोत्तरी हुई है। आप के पास कोई तथ्य नहीं थे। मैंने तो चह्वाण साहब को बहुत बड़ा डिबेटर देखा है। मैंने आप को बहुत अच्छे मूड में देखा है, आज आप बहुत डिप्रेस्ड थे। ......(**व्यवधान**)......मैं खत्म कर रहा हूं।

जब मैं एकोनामिक ईश्यूज़ पर कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह जरूर मानता हूं कि ढाई साल में जो जनता ने अपेक्षाए की थी, शायद उतनी हम पूरी कर पाए लेकिन जनता पार्टी का ढाई साल का रेकार्ड कांग्रेस के तीस साल के रेकार्ड से बहुत अच्छा रहा। ...(**व्यवधान**) ...मैं आंकड़े देता हूं। स्टीफन साहब आप सुनें। यह रिकार्ड में है। मुझे इस पर गर्व है। मैं समझता हूं कि इस साल फ्लड आने के बाद भी रेकार्ड फूड प्रोडक्शन हुआ है। 33 मिलियन टन का प्रोडक्शन आ चुका है। इर्रीगेशन को देखिए, इर्रीगेशन में नया रेकार्ड हम ने पैदा किया है। 2.8 मिलियन हैक्टर्स भूमि 78-79 में इर्रीगेटेड लैंड में आ गई जब कि 75-76 और 76-77 का मिला कर भी 2 मिलियन हैक्टेयर नहीं था। जब केवल एक साल में ढाई मिलियन हैक्टेयर से ज्यादा है।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखिए । इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 7.5 परसैंट 78-79 में था और आप के उस से पहले के 6 सालों में 4 परसैंट था । यह रेकार्ड में है, मैं इसे प्रूव कर सकता हूं । ...(**व्यवधान**)...

इसी तरीके से जहां तक प्राइसेज का सवाल है आप एक बात से सहमत होंगे कि जनता पार्टी के शासन के पहले दो वर्षों में प्राइसेज़ स्टेबल रहीं और केवल नामिनल इन्क्रीज़ हुआ । पिछले चार पांच महीने में दाम थोड़े बहुत जरूर बढ़े हैं लेकिन उसका कारण यह है कि इंटरनेशनल प्राइसेज़ भी बढ़ी हैं और इस के और भी कई फैक्टर्स हैं । लेकिन प्राइसेज़ इतनी नहीं बढ़ी हैं जितनी आप के समय बढ़ी थीं । 72-73 में इन्फ्लेशन था 10 परसैंट, 73-74 में 20 परसैंट और 74-75 में मैक्सिमम सो फार 25.2 था । तब आप ने कुछ नहीं कहा और अभी केवलपरसैंट हुआ है । उसे भी हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं । हमने लोगों से वायदा किया है कि हम हरएक आदमी को एसेंशियल कमोडिटीज़ सारे देश में सप्लाई करेंगे । उस के लिए एक लाख नई दूकानें खोली गई । पहली जुलाई से उस में हरएक आवश्यक वस्तुयें मिल रही हैं । इसके बाद भी अगर आप यह कहें कि जनता पार्टी गद्दी छोड़ कर चली जाय तो इसका कोई औचित्य नहीं है । अगर हमारे पास मेजारिटी नहीं होगी तो हम चले जायेंगे । एमर्जेंसी में जैसे आप ने ज़बर्दस्ती लोगों को बन्द किया ऐसे बन्द कर के हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे । आप को ताली बजाने की जरूरत नहीं होगी । हम अपने आप चले जाएंगे । हम आप को जेल में बन्द नहीं करेंगे, हम निकल जाएंगे ।

हम निकल जायेंगे लेकिन आज जो आप बोल रहे हैं यह ज़बान किसने दी है ? आपके जो अखबार छाप रहे हैं इसकी आजादी किसने दी है ? रेडियो पर आप भाषण देते हैं यह आजादी जनता पार्टी ने दी है । यह री-बर्थ है डिमोक्रैसी का जोकि जनता ने दिया है । जनता को हम रिप्रेजेन्ट करते हैं, आप नहीं । इसलिए मैं कहना चाहत हूं सभी भाइयों से कि यह नोकांफिडेंस मोशन इस सरकार के खिलाफ नहीं है ।

यह लोकतन्त्र की चुनौती है । यह समस्त मानव मूल्यों को चुनौती है । जनता का कौन सा विकल्प है ? जनता का केवल अराजकता है । क्या आप सत्ता में आ सकते हैं ? क्या श्री चह्वाण सत्ता में आ सकते हैं ? मैं कहता हूं नहीं । अतः मैं श्री चह्वाण से अपना अविश्वास का प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध करता हूं । उन्होंने अपना काम कर लिया है । अब आप उसे वापस ले लें । यदि आप इसे वापस नहीं लेंगे तो मैं इस ओर के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वह सरकार का समर्थन करें और अविश्वास प्रस्ताव को विफल बनाएं ।

श्री रघुबीर सिंह (कुरूक्षेत्र) : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है । श्री कंवरलाल गुप्त जी ने कहा है कि माइनारिटी कमीशन बना हुआ है लेकिन करनाल में पांच सौ साल पुराना

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

गुरुद्वारा बना हुआ है जिसके बीच में मन्दिर बनाया गया, माइनारिटी कमीशन ने रिपोर्ट दी है, तीन महीने हो गए हैं क्या मैं गुप्त जी से पूछूं कि कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसपर क्या अमल किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कल्याण जैन ।

श्री कल्याण जैन (इंदौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चह्वाण साहब द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इस पक्ष और उस पक्ष के माननीय सदस्य शांतिपूर्वक सुनेंगे । आपकी उत्सुकता भी होनी स्वाभाविक है कि चन्द दिनों के बाद ही हम चह्वाण साहब के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं । हमारी पार्टी समर्थन कर रही है ।

अभी यहां पर श्री कंवरलाल गुप्त जी बड़ी खूबी से बोले कि चह्वाण साहब संजय की मेहरबानी से यहां पर बैठें हैं अगर मैं यह कहूं कि संजय की मेहरबानी से हम गद्दी पर बैठें हैं तो मैं समझता हूं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । इससे अधिक और शर्म की बात क्या होगी कि आर० एस० एस० के सरसंघ चालक श्री बालाजी देवरस संजय गांधी को आर० एस० एस० में काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं । (**व्यवधान**) हमारे साथी लोग जो जनता पार्टी (सी) में बैठे हुए हैं वह श्री देशमुख, ठाकरे और उनके समर्थक लोग चड्ढ़ी पहन कर बालासाहेब देवरस की रैली में ले जाते हैं, वही बाला साहब देवरस जो संजय गांधी को अमंत्रित करते हैं । (**व्यवधान**) मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी पार्टी के लोग ज़रा शांति से मुझे सुनेंगे क्योंकि वे सत्ता में बैठे हुए हैं । (**व्यवधान**) शर्म उसको आती है जो तर्क का उत्तर तर्क से नहीं देता है । वे बेशर्म और अप्रजातांत्रिक हैं जो शांतिपूर्वक बोलने वालों का उत्तर समय आने पर नहीं देते बल्कि बीच में चिल्लाते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि बीच में अब नहीं बोलेंगे । चुनाव के समय घोषणापत्र से हमारे मन में एक आशा जगी थी, क्योंकि मैं क्रांति में विश्वास करता हूं और मेरा आदर्श डा० लोहिया हैं । उस क्रांति के लिए जनता पार्टी के निर्माण के बाद चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार हमने अपेक्षा की थी कि जनता की आकांक्षाएं पूरी होंगीं और मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो, भ्रष्टाचारी लोगों के पैर कांपने लगे थे । उस वक्त बेईमान आदमी ईमानदार बनना चाहते थे लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता पार्टी जो आज सत्ता में बैठी हुई है, जिसको जनता ने गद्दी पर बिठाया है, एक पीपुल्स रेवोलूशन हुआ है जिस के कारण जनता पार्टी सत्ता में आई, उस ने जनता की आकांक्षाओं को खत्म किया । जनता पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र था, उसमें यह था कि जब वह सत्ता में आएगी, तो वह रोटी और बोली देगी । दुर्भाग्य है कि रोटी तो यह सरकार नहीं दे सकी लेकिन जो बोली दी थी, जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद वह बोली भी मोरारजी देसाई जी की सरकार छीनती जा रही है । मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

और कौन-कौन लोग गला घोट रहे हैं। आन्तरिक प्रजातंत्र में मेरा विश्वास है। आन्तरिक्ष प्रजातंत्र में विश्वास खोने का कारण क्या बना था. इन्दिरा गांधी की तानाशाही और एक व्यक्ति की तानाशाही और आज जनता पार्टी में भी कुछ लोग हैं, जो आन्तरिक प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं करते। मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहता लेकिन सब लोग अच्छी तरह से समझते है। आर० एस० एस० के खासकर वे लोग जो बोले कि हम निवारक नज़रबन्दी कानून का समर्थन करते हैं अगर मोरारजी भाई लाएंगे तो। कहां गया आन्तरिक्ष प्रजातन्त्र। आन्तरिक प्रजातन्त्र उसको कहते हैं कि हमारी राय हर विषय पर होगी और कर्म के समय हम फैसला करें तो सर्वसम्मति से या बहुमत से फैसला हो। मैं पूछना चाहता हूं कि वित्त विधेयक के खिलाफ़ उत्तर प्रदेश के अन्दर वोट दिया जाता है उस सरकार के खिलाफ़, जिस के अन्दर वे बैठे हुए थे, तो उसके खिलाफ़ वोट देने वालों के लिए मोरारजी भाई एक जबान नहीं बोलते और न श्री चन्द्रशेखर हीं एक शब्द बोलते हैं, महीनों तक नहीं बोलते। उसके बाद नोटिस दिया जाता है और अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के अन्दर पहली क्राइसिस जून 1978 के अन्दर आई थी जब श्री चरण सिंह और राजनारायण जी को मन्त्रीमण्डल से निकाला गया था और राजनारायण जी के खिलाफ़ कार्यवाही की गई थी। उस दिन से जनता पार्टी का टूटना शुरू हो गया था। जो लोग राजनीति में रूचि रखने वाले हैं, वे इस बात को समझने की कोशिश करें। उस वक्त उन तमाम लोगों में अधिकांश लोग वे थे जो प्रजातंत्र का गला घोंटने वाले थे, जिन्होंने राज नारायण जी के खिलाफ़ अनुशासन की कार्यवाही करने का समर्थन किया था और उस में श्री मोरारजी भी थे। अगर मोरारजी देसाई ने उस वक्त ऐसा कदम न उठाया होता, तो आज जनता पार्टी की यह हालत न होती। आज मेरी भी जनता पार्टी है लेकिन मैं अभी भी उसे जनता पार्टी मानता हूं, जो सही जनता पार्टी है और जो मेरी जनता पार्टी है।

मै आप को एक बात और बताता हूं। श्री रामकृष्ण हेगडे ने एक सर्कूलर निकाला था कि जनता पार्टी के सदस्य लोग पार्टी फोरम के अन्दर ही बोलें और सार्वजनिक वक्तव्य न दें। यही तो है तानाशाही। हमने उस वक्त बयान दिया था कि इमर्जेंसी के काम की शुरूआत हो रही है, पार्टी को तानाशाही की स्थापना की शुरूआत हो रही है और हम सरीखे कुछ लोग थे जिन्होंने उसका विरोध किया था।

एक बात और कहना चाहता हूं कि पहले जिस को ऑल इन्डिया रेडियो कहा जाता था और अब जिसके अडवाणी इन रेडियो कहा जाता है, अडवाणी साहब के इस रेडियो द्वारा लोकतन्त्र प्रेमियों के भाषण प्रसारित नहीं किये जाते लेकिन बालाजी देवरस का भाषण अगर जो उत्तर प्रदेश की सीमा में है, तो उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक रेडियो द्वारा उसका समाचार दिया जाएगा जो बातें पहले होती थीं, उन की शुरूआत हो गई है।

मध्य प्रदेश के अन्दर मिनी मिसा कानून लाने की बात है। हम सरीखे लोगों ने जनता पार्टी के अन्दर रहते हुए, उस का तीव्र विरोध किया, तो उसका परिणाम यह निकला कि उस को वापस ले लिया गया। फिर किस्सा हुआ मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छन्नता कानून का, जिस

के अन्दर कर्मचारियों की बोली को रोका गया। अब जब हम यह पढ़ते हैं कि कुशाभाई ठाकरे जैसे लोग यह कहते हैं कि निवारक नज़रबन्दी कानून आज जरूरी है, तो मुझे दुःख होता है क्योंकि निवारक नज़रबन्दी कानून के खिलाफ़ हम लोग लड़े थे, मीसा के खिलाफ़ हम लोग लड़े थे और इसीलिए जनतन्त्र में विश्वास होने के कारण जनता ने हम लोगों को वोट दिये थे लेकिन आज वह चीज़ फिर से लाई जा रही है।

इसी तरह से आप यह देखें कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक यद्यपि श्री ओम प्रकाश त्यागी का प्राइवेट बिल है, लेकिन मुझे दुःख होता है कि प्रधान मन्त्री उस वक्त के, श्री मोरारजी देसाई, अभी भी वे प्रधान मन्त्री हैं लेकिन अब हमारे नहीं हैं, उन मोरारजी देसाई ने गन्दे विधेयक की जो लोक सभा में प्रस्तुत हुआ, वकालत की। उस धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक में क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं? उनका परिणाम आज आप देख रहे हैं मिजोरम और नागालैण्ड के अन्दर असन्तोष की भावना फैली हुई है, वे असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं। मेरे पास गजाधर सोमानी जैसे उद्योगपति के पत्र आते हैं कि आप इस विधेयक का समर्थन कीजिए। आज हिन्दुस्तान के पूंजीपति धर्म के ठेकेदार बनकर उस विधेयक का समर्थन और वकालत करते है और दूसरी ओर जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, समाजवाद में विश्वास करते हैं उसका विरोध कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने कहा कि जनता पार्टी का आदेश था और उसने चुनाव के समय अपने घोषणापत्र में कहा था कि हम धर्मनिरपेक्षता और गांधीवादी समाजवाद में विश्वास करते हैं और हम लोकतन्त्र की स्थापना करेंगे। लेकिन इस लोकतंत्र की हत्या की शुरूआत कब से शुरू हुई, उसकी मैंने आपको गिनती करा दी हैं। मैंने आपको बताया कि आज अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना खत्म हो गई है। वे आज अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एक बढ़िया बात मैं आप को और बताता हूं, मैं आरोप नहीं लगाता। एक विचारणीय प्रश्न हमारे सामने है। इन आर० एस० एस० वालों की क्या स्ट्रेटेजी है? इनकी स्ट्रेटेजी है कि जिस प्रदेश में इनका मुख्यमंत्री नहीं है वहां दंगे कराओ और जिन प्रदेशों में इनके मुख्य मंत्री है वहां दंगे मत कराओ। यह एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर बिचार होना चाहिए। (व्यवधान) ये पूछ रहे हैं कि जमशेदपुर में किस ने दंगे कराए? मैं इन्हें बताता हूं कि वहाँ कौन विधायक था? अलीगढ़ में जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन था? यह सब आपको मालूम है।

उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात जनता पार्टी के घोषणापत्र में है। लेकिन दुःख होता है श्री कंवरलाल जी की बात को सुन कर। वे कहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कमलापति त्रिपाठी की सरकार को गिराया और बहुगुणा जी को लायीं, फिर उनको हटाकर तिवारी जी को लायीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग और मोरारजी देसाई सरकारों को गिराने का काम नहीं कर रहे हैं? रामनरेश यादव की सरकार के खिलाफ़ 350

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

सदस्यों में से 103 विधायकों ने लिखकर दिया कि हमें उनमें विश्वास नहीं है वहां आपने उस सरकार को गिरा दिया। इससे ज्यादा शर्म क्या की बात हो सकती है। इसके लिए आपको डूब मरना चाहिए। दूसरी जगह राजस्थान में श्री भेरोसिंह शेखावत, जिनको कि मैं आपके पट्ठे नहीं, आपके शागिर्द कहना चाहता हूं, के खिलाफ मांग की जाती है तो जनता पार्टी का हाई कमान उनको मंजूर नहीं करता है। पार्टी में यह फेक्शनल लायल्टी किस ने दी। यह आर० एस० एस० के लोगों ने दी क्योंकि वे जनता पार्टी पर कब्जा करना चाहते थे। उसी का परिणाम है कि आज जनता पार्टी छिन्न-भिन्न हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, अभी आंकड़े दिये गये कि कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए ? 1977 में चुनाव के बाद साम्प्रदायिक दंगे खत्म हो गये थे। उस समय एक विकल्प बना था, जनता की आकांक्षाएं जगी थीं और भेदभाव खत्म हुए थे। लेकिन आप लोगों ने अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए और चन्दा इकट्ठा करने के लिए, इस देश को हिन्दु राष्ट्र बनाने के लिए सब कुछ किया। जो आपने किया, उसका मैं आपको क्या उदाहरण दूं ?

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आता हूं। किसी ने भी अभी तक यह नहीं बताया कि जनता पार्टी ने पिछले दो सालों में क्या अच्छा काम किया ? मुझे दुःख है कि जनता पार्टी के किसी आदमी ने, उस जनता पार्टी के किसी सदस्य ने जिसका नेतृत्व श्री मोरारजी देसाई कर रहे हैं, यह नहीं बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो सालों में जो अच्छे काम जनता पार्टी ने किये और जिनका विरोध जनसंघ वालों ने किया। जनता पार्टी ने जो अच्छा काम किया वह यह कि उसने गांवों की ओर पैसा खर्च करना शुरू किया, ज्यादा खर्च करना शुरू नहीं किया यह ठीक है। उसने दूसरा अच्छा काम किया कि उन चीजों को हाथ से बनाने दिया जायेगा जो कि हाथ से बनायी जा सकती हैं या छोटी मशीनों से बनाने दिया जाएगा जो कि बनायी जा सकती हैं।

बड़ी मशीन से बनने वाले साबुन और माचिस पर जब टैक्स लगाया गया तो कंवर लाल गुप्त जी और डा० बलदेव प्रकाश जो जन संघ के लोग हैं उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने इस भावना को नहीं समझा कि ऐसा करके ग्रह उद्योग या छोटे उद्योग वालों को प्रोटेक्शन देने की बात थी। मैं जानता हूं कि इनकी क्या स्थिति है और इनके क्या विचार हैं। मैं भी राजनीति का विद्यार्थी हूं। यद्यपि मेरी राजनितिक उम्र कम है लेकिन मैं इन सब बातों को समझता हूं और मैं इनको राजनीति पढ़ा सकता हूं। मैं राजनीति का एक विद्यार्थी हूं।

गांधी वाद और समाजवाद की हत्या का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जनता पार्टी के घोषणापत्र में सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी, जिसको मैं प्यार भी करता था और अभी भी उस घोषणा पत्र को प्यार करता हूं जहां पर यह कहा गया था कि गैर बराबरी को खत्म किया जाए, आय के अन्तर को एक और बीस पर लाया जाए। श्री मोरार जी देसाई रूस और अन्य देशों की यात्रा करके आये हैं। वह तो जानते ही होंगे कि रूस में आय का अन्दर एक और चार या एक और पांच है और चीन में वह एक और चार है। हम ने अपने घोषणा पत्र में इसको एक और बीस पर लाने की बात कही थी। आदर्श स्थिति तो तब होती यदि इसको एक और दस

पर लाने की बात कही जाती और एक और दस पर इसको लाया भी जाता । लेकिन एक और दस की बात को तो आप छोड़ दें, एक और बीस पर लाने का भी प्रयत्न नहीं किया है । हमारे प्रधान मंत्री जी लो कास्ट इकोनोमि की बात बाकायदा करते रहते हैं । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले सवा दो या ढाई साल में एक भी लो कास्ट इकोनोमी का उदाहरण उन्होंने पेश नहीं किया है । वह तारीफ करते है और कहते हैं कि चव्हाण साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे । अच्छा एडमिनिट्रेटर तो कोई भी बच्चा हो सकता है । लेकिन देखना यह होता है कि जो आर्थिक नीतियां हैं, सामाजिक नीतियां है उनको किस तरह से अमल में लाया जाता है । आपने अगर आय के अन्तर को एक और बीस पर भी लाने का प्रयत्न किया होता तो मैं आपकी तारीफ करता । लेकिन उसके लिए भी आपने कुछ नहीं किया । आप ने वैसा किया होता तो हजारों हजार राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को खुशी होती । अब जो स्थिति है वह यह है कि कोने कोने में हम कार्यकर्त्ताओं को समझा नही सकते हैं और न ही इसका कोई उत्तर ही दे सकते है कि एक और बीस पर लाने के लिए भी हमने क्या किया है ।

मैंने बजट के समय सुझाव दिया था और उससे पहले भी मैंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था जिस में यह बताया था कि दो हजार करोड़ रुपया किस तरह से इक्ट्ठा किया जा सकता है और अगर आप चाहें तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके पास भी आ सकता हूं । लेकिन इसके बारे में मेरे सुझाव लेने के लिए उनके पास समय नहीं था । वह तो उनसे ही मिलते हैं जिन के बल पर उनकी गद्दी बरकरार रहें । जो सुझाव देने है आर्थिक ढांचे को सुधारने के लिए और लिख कर पूछते हैं कि अगर आप चाहे तो आकर मिलकर पूरी बात भी बताई जा सकती हैं उनके लिए इनके पास समय नहीं होता है, उसके लिए समय नहीं दिया जाता है । मुझे गद्दी नहीं चाहिये । मैं जनता की भलाई में विश्वास करता हुं, जनता में क्रान्ति की भावना पैदा करने में विश्वास करता हूं और यही मेरा धर्म भी है । मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान तभी तरक्की करेगा जब यहां पर न्यूनतम और अधिकतम आय का अन्तर आप एक और बीस पर ला देंगे और यह और भी ज्यादा अच्छा होगा अगर इसको आप एक और दस पर ले आयें । अगर नहीं लाओगे तो हिन्दुस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा ।

मैं जय प्रकाश जी का समर्थक हूं, उनकी सम्पूर्ण क्रान्ति का समर्थक हूं । भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा सभी क्षेत्रों में क्रान्ति लाने के लिए जय प्रकाश जी ने अभियान चलाया था, आन्दोलन छेड़ा था और उस आन्दोलन के गर्भ से ही जनता पार्टी का निर्माण हुआ था । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जनता पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार, उसकी घोषणा के अनुसार जब शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी लाने का प्रस्ताव यहां आया था तब हमारे श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र ने उसका मखौल उड़ाया था । यह बहुत ही शर्म की बात है । जनता पार्टी के तमाम लोग तब चिल्लाये थे कि आप बराबरी का नाम लेते हो तो शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम पब्लिक स्कूल खत्म तो कीजिये तब उन्होंने इसका विरोध किया था और इस प्रस्ताव का मखौल उड़ाया था ।

अब आप उपभोग पर रोक लगाने की बात को लें। आप देखें कि किस प्रकार से उपभोग बर अन्धाधुन्ध खर्च किया जा रहा है। श्री यशवन्त राय मेघावले जो कि मध्य प्रदेश की सरकार के अन्दर वन मंत्री हैं उनकी लड़की की शादी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में आज जो एडीटोरियँल निकला है मैं चाहता हूं कि उसको किसी ने न पढ़ा हो तो घर जा कर पढ़ लें। उन्होंने अपनी लड़की की शादी पर किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया है उसको यह सब अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा।

जनता पार्टी के घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था कि जनता पार्टी में काम करने वाले सभी लोग अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें और यह श्री जय प्रकाश नारायण जी की हार्दिक इच्छा भी थी। मुझे खुशी होती अगर आप सभी की ओर से ऐसा कर दिया गया होता ताकि पता चल जाता कि श्री मोरार जी देसाई की कितनी सम्पत्ति है, क्रान्ति देसाई की कितनी है, चरण सिंह की और उनके बेटे बेटियों की कितनी है, जगजीवनराम और उनके बेटे बेटियों की कितनी है। और कल्याण जैन की कितनी है। जनता पार्टी ने एक सर्क्युलर भी भेजा था और कंवर लाल गुप्तजी को मालूम भी होगा उसका। मैं नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने विवरण भेजा है या नहीं भेजा है। लेकिन मैंने भर कर भेजा था कि यह मेरी सम्पत्ति है। खुशी होती अगर जनता पार्टी के सभी सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति को जनता के सामने प्रकट करते। लेकिन ऐसा नहीं किया। जब भारत का प्रधान मंत्री अपने बेटे का सहयोग लेता है पारिवारिक, राजनितिक और सामाजिक कार्यों के लिए तो क्या वह प्रधान मन्त्री देश की जनता के हितों की रक्षा कर सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय, क्रान्ति देसाई प्रधान मन्त्री के साथ विदेश में जाते हैं जिस प्रकार इन्दिरा जी नेहरू के साथ जाती थीं। कह सकते हैं मोरार जी भाई कि क्रान्ति देसाई और उनकी पत्नी अपनै पैसे से जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्रान्ति देसाई पैसा कहां से लाते हैं ? एक बात तो हम सब को मालूम है और हमारे कोषाध्यक्ष श्री सी० बी० गुप्ता ने घोषणा भी की है कि 90 लाख रु० क्रान्ति देसाई ने इकट्ठा किया। आप कभी राजनीति में पैसा इकट्ठा करने जाओगे तो क्या 90 हजार भी मिल पायेगा ? नहीं, कभी नहीं। संजय गांधी, इन्दिरा गांधी, मोरार जी भाई और क्रान्ति देसाई को मिल जायेगा, लेकिन हम को नहीं मिलेगा। जिस जय प्रकाश नारायण ने अच्छे सार्वजनिक आचरण की बात की थी, उसकी स्थापना करने की बात की थी क्या उसकी और हमारे प्रधान मन्त्री, हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा आदमी बढ़ा ? क्या आप सार्वजनिक जीवन में आचरण की बात करते हो ? मैं बताता हूं किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अन्दर हमारे साथी लोग, जिनके साथ हमने काम किया, किस प्रकार से वह जबरन चन्दा वसूल कर रहे हैं, धौंस दे रहे हैं। अगर उनकी सम्पत्ति की जांच करे तो मालूम हो जायेगा।

मैं भविष्यवाणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा कहना है, माननीय कंवर लाल जी सुन लें, मेरा राजनीतिक अंदाज है, मध्यावधि चुनाव हों तो मैं तैयार हूं चाहे मोरार जी देसाई

कितनी ही धौंस दें, अब तो लोक सभा भंग करने केलिये भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि माइनारिटी सरकार है ।······ (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय, यह दल बदल की बात करते हैं । मैं उसमें का सदस्य हूं जब जनता पार्टी के अन्दर कांग्रेस के लोगों ने प्रवेश किया था तो मैंने उसका विरोध किया था, चाहे वह डा० सरोजिनी महिषी हों या स्वर्गीय रघुरमैया रहे हों । उस वक्त तो बड़ा मीठा मीठा लग रहा था । आज कड़ुवा कड़ुवा थू, और मीठा मीठा गप, और यह किया इसलिये था कि ताकि हमारी सरकार राज्य सभा में और लोक सभा में मजबूत हो जाय । और मेरा तो आरोप है कि इन्दिरा जी को जिताने में आर० एस० एस० का हाथ है । यह मेरा आरोप है । और बालाजी देवरस ने कहा था कि हम हिस्सा नहीं लेंगे । लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषण कर लेना दक्षिण भारत के अन्दर रेडियो के द्वारा प्रचार करने में सबसे बड़ा हाथ और श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह श्री आडवाणी जी हैं जिनको इन्दिरा गांधी का प्रचार करने का श्रेय है । जनता पार्टी में जो समाजवाद में विश्वास करते हैं । उनको श्रेय नहीं हैं क्योंकि मैं उसका कारण जानता हूं इन्दिरा गांधी का असतित्व है आर० एस० एस० और आर० एस० एस० का असतित्व है इन्दिरा गांधी ।

उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण भारत में जब कि विधान-सभा के चुनाव हो रहे थे, तो मेरी ऐसी मान्यता है कि आर० एस० एस० के लोगों ने जनता पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं जिताया । मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं । मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले में 8 सीटों में 5 सीटें जीती जनता पार्टी ने और 3 सीटें हारीं । 2 तो इसलिये हारीं, मेरा विश्वास है कि जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जनता पार्टी के असली उमीदवार को हराया । मैं कहता हूं कि आप इसकी रिर्पोट वनवा लेना, पार्लियामेंटरी कमेटी बनाकर जांच करवा लेना, वहां की जनता आपको बता देगी ।

मै विकल्प की बात करता हूं । बहुत सारे लोगों के मन में शंका और भय पैदा हो रहा है । मैं कहता हूं कि भय पैदा करने की बात नहीं । यह जनता थी, इसे राजनारायण जी ने तोड़ा । मेरी हिम्मत नहीं हुई जो मैं पहले इसे नहीं तोड़ सका । मैं उनमें से हूं जो गत 5 महीने से इस पार्टी से निराशा लेकर बैठा हुआ था लेकिन मेरी ताकत नहीं थी । क्योंकि आज हिन्दुस्तान में यह देखा जाता है कि कौन बोल रहा है ? यह नहीं देखा जाता कि क्या बोला जा रहा है, चाहे छोटे व्यक्ति के द्वारा ही क्यों न बोला जाये ।

मुझे वेहद खुशी हुई जब जनता पार्टी (एस०), सैकुलर के नाम से एक पार्टी की घोषणा हुई । मैं उनमें से अग्रणी था जिसने उस पर दस्तख्त किये ।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

मै उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो बैठे हुये हैं, आज जनता पार्टी (एस) को कहा जाता है, जनता पार्टी ए० डबल एस। कोई जे० एस० जनसंघ और कोई गधा कहता है। मैं नहीं जनता कि आप सरीखे लोग इसके बारे में क्या विचार करते है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग मंत्रि-मंडल में बैंठे हुए हैं, मैं अखबार दे सकता हूं, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं कि किस प्रकार की हरकतें करते हैं। हमारे साथी संसद-सदस्य श्री हुक्म चन्द कछवाय ने आरोप लगाया है, अब तो शायद कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं कुछ कहता नहीं हूं लेकिन अगर कोर्ट में नहीं चल रहा होता तो मैं जरूर कहता। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री जार्ज फर्नांडिष्स ने इतना पैसा इकट्ठा किया कि रेल के कर्मचारियों को बोनस देने का सवाल सरकार के द्वारा नहीं उठता है तो चाहें तो उद्योग मंत्री अपनी जेब से दे सकते हैं। यह श्री हुकम चन्द कुछवाय, जो कि श्री मोरारजी देसाई की पार्टी के सदस्य हैं, उनके द्वारा आरोप है। मैं कहना चाहता हूं जार्ज फर्नाण्डिस से और उनके सरीखे लोगों से कि आपने नहीं किया। मेरा विश्वास है कि उन्हों ने नहीं किया।

मैं सोचता हूं कि क्या विकल्प बन सकता है। एक समय था, इन्दिरा जी की तानाशाही को खत्म करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए। खुशी की बात होती कि चुनाव घोषणा-पत्र के हिसाब से हम काम करते तो घटकवाद समाप्त होता, लेकिन नहीं किया। उसके पचीसों कारण हैं। आज समय है. क्या यह संभव नहीं है कि उन तमाम साम्प्रदायिक और तानाशाही ताकतों के खिलाफ तीसरी शक्ति का निर्माण हो- रि-एलाइन्मैंट हो ? मैं ऐसा सोचता हूं कि यह संभव है और इसका प्रयास शुरू हो जाना चाहिये। जो लोग इधर बैठे हुए हैं या उधर बैठे हुए हैं, वह इसके बारें में सोंचे। साम्प्रदायिकता के प्रतीक हैं बालाजी देवरस और कुशामाऊ ठाकरे और ताना शाही की प्रतीक हैं इन्दिरा गांधी। इन दोनों को छोड़ कर और तमाम मिलकर इकट्ठे होकर एक नई शक्ति का निर्माण करो। मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह से जो नई सरकार आयेगी वह भी क्रांतिकारी सरकार नहीं होगी, लेकिन कम-से-कम इससे अच्छी सरकार होगी। और आने वाले समय के लिये उससे भी अच्छी सरकार आयेगी। हमारे डा० लोहिया जी कहते थे कि सरकार को उलट-पुलट करो, शायद एक दिन ऐसा आवे कि अच्छी सरकार बन जाये।

मैं उमीद करता हूं कि जनता के हित के लिए, अच्छी सरकार की स्थापना के लिये तमाम संसद-सदस्य सोंचे। इन शब्दों के साथ दिल से, तन से, मन से मैं चव्हाण साहब द्वारा रखे गये अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अविश्वास प्रस्ताव दो वक्त रखा जाता है, दो उद्देश्य इसके होते हैं। एक उद्देश्य होता है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हम सरकार की खामियों को गिनाये और एक उद्देश्य होता है, जो कि आज है कि हम जो सरकार चल रही है, उसे गिरायें। आज हम अल्पमत में नहीं हैं, आज हमारी स्थिति है कि हम इस सरकार को गिरा सकते हैं। इसलिये आज यह

अविश्वास का प्रस्ताव सरकार की गलतियों को बताने के लिए नहीं है बल्कि यह सरकार को गिराने के लिए है ।

मैं उमीद करता हूं और यह अच्छा होगा कि श्री मोरारजी देसाई स्वयं इस्तीफा दे दें नहीं तो हम सब लोग मिलकर श्री मोरार जी देसाई के विरुद्ध इस अविश्वास के प्रस्ताव का साथ देंगे ।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैंने नए नए बने विपक्ष के नेता और भूतपूर्व विपक्ष के नेता की बातें बड़े ध्यान से सुनी हैं । मैंने भूतपूर्व कामरेड श्री कल्याण जैन, की बात भी सुनी और मुझे उसे सुनकर थोड़ा दुःख भी हुआ । पिछले 27 महीनों में जनता सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको मैं इस सभा, विशेषरूप से विपक्ष के सदस्यों के समक्ष पेश करना चाहूंगा । मैं आपको उस 50 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा जिसे हम अमल में ला चुके हैं । मैं आपसे यह पूछूंगा कि आपने पिछले 30 वर्षों में इन में से कितने कार्यक्रमों को अमलीरूप दिया ।

महोदय, जनता पार्टी के सत्ता में आने के तुरन्त बाद भूतपूर्व सरकार को, जिसके वर्तमान विपक्ष के नेता एक अंग थे, आपात स्थिति हटानी पड़ी । इस उपलब्धि के साथ जनता पार्टी ने अपना काम आरम्भ किया । मैं कुछ बातों का वर्णन करूंगा और उन पर अपनी टिप्पणी दूंगा ।

महोदय, मूलभूत अधिकार बहाल किए गए । आंसुका को समाप्त किया गया । समाचारपत्रों की आजादी बहाल की गई । संविधान के पहले स्वरूप को बहाल करने के अपने वचन पर भी हम कायम हैं । रेडियो और दूरदर्शन को स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिए प्रसार भारती विधेयक लाया गया है । कर्मचारियों को बोनस की अदायगी जो आपातस्थिति के दौरान बन्द कर दी थी फिर बहाल कर दी गई हैं । रेल कर्मचारियों को बोनस देने के बारे में भूतपूर्व विपक्ष के नेता ने कुछ टिप्पणियां की हैं । यह मुद्दा अभी सरकार के विचाराधीन है । आपातस्थिति के दौरान 'आंसुका' के अन्तर्गत बन्दी बनाए गए लोगों को हमने रिहा कर दिया है । पहली बार जनता सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए 1977-78 के लिए 20 करोड़/रुपये की रकम मंजूर की है । यह पहले कभी नहीं हुआ । हमने एक नई और व्यापारिक औषधिनिति की घोषणा की है । हमने विदेशी दवा निर्माताओं के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का कारगर ढंग से इस्तेमाल किया है । हमने उर्वरक का उत्पादन बढ़ाया है । जब हमने सत्ता संभाली थी तब इसका उत्पादन 19 लाख टन था और आज 48 लाख टन है । पहली बार विपक्ष के नेता को प्रधान मंत्री के संदेश के बाद रेडियो और दूरदर्शन पर अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका दिया । किन्तु दुर्भाग्य से बिपक्ष के नेता की कुर्सी को म्युजिकल चेयर में परिवर्तित कर दिया गया है । पर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है । हमने पीने के पानी की सुविधा, गांवों में सड़क बनाने, प्राथमिक शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी कार्यक्रम जैसे न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रमों का विस्तार किया

है। अपने पड़ोसी देशों के साथ और अधिक मैत्री के सम्बन्ध स्थापित करने की नीति अपनाई है। फरक्का समस्या का निपटारा इसका एक उधाहरण है। हम अपने शक्तिशाली पड़ोसी चीन के साथ भी सम्बन्ध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। पर साथ ही हम अपनी उस भूमि को वापस लेने के अधिकार का समर्पण नहीं कर रहे हैं जो पिछली सरकार ने चीन के पास छोड़ दी थी। सोवियत संघ के साथ भी हमारे सम्बन्ध काफी मजबूत हुए हैं। हमने अपने मित्र राष्ट्रों के दवाव में आए बिना मित्र को गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल करने के सफल प्रयास किए हैं।

हमने एक पुलिस आयोग नियुक्त किया है। हमने पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था हेतु योजना में धन का आबंटन किया है। अन्य अनेक सदस्यों ने अल्पसंख्यक आयोग के बारे में उल्लेख किया है। मैं उस पर विस्तार में नहीं जाना चाहता। पहली बार जनता सरकार ने सांविधिक आधार पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। दुर्भाग्य की बात है कि यह गत 17 मई को हमारी गलतियों के कारण पास नहीं हो सका। यह प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है। यदि गलतियां हुई हैं तो उन्होंने उन्हें छिपाने की कभी भी कोशिश नहीं की है। यदि कोई गलतियां हुई हैं तो हम उन्हें मानने को तैयार हैं, ताकि हम सुधार कर सकें। हमें विरोधी पक्ष के लोगों की सलाह की आवश्यकता नहीं है। हमने पिछड़े वर्गों के लिए एक समिति का गठन किया है जिससे यह अर्थव्यवस्था और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विकास और हित के लिए उपाय सुझा सकें। जेल सम्बन्धी सुधारों पर एक आयोग नियुक्त किया गया था। हमने ग्रामीण उद्योगों और जिला उद्योग केन्द्रों पर भी जोर दिया। हमारे रेल मंत्री गत 30 वर्षो में पहली बार लगातार बचत के दो वजट पेश कर चुके हैं। अन्तराष्ट्रीय बाल वर्ष के उपलक्ष में रेलवे ने छात्रों और बच्चों को यात्रा सम्बन्धी रियायतें दी हैं।

हमनें रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया है परन्तु सभी सम्बन्धित लोग इससे न तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और न ही हमारी सभी सरस्यायें हल हुई हैं। अन्य अनेक बातों का भी उल्लेख करना है।

उनमें से कुछ तो यह हैं कि हमने 1974 की रेल हड़ताल के दौरान वरखास्त किए गए लगभग 26000 कर्मचारियों को बहाल कर दिया है। यह वड़ी भारी सफलता है। जनता सरकार के आने के 6 महीने के भीतर यह किया जा सका है। हमने एक नयी शिक्षा नीति बनाने का प्रण किया है। यद्यपि इसमें समय अधिक लगा है फिर भी हाल ही में इस नीति की घोषणा करना हमारे लिए संभव हुआ है। हमने प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जो 2 अक्तूबर, 1978 को पहले ही प्रारम्भ हो चुका है। हमने समूचे देश में 4500 से अधिक नए डाकघर खोले हैं। हमने अपना उपग्रह केन्द्र बनाने के लिए प्रारम्भिक कार्य किया है जहां से हम वाह्य अन्तरिक्ष में उपग्रह छोड़ सकते हैं। हमारे देश में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। मैं इसके लिए अधिक दावा नहीं करता हूं क्योंकि भारत जैसे देश में खाद्यान्न उत्पादन के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है।

हम सिंचाई के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र लाने की कोशिश कर रहे हैं "काम के लिए अनाज" कार्यक्रम भारत में पहली बार शुरू किया गया है। हमने अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर दिया है। हमने अपनी सेना के पुराने और अप्रचलित हथियारों को बदल दिया है। हमने तट रक्षक संस्था कायम की है। हमने अनिवार्य जमा योजना समाप्त कर दी है। हमने प्रबन्ध में कर्मकारों के भाग लेने की व्यवस्था की है और कुछ मामलों में यह कार्यक्रम पहले ही लागू हो चुका है। हमने कर्मकारों पर शिक्षा योजना भी लागू की है और इसी तरह हमने अन्य अनेक काम किये हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। परन्तु मैं विपक्ष के नेता को यह बता सकता हूं कि सूची में 57 मदें हैं। सभा के समय को देखते हुए और समय की बचत को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हें एक एक करके नहीं पढ़ना चाहता।

मैं विपक्ष के नेता के भाषण के कतिपय पहलुओं का विस्तार से जवाब देना चाहता हूं। विपक्ष के नेता ने यह दावा किया है कि बुद्धि जीवी, किसान, शहर के छोटे लोग अल्पसंख्यक सभी जनता सरकार के समर्थक नहीं रहे हैं। वह धर्मनिरपेक्षता की प्रावृति के बारे में भी बात कर रहे थे। मैं उनसे इस बारे में भी जानना चाहता हूं। इसका मापदण्ड क्या है? हम इसे कैसे समझ सकते हैं? क्या उन्होंने लोकप्रियता का पता लगाने के लिए एक नए यंत्र का आविष्कार किया है जिससे वह जन समर्थन की स्थिति का पता लगा सकते हैं और क्या ऐसा पत्र उनके पास है? मैं कुछ अरूचिकर उनके समक्ष रखना चाहूंगा। तथा 1977-78 से हमने 11 उपचुनाव किये हैं और जनता पार्टी ने 11 स्थानों में 8 स्थान प्राप्त किये हैं। यह लोकसभा का सूचक है। मैं आपात स्थिति के दौरान की एक घटना के बारे में विपक्ष के नेता को बताना चाहता हूं। उस समय वह केन्द्रीय सरकार में एक मंत्री थे। वह नवम्बर या दिसम्बर, 1976 में किसी समय मराठा साहित्य सम्मेलन में स्वागत समिति के सभापति के रूप में भाषण दे रहे थे। उन्होंने मराठी साहित्य के बारे में सभी अच्छी बातें बतायी थीं। यह उस सम्मेलन का 137वां वार्षिक सत्र था। देश की विख्यात बिदुषी और इस सम्मेलन की निर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती दुर्गा भागवत ने अपने भाषण के दौरान देश भर में हो रही कतिपय घटनाओं का उल्लेख किया जैसे बुद्धि जीवियों को जेल भेजा जाना, पत्रकारों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न देना और प्रैस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना। इसके तुरन्त बाद श्री चह्वाण वहां से चले गए। श्रीमती दुर्गा भागवत को इन बातों का उल्लेख करने के लिए जेल भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र के अनेक बुद्धिजीवीयों ने विरोध किया। मैं वहां था और मैंने इसके विरोध में जारी किए गए साहित्य देखा था। उस समय श्री चह्वाण को यह पता नहीं था कि लोग कांग्रेस सरकार से दूर जा रहे है। अब उन्होंने एक "लोकप्रियता" मीटर का अन्बेषण किया है जिसके परिणामस्वरूप लोग जनता सरकार से दूर जा रहे हैं मुझे खेद है कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

श्री चह्वाण ने अपने भाषण में भी कहा है कि उनके द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव उठाया जा रहा है वह कोई संसदीय चाल नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं कि यह और क्या है। मैं जानता हूं कि हमारे कुछ मित्रों ने दूसरे पक्ष में जाना पसंद किया है तो वे उपहास कर रहे हैं, क्योंकि

वे दल बदल की कला में प्रवीण हैं और उन्होंने इन 30 वर्षों में लगातार सफलता पूर्वक अभ्यास किया है और उन्होंने हमारे कुछ मित्रों को भी इसमें ले लिया है। हमें आशा है कि वे वापस आ जायेंगे। परन्तु मैं उनके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं।

देश को यह बताने के उद्देश्य से कि चह्वाण कांग्रेस या स्वर्ण सिंह कांग्रेस वास्तव में मुख्य विरोधी दल हैं न कि प्रतिद्वन्द्वी इन्दिरा कांग्रेस। उन्होंने यह अविश्वास प्रस्ताव रखा है। यह संसदीय चाल नहीं है तो और क्या है ?

विपक्ष के नेता ने बड़े जोश के साथ यह बात कही है और सुझाव दिया है कि जमायत-उल-उलेमा-ए-हिन्द ने सविनय अवज्ञा अन्दोलन शुरू किया है और ये लोग देशभक्त हैं। हम सभी इससे सहमत हैं। परन्तु मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आपात स्थिति के दौरान उनके समय में यह स्वतंत्रता नहीं थी। हम किसी के अपने विचार अभिव्यक्त करने और विरोध प्रकट करने के अधिकार को नहीं छीनना चाहते। उन्होंने यही बात कही है। वास्तव में उन्होंने एक प्रकार से हमारी प्रशंसा की है कि जो उनके शासन में संभव नहीं था वह अब जनता सरकार के दौरान संभव है, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री चह्वाण ने धर्म स्वान्तत्र्य विधेयक के बारे में भी कहा है। मैंने समझा था कि मैं उनसे कुछ सीखूंगा, क्योंकि वह एक अनुभवी सांसद है। परन्तु उन्हें यह जानना चाहिए था कि सरकार ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि वह इसका समर्थन करेगी। हमने इस पर कोई चर्चा नहीं कि, इस पर कोई आदेश नहीं था और मैं घोषणा कर सकता हूं कि मैं इस विधेयक के विरुद्ध हूं। जनता पार्टी के बहुत से सदस्य ऐसा ही समझते हैं। हो सकता है कि कुछ सदस्त ऐसा न समझें।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : प्रधानमन्त्री इसका समर्थन करते हैं।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : मुझे मालूम नहीं कि प्रधानमन्त्री इसका उत्तर देंगे। परन्तु हमारी यह निती नहीं हैं। मैं तो आपके नेता के कथन पर टिप्पणी कर रहा हूं। जो बातें नहीं कही गई हैं, उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमन्त्री यहां हैं और वह अपना बचाव करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। इस पर मुझे या किसी अन्य को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

जब विपक्ष के नेता ने श्री जयप्रकाश नारायण और अटल विहारी वाजपेयी के बीच हुई कथित बातचीत का उल्लेख किया तब श्री अटल जी ने इससे इनकार किया। परन्तु श्री चह्वाण इस आरोप को दोहराते रहे। इसका मतलब यह है कि श्री चह्वाण झूठ को बार-बार दोहराने की चाल में विश्वास रखते हैं। आखिरकार कुछ मित्रों ने ऐसा करना शुरू किया। वे इस बात को दोहराते रहे हैं। उन्हें इसकी पूरी स्वतंत्रता है। उन्हें जनता पार्टी से कोई डर नहीं है।

विपक्ष के नेता ने पूर्वोत्तर भारत की स्थिति के बारे में उल्लेख किया है । मैं आसाम में 12 वर्ष तक रहा । मुझे नागालैंड, मिजोरम, पूर्वोत्तर सीमा एजेन्सी (नेफा) की जिसे अब अरूणाचल कहा जाता है, जानकारी है । मैं श्री चह्वाग से पूछता हूं : अरूणाचल में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांतिपूर्ण क्षेत्र है, एकाएक उथल पुथल कांग्रेस शासन के दौरान हुई । यह बड़ी गलतफहमी कब पैदा हुई और जिसके परिणामस्वरूप नागा राष्ट्रीय परिषद् अन्दोलन की उत्पत्ति हुई जिसने भारत से पृथकता की मांग की ? मिजो विद्रोहियों ने अपनी पृथकतावादी नीति को लेकर भारत सरकार के विरुद्ध कब कार्य करना शुरू किया ? यह सब कांग्रेस शासन के दौरान हुआ । यह सव पिछली देन है और हम इसे यथासम्भव हल करने की कोशिश कर रहे हैं । **(व्यवधान)**

यदि कोई गलत बात की जाती है तो हमारे नेता स्वयं सभा में आकर यह कहते हैं "हां, यह एक गलती थी । हम गलती ठीक करेंगे ।" श्री चह्वाण ने कहा था । उन्होंने मन्त्रिमण्डल के बारे में कुछ कहा था । उनकी इच्छा थी कि मन्त्रिमण्डल कोई उदाहरण पेश करे । मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं और यह कहता हूं कि हम उनके दृष्टांत का अनुकरण नहीं कर रहे हैं । श्री यशवन्तराव चह्वाण को 1962 में भारत सरकार में मन्त्री बनाया गया था । उस समय समूचे देश में चीन के आक्रमण और तत्कालीन रक्षामन्त्री श्री कृष्णा मैनन के विरुद्ध एक लोकप्रिय आन्दोलन चल रहा था । श्री चह्वाण को भारत सरकार का रक्षा मन्त्री बनाया गया । उस समय हम सभी ने सोचा कि एक लौहपुरुष भारत सरकार में मन्त्रिपद को सुशोभित किया है । परन्तु आपात स्थिति के दौरान हमने देखा कि यह लौहपुरुष की बजाय मोमपुरुष सावित हुआ । यह एक अनुकरणीय उदाहरण नहीं है ।

हम इस बात से सहमत हैं कि मतभेद रहे हैं । भविष्य में भी मतभेद हो सकते हैं और हमें इस बात का पता लगाना है कि इन मतभेदों को किस प्रकार से दूर किया जाये । हमें इससे घबराना नहीं चाहिए । कम से कम हम उनके उदाहरण का अनुकरण नहीं करेंगे । वास्तव में कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय नेता तैयार करने के आदर्श का पिछले दिनों कांग्रेस शासन में विकास किया । क्या आपने किसी को तैयार किया है ? आपने कहा, "इन्दिरा गांधी के हाथ मजबूत करो" । हम यह नहीं कहते हैं "मोरारजी देसाई के हाथ मजबूत करो । हम तो यह कहते हैं "जनता पार्टी को मजबूत करो । इसे अपने चुनाव घोषणा पत्र को लागू" करने के लिए मजबूत करो, और हमें इसे कार्यान्वित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए ।"

श्री स्टीफन समझते हैं कि केवल बुराभला कह देने से ही वह अपना कार्य कर सकते हैं । उन्होंने इस वात का उल्लेख किया है कि जनता पार्टी प्रगति विरोधी है । मैं अंग्रेजी की इस शब्दावली का अर्थ नहीं जानता किन्तु मैं उन्हें सविनय स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी से यह अपेक्षा की गई थी की वह मौलिक अधिकारों में से सम्पत्ति के अधिकार को निकाल कर उसे सिविल अधिकार बनायेंगे ।

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

मैं आशा करता हूं कि मेरी इन सभी बातों का उत्तर दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों से साथ श्री वाई. बी. चह्वाण द्वारा प्रस्तुत किये गये अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : महोदय, मुझे याद आया है कि पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और मैं उसका इस प्रस्ताव से तुलना कर रहा हूं। एक वर्ष में ही पृष्ठभूमि में पूर्णतयः परिवर्तन आ गया है। आज इस चर्चा को तब उठाया गया है जबकि जनता पार्टी पतन के कगार पर खड़ी है। सरकार भी गिरने वाली है। मैंने पिछली बार ही सरकार को चेतावनी नहीं दी थी। बल्कि जनता सरकार की नीति का विरोध करते हुये बार-बार चेतावनी दी थी, हमने इस सरकार को अपना समर्थन दिया था और यह स्पष्ट कह दिया था कि हम सरकार को समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि एक सत्तावाद से संघर्ष करने के लिए कृतसंकल्प है। यदि अब जनता पार्टी स्वयं एक सत्तावाद के रास्ते पर चलने लगी है तो हम अपना समर्थन उन्हें कैसे दे सकते हैं ? हम इस मानदंड के आधार पर आपका मूल्यांकन करते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिन लोगों ने आपको सत्तारूढ़ किया है उनमें मौलिक परिवर्तन आये हैं। उन्होंने आपात्तस्थिति के दौरान बहुत कष्ट सहे हैं। आप भी तो एक सत्तावाद के शिकार हुये थे। जनता को इस सत्तावाद के अधीन अनेक कष्ट सहन करने पड़े और इसलिये जब उन्होंने देखा कि आप ही वास्तविक सत्ता हैं और आप ही विकल्प दे सकते हैं तो जनता ने आपको सत्तारूढ़ किया।

उनकी आकांक्षाएं क्या थी ? उनकी आकांक्षा यह थी कि लोक तन्त्र को पुनः स्थापित किया जाये। आपने जनता को क्या आश्वासन दिये थे। आपने जनता को अश्वासन दिया था कि आप 42 वें संविधान संशोधन को पूर्णतया हटा देंगे, यह बात आपके चुनाव घोषणापत्र में कही गई थी। किन्तु जब इसे व्यवहारिक रूप देने का समय आया तो आप अपने कथन से फिर गये। और यह सत्य भी है। अब आपको दो वर्ष राज करने का अनुभव प्राप्त हो गया है, अब आपको कुछ पता चला होगा कि जनता किन कठिनाईयों का सामना कर रही है। जनता आप से बहुत असन्तुष्ट है आप इस बात को स्वीकार करते है अथवा नहीं, यह दूसरी बात है, किन्तु यह है वास्तविकता। यदि आप वास्तविकता को न समझ सकेंगे तो आप कहीं के न रहेंगे। आपको वास्तविकता का महत्व समझना चाहिए कि यह आपको सबक सिखा सकती है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वास्तविकता से सबक सीखना नहीं चाहा। वह अब भी अपनी नीतियों को उचित ठहरा रही हैं। वह अपने पुत्र के कार्यों को सही ठहरा रही है। इसलिये अभी भी उन पर सत्तावाद का आरोप लगाया जाता है। इसलिये ही हमने उनको पुनः सरकार में आने सम्बन्धी प्रत्यनों का विरोध किया है और जब भी आप ने सत्तावाद के विरूद्ध संघर्ष किया है हमने आपको पूरा सहयोग दिया है। यदि आप भी इन्दिरा गांधी के रास्ते पर चलेंगे तो उसका समाधान क्या है ? आपने संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है। उसमें भी अनेक त्रुटियों को रहने दिया गया है। हम यह चाहते थे कि निवारक निरोधक खण्ड को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये, आपात स्थिति के उपबन्धों को भी हटा दिया जाये, इस प्रकार सत्तावाद

की वापिसी की कही गुजांइश नहीं रखी जानी चाहिए, किन्तु आप वर्ग-भेद के प्रति बड़े सचेत हैं । आप जानते हैं कि श्रमिक वर्ग आपके कार्यों का विरोध करेगा, जनता में असन्तोष होगा, अनेक शक्तियां है जो उनको संगठित करेंगी, कोई आन्दोलन चलायेंगे । अतः उनका दमन करना होगा । इसी प्रकार इन्दिरा कांग्रेस और कांग्रेस ने इस उपबन्ध को समर्थन दे कर अपराधिक कार्य किया है । वह भी इस मामले में आपका साथ दे रहे हैं । इसमें भी आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी यदि वह भविष्य में श्रमिक वर्ग और आम आदमी के विरुद्ध हो जाये । किन्तु प्रश्न यह है कि इन दो वर्षों में आपने देश को जिस रास्ते पर चलाया है ? क्या आप देश को लोकतन्त्रीकरण की ओर ले गये है अथवा सत्तावाद की ओर ले गये हैं । आपने जो वचन दिये, क्या आप उन्हें पूरा करेंगे ? क्या आप अपने वचनों से फिर रहे है ? हमारे प्रधान मन्त्री स्पष्ट वक्ता है । किन्तु वह एक ऐसी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने जनता को कुछ वचन दिये हैं, वादा किये हैं । वह इस बात को ध्यान में रखे बिना ही यह वक्तव्य देते हैं कि "मै बोनस देने के विरुद्ध हूं" प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य के प्रति श्रमिकों में क्या प्रतिक्रिया हुई है ? क्या हम ऐसी सरकार का समर्थन करेंगे ?

जनता के अन्य सदस्य जो उठाई गई शपथ को लिये वचनवद्ध हैं, की स्थिति क्या है ? उनमें इतना साहस नहीं है कि वह प्रधान मन्त्री को कह सकें कि वह इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दे सकते । ऐसा क्यों होता है ? ऐसा इसलिये होता है कि उनकी विचार धारा और सिद्धान्त ऐसे है जो गतिशील नहीं है । मेरे मित्रों ने भी भाषण दिये हैं । जनता पार्टी के इस ओर के सदस्यों के भाषणों से मैंने देखा है कि उनमें आत्मालोचना की कही कोई भावना दिखाई नहीं देती है । यह सबसे बड़ी बीमारी है । आप इस बात को समझने का प्रयास नहीं करना चाहते कि आपकी असफलताएं क्या हैं और जनता आपके विरुद्ध क्यों हो रही है सत्ता में आने के बाद ही सत्ता के लिये लड़ाई कुछ इस तरह से आरम्भ हुई कि प्रधान मन्त्री कौन बनेगा—उप प्रधान मन्त्री कौन बनेगा—कौन-सा मन्त्रालय कौन लेगा । क्या आम जनता को इससे कोई सरोकार है ? उन्हें इसकी चिन्ता नहीं है । उन्हें तो बस इस बात से मतलब है कि उनके लिए रोटी, मजूरी, आवश्यक वस्तुओं आदि की ठीक ढंग से व्यवस्था की जाती है अथवा नहीं । किन्तु आप आपस में ही लड़ झगड़ रहे है । आपके प्रति उनकी क्या धारणा बनेगी । वह यह सोच रहे है कि क्या इन्हीं लोगों को उन्होंने सत्तारूढ़ किया । क्या यह सरकार जनता की कठिनाईयों की चिन्ता कर रही है अथवा वह अपने स्वार्थों के लिये आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं ।

यह लड़ाई राज्यों में भी हो रही है । अब राज्यों में सरकारों को गिराने का क्रम आरम्भ हो गया है । यह लड़ाई नीतियों अथवा सिद्धान्तों के लिये नहीं है । यह गुटों में लड़ाई है । मित्रों के नाते हमने अनेक चेतावनियां दी हैं । हमने उन्हें कहा कि इससे उनकी छवि बिगड़ रही है । उनकी साख मिट रही है और देश के सामने गम्भीर, संकट उपस्थित होने वाला है । चूंकि हमारी पार्टी छोटी है इसलिये उन्हें हम पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं । उन्होंने हमारी सलाह की कतई परवाह नहीं की है । फिर भी हम उन्हें बताते रहे कि इस सब का अपरिहार्य परिणाम वही होगा जो इन्दिरा सरकार का हुआ है । आपका भाग्य भी वही होगा ।

जनता पार्टी को हमारे मित्रों ने अपने उत्तरों में 1973-74 में कांग्रेस सरकार के कार्यों के साथ अपने कार्यों की तुलना की। मेरे मित्र श्री कवंर लाल गुप्त उदाहरण दे रहे थे। यदि उन्होंने ऐसा किया है तो अगर हम भी ऐसा करे तो हमारा क्या कसूर है। आप यह तर्क दे रहे हैं। हमारी शिकायत यही है कि दोनों सरकारों ने एकाधिकारियों की सहायता करने का रास्ता अपनाया है। इसलिये ही समाज में विषमातांएं, बेरोजगारी, गरीबी, और मूल्यों में वृद्धि हो रही है। किन्तु आप फिर भी सन्तुष्ट हैं। प्रधान मन्त्री ने बताया है कि मूल्यों में स्थायित्व लाया गया है। किन्तु वर्तमान स्थिति क्या है? नये बजट के वाद थोक भावों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चार महीनों के थोड़े से समय में 1974-75 को छोड़ कर ऐसा कभी नहीं हुआ। चार महीनों में थोक मूल्यों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। खुदरा मूल्यों के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें कितनी वृद्धि हुई होगी। लोगों की भावनाएं क्या हो सकती है? उनकी आप में अब कतई आस्था नहीं है क्योंकि आपने जो वचन दिये थे, आपने उसके विपरीत किया। प्रधान मन्त्री ने घोषणा की थी कि 10 वर्ष के अन्दर बेरोजगारी पर काबू पा लिया जायेगा और गरीबी भी दूर कर दी जायेगी। किन्तु वास्तव में क्या हुआ? गरीबी में और वृद्धि हो रही है। मैं योजना आयोग के प्रतिवेदनों से उदघृत कर सकता हूं किन्तु समयाभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि गरीबी में वृद्धि होती चली जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। एक समय आयेगा जब आर्थिक धुर्वीकरण राजनीतिक धुर्वीकरण में प्रतिविम्बित होने लगेगा, जब लाखों दलितों को संगठित किया जायेगा, वह राजनैतिक रूप से सजग हो जायेंगे और फिर वह विद्रोह करेंगे। निश्चय ही यह होगा। आपके कार्यों से यह स्थिति पैदा होती जा रही है। हम इसका स्वागत करते हैं।

विधी और व्यवस्था के प्रश्न को ही लीजिये। परसों मैंने प्रधान मन्त्री द्वारा अपने पत्रकार सम्मेलन में कही गई बातों को उदधृत किया था। उन्होंने कहा है कि वह बोनस देने के विरुद्ध हैं, यदि रेल कर्मचारी हड़ताल की सोच रहे हो तो हम झुकेंगे नहीं। "यदि प्रधान मन्त्री का रवैया यह है तो वह इस बात का दावा कैसे कर सकते है कि वह श्रमिक-समर्थक हैं? उनका यह रवैया पूर्णतय: श्रमिक-विरोघी है अतः यह विधि और व्यवस्था का प्रश्न है। अतः इसे क्रूरता से दबा दिया जायेगा। असन्तोष इतना अधिक है कि यहां तक कि जिला न्यायाधीश कुछ दिन पहले सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। क्या आप इस सबसे कुछ सबक नहीं लेना चाहते हैं? संकट इतना गहरा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ रहा है? इसका कारण यह है कि काग्रेस और जनता पार्टी पूंजीवाद जो शोषण पर आधारित होता है की जड़े सशक्त कर रही हैं। पूंजीवाद के यह अधार भूत सिद्धान्त हैं जब तक पूंजीवादी व्यवस्था में फेरबदल नहीं होता आप वर्तमान व्यवस्था में इस सम्बन्ध को नहीं मिटा सकते।

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल में स्थिति क्या है?

श्री समर मुखर्जी : आप ने यह बात उठाई है मैं इस बात का स्वागत करता हूं। मैं इस प्रश्न पर भी अपने विचार व्यक्त करूंगा।

आपको यह बात समझ लेनी चाहिये कि अर्थ व्यवस्था एक गम्भीर संकट से गुजर रही है । संकट यह है कि आम आदमी की क्रय शक्ति का ह्रास हो रहा है । बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है । जो बेरोजगार है वह अपनी क्रय शक्ति खो रहे हैं । जब कृषक अपनी जिनसे बेचने के लिये लाता है तो कीमत कम कर दी जाती है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या आप प्रस्ताव के बारे में बोल रहे हैं अथवा अपनी पार्टी के बारे में…

श्री दिनेन भट्टाचार्य : कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिये ।

श्री समर मुखर्जी : क्योंकि वह आपकी नीति का अनुसरण कर रहे हैं, इसलिये आप उनसे सहमत हो रहे है । इस आर्थिक संकट का अभिप्राय यह है कि जनता की क्रय शक्ति में ह्रास हो रहा है । किसानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है । यदि लाखों लोगों की क्रय शक्ति ही न रही तो कारखाने की वस्तुओं और वाणिज्यिक वस्तुओं के लिये बाजार कहां रहेगा ?

घरेलू बाजारों में भी मंदी आ रही है । इसीलिये कारखानों को बन्द होने का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है और सरकार निर्यात मंडियों में है उसका समाधान पा रही है । इसलिये ही बड़े बड़े उद्योग घरानों को आम जनता की धनराशि में से लम्बी चौड़ी राजसहायता दी जा रही है । इसलिये ही बहुत घाटे का वजट तथा अप्रत्यक्ष कराधान की व्यवस्था की गई है । मूल्य-वृद्धि भी होती जा रही है । जब मूल्यवृद्धि होती है तो औद्योगिक श्रमिकों द्वारा मजूरी में वृद्धि मांगना क्या अपराध है ? बोनस और मंहगाई भत्ता मांगना क्या अपराध है ? जनता पार्टी सरकार की नीति क्या है ? उन्होंने भूतलिंगम समिति गठित की थी जो मजूरी नीति पर सुझाव दें । उन्होंने प्रतिमाह न्यूनतम मजूरी 100 रुपये की सिफारिश की । श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने सर कुमार चक्रवर्ती समिति का गठन किया था और उस समिति ने भी न्यूनतम मजूरी 200 रुपये की सिफारिश की थी । हमारी जनता पार्टी जिसने यह वचन दिया था कि यदि वह सत्ता में आये तो वह उचित मजूरी की व्यवस्था करेंगे अब यह सिफारिश की है कि 100 रुपये न्यूनतम मजूरी होनी चाहिये । आप विषमताओं को कम करने की बात करते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि मजूरी में और कमी करना । इससे बड़े अधिकार गृहों को लाभ पहुंच रहा है । कम मजूरी देकर वह अधिक उत्पादन ले रहे है और वह उससे अधिक लाभ कमायेंगे । पूंजीबादियों को पता है कि इससे असन्तोष पैदा होगा और अतः आपको ऐसे कानून पारित करने चाहिए जिससे हड़तालों पर अंकुश लगे और श्रमिक वर्ग पर लगने वाले लाछनों पर अंकुश लगे । अतः उन्होंनें दो बातें की हैं ।

एक ओर मजदूरों की मजदूरी कम करने के बारे में बूथलिंगम समिति का प्रतिवेदन है दूसरी ओर औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी विधेयक है जिसके द्वारा मजदूर संघ अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है । क्या यही लोकतन्त्र का विस्तार है ? क्या यही हमारे लोकतन्त्र की रक्षा हो रही है ? क्या मजदूर वर्ग के हितों की इसी प्रकार रक्षा की जा रही है ? यह पूरी तरह से मजदूर वर्ग विरोधी है । यही कारण है कि सभी दलों (जनता पार्टी सहित) के

मजदूर संघों और सभी मजदूर संघों ने इसका संयुक्त रूप से विरोध किया है। आप इसकी पृष्ट भूमि जानते हैं। क्या इससे आपकी प्रतिष्ठा अथवा विश्वासनीयता बढ़ती है या इससे आपकी विश्वासनीयता तथा प्रतिष्ठा कम होती है ? यही कारण है कि आपको सत्ता में आने के समय जो जनता का व्यापक समर्थन मिला था, वह पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। आप ने ऐसी नीति अपनाई हैं जो मजदूर वर्ग के विरोधी है। और अन्त में, आप सेना का पुलिस के विरुद्ध प्रयोग कर रहे हैं और आपने जो अध्यादेश जारी किया है उससे रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के हड़ताल करने के वैध अधिकार को छीना गया है। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि देश में लोकतन्त्र को स्थिर करने के लिए नया आर्थिक आधार होना चाहिए। वह आधार क्या है ? लोकतन्त्र बहुमत का शासन है। बहुमत प्राथमिकतया किसानों, मजदूर वर्ग, कर्मचारियों और मेहनतवश जनता का है। यदि उनका आर्थिक जीवन सुनिश्चित नहीं होता है तो लोकतन्त्र की कोई गारंटी और सुनिश्चितता नहीं है। यदि नई सरकार सत्ता में आती है तो उसे भी उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसका अब सामना करना पड़ रहा है। यदि वे पूरी तरह से अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलते तो उन्हें भी वही परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लोकतन्त्र का आर्थिक आधार क्या हैं ? और यह कैसे किया जाना है ? यह एक प्रगतिशील, आमूक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर किया जा सकता है जिससे बड़े एकाधिकारी गृहों, जमीदारों, महाजनों और बड़े चोर बाजारी करने वालों को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। जब तक आप इस सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम को आरम्भ नहीं करते तब तक लोकतन्त्र स्थिर नहीं हो सकेगा और इसका विस्तार नहीं किया जा सकेगा। अतः लोगों को आपात स्थिति का कटु अनुभव है। यही कारण है कि यदि आप फिर लोकतन्त्र को रोकने के लिए एक सत्तावादी शासन कायम करना चाहते हैं तो वे इसे कभी सहन नहीं करेंगे। वे इसके प्रति विद्रोह करेंगे। यही वास्तविकता है। आपकी पार्टी टूट रही है।

मेरे कुछ मित्रों ने पूछा है कि हम पश्चिम बंगाल में, जहां हमारा दल सत्ता में है क्या कह रहे हैं। मैं यहां एक राजनीतिक टीकाकार के जो समाजवादी दल (मार्क्सवादी) और वामपंथी पश्चिम बंगाल सरकार का विरोधी है। कुछ उदाहरणों का उल्लेख करूंगा। वह आनन्द बाजार पत्रिका का नियमित पत्रकार है और अब जनता पार्टी, कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस (आई) का प्रवक्ता है। पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे की सरकार के दो वर्ष तक रहने के बाद श्री बरुण सेन गुप्त, जो आनन्द बाजार पत्रिका के टीकाकार हैं, 24 जून के रविवार विशेषांक में लिखा है :

"पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार को बने दो वर्ष हो गये हैं। इन दो वर्षों में इसकी शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लोगों में लोक प्रियता बहुत काफी कम हो गई है। ग्रामीण निर्धन लोगों में भी इसका प्रभाव इतना ही बढ़ गया है। भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) जो वामपंथी मोर्चे

में मुख्य भागीदार है, की संगठनात्मक संख्या गांवों में निर्धनों और निचले मध्यम वर्ग के लोगों में चार-पांच गुना बढ़ गई है।

X X X

मध्यम वर्ग के लोगों के वामपंथी मोर्चे की सरकार के प्रति रोष का मुख्य कारण बिजली की कमी और परिवहन कठिनाइयां हैं।

X X X

सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्कसवादी) ने सत्ता में आने पर पुराने वैमनष्य का बदला लेने का प्रयत्न नहीं किया है। 1971 के बाद भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कई समर्थकों की कांग्रेस और नक्सलवादियों के समर्थकों द्वारा हत्या की गई। भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल कई हजार कार्यकर्त्ताओं और सक्रिय सदस्यों को अपने घर छोड़ने पड़े और अन्य बस्तियों में शरण लेनी पड़ी। किन्तु सत्ता में आने के बाद भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल ने कलकत्ता वृहत् क्षेत्र में बदला लेना आरम्भ नहीं किया है। संयुक्त मोर्चे की सरकार ने 1969 में जो हिंसात्मक भूमिका अपनाई थी वह इस समय पूरी तरह से छोड़ दी गई है। कांग्रेस अथवा नक्सलवादी किसी कार्यकर्त्ता को न तो पीटा गया है अथवा उसने अपने आस-पड़ोस को छेड़ा है। इनमें से बहुत से लोगों के विरुद्ध हत्या के आरोप थे। वामपंथी-सरकार ने इन्हें उखाड़ा नहीं है। इसने प्रत्येक को अपने स्थानों में रहने दिया है और वैध राजनीति में भाग लेने का मौका दिया है। कांग्रेस शासन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्त्ता अपने दल के अन्दर की लड़ाई के शिकार हुए हैं और उन्हें जेल जाना पड़ा। किन्तु वामपंथी मोर्चे की सरकार के शासन में कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्त्ता को हत्या के पुराने आरोप या वर्तमान वैध राजनीतिक गतिविधि के कारण जेल नहीं जाना पड़ा।

X X X

वामपंथी मोर्चे की सरकार तथा भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) का सबसे अधिक प्रभाव गांवों में गरीब लोगों में है। गत दो वर्षों में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का संगठनात्मक किया जाल इनमें चार-पांच गुना अधिक दृढ़ हो गया है। उनमें बहुत से यह महसूस करते हैं कि काफी समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जिसे वे अपनी सरकार कह सकते हैं।"

पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की वामपंथी सरकार में यही अन्तर है।

"ग्रामीण निर्धन लोगों का राजनीतिक प्रभाव अभी भी बहुत कम है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन अभी भी मध्यम और उच्च मध्यम वर्गों से निर्धारित होता है। किन्तु एक गरीब आदमी और एक जोत-दार (जमींदार) दोनों का एक-एक मत है। यदि भारती साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ग्रामीण निर्धनों में निष्ठा से तथा इमानदारी से और तीन वर्ष काम करे तो इसे सत्ता से हटाना बहुत कठिन हो जायेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में गरीब बहुमत में हैं।"

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यह लोकतन्त्र के लिए आर्थिक आधार बना रहे हैं। ये गरीब वर्ग हैं जिनकी जनसंख्या अधिक है। वे अब यह महसूस करते हैं कि यह सरकार उनकी सरकार है। हमारे मित्रों की क्या प्रतिक्रिया है।

"ग्रामीण समाज के उच्च और मध्यम वर्ग वामपंथी मोर्चे की सरकार प्रति रोष में हैं।"

यह तश्वीर का दूसरा भाग है।

"यदि आज उनके पास नगरों में आधारित उद्योगपतियों का राजनीतिक तन्त्र होता तो सरकार को कार्य करने में अधिक कठिनाई हुई होती। उन में से कुछ भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सबादी) के साथ मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं और अधिक से अधिक अपनी सम्पत्ति और दर्जे को पुनः हासिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरे जनता, कांग्रेस (आई) और कांग्रेस के साथ वामपंथी सरकार का संयुक्त रूप से विरोध कर रहे हैं।"

ये वर्ग वहां कांग्रेस (आई) और कांग्रेस तथा जनता पार्टी के प्रभुत्वशाली आधार बन गये हैं। वे वहां वामपंथी सरकार के विरुद्ध व्यापक आधार बन गये हैं और वे वहां दोनों कांग्रेस और जनता के द्वारा वामपंथी सरकार के विरुद्ध संयुक्त विरोध के लिए कह रहे हैं। वहां जनता पार्टी और भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री पी० सी० सेन के साथ सरकार के विरुद्ध गांवों में उच्च वर्गों और शहरों में बड़े उद्योगपतियों जमाखोरी और चोरबाजारी करने वालों मे मिलकर व्यापक मोर्चा वना रहे हैं। इन दोनों सरकारों के बीच यही अन्तर है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में दिन प्रति दिन वामपंथी मोर्चे की सरकार का प्रभाव बढ़ता जा रहा। यह वहां पंचायत के चूनावों में प्रतिबिम्बित हुआ है। किन्तु दिन प्रतिदिन जनता सरकार का प्रभाव कम होता जा रहा है। यही कारण है कि यदि भारत इस संकट से मुक्त होना चाहता है, यदि नई स्थिति पैदा की जाती है तो वर्तमान नीतियों में पूर्णतः परिवर्तन किया जाना चाहिए और इसके लिए ताकतों का फिर से गठबन्धन होना चाहिए। इसमें वामपंथी ताकतों और लोकतांत्रिक ताकतों को एक साथ मिलना चाहिए। यह अच्छी बात है कि अब जनता पार्टी में, कांग्रेस में, और इन्दिरा कांग्रेस में अन्दर ही अन्दर लड़ाई चल रही है जो सिद्धान्तों तक पहुंच गई है। प्रारम्भ में दलों में यह लड़ाई थी। अब यह

लड़ाई साम्प्रदायिकता और एक सत्तावाद के विरुद्ध चल रही है। इस प्रवृत्ति को हम लगातार प्रोत्साहित करते रहेंगे क्योंकि हम लोकतन्त्र और धर्मनिर्पेक्षता की रक्षा कर रहे हैं और एक सत्ताबाद से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि हम इस प्रवृत्ति का स्वागत करते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की : आपके एक सत्तावाद की क्या स्थिति है ?

श्री समर मुखर्जी : अभी मैंने पढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कुछ नहीं सीखा है। अभी मैंने कहा है और पढ़ा है कि पश्चिम बंगाल के एक सत्ताबाद का क्या अर्थ है। अतः यदि वे अपनी वर्तमान स्थिति पर बने रहते हैं तो उनकी भी वही दशा होगी। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है।

महोदय, हमारी स्थिति यह है......(**व्यवधान**) अब जनता शासन के इन वर्षों में राष्ट्रीय एकता की सम्भाबना कमजोर पड़ गई है और विघटन का खतरा बढ़ गया है। साम्प्रदायिकता फिर से पैदा हो रही है किन्तु यह अच्छी बात है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अलग किया गया है। पहले उन्हें जनता पार्टी का आश्रय प्राप्त था। अब जनता पार्टी के अन्दर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बिरुद्ध विद्रोह हुआ है। जो ताकतें इसका सामना बाहर से कर रही थीं। अब सहयोग करने आ रही हैं। अब साम्प्रदायिकता को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जो ताकतें अर्ध सैनिक ताकतों के साथ अधिक संगठित हैं, कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे करा सकती हैं। यदि लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं फिर भी सशस्त्र गुंडे जाकर गड़बड़ी करते हैं।

एक बड़ा षढ़यंत्र हो रहा है। न केवल राष्ट्रीय स्वयं सेबक संघ, किन्तु आनन्द मार्ग, अमरा बंगाली और अन्य बातें भी हैं। उन्हें विदेशी प्रितिक्रियावादी ताकतों द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। दूर्भाग्यवस उन्हें त्रिपुरा में जनता पार्टी, कांग्रेस (आई) और कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है किन्तु कम से कम हम यह जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रहा है। यदि इन साम्प्रदायिक ताकतों पर यथा समय रोक नहीं लगाई गई तो एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। किन्तु यदि सरकार जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समर्थन पर जिनकी विचारधारा हिन्दू राष्ट्र है, निर्भर करती है, यह साम्प्रदायिक ताकतों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सकती है यद्यपि मैं प्रधान मंत्री को साम्प्रदायिक नहीं कह रहा हूं। यही मूल कमजोरी है। यही कारण है यदि जनता सरकार का स्वरूप बना रहता है किन्तु इसमें जन संघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बने रहते हैं तो जनता पार्टी की दो वर्ष पहले जो प्रतिष्ठा थी वह समाप्त हो सकती है। यही कारण है एक ऐसी स्थिति आ गई है जब प्रत्येक व्यक्ति को गम्भीरता से सोचना चाहिए और साम्प्रदायिकता और एक सत्तावाद के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत से खड़ा होना चाहिए।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

डा० मुरली मनोहर जोशी (अलमोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ने आज नवीन पदासीन चव्हाण महोदय, जिन्होंने विरोध पक्ष के नेता के रूप में पद ग्रहण किया है, आसन ग्रहण किया है, स्थान ग्रहण किया है, उनका भाषण बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मैं समझता था कि वे कुछ तथ्य रखेंगे, कुछ सिद्धांत रखेंगे, इस जनता शासन के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाते समय। उन्होंने बहुत सी बातें कहीं जिनका उत्तर मेरे मित्र कंवर लाल जी ने दे दिया, उन बातों को मै दोहराऊंगा नहीं। उन्होंने कहा कि आज इस देश की राजनीतिक स्थिति क्या है ? जनता पार्टी प्रदेशों की सरकारों को विस्थापित कर रही है, उनमें अनस्टैबिलिटी ला रही है और इस अस्थायी भाव का परिणाम यह हो रहा है कि वहां जो शासन बन रहा है वह गरीबों से हटकर कुछ खास उच्चवर्गीय अभिजात्य वर्ग के लिये बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूं जब चव्हाण साहब कांग्रेस में थे, श्रीमती इन्दिरा गांधी के जमाने में, तब जो मुख्य मन्त्री उन्होंने बदले वह कौन कौन से थे और कैसे कैसे थे ? बिहार में भोला पासवान शास्त्री को बदलकर लाया गया केदार पांडे को और फिर जगन्नाथ मिश्र को। श्री देवराज अर्स को कर्नाटक में रखा गया। मध्य प्रदेश में तो हमेशा ही कभी डी० पी० मिश्र, फिर श्यामा चरण शुक्ल, फिर प्रकाश चन्द्र सेठी और फिर श्यामा चरण शुक्ल को लाया गया। उत्तर प्रदेश में चौ० चरण सिंह को हटा करके उनके बदले में कभी श्री कमलापति त्रिपाठी को और कभी श्री नारायण दत्त तिवारी को लाया गया क्या सभी गरीबों के बड़े हमदर्द और रहनुमा थे ?

इसका क्या मतलब है ? ये सब लोग कौन से वर्ग के हैं ? हमको कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को हटा कर अभिजात वर्ग के लोगों को शासन में लाये हैं, लेकिन मैं पूछता हूं श्री राम सुन्दर दास किस वर्ग के हैं ? श्रीमती इन्दिरा गांधी के जमाने में जितने मुख्य मन्त्री, लाये जाते रहे वे किस जाति के थे ? यहां तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष श्री एस० डी० शर्मा थे, श्री देवकान्त बरुआ थे, वे किस वर्ग के थे। आप पिछड़े वर्ग और निर्धन वर्ग के पक्षधर होने की क्या बात करते हैं। आप के जमाने में किन अफसरों का राज था, एक बिरादरी का राज था, एक प्रान्त का राज था और आप की प्रधान मन्त्री तो अपने रिश्तेदारों को अफसर बनाती थी और आज आप हमसे कहते हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया। इस तरह की छोटी बात की मैं आप से आशा नहीं करता था। आप कोई सिद्धान्त की बात करते, तथ्य, की बात करते और यह बतलाते कि जनता शासन ने जिन सरकारों को बदला, उन्होंने अपनी नीति को बदल दिया है—तब मेरी समझ में बात आ सकती थी। लेकिन आप ने जिन बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया, नेता विरोधी पक्ष से उस स्तर की आशा नहीं थी।

कहा गया कि हरिजनों को हटाया जा रहा है। मैं पूछता हूं मराठवाड़ा में क्या हुआ, कर्णाटक में क्या हुआ, हैदराबाद में क्या हुआ, क्या वहां पर जनता शासन है?······(व्यवधान) ······नेता* विरोधी पक्ष ने कहा कि माइनारिटीज पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, साम्प्रदायिक

---

* कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

दंगे हो रहे हैं। मैं पूछता हूं—यहां दिल्ली के तुर्कमान गेट की घटना किस के जमाने में हुई थी? जिन लोगों ने ये सारे काम किये, जिनके दामन पहले से खून से भरे हुये हैं—उनको यह सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप यह कहना चाहते हैं कि जनता पार्टी ने आकर यह सब किया है, इसलिये उसको हटाया जाय, तो मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि पिछले तीस सालों में आप ने देश में जो साम्प्रदायिकता की राजनीति चलाई—यह सब उसका नतीजा है।

जहां तक हटाने की बात है, जिस वक्त जनता हटा देगी, हम फौरन हट जायेंगे। हम एमर्जेन्सी नहीं लायेंगे। हमको जनता के पास जाने में कोई संकोच नहीं है और हम किसी भी समय जा सकते हैं ···(व्यवधान)···

स्टीफन साहब ने कहा कि प्रधान मन्त्री जी ने आर० एस० एस० के बारे में कहा था कि वह गांधी जी का हत्यारा है, लेकिन बाद में उसके बारे में उन्होंने अपने विचार बदल दिये। उन्होंने ऐसा भी कहा कि वे उसके प्रिजनर हो गये हैं। स्टीफन साहब, जरा आर० एस० एस० के बारे में भी सुन लीजिये—मैं उद्धृत करना चाहता हूं—यह महात्मा गांधी की हत्या के षडयन्त्र की जांच-आयोग के प्रतिवेदन से है, "यद्यपि रा० स्व० से० सं० पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, तो भी इसको यह नहीं मान लेना चाहिये कि रा० स्व० से० सं० के सदस्यों द्वारा महात्मा गांधी की हत्या का आरोप सरकार द्वारा स्वीकार्य है।"

यह कमीशन ने कहा है, हमने नहीं कहा है—आप इस रिर्पोट को पूरी तरह से पढ़ लीजिये। हमारे साठे साहब, इसको समझने से इनकार कर रहे हैं। मैं आप को तथ्य दे सकता हूं, अक्ल नहीं दे सकता हूं। फैकट्स दे सकता हूं, लेकिन मैं लाख कोशिक करूं, आप को अक्ल नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप के उस स्थान पर पत्थर भरे पड़े हैं।

स्टीफन साहब कहते हैं कि किसी ने जनता पार्टी का नाम "सी" रखा है। पता नहीं किस ने रखा है······

एक माननीय सदस्य : राजनारायण ने रखा है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : (अलमोड़ा) "सी" का अर्थ यह करप्शन से लगाते हैं, लेकिन श्रीमान, कांग्रेस का तो पहला अक्षर "सी" है। जनता के साथ तो लास्ट में "सी" है, लेकिर आप के नाम के साथ तो शुरू में ही आता है। जनता के साथ यदि "सी" है तो वह ठीक है, "सी" का अर्थ "कान्फिडेंस" "जनता-विश्वास" है, जो हमें जनता से प्राप्त है। वैसे मुझे याद आया स्टीफन साहब के नाम के पहले भी 'सी" आता है, श्री सी० एम० स्टीफन। आप सोच समझ कर काम कीजिये। इन्होंने अभी प्रेस की फ्रीडम की बात कही। मैं यह पूछता

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

हूं कि नेशनल हैराल्ड आप का अखबार था, उस में कहां वर्किंग जरनेलिस्ट्स को फ्रीडम थी। उस में क्या हो रहा है।

फिर आप **गोइंग बैक टू पीपुल** की बात करते हैं। आप की नेता पहले राय बरेली से हारी, फिर चिकमंगलूर गई और वहां से आई तो सदन ने उनको निकाल दिया। फिर उन्होंने तंजोर चले जाने की कोशिश की और वहां उनकी हिम्मत नहीं हुई। अब शायद वे हिन्द महासागर जाएंगी तो वहां जा कर चुनाव लड़ेंगी। शायद उन को मनुष्यों के वोट नही मिलने वाले हैं और वे मछलियों के वोट लेगीं। आज वे दक्षिण में भाग रही हैं, टूवर्ड्स साऊथ। क्या मामला है ? क्या देश को छोड़ कर जाने की बात है। क्या वे वहां पर मछलियों के वोट मागेंगी ?

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : चलो, चुनाव लड़ते है, लोगों का मत प्राप्त करते हैं।

डा० **मुरली मनोहर जोशी** : जब जरूरत होगी, तो जरूर जाएंगे। हम आप की तरह से नहीं हैं कि सदन का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा कर 6 साल करेंगे। हम ने 6 साल से घटा कर 5 साल कर दिया है। हम जनता के पास जल्दी जाना चाहते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : बहुमत खोने के बाद, आप ओरों के दरवाजे क्यों खटखटा रहे हैं ? चलो, चुनाव लड़ कर देखते हैं।

डा० **मुरली मनोहर जोशी** : आप मत ऐसी बात कहिये। 220 सदस्य होने पर भी आप ने ऐसा किया।*** (व्यवधान)******हां, 420 बन गये, 220 के बदले और 220 सदस्यों से आप चार सौ बीसियां करते रहे देश के साथ। आपको बोलने का कोई हक नहीं है।

स्टीफन साहब ने यह भी कहा कि ड्रिफ्ट हो रहा है एकोनामिक पालीसीज के अन्दर और यह कहा कि पता नहीं इस देश के अन्दर क्या होगा। जनता राज्य के समय में। मेरे पास थोड़े से इन्डेक्स के फीगर्स हैं जो मैं आप को बता देता हूं। किसी भी देश में जो प्राइमरी आर्टीकिल्स हैं, जब चव्हाण साहब आप कांग्रेस में शामिल थे और आप की सरकार थी, तो ग्रुप इन्डेक्स 1971 में 101 था खाद्यान्न का और सब खाद्य पदार्थों का होलसेल का और वह बढ़ कर आप के राज्य में 1977 में 177.8 हो गया और 1978 में जनता पार्टी का शासन आया, तो वह घट कर 173.4 हो गया और फिर फरवरी 1979 में वह 166 पर आ गया : आम आदमियों के लिए आज खाद्य पदार्थों के दाम घटे हैं। अभी मैं दक्षिण भारत गया था और कुछ दिन पहले स्टीफन साहब के प्रान्त में जाने का मौका मिला था। वहां के लोगों ने कहा कि हम जनता पार्टी को साधूवाद देते हैं क्योंकि केरल में उनको 25 सालों से क्यू लगानी पड़ती थी, अब उनको क्यू नहीं लगानी पड़ती और चावल भरपूर मिलता है। स्टीफन साहब, कभी आप की सरकार

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

के जमाने में ऐसा हुआ था ? 25 साल के बाद हिन्दुस्तान के हर एक आदमी ने दिवाली बड़ी खुशी से मनाई है क्योंकि उस को एक छटांक चीनी के लिये ब्लैक मार्केट में नहीं जाना पड़ा। आप यह भी देखेंगे कि आज चावल बम्बई में उसी भाव पर मिल रहा है, जिस भाव पर उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में मिल रहा है।

अब जहां तक विश्वास का सवाल है, आप जनता पार्टी की आर्थिक नीति की समीक्षा करते, समालोचना करते और हम को यह बताते कि आर्थिक नीति में क्या खामी हैं। मैं आप को बताऊं कि एक साल में 5 प्रतिशत इन्डस्ट्रियल ग्रोथ हम ने दिखाई है। आप की लास्ट डिकेड में 1975 में डेढ़ परसेन्ट की ग्रोथ थी और उसके पहले जीरो थी और सम्भवतः माइनस थी। आज आप हम को ऐसी बात कहते हैं। हम ने 5 पर सैन्ट इन्डस्ट्रियल ग्रोथ दिखाई, आगे 9 पर सेन्ट इन्डस्ट्रियल ग्रोथ की बात है। आप यह कहते हैं कि खाद्यान्न इसलिए बढ़ गये कि मौसम अच्छा रहा लेकिन हम हमेशा यही करते हैं और मुझे खुशी है कि बरनाला साहब ने इस लोक सभा में यह कहा कि इसके लिए हमें कोई अहंकार नहीं है। देश के लोगों ने जनता पार्टी के प्रति विश्वास किया और उस विश्वास को लेकर खेतों में उन्होंने मेहनत की और प्रकृति ने भी हमारा साथ दिया। आप के जमाने में अगर फसल अच्छी हो जाती थी तो इन्दिरा महारानी और फसल खराब हो गई, तो इन्द्र भगवान। हम ऐसा फर्क नहीं करते। हम प्रकृति का भी उतना ही आभार मानते हैं जितना कि जनता का। जनता ने हमारा साथ दिया और मेरा विश्वास है कि यह सदन भी हमारा साथ देगा और आगे आने वाली 16 तारीख को जो मतदान होगा, उसमें इस सदन के सदस्यों का हमें साथ मिलेगा।

हमारे मित्र जिन्होंने नयी नयी पार्टी बनायी है, ने यह कहा कि जनता पार्टी पर जनसंघ या आर० एस० एस० वालों का कब्जा हो गया है, सरकार उनके कब्जे में चली गयी है। यह बात इनको आज याद आयी है। जब तक राजनारायण जी स्वास्थ्य मन्त्री बने रहे तब तक वे अटल बिहारी जी के साथ बैठते रहे, तब तक जनसंघ वाले बहुत अच्छे रहे। (व्यवधान) जिस समय उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया तो हम से कहा गया कि हमें बचाइये, हमारी मदद कीजिये और हमारी मदद से सरकार बनाइये। जब तक हम सरकार में रहे तब तक अच्छे, जब सरकार से हट गये तो बुरे। जिस दिन तक राज नारायण जी को सरकार में लेने के लिए बात चलाते रहे तब तक आर० एस० एस० वाले बहुत अच्छे जिस दिन से उन्होंने बात करनी बन्द कर दी, उस दिन से आर० एस० एस० बहुत खराब। यह क्या बात है, क्या मामला है ?

दंगों के बारे में कहा गया। इस संसद में मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहना चाहता हूं कि इस बात की जांच कराई जाए कि अलीगढ़ में दंगे किस ने कराये। उस दिन भी मैंने कहा था कि राजनारायण जी जब वहां गये तो उसी का क्या वह परिणाम नहीं था ? (व्यवधान) मैं आज फिर यह कहता हूं कि इसकी जांच करायी जाए। हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि जब राजनारायण जी वहां गये···(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्रीमन मैं समाप्त कर रहा हूं। दल के आन्तरिक मामलों को यहां उठाना, कहां तक ठीक है, अगर सिद्धान्तों के सवाल हों, नीतियों के सवाल हों तो बात समझ में आती है। उससे मुझे प्रसन्नता होती। उन सवालों पर दल-बदल हो सकता है, विरोध भी किया जा सकता है। जनतन्त्र में इसकी इजाजत है और रहेगी। लेकिन केवल पावर पोलिटिक्स के लिए करना यह जनतन्त्र के लिए हितकारी नहीं हो सकता।

समर मुखर्जी ने कम्युनल राइट्स के बारे में कहा। में उनसे पूछना चाहता हू नादिया में ये दंगे कराने वाला कौन था ? बहां पर तो आर० एस० एस० वाले नहीं थे। फिर वहां दंगे कैसे हो गये ? आप केवल राजनीति के लिए किसी संगठन, किसी दल को बदनाम करने की कोशिश न करें। केवल पावर पोलिटिक्स के नाम पर यह सब कुछ न करें। आप सिद्धान्तों पर आयें। चव्हाण साहब आपके जमाने में कमीशन के द्वारा 79 दंगों की जांच हुई थी। क्या आर० एस० एस० का नाम कहीं आया ? फिर आप बार बार इस बात को कहें तो यह नैतिकता का तकाजा नहीं है। जब आपकी सरकार ने कमीशन बिठा कर इसकी जांच की है तो फिर तो आपको इन बातों को नहीं दोहराना चाहिए था।

मैं इन शब्दों के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि जनतन्त्र की रक्षा के लिए, इसका समर्थन न करे। मैं समर मुखर्जी साहब को विश्वास दिलाता हूं कि अथोरिटेरियेनिज्म के विरुद्ध लड़ने में जनता पार्टी का हरेक संसद-सदस्य आखिरी दम तक लड़ेगा और अपने खून की आखिरी बून्द तक लड़ेगा। इस देश में अब अथोरिटेरियेनिज्म को नहीं आने दिया जायेगा। इसी तरह से देश में पोलटिकल ब्लेक मेलिंग भी नहीं करने दी जायेगी। मैं सदन के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। अगर आप चाहते हैं कि यह सदन स्वतन्त्र रहे, फिर से देश में एमर्जेंसी की विभीषिका न आने पाये, पार्लियमेंट को केप्टिव पार्लियामेंट न बनाया जा सके, देश में सिविल लिबर्टीज बरकरार रहें, किसी एक खान्दान की राजनीति फिर से न आने पाये, यहां पर आयाराम गयाराम के बल पर शासन न किया जा सके तो मैं सभी जनतांत्रिक शक्तियों से अपील करूंगा कि वे इस अविश्वास प्रस्ताव को गिरायें और सरकार का समर्थन करें।

श्री वी० पी० नायक (वाशिम) : महोदय, मैं अपने नेता द्वारा लाये गये प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

जनता-पार्टी सम्पूर्ण क्रान्ति की बात करने वाले श्री जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से सत्ता में आई थी। उन्होंने गुजरात से यह कहते हुए अपना आन्दोलन आरंभ किया था कि वहां के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री चिमन भाई पटेल भ्रष्ट हैं तो उनकी सरकार को हटा दिया जाये और उनकी सरकार का समर्थन करने वाले सभी विधायकों को त्यागपत्र देने के लिये कहा जाये या उन्हें त्यागपत्र देने को मजबूर किया जाये। वैसा ही वातावरण बिहार में भी पैदा किया गया और अन्ततः श्री जयप्रकाश नारायण ने लोगों को कहा कि उनके पास अपने प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार होना चाहिये।

अपने प्रथम प्रैस-सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा था कि यह व्यावहार्य नहीं है। श्री जयप्रकाश जी चुनाव विधियों में परिवर्तनों के हिमायती थे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। जयप्रकाश जी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन चाहते थे। शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में प्रधान-मन्त्री ने कहा है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह भी कहा कि जयप्रकाश जी को प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है। उनकी चतुर्थ मांग थी 'जन-संमिति' जिसका अर्थ है शक्ति का विकेन्द्रीय करण। उस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को दूर करने की बात की थी। मेरे विचार से इसके बारे में जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा है। अतः सम्पूर्ण-क्रान्ति लाने के लिये श्री जयप्रकाश जी ने जिन पांच मुददों पर बहुत ही अधिक जोर दिया था, जनता पार्टी ने उन पर कतई ध्यान नहीं दिया। यदि वे श्री जय प्रकाश जी के साथ ही ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो जनता को तो आम तौर से वे दे भी क्या सकते हैं।

बात यह है कि जनता पार्टी में से बहुत से मित्र अब यह अनुभव करने लगे हैं कि चुनावों के अवसर पर अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लोगों से जो वाय दे किये गये थे, यह जनता-पार्टी उन्हें पूरा करने वाली नहीं हैं। इसलिये वे इससे निकल कर अलग हो रहे हैं। अभी-अभी यह घोषणा की गई है कि 44 या 45 सदस्य जनता-पार्टी से त्याग पत्र दे गये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आज सदन में जनता-पार्टी के, लोक सभा की कुल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत से भी कम सदस्य रह गये हैं। तकनीकी रूप में तो यह सरकार ठीक है, बनी हुई है, परन्तु नैतिक रूप में इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रधान मन्त्री महोदय बड़े ही आत्म-सम्मान वाले व्यक्ति हैं। जब उन्हें इतना पता है कि उनका बहुमत समाप्त हो गया है तो यदि वे अपने सम्मान को, प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहते हैं तो, मुझे पक्का विश्वास है कि वे स्वयं त्याग-पत्र दे देंगे। परन्तु यदि वे सत्ता और कुर्सी से ही चिपके रहना चाहते हैं तो उन्हें वहां से हटना ही पड़ेगा।

हमें यह बताया गया था कि यह जनता-पार्टी द्वारा प्राप्त की गई अथवा उपलब्ध कराई गई, नई स्वतन्त्रता थी। और अब हम उस ओर के कई सदस्यों से और मार्क्सवादियों से भी सुन रहे हैं कि व्यवहारिक रूप में कुछ भी नहीं किया गया है।

मेरा विनम्र निवेदन है कि यह दल तो केवल शहरी हितों का ही प्रतिनिधित्व करता है इसे ग्रामीण हितों से कुछ नहीं लेना-देना। जब किसानों को कुछ छूट देते हुए श्री चरणसिंह ने अपने प्रथम बजट को सदन में प्रस्तुत किया तो सारे देश में यह कहा गया था अथवा सभी समाचार-पत्रों ने यह लिखा था कि श्री चरणसिंह ने किसानों के लिए सरकारी खजाने को खाली कर दिया है। मैं अपने मित्रों से इसके विस्तार में जाकर यह देखने का निवेदन करूंगा कि क्या किसानों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उन रिआयतों से प्रतिव्यक्ति कम से कम 2 रुपये भी मिल सकेंगे। ऐसी बात नहीं है। केवल बात इतनी ही नहीं थी कि उन्होंने उस दिशा में पदार्पण किया था, अपितु उनका दल और उसके कुछ लोग विशेषरूप से, उसे भी समाप्त करना चाहते थे। उनके मूल दल के विभिन्न राज्यों में 3 से 4 तक मुख्य-मन्त्री थे। उन्होंने एक के बाद

दूसरे को निकाल कर बाहर कर दिया। क्यों ? क्योंकि उनका विचार था कि यदि श्री चरणसिंह को नियन्त्रण में नहीं रखा गया तो वे सम्भवतः शहरी लोगों की उपेक्षा करके ग्रामीण लोगों को फायदा पहुंचायेंगे और आज, हम देखते हैं कि श्री चरणसिंह पूर्णतया अलग-थलग पड़ गये हैं। उनके त्याग-पत्र दे देने के बाद हमने दोनों नेताओं को एक दुसरे के प्रति बोलते हुये सुना है। मोरार जी भाई ने कहा, "जब उन्होंने हमें हिजड़ों का टोला कहा तो, क्या मैंने उन्हें त्यागपत्र देने के लिये नहीं कहा था। हमें नामर्द कहा गया।" उन्हें पौरूषता का प्रमाण-पत्र दिया किसने- अब जब श्री चरणसिंह को मन्त्रीमण्डल में उप प्रधान मन्त्री के रूप वे वापिस ले लिया गया है तो उन्हें अलग-थलग डाल दिया गया है——

श्री पी० वेंकट सुब्बया (नन्दयाल) : उन्हें उप प्रधान मन्त्री बना दिया गया है।

श्री बी० पी० नायक : अब उन्हें एक कोने में डाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने ग्रामीण-क्षेत्रों के प्रति कुछ लगाव दर्शाया था। इसीलिये तो उनके अनुयायियों ने उस गलती को मान लिया है जो उन्होंने 24 वर्ष पूर्व की थी।

हमें हमेशा यही बताया गया कि विदेशों के साथ हमारे सम्बन्ध काफी मात्रा में सुधरे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। श्री जवाहरलाल नेहरू के समय में हमारी कुछ विदेश नीतियां थीं। उन्हें हम एक-एक करके छोड़ते जा रहे हैं। हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति थी। हम प्रारम्भ से ही जानते हैं कि जब कभी भी हम मुसीबत में फंसे, सोवियत रूस ने हमारी सहायता की। अब, इस समय मैं नहीं सोचता कि सोवियत रूस के साथ हमारे सम्बन्ध मधुर हैं भी, क्योंकि कम्पूचिया या अफगानिस्तान के बारे में हमारी नीति उनसे मेल नहीं खाती।

हमें यह भी बताया गया कि हम चीन के साथ अपने सम्बन्धों को सुधार रहे हैं। मेरे विचार से हमारे विदेश मन्त्री महोदय हमें यह बता सकेंगे कि वियतनाम के विरूद्ध युद्ध आरंभ करने से पूर्व उस मित्र देश ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। अब वे फिर एक ऐसी सड़क तैयार कर रहे हैं जो कि हमारी ही सीमा में से होकर गुजरेगी। और फिर भी हम यही कह रहे हैं कि चीन के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं।

कभी हम इतने बलशाली थे कि अमरीका के राष्ट्रपति को भी पोकारण परीक्षण के बाद यह कहना पड़ा था कि भारत एक महान शक्ति है। परन्तु, दुर्भाग्य से हमारे प्रधान मन्त्री महोदय अपने आप राष्ट्र संघ में यह कहते फिरते हैं कि हम कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे यहां तक कि शान्तिजनक उद्देश्यों के लिये भी। किन्तु हम रोज ही इस्लामिक बम के बारे में सुन रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के लिए दो-तीन बम प्राप्त करना असम्भव है और क्या उनके लिए इन तीन बमों को कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि जैसे शहरों में फेंकना असंभव है ? यदि ऐसा हो गया तो इस देश का भविष्य क्या होगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसे जनता का सम्मान प्राप्त है ? आप जानते ही हैं कि लोग हमारे प्रधान मन्त्री महोदय के बारे में क्या कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत आदर करता हूं। जब मैंने पूछा कि आपके प्रधान मन्त्री कैसे काम कर रहे हैं तो उनके एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि वह तो पूरे स्वार्थी हैं।" मैंने उनसे पूछा 'क्यों ? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हमारे लिए तो दो दिन वर्जित घोषित किए है

किन्तु उनके लिए कोई वर्जित दिवस नहीं है। जिसने मुझे यह सब बताया है, वह जनता पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति है। आप सहज ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि जनता की हमारे प्रधान मन्त्री जी के प्रति क्या धारणा हो सकती हैं। यदि कभी दुर्भाग्य से कोई बाहरी आक्रमण हो जाये तो ऐसी सरकार देश की रक्षा नहीं कर सकती। हम यह बात स्पष्ट कर दें। हमें व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। किन्तु यह सरकार आस्तित्व में रहने की पात्र नहीं है। यह कोई सरकार नहीं है। यह कोई दल नहीं है बल्कि विभिन्न विचार धाराओं के विभिन्न वर्गों का समिश्रण है। यह सरकार नहीं है बल्कि सर्कस है। अतः यदि कोई बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण करता है तो यह सर्कस रूपी सरकार देश की रक्षा कैसे कर सकती है। हमने अपने जीवन काल में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि पुलिस ने इस हद तक आन्दोलन किया हो जिस हद तक इस समय किया है। कभी भी किसी अर्ध सैनिक बल ने ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा कि इस सरकार के शासन काल में किया है। हमने कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा जबकि सेना तथा अर्ध सेना के लोग एक दूसरे पर गोलियां चला रहें हों। ऐसा सब कुछ आज ही हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है आप पहले ही 16 मिन्ट का समय ले चुके हैं।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : उन्हें कुछ समय दे दीजिए।

श्री वी० पी० नायक : अतः जब हमारे प्रधान मन्त्री जी से कुछ पूछा जाता है तो वह "चिंता मत कीजिए ; सब ठीक ठाक है।" किन्तु मैं कहता हूं कि इस देश में सब कुछ गड़बड़ है। श्रीमान आप जानते हैं कि श्री जोशी का कहना है कि समूचे देश में अब चावल एक विशेष दर पर उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने अल्प समय में ही समूचे देश में उपलब्ध किए हैं। दूसरे सज्जन श्री गुप्ता का कहना है कि हमने इतनी एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था की है। इन सारी बातों में कोई सार नहीं है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई बड़ी परियोजना एक बर्ष में पूरी कर ली हो। मध्यम तथा बड़ी परियोजनाएं कई वर्षों में पूरी होती हैं।

डा० सुशीला नायर : छोटी सिंचाई योजना एक वर्ष में पूरी की जा सकती है।

श्री वी० पी० नायक : श्रीमती जी मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं यहां केवल मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोनाओं की बात कर रहा हूं।

श्री सी० सुब्रहमण्यम : वह मैडम के बारे में नहीं कह रहे हैं।

श्री वी० पी० नायक : वह यह कहकर गर्व कर रहे हैं कि अब विशेष दर पर खाद्यान्न उपलब्ध हैं। किंतु जब खाद्यान्नों के मूल्य गिरते हैं तो अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी गिरावट आती है। अब क्या हुआ है। गन्ना 80 रुपये से 90 रुपये तक प्रति टन के हिसाब से बेचा जाता है।

किंतु ईंधन 220 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जाता है । धान 90 पैसे प्रति किलो बेचा जा ा है ता अखबारों की रद्दी दो रुपये बीस पैसे प्रति किलो बेची जाती है ।

समझ में नहीं आता कि इस सरकार को सोना बेचने की सलाह किसने दी है । उन्होंने सोने की नीलामी शुरू कर दी है । उन्होंने तथा कथित बनियों या काला बाजारी करने वालों को अपने काले धन को सोने में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया । सरकार ने सोचा था कि यदि लोग ऐसा करेंगे तो फिर तस्करी नहीं होगी । किंतु अब तस्करी भी चल रही है और सोने का भाव बढ़कर 1000 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया है । हमने अपने बचपन में देखा था जबकि सोने का भाव 24 रुपये प्रति तोला था । पता नहीं ऐसा करके वे किस बात पर गर्व कर रहे हैं । उन्होंने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को नष्ट कर दिया है । यह तो हमारा सौभाग्य है कि पांच वर्षों से लगातार अच्छी फसल हो रही है । इससे हम बचे हुए हैं । किंतु मैं आपको बता दूं कि तीन या चार साल तक यही नीति चलती रही तो यह सरकार निर्लज्जता से पी: एल: 480 के अन्तर्गत अमरीका से अनाज की भीख मांनने लगेगी । उन्हें पता ही नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है । ये सारे लोग शहरों के बनिये हैं और वे सोचते हैं कि ये कृषक तथा ग्रामीण तो हमारे दास हैं जो कि हमें किसी भी कीमत पर अनाज दे देते हैं और प्रत्येक वर्ष घाटा उठाते हैं । फलस्वरूप वे ऋण के बोझ से दबते रहते हैं । मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे इस पर ज्वार या चावल उगाएं । उनके दादा भी ऐसा नहीं कर सकते ।

आपने क्या किया है ? आपने ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था को नष्ट कर दिया है । श्री गुप्त ने कहा है कि हमने बहुत कार्य किए हैं । ऐसा किया है वैसा किया है । मैंने सोचा कि अब वह कहेंगे कि कोयला विजली आदि के उत्पादन को ही लीजिए । उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला अन्यथा उन्होंने इस बारे में भी बोलना था । उन्हें पता ही नहीं ; हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । छोटे लोगों ने छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किये हैं और वे ब्याज की ऊंची दर का भुगतान कर रहे हैं । किंतु अब बिजली की कमी के कारण ब्याज का ठीक समय पर भुगतान न करने के लिए उन्हें दंड स्वरूप ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है ।

शिक्षित बेरोजगार लोगों को बैंकों द्वारा वित्तीय सहयाता दी जाती है । उन्होंने क्या किया है ? उनका क्या दोष है ? यदि आप आपेक्षित मात्रा में कोयले का उत्पादन नहीं करते, यदि आप अपेक्षित मात्रा में बिजली का उत्पादन नहीं करते हैं तो यह किसका दोष है ? जब कोई मुख्यमन्त्री वहां आता है तो श्री देसाई कहते हैं कि "यह आपकी गलती है । " कोयले की सप्लाई न किए जाने के लिए राज्य सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है । यदि गाड़ियां ठीक समय पर नहीं चलायी जाती हैं तो इसमें राज्य सरकारों का क्या दोष है ? यदि बिजली के उत्पादन के लिए कोयला नहीं मिलता है तो इसमें राज्य सरकारों का क्या दोष है । प्रो० मधु दण्डवते महाराष्ट्र के है । मैंने सोचा था कि मेरे माननीय मित्र गुप्त इस बारे में अपने प्रधान मन्त्री को बतायेंगे । विश्व के सभी रेल मन्त्रियों को गाड़ियां चलाने की जानकारी प्रो० मधु दण्डवते से लेनी चाहिए । वे कम से कम 45 मिनट तक बोलते हैं । यह उनकी हमेशा

की ही आदत है । चूंकि वह प्रोफेसर है अतः उन्हें कम से कम 45 मिनट तो बोलना ही चाहिए । जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि आप किसी और ही दुनियां में विचर रहे हैं । वह कहेंगे कि विश्व में केवल भारतीय रेल ही लाभ कमा रही है। यहां तक कि जापान को भी यहां आकर हमसे सीखना चाहिए कि रेलें कैसे चलाई जाती हैं । जापान ने चाहे कितना भी सुधार कर लिया हो और उन्होंने जो कुछ भी सीखा हो, उन्हें उसे भुला देना चाहिए और हमारे इन प्रोफैसर साहब से सीखना चाहिए ।

अब मैं अपनी औद्योगिक नीति के बारे में बताना चाहता हूं । उद्योग विभाग को हमारे सक्षम मन्त्री श्री, जार्ज फर्नाण्डिस चला रहे हैं । उन्हें तो केवल इतना आता है कि किसी उद्योग में किस तरह से हड़ताल करायी जाये । ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग मन्त्री को बोनस तथा उप-चुनाव मन्त्री के रूप में जाना जाता है । इसमें कोई संदेह नहीं है उद्योगों के बारे में हमारी क्या नीति हैं । हम आत्म-निर्भर होने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं । अब वे छोटे-छोटे काम कर रहे हैं । यह नारा लगाया जा रहा है कि "छोटा ही सुन्दर है । " अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि वे अब चरखा तथा तकली का उत्पादन करेंगे और उनका खेतिहर मजदूरों में वितरण करेंगे और कह देगें कि अब आपकी बेरोजगारी की समस्या हल हो गई है क्योंकि "छोटी वस्तु ही सुन्दर होती है । " तकली से छोटी चीज और कोई नहीं हो सकती । श्रीमान यदि यह सरकार एक वर्ष और सत्ता में रह जायेगी तो इस देश का भविष्य हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगा । इसीलिए मैं अपने नेता द्वारा पेश किए गए संकल्प का पूरी तरह समर्थन करता हूं । श्री गुप्त ने उन पर यहां व्यक्तिगत रूप से कुछ छीटांकसी की है। इससे उनके असली स्वरूप का तथा उनकी सभ्यता का परिचय मिलता है । बजाय उठायी गई कुछ बातों पर कहने के, उन्होंने उन्हें गालियां देनी आरम्भ कर दीं । मैं समझता हूं कि समस्यों को हल करने का यह कोई तरीका नहीं है । अतः मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि जो लोग लोकतंत्र, और लोक कल्याण में तथा दरिद्रता दूर करने में विश्वास करते हैं वे इस प्रस्ताव के पक्ष में मत देंगे और वर्तमान सरकार को करारी हार देंगे जो कि एक दिन के लिए भी सत्ता में बने रहने योग्य नहीं है ।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं विरोधी दल के नेता माननीय चह्वाण साहब को बधाई दूंगा कि विरोधी दल के नेता के रूप में उन्होंने बहुत मर्यादित ढंग से अविश्वास का प्रस्ताव रखा है । सचमुच में उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसको रखा है, एक छोटे घरोंदे में नहीं रखा है । पर मैं उनसे बहुत विनय के साथ कहना चाहूंगा आज उन्होंने जो कहा कि राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना से उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को रखा है, क्या चह्वाण साहब इस राष्ट्रीय भावना को उस दिन भूल गये थे जिस दिन भारत की आजादी पर बलात्कार हुआ था, जिस दिन नागरिकों के अधिकारों को छीना गया था ? **(व्यवधान)** मैं विरोधी दल के माननीय नेता से पूछना चाहता हूं इस राष्ट्रीय कर्तव्य की चेतना उनको उस समय नहीं थी जिस समय भारतवर्ष की आजादी छीन ली गई थी ? उस समय उनकी राष्ट्रीय चेतना कहां विलीन हो गई थी ?

जनता सरकार ने जितने भी कर्म और सुकर्म किए हों लेकिन इसका तो प्रमाण है ही कि पिछले वर्ष में नागरिकों के अधिकारों की पुनः वापसी हुई है, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को प्रतिष्ठित किया गया है, मीसा को रद्द किया गया है, 42वें संविधान संशोधन को समाप्त किया गया है, अखबारों की नाकाबन्दी को समाप्त किया गया है, संसद में हम जो बोलते हैं वह भी छप जाए, इसकी भी बहाली की गई है तथा आकाशवाणी की स्वायतता को बहाल किया गया है। मैं चह्वाण साहब को बताना चाहता हूं कि पिछले तीस वर्षों में जितना काम नहीं हो सका उतना एक वर्ष में जनता सरकार ने किया है।

चह्वाण साहब ने जब आरम्भ किया तो उन्होंने राष्ट्रीय कर्तव्य की चर्चा की और उन्होंने कहा कि वास्तव में एक क्राइसिस आफ कांफिडेन्स है। उन्होंने कहा कि जनता सरकार से आज कोई खुश नहीं है लेकिन उसके पहले उन्होंने यह कहा कि कोई एलीट खुश नहीं है। अगर जनता सरकार से कोई पूंजीपति खुश नहीं है, कोई सुविधा-प्राप्त वर्ग खुश नहीं है तो यह जनता सरकार की प्रतिष्ठा की बात है। चह्वाण साहब तो एलीट और फिर पीजेन्ट्री की बात करते हैं। मैं नहीं मानता कि जनता सरकार को जितना काम किसानों के लिए करना चाहिए था उसको पूरा किया गया है लेकिन क्या चह्वाण साहब इस बात को नहीं जानते कि खाद से एक्साइज़ ड्यूटी समाप्त की गई है, किसानों को तम्बाकू पर सौ करोड़ की छूट दी गई है? क्या इसको भी प्रमाणित करने की आवश्यकता है? पहले तो चह्वाण साहब और स्टीफन साहब कहा करते थे कि जनता सरकार किसानों और गांवों की तरफ चलने वाली सरकार है यह तो उद्योग विरोधी सरकार है।

हमारे काम भी आज हमारे अपराध बन गये हैं—माननीय चह्वाण साहब इस पर थोड़ा विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जो साथी आज हम से छूट गये हैं, मैं नहीं मानता कि वे वास्तव में छूट गये हैं। दिन का भूला हुआ, यदि शाम को भी घर जायेगा, तो हम उसको हृदय से लगायेंगे। जिन्होंने हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिये, इस देश से तानाशाही को हटाने के लिये 19 महीने की जेल भोगी, वे हम से छूट नहीं सकते हैं।

हमारे नेता, विरोधी पक्ष ने हमारी आर्थिक नीति की चर्चा की। मैं उनसे पूछता हूं—क्या यह सत्य नहीं है कि हमारा जी० एन० पी० जो 3.5 प्रतिशत था, 7 वर्षों तक 3.7 प्रतिशत रहा, यहां तक कि एमर्जेन्सी के समय में भी वही रहा—अब उसमें वृद्धि हुई है? क्या यह सत्य नहीं है कि इस साल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 126 मिलियन टन हुआ है? क्या यह सत्य नहीं है कि 31 वर्षों में पहली बार हिन्दुस्तान 6 देशों को अनाज निर्यात कर रहा है और फिर भी हमारे पास अनाज का पर्याप्त भण्डार है? क्या यह सत्य नहीं है कि हमारा इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन बढ़ा है—हमारे उद्योग मन्त्री जी बैठे हुए हैं--जब इन्होंने कहा कि हम 8 परसेन्ट तक अपने इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन को बढ़ायेंगे तो कुछ प्राफ़ेट्स-आफ़डूम ने कहा था कि ये नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस को 8 प्रतिशत पर पहुंचा दिया और अभी भी उनकी आकांक्षा पूरी नहीं हुई है, वह चाहते हैं कि यह और भी बढ़े। तो, अध्यक्ष

महोदय, आप मुझे बतलाइये—यह आर्थिक अवनति का प्रमाण है या आर्थिक प्रगति का प्रमाण है ?

पावर जेनरेशन हमारे यहां 12.9 प्रतिशत हुआ है। समूचे हिन्दुस्तान में बिजली के लिये पिछले 31 वर्षों में जितना रुपया खर्च हुआ था, हमने उससे कहीं ज्यादा 6ठे प्लान में किया है। क्या यह औद्योगिक नीति के विकास का प्रमाण नहीं ? आप इर्रिगेशन की बात करते हैं—हमारे कांग्रेस के मित्रों ने, चाहे आप कांग्रेस (एस) में चले गये हों या कांग्रेस (आई) में चले गये हों, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है—सिंचाई की बिजली के लिये जितना पिछली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में आप ने खर्च किया, उस से कहीं अधिक 6ठी योजना में खर्च हुआ है—क्या यह हमारी ग्राम-अभिमुख नीति का प्रमाण नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय, हमारे चह्वाण साहब के लिये हमारे मन में बहुत आदर है। उन्होंने अपने भाषण में राजनीतिक स्थिति की चर्चा की और सारी बातें कही हैं। उन्होंने हरिजनों का प्रश्न उठाया, उन्होंने अल्प-संख्यकों का प्रश्न उठाया। अध्यक्ष महोदय, इतिहास इस बात का साक्षी है कि इन लोगों ने हमेंशा हरिजनों और अल्प-संख्यकों के कन्धों पर वैतरणी पार की है, लेकिन क्या यह बात सत्य नहीं है कि 31 वर्षों में पहली बार अल्प-संख्यक आयोग बनाया गया और जिसे जनता पार्टी की सरकार ने बनाया ? क्या यह बात झुटलाने की बात है ? क्या यह बात सत्य नहीं कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब को राष्ट्रपति बनाया, अपने रबर-स्टाम्प के लिये, जनाब ज़ाकिर हुसैन साहब को राष्ट्रपति बनाया अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये, लेकिन जनता सरकार ने पहली बार एअर-फोर्स के कमाण्डर एक अल्प संख्यक को बनाया ? क्या यह सत्य नहीं है कि अलीगढ़ मुल्लिम यूनीवर्सिटी की जो आज़ादी एमर्जेन्सी के हत्यारों ने छीन ली थी, वह हमारे काल में वापस कर दी गई। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो रूप दिया था, क्या उसका वही रूप वापस नहीं किया गया ?

जब हरिजनों का सवाल आता है तो बेलछी का उल्लेख किया जाता है और श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां हाथी पर चढ़ कर जाती हैं। लेकिन जब रूपसपुर में आदिवासियों को एक बन्द कमरे में जला दिया गया था, तो माननीय चह्वाण साहब घोड़े पर भी चढ़ कर वहां नहीं जा सके थे। आज जब हरिजनों का सवाल आता है तो मैं मानता हूं कि हमारे एक भी हरिजन पर कोई अत्याचार होता है तो यह हमारे सामाजिक जीवन के लिये कलंक की बात है। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर आप के समय में कभी भी बिचार नहीं हुआ, लेकिन जब से जनता सरकार आई तो उस पर विचार होने लगा ? क्या यह सत्य नहीं है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिये हम अलग से आयोग बना रहे हैं। हमारी सिंसियेरिटी का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है ? क्या यह बात सत्य नहीं है कि हरिजन भाइयों के जिस आरक्षण को हम पहले खा जाते थे, उसके लिये हम ने कह दिया है कि जो उसको खायेगा उसको दण्ड दिया जायेगा और तीन साल के बाद भी वह खतम नहीं होगा।

क्या यह बात सत्य नहीं है कि आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चैयरमैन एक हरिजन है ? क्या यह बात सत्य नहीं है कि बिहार में यह सही है कि पहले श्री करपूरी ठाकुर पिछड़े वर्ग के आदमी थे और हम उनकी कद्र करते हैं—जनता सरकार ने कोई सूबेदार इन्दिरा गांधी का नहीं भेजा बल्कि वहां का मुख्य मन्त्री एक हरिजन बनकर आया है । यह हरिजनों के प्रति हमारी भावना है ।

माननीय चह्वाण साहब ने हमारे सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही हैं । हम को तो ऐसा लगता है कि अविश्वास का जो प्रस्ताव होता है, उनमें सरकार को यह तो बतलाओ की कौन सा विकल्प है । आज देश में कौन सा विकल्प है ? हां, एक ही विकल्प है, संजय गांधी का राजनीति में प्रतिष्ठा के साथ अभिर्भाव और दूसरा है अस्तब्यस्तता । इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का कोई प्रश्न होता है, तो उस के साथ विकल्प की बात भी होनी चाहिए थी । मैं तो आपकी ही वाणी, चह्वाण साहब ने 22-11-73 को जो इसी सदन में कहा था, जब उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया था, उसको मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग आज इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा भी दिन आयेगा कि वे आगे आकर कहेंगे कि हमने यह अविश्वास प्रस्ताव पेश करके गलती की है ।

मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं । चह्वाण साहब, मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं । क्या में यह नही कह सकता कि आपने जीवन में बड़ी गलती की कि इस राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ़ अविश्वास का प्रस्ताब रखा है । हमारे सामने और भी बहुत सी बातें हैं और मैं तो यह समझता हूं कि हमारे माननीय चह्वाण साहब को और कुछ कहना चाहिए था । केवल इन्होंने राजनीतिक परिस्थिति की और पुलिस विद्रोह की चर्चा की । ठीक है, पुलिस विद्रोह हुआ । क्या वे हर बात को भूल गये हैं कि पिछले 31 वर्षों में, यह पुलिस जो ब्रिटिश कोलोनियल-इज़्म की लीगेसी है, उसमें परिवर्तन करने की कभी आपने चिन्ता नहीं की ? जनता सरकार आई, देर से सही लेकिन उसने एक नैशनल कमीशन बनाया । आपने उसके बारे में क्या अलोचना की ? धर्मवीर को उसका चैयरमैन क्यों बनाया गया । मैं पूछना चाहता हूं कि धर्मवीर को गवर्नर किस ने बनाया था ? क्या राजनीतिक पद पर जनता सरकार ने उनको प्रतिष्ठापित किया था । नेशनल पुलिस कमीशन जो बनाया गया था, इसके लिए वे एक शब्द भी नहीं बोले । 83 करोड़ रुपये सातवें फाइनेन्स कमीशन ने पुलिस को देने के लिए कहा है । जहां तक पुलिस विद्रोह की बात है, 6 तारीख को एक सभा हुई । हम सचमुच में एक **बिग ब्रादर** की तरह विवेव नहीं करना चाहते । यह हम नहीं चाहते की अगर किसी सरकार को हम पसन्द न करते, तो उसको उलट दो । केरल के लोग आज भी समझते होंगे कि यही कांग्रेस हुकूमत थी जिन के सिपहसालार आज चोगा बदल कर बैठे हुए हैं । क्या राज्य सरकारों की आजादी के साथ नहीं इन्होंने बलात्कार किया था? हिन्दुस्तान में पहली बार एक फैडरल गवर्नमेंट सही माइने में कायम हुई है । आज पंजाब में अकाली दल है और कर्नाटक में देवराज अर्स की सरकार है, अब तो वे अलग-अलग बंट गये और महाराष्ट्र में आप के शरद पंवार हैं । शरद पंवार के एक कल्चर हिन्दुस्तान में है और सी० पी० आई० (एम) की भी । पहली बार हिन्दुस्तान में

हुआ है जो फैडरल पालीटिक्स को प्रस्थापित किया गया है। आज तक इस तरह से कहीं नहीं हुआ। यही कारण है कि अब देश के पैमाने पर कुछ बातें होती हैं तो राज्यों में जो छोटी-छोटी पार्टियों की सरकारे हैं उन पर उनका असर पड़ता है। अगर जनता सरकार चली गई तो राज्यों की स्वतंत्रता और आजादी भी चली जाएगी। क्या आप इसी तरह राजनीतिक से परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं ?

मैं आप से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप सचमुच में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, दायित्वपूर्ण व्यक्ति हैं लेकिन मैं अपने भाईयों के बारे में क्या कहूं, उनको क्या जवाब दूं जो कि कल तक मेरे साथ थे। मैं आर० एस० एस० का समर्थक नहीं रहा हूं। लेकिन यह कहना कि जनता पार्टी आर० एस० एस० के कैम्प में कभी नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन जनता पार्टी बनी थी, क्या उस दिन जनसंघ के लोग आर० एस० एस० में नहीं थे ? लेकिन उस समय हमारे भाइयों ने विरोध नहीं किया। जिस दिन से असेम्वली इलेक्शन हुए और सारे उत्तर भारत में हुकूमतें बांट ली गईं उस दिन आर० एस० एस० का विरोध नहीं किया। लेकिन आज यह कहना कि जनता पार्टी जनसंघ की है या आर० एस० एस० की है और यह कह कर दल-बदल करना ठीक नहीं है। इस देश का एक-एक नागरिक जागरूक है जो इस तरह की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय, हमारे रामजीवन बाबू ने साइन कर दिये। मेरे से भी कहा गया कि आप साइन कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं सदन छोड़ सकता हूं लेकिन दल नहीं छोड़ सकता। (व्यवधान) आज तो पैसे भी खर्च किये जा रहे हैं, थैली भी खोली जा रही है, मिनिस्ट्री का भी लोभ दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जो पैसे और मिनिस्ट्री के लोभ में अपना ईमान बेच सकता है, कल को वह देश को भी बेच सकता है।

अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं दल-बदल के विषय में मुझे अपनी जनता पार्टी पर गुस्सा है जिसने आज तक दल-बदल के विरुद्ध विधेयक पास नहीं कराया। इसलिए मैं अपने दल के और अन्य सभी दलों के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्र का भविष्य क्या हो, देश का भविष्य क्या हो, इस बारे में सोचें। अभी तो इस विषय पर निर्णय होने में दो-तीन दिन और हैं। मैं तो चह्वाण साहब से यही निवेदन करूंगा कि आपने राष्ट्रीय जनतंत्र की सौगन्ध खायी है, आप जरा इस पर गंभीरता से विचार करें। संभव है रात को जाकर के आप यह सोचें और आपकी राष्ट्रीय जनतंत्र की भावना आप को यह प्रस्ताव वापस लेने पर विवश कर दे।

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले की बात है कि बेंगलौर के ग्लास हाउस में कुछ निर्णय हुए और उन निर्णयों ने चह्वाण साहब को ग्लास हाउस में बैठ कर दूसरों पर पत्थर मारने की प्रेरणा दी। मैं यह सोच रहा था कि यह अविश्वास का प्रस्ताव सोमवार को क्यों नहीं आया ? यह इसके बाद क्यों आया ? क्या राज नारायण जी के जनता संसदीय दल से इस्तीफा देने और इनके आने में कोई सामंजस्य है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री जैन मैं आपकी बात ठीक कर दूं। इस प्रस्ताव की सूचना सोमवार को दी गई थी किंतु यह निर्धारित समय के बाद दी गई।

श्री निर्मल चन्द जैन : राज नारायण जी ने तो जनता पार्टी पहले ही छोड़ दी थी। क्या इन दोनों में कोई सामंजस्य है ? यह नैतिकता का तकाजा नहीं है, यह राजनीति का तकाजा हो सकता है। क्योंकि चह्वाण साहब ने नेशनल ड्यूटी जैसे शब्दों से अपना भाषण प्रारंभ किया था इसलिए मैं यह कह रहा हूं। महाभारत में एक अध्याय आता है जिसमें कहा गया है कि जिस समय रथ का पहिया कहीं दवा और उस समय तब तीर मारा गया तो लोगों ने कहा कि यह राजनीति हो सकती है, नैतिकता नहीं हो सकती है। आप भी उसी का सहारा लेकर नो-कांफिडेंस मोशन ले आये हैं। शायद यह सोच कर ले आये हैं कि यह सरकार गिर सके। क्या आपने विकल्प भी सोचने की चेष्टा की है ? किस को आप गिराना चाहते हैं ? सरकार को गिराना चाहते हैं ? आपने उसको गिराने के लिए आठ दस बातें गिनाई हैं। मैं सब से पहले आपकी उस बात को लेना चाहता हूं जिस में आपने कहा है कि :—

"आज जनता जनता सरकार के विरुद्ध हैं। मैं कहता हूं कि आज जनता राजनीतिज्ञों के विरुद्ध है।"

यदि आप रेल में या बस में सफर करें तो केवल एक चीज़ आपको दिखायी देगी और सुनने को मिलेगी कि मास मूड राजनीतिज्ञों की ईमानदारी को नहीं मानता है उस में चह्वाण साहब भी शामिल हैं स्टीफन साहब भी सम्मिलित हैं। यह कैसे—हुआ है ? आप कहते हैं कि :—

"लोग जनता सरकार को पसन्द नहीं करते हैं।"

किस की फेवर में मास मूड है ? आप किसी से भी जाकर पूछ लें कि क्या वह श्रीमती इन्दिरा गांधी को फिर से चाहता है कि वह प्राइम मिनिस्टर हो जाएं तो लोग कहेंगे कि नही चाहते हैं। यदि आप यह पूछेंगे कि चह्वाण साहब हो जाएं तो कहेंगे कि उनका कैसे भरोसा किया जा सकता है, कभी वह इन्दिरा गांधी के पक्ष में हो जाते हैं—और कभी उनके विरुद्ध जाते हैं। एक विचित्र बात है। चह्वाण साहब का एमरजैंसी के समय में रोल इतना गन्दा रहा है कि उनको कोई क्षमा नहीं कर सकता है। क्या स्टीफन साहब पर आदमी भरोसा कर सकता है ? 19 7 मार्च में जिस वक्त स्टीफन साहब हाउस में आए थे तो उन्होंने श्रीमती इदिन्रा गांधी को बहुत बुरा कहा था. पता नहीं क्या क्या शब्द उन्होंने उनके विरुद्ध इस्तेमाल किए थे। लेकिन अब उनसे ज्यादा श्रीमती इन्दिरा गांधी की तारीफ करने वाला आदमी शायद आपको इस सदन में नही मिल सकता है। जब स्टीफन साहब भाषण कर रहे थे तो मैंने एक प्रश्न उनसे पूछा कि मार्च 1977 में चुनाव होने के बाद जो आप कहते थे वह आप ईमानदारी से कहते थे या अब जो आप उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशास्ति में कहते हैं-—ईमानदारी से कहते हैं ....

श्री सी० एम० स्टीफन : आप केवल एक ही ऐसा वाक्य बताइये जिसमें ....

श्री निर्मल चन्द जैन : श्री स्टीफन साहब मैं ऐसे सैकड़ों वाक्यों को बता सकता हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : कृपया उनको बताईये ।

श्री निर्मल चन्द जैन : आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है ....

श्री सी० एम० स्टीफन : यदि मैंने कहा होगा, तो यह अवश्य ही रिकार्ड में होगा आप बताईये ।

श्री निर्मल चन्द जैन : मैं बताऊंगा ।

अविश्वास के प्रस्ताव में जो बात कही गई है उन से परे हट कर एक बात मैं कहना चाहता हूं । सबसे बड़ी बात कम्युनलिज्म की कही गई है । मजाक करते करते स्टीफन साहब ने सी को लेकर, जनता सी को लेकर बहुत सी बातें कह दी हैं । उसी समय खड़े होकर मैंने धीरे से कहा था, और अब जरा जोर से कहने का अवसर आया है ।

क्या "सी" का तात्पर्य भ्रष्टाचार, साम्यवाद, प्रति उत्पादकता तथा इसी प्रकार की अन्य बातों से होता हैं ?

यदि यह सही है तो आप से मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सी जो है इसका क्या मतलब होता है, चव्हाण साहब की जो सी है इसका क्या मतलब होता है । इतने बड़े नेता से इन छोटी छोटी बातों की अपेक्षा मैं नहीं करता था । मैं यह चाहता था कि वह बड़ी बात करते ।

उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही है कि कम्युनलिज्म को जनता राज में भड़काया गया है और दंगे हुए हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दंगे आज हुए हैं ? क्या कांग्रेस की डिवाइड एण्ड रूल की नीति नहीं रही है ? उसके कारण मैं समझता हूं कि हम ने मुसलमानों को सिर्फ वोटर ही समझा है उनको कभी अपना भाई नहीं समझा, उनको राष्ट्रीय धारा के साथ बहाने का प्रयत्न नहीं किया । कांग्रेस की सैक्युलरिज्म सिर्फ यहीं तक सीमित रही है कि किसी मुसलमान को राष्ट्रपति बना दो या कोई और बड़ा पद दे दो । यह एक ड्रामा ही किया गया है । मुसलमानों को भाई बनाकर किस तरह से उनके साथ भाई भाई की तरह ...... रहा जाता है इसको आपको देखना हो तो जबलपुर में जा कर आप देखें । ये जो ड्रामे आप किया करते थे इन से काम नहीं चल सकता है । और उनको एक पद नहीं दिया तो जो नहीं देता है वह सैक्युलर नहीं है इस तरह से देखने से काम नहीं चल सकता है । एक पद हरिजनों को दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप हरिजनों के बहुत बड़े वफादार बन गए हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जो हरिजन आज भी गांवों में रहते हैं, जो बहुत गरीब है उनके लिए कांग्रेस के लोगों ने क्या किया है, वन वासी जो गरीब आदमी है, जो देहातों में पड़े हुए हैं उनके लिए क्या आपने कभी सोचा है कि उनके वास्ते एक सड़क ही बना दें ? कौन सी चेष्टा इन गरीब लोगों

के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपने तीस बरस में की है ? दुर्भाग्य की बात यह है कि शासन की······यह एक परिपाटी है, परम्परा है कि इसकी मनोवृत्ति को एक दम से बदला नहीं जा सकता है, उस परिपाटी को कुछ दिन तक सहन करना पड़ता है, कुछ दिन तक उस परेशानी को भोगना पड़ता है। जब पानी में उबाल आता है तो उबाल के शान्त होने में भी समय लगता है।

एमर्जेंसी की मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। एमर्जेंसी में मुझे और लाखों दूसरे लोगों को जेलों में रखा गया था। एमर्जेंसी ने लोगों को एक बात कहने का मौका दे दिया है, एक बात कहने के लिए सिखा दी है और वह यह है कि तुम राजनीतिज्ञ लोग अपनी गद्दी बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हो।

इसलिए क्राइसिस आफ कानफीडेंस है समग्र रूप से राजनीतिज्ञों के खिलाफ विश्वास करने न करने का बोलबाला हैं। उन लोगों ने इमर्जेंसी कों सपोर्ट किया था कुर्सी बचाने के लिये। यह उथल पुथल चल रही है और इनमें यह होता है, समुद्र मन्थन में अमृत के साथ साथ विष भी निकलता है। लेकिन आज कोई शंकर नहीं, है जो उस विश को पी ले।

श्रमिक के बोनस की बात चलती है, प्रौडक्शन की बात चलती है कि वह बढ़ता नहीं है। बोनस की मांग उठती है। जो मांग करते हैं वह तो कुछ भी मांग कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें निर्णय करना होता है उनको देखना होता है कि हमारी स्थायी व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी। बोनस दे करके अगर अर्थ व्यवस्था अच्छी बना सकते हैं तो जरूर दीजिये। आज आप कैपिटलिस्टों की बात करते हैं। कम से कम कांग्रेस वालों को तो यह शोभा नहीं देता। माननीय समर मुखर्जी बोलें तो ठीक भी है। आज आप बड़े पेपर वालों की बात करते हैं पूंजीपतियों की बातें करते हैं जिनसे चुनाव लड़ने के लिये पैसे लिए हैं। बड़े पेपर वाले इस कारण से चिल्लाते हैं कि आज उनको डर लगने लगा है कि जनता पार्टी आयी है कैपिटलिस्टों का भला नहीं होगा, इसलिये वह चाहते हैं कि आप बैठ जायें जिससे उनका भला होने लगे। यह जो पेपर्स हैं यह सही रूप से रिप्रजेन्ट नहीं करते हैं जनता की भावना को। आप कहते है कि मास मूड आज जनता पार्टी के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने मेम्बर मासेज के बीच में गये है ? आज मासेज का मूड यह है कि जितने भी गांव में रिफार्म्स किये गये हैं, जो सिंचाई की योजनायें और सड़कें बनायी गयी हैं, इंडस्ट्रियल सेन्टर्स खोले गये हैं उतने मासेज ने पहले कभी नहीं देखे थे। आज वह देखते हैं कि कुछ परिवर्तन आ रहा है। और इससे कुछ लोगों को बेदना भी हो रही है। माननीय नायक जी ने अच्छी बात कही कि माननीय चरण सिंह ने कुछ रूरल रिफार्म्स किये थे, यह बात अलग थी कि उसके कारण कुछ मुख्य मन्त्री उनके बदल दिये गये। लेकिन जब आप हमारे वित्त मन्त्री को गाली बक रहे थे तो उसके साथ साथ यह भी तो कहते कि गांवों की भलाई के लिए उन्होंने यह काम किये। आज जनता पार्टी गांवों की ओर देखती है तो निश्चित रूप से शहर के लोगों को तकलीफ होगी। और चूंकि आप शहर को रिप्रजेन्ट करते हैं इसलिये आप कहते हैं कि मास मूड सरकार के खिलाफ है। कभी आप गांव में जा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि रूरल मासेज हमारे साथ हैं। अभी सीधी में चुनाव हुआ जहां हमने

देखा कि वहां की जनता ने कांग्रेस (आई) को डिसकार्ड कर दिया है।

आप पुलिस रिवोल्ट की बात करते हो, ला एण्ड आर्डर खराब हुआ इस की बात करते हो। मैं तो कहता हूं कि जो व्यवस्था आपने 30 साल में दी है उसी का यह परिणाम है जो आज भोगा जा रहा है। आप ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं तो आपको देखना होगा कि कौन सी सरकार व्यवस्था चला सकती है ? क्या कोई वैकल्पिक सरकार है जो व्यवस्था चला सके ? यदि कोई वैकल्पिक सरकार नहीं है जो व्यवस्था चला सके तो आप स्वयं ला एण्ड आर्डर के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सी सरकारों को बदला गया यह बात कही गई। यह परम्परा कहां से प्रारम्भ हुई ? मैं यह नहीं कहता कि यह परम्परा अच्छी है। लेकिन दी हुई तो आपकी ही है, पहले आप नेता विरोधी दल थे फिर दूसरे हुए और अब फिर आप नेता विरोधी दल हो गये। तो यह परम्परा तो आप लोगों की ही दी हुई है। माननीय चव्हाण साहब नेता विरोधी दल हो गये, आपको बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। लेकिन यह सब हुआ कैसे ? इतने लोग आपके साथ कहां से और किसके कारण आ गये ?

क्योंकि संजय वाली बात सिर्फ उठी। तो सिर्फ एक संजय इतने लोगों को दल-बदल करवा सकता है और आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। क्या आपकी इज्जत को यह शोभा देता है ? पद तो शोभा दे सकता है, लेकिन क्या यह दल-बदल भी आपको शोभा देता है ? यह बात आप की इज्जत को शोभा नहीं देती है कि आप इस तरह से दल-बदल की बात करें।

यहां पर जिस समय दल-बदल का कानून लाने की बात थी, तो कुछ टैक्नीकल कारणों से.........

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये। अभी आधे घंटे की चर्चा भी होनी है।

एक माननीय सदस्य : क्या इनका भाषण अगले दिन जारी रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : खत्म हो गया।

आधे घंटे की चर्चा

चम्बल पुल का निर्धारित समय से पहले टूट जाना

श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी : महोदय मैं, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 55 (2) के अधीन दिनांक 30 अप्रैल, 1979 को चम्बल पुल के निर्धारित समय से पूर्व गिर जाने के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 9125 के बारे में दिये गये उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा उठाता हूं।

(श्री एन० के० रोजवलकर पीठासीन हुए)

आगरा बम्बई राजपथ पर चम्बल पुल 1959-60 में पूरा हुआ था तथा उसी वर्ष इस पुल को यातायात के लिये खोल दिया गया था। जब पुल निर्माणाधीन था तो उसी समय कार्य की देख-रेख करने वाले कनिष्ठ इंजीनियर, श्री गुरदयाल उपाध्याय ने बड़े पैमाने पर सीमेंट चोरी होने तथा पुल के स्तम्भ संख्या 17 पर निम्न-स्तरीय कार्य होने की सूचना दी थी। 13 वर्षों के पश्चात् ठीक इस स्थान पर ही पुल गिर गया है। जिससे 3 करोड़ रु० की राजकोष को हानि हुई है। इसके बावजूद भी श्री उपाध्याय द्वारा आरोपित कदाचारों अथवा उच्च स्तर पर इस निर्माण के प्रभारी इंजीनियरों की लापरवाही तथा असक्षमता के लिये किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है।

मैंने पहला प्रश्न 1 अगस्त, 1977 को पूछा था। मुझे यह बताया गया था कि विभागीय पर्यवेक्षकों तथा मंत्रालय के मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा श्री उपाध्याय द्वारा लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हो सके हैं। उनको कारीगरी का निम्न स्तरीय कार्य नहीं जान पड़ा तथा पुल के गिर जाने के अन्य कारण बताये। इस लिये सरकार ने जांच करने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं किया और न ही इस मामले को सी० बी० आई० को देने का प्रस्ताव किया गया। जबकि मेरी यह मांग थी कि आयोग अथवा सी० बी० आई० के एक निष्पक्ष प्राधिकरण द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिये।

इस उत्तर के पश्चात् मैंने स्पष्टीकरण के लिये कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे थे तथा मेरा पहला स्पष्टीकरण का प्रश्न यह था कि जांच के दौरान क्या श्री उपाध्याय को अपने आरोपों को प्रमाणित करने का अवसर दिया गया था, यदि ऐसा है तो क्या उनका वक्तव्य रिकार्ड में है ? क्या सीमेंट की खपत के हिसाब-किताब की, जिसे श्री उपाध्याय द्वारा रखा गया था जांच पड़ताल की गई थी। क्या उपयोग में आने वाले सीमेंट की मात्रा तथा वास्तव में उपयोग में लाई गई सीमेंट की मात्रा में क्या कोई अधिक अन्तर था ? यदि ऐसा था, तो इसको किस प्रकार बताया गया था ? संक्षिप्त में क्या सीमेंट की चोरी तथा अन्य सामान की चोरी के बारे में तकनीकी विशेषज्ञ अथवा उच्च स्तरीय समिति द्वारा कोई अध्ययन किया गया था और क्या इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट रिकार्ड में मौजूद है ? इसके उत्तर में बताया गया था :

"श्री उपाध्याय ने यह आरोप लगाया था कि चम्बल पुल के निर्माण के दौरान अन्य बातों के अतिरिक्त सीमेंट की चोरी की गई थी तथा 14 से लेकर 17 स्तम्भों पर निम्न स्तरीय निर्माण कार्य किया गया था। इस बात की केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा निर्माण और आवास मंत्रालय के मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा पूरी तरह से छानबीन की गई। पूरी छानबीन के दौरान श्री उपाध्याय मौजूद थे तथा उनको त्रुटियों को बताने तथा किसी अन्य प्रमाण को मुख्य तकनीकी परीक्षक के पास प्रस्तुत करने की पूरी स्वतंत्रता दी गयी। फिर भी उनके द्वारा जो आरोप लगाये गये थे वे प्रमाणित नहीं हो सके तथा निर्माण कार्य निम्न स्तर का प्रमाणित नहीं हो सका।"

उत्तर कितना अस्पष्ट दिया गया था। एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से इस बात की सूचना देता है, कि सीमेंट की चोरी की गई है। लेकिन उसका वक्तव्य रिकार्ड में मौजूद नहीं है। यह बताया गया है कि वह पूरी जांच के दौरान मौजूद था लेकिन इस बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है ? पुल गिर जाता है, तथा 13 वर्षों के पश्चात् इस समस्या की जांच करने के लिये इस समिति को गठित किया गया था। समिति क्या कहती है :

"दिनांक 13 अक्तूबर, 1973 को विल्टिज में प्रकाशित एक समाचार के जरिये श्री उपाध्याय द्वारा शिकायत करने के मामले को तकनीकी विशेषज्ञों की समिति के ध्यान में लाया गया (जिसे पुल के गिर जाने के पश्चात् गठित किया गया था)"।

इससे तकनीकी समिति तथा विभाग के कुछ सदस्यों द्वारा इस विषय को दिये गये महत्व तथा वास्तविकता का पता लगाने की इच्छा का पता चलता है।

"केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य-इंजीनियर से जो कि तकनीकी विशेषज्ञों कि समिति के एक सदस्य भी थे, इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिये कहा गया था। इस समिति द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर (सतर्कता) द्वारा भेजे गये नोट पर भी पूरी तरह से विचार किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री उपाध्याय द्वारा जो आरोप लगाये गये हैं, उनको निर्माण और आवास मंत्रालय के मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है, इसलिये विशेषज्ञों की इस समिति ने श्री उपाध्याय द्वारा की गई शिकायत पर नये सिरे से विचार करना आवश्यक नहीं समझा। विशेषकर, इसलिये क्योंकि इस समिति ने स्तम्भ संख्या 17 के नीचे नींव स्तर पर आधारशिला के नीचे धंस जाने को पुल की गिर जाने का एक कारण मान लिया था।

रिपोर्ट कितनी ईमानदारी तथा निष्पक्षता से बनायी गयी है यह उसका नमूना है। जब यह रिपोर्ट आई थी तो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि यदि दोषपूर्ण कारीगरी तथा निम्न-स्तरीय

सामान का प्रयोग पुल को गिराने वाले कारण नहीं है, तो क्या पुल के गिरने के अन्य कारणों का पता लगा लिया गया है। और इसके जो कारण बताये गये हैं क्या उनके दोसपूर्ण डिजाइन अथवा अस्थायी आधार शिला का होना भी बताया गया है ? क्या इसके लिये किसी को दोषी ठहराया गया है ? इसका उत्तर क्या दिया गया ? उत्तर इस प्रकार हैं :

> "भारत सरकार द्वारा आगरा की ओर से 16 से 20 के बीच चार सीमेंट के मजबूत फैले हुए महराबों (अर्क स्थान) के गिर जाने के कारणों का पता लगाने के लिये नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति, नीचे की मिट्टी को विस्तृत जांच करके तथा उसके परिणामों को परिकल्पना करते हुए इस परिणाम पर पहुंची है कि पायर न० 17 की नींव धंसने के कारण ही ये चारों फैले हुए मेहराव गिर गये हैं। इस पायर न० 17 की बुनियाद मिली जुली मिट्टी के एक अत्यधिक अस्थिर भाग पर आधारित थी जो कि उसके ऊपर आने वाले भार को वहन करने के योग्य नहीं था। इसके अलावा समिति इस परिणाम पर भी पहुंची है कि संभवतः इस पायर के आसपास नदी की तलहटी के इस भाग में अत्यधिक सीमेंट कंकरीट इत्यादि के भार के दबाव के कारण यह धसाव हो गया है। जिससे तह की सहन करने की क्षमता प्रभावित हो गई है जिस पर इस नींव के कुओं के किनारे आधारित थें।"

महोदय, यह सब तकनीकी शब्दावलि है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि पुल के गिरने के पश्चात् प्रारम्भ में यह प्रश्न राज्य सभा में उठाया गया था जिसके केवल दो भागों का ही उत्तर दिया गया था।

सभापति महोदय : आपने 10 मिनट व्यतीत कर दिये हैं। आखिर हमें इसको आधे घंटे में ही समाप्त करना है। कृपया अपनी बात पर आइये तथा सम्बन्धित प्रश्न पूछिये।

श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी : ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

सभापति महोदय : यह आधे घंटे की चर्चा है। आपको अपनी बात शीघ्रता से पूरी करनी चाहिये। इससे अधिक मैं उसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूं।

श्री सिकन्दर बख्त : वह मेरा समय भी ले सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में कहने की कोशिश करिये।

श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि 26 जुलाई, 1978 को जब यह प्रश्न उठाया गया था तो उसके केवल पहले भाग का ही उत्तर दिया गया था। पिछला भाग बाद के प्रश्नों के उत्तर में दिया गया है। मैं नहीं जानता कि वे प्रश्न वहां पूछे गए या नहीं लेकिन हमें इससे आश्चर्य होता है क्योंकि इसमें कुछ रियायत दी गई है। इसमें यह भाग नहीं है। नदी के पेंदे में भारी मेटीरियल की बहुत बड़ी मात्रा इसके पूर्व बह गयी थी। उसमें केवल इतना ही कहा गया था।

"पायर नं० 17 की बुनियाद मिलि जुली मिट्टी के एक अत्याधिक अस्थिर भाग पर आधारित थी जो कि उसके ऊपर आने वाले भार को वहन करने के योग्य नही था।"

लेकिन मेरी बात यह है कि सारा इंजीनियरिंग विभाग वहां मौजूद था। और उसका यह कर्तव्य था कि नींव को स्थिर जमीन पर डाला जाये। यदि नींव दोषपूर्ण थी और वह पुल के भार को वहन करने में सक्षम नहीं थी तो इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिये था। लेकिन इसके लिये किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।

इसके पश्चात, मैंने पूछा था कि क्या जांच के दौरान निर्माण कार्य में उपयोग किये गये चूने तथा रेत से तैयार गारे की जांच की गई थी। अब मुझे यह बताया गया है कि प्रथम रिपोर्ट को तैयार करने वाले तकनीकी परीक्षक द्वारा चूने रेत और पानी से बने गारे की जांच की गई थी। पुल को गिर जाने के पश्चात् चूने रेत और पानी से बने गारे की कोई भी जांच नहीं की गई। इस पुल को गिरने के कारणों का पता लगाने वाली समिति ने इस प्रश्न पर बिल्कुल भी ध्यान नही दिया। समिति ने इस स्तम्भ के चूने रेत और पानी से बने गारे की जांच करने की चेष्टा नहीं की, जैसा कि श्री गुरदयाल उपाध्याय ने सूचना दी थी, कि इसमें निम्न स्तरीय सामान को प्रयोग में लाया गया है। ऐसा नहीं किया गया, उसके पश्चात् श्री गुरदयाल उपाध्याय को तरह-तरह से परेशान किया गया। उसके वक्तव्य के अलावा मेरे पास इस कहानी के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है कि उसको नदी में फैंका गया, लेकिन सौभाग्य से वह तैर कर किनारे पर आ गया। लेकिन उसको जबरदस्ती से आगरा के पागलखाने में भर्ती किया गया। लेकिन जब चिकित्सा अधिकारी ने केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को बताया कि वह यह रिपोर्ट देगा कि वह मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, तो उसको पागलखाने से हटा दिया गया। इस प्रकार उसको परेशान किया गया। वह पिछले 19 वर्षों से मुअत्तिल है। यदि वह उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करके आश्रय न लेता तो उसको सेवा से मुक्त कर दिया गया होता। उसको इस प्रकार से परेशान किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक निस्पक्षीय जांच की मांग कर रहा हूं। यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि संगठित विभाग की शक्ति के सामने कोई भी व्यक्ति अपने आपको निःसहाय महसूस करता है। इस लोकपाल विधेयक पर बोलते हुए मैंने पूर्व में कहा है कि इस प्रकार से लोगों की शिकायतों की सुनवाई नहीं हो सकती है। हम चाहते हैं कि एक ओमबडरमैन होना चाहिये। यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था होती तो यह मामला केवल छः महीने में ही निपटाया जा सकता था। इस मामले में सारा विभाग उसके पीछे पड़ गया था। विभाग के अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ प्रत्येक प्रकार की शिकायत की गई क्योंकि उनके लिये यह एक प्रतिष्ठा का मामला बन गया था।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिये। दूसरे सदस्य भी प्रश्न पूछेंगे।

श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी : मैं व्यक्तिगत रूप से मन्त्री महोदय से मिला था तथा उनसे बातचीत की थी कि यह व्यक्ति पिछले 19 वर्षों से मुअत्तिल है। उसके साथ घोर अन्याय

किया गया है । विभाग तथा मंत्रालय निष्पक्ष रूप से जांच कराने से कतरा रहे हैं । मेरी यह मांग है कि न्याय तथा ईमानदानी को ध्यान में रखते हुए जांच की जानी चाहिये ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस रूप में इस मामले को लिया गया है, उससे सरकार की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है- । पहले इस प्रश्न को निर्माण तथा आवास मंत्रालय के पास भेजा गया था । उस मंत्रालय ने नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के पास इस प्रश्न को भेज दिया । प्रत्येक समय पर जब भी कोई असुविधाजनक प्रश्न पूछा गया है, तो उसको निर्माण और आवास मंत्रालय के पास वापस भेज दिया गया है । दो बार इसको एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के पास भेजा गया है जिससे लोग समय का लाभ उठाकर युक्ति से काम ले सकें ।

यदि अधिकारियों को इसी रूप में ईमानदार तथा अच्छा अधिकारी माना जाता है, तो हमारे देश का ईश्वर ही मालिक है ।

निर्माण तथा आवास तथा पूर्ति एवम पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : माननीय सदस्य ने प्रश्नों तथा सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों का ब्यौरा बहुत ही बिस्तार से बताया है । यह अधिक अच्छा रहता यदि माननीय सदस्य सरकार अथवा मंत्री महोदय के विचार को भी सदन में बताते । यदि माननीय सदस्य मुझसे पहले मिल लेते, तो वे इस समय की भांति कटु ना होते । मैं इस बात का आभारी हूं कि उन्होंने श्री उपाध्याय के बारे में काफी कुछ बताया है । मैंने भी अपनी सक्षमता के अनुसार इस मामले की ओर ध्यान दिया है । मैंने माननीय सदस्य की रुचि को देखते हुए इस मामले का अधिक से अधिक ब्यौरा जानने की कोशिश की है । दुर्भाग्यवश उन्होंने दूसरी बातों को भी एक साथ मिला दिया है ।

जब श्री उपाध्याय ने कनिष्ट इंजीनियर का कार्य भार संभाला था तो उस समय इस पुल का 82 प्रतिशन निर्माण कार्य पूरा हो चुका था । स्तम्भ संख्या 17 के नींव के कुएं को बनाया जा चुका था । इसके बावजूद भी उसके द्वारा शिकायत किये जाने पर, तकनीकी सलाहकार द्वारा पूर्णत: स्वतंत्र रुप से जांच कराई गई थी । जिसका केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग से कोई भी सम्बन्ध नही हैं । लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हैं कि विशेषज्ञ की रिपोर्ट को श्री उपाध्याय द्वारा की गई शिकायत के साथ मिलाया जा रहा है । जबकि इसका उससे कोई भी सम्बन्ध नही है ।

यह बात सच है कि पुल 13 वर्षों के पश्चात ढ़ह गया । उस समिति के निम्नलिखित सदस्य थे । इस समिति में विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों से सम्बन्धित व्यक्ति सम्मिलित थे

श्री एस० एन० सिन्हा : महानिदेशक (सड़क विकास) तथा अतिरिक्त सचिव नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय

श्री यू० एस० राव : अतिरिक्त सदस्य (निर्माण) रेलवे बोर्ड

श्री ओ० मुथाचेन : मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ।

मेजर जनरल जे० एम० बावा : महानिदेशक (सीमा सड़क)

श्री वी० एस० कृष्णास्वामी : उप महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

श्री डी० पी० जैन : मुख्य अभियन्ता (सड़क) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

श्री डी० टी० ग्रोवर : मुख्य अभियन्ता (सड़क) नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय

वास्तव में विशेषज्ञ समिति द्वारा जो जांच की गइ थी उसका श्री उपाध्याय की शिकायत से कोई सम्बन्ध नहीं है। निःसंदेह बिलटज में एक समाचार प्रकाशित हुआ था तथा इसकी ओर विशेषज्ञ समिति का ध्यान दिलाया गया था। उन्होंने इस सम्बन्ध मैं ध्यान दिया, लेकिन यह बात श्री उपाध्याय द्वारा की गई शिकायत पर आधारित नहीं थी। मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व उनकी शिकायत को पूर्णतः निपटा दिया गया था। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध अलीपुर टैस्ट हाऊस में चूने तथा रेत पानी से तैयार गारे का परीक्षण किया गया था तथा उसमें सीमेंट की प्रतिशतता पूर्णतः उचित मात्रा में पाई गई थी। यदि माननीय सदस्य नें इस सम्बन्ध में भी ब्यौरा दिया होता तो मुझे अत्यन्त खुशी होती। मैंने इस प्रश्न पर बड़े विस्तार से विचार किया है। मैंने यहां तक भी विचार किया है कि वह व्यक्ति काफी लम्बे समय से मुअत्तिल है, इसलिए उसको बहाल किया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि उसको पहले ही काफी सजा दी जा चुकी है। चूंकि उसने अदालत में एक याचिका प्रस्तुत की थी इस-लिए हमने भी अदालत में उसको बहाल करने के सम्बन्ध में एक आवेदन दिया है। एक-दो दिन पहले ही अदालत ने हमारी प्रार्थना पर विचार करके इसको निपटा दिया है। इस सम्बन्ध में जिला काउसिल का विचार है कि हम जो भी कार्यवाही करना चाहें कर सकते हैं।

दुर्भाग्यबश उन्होंने आगरा के विक्षिप्त पागलखाने के बारे में भी जिक्र किया हैं। यह एक दुःखद घटना है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत विचार है मैं कोई डाक्टर नहीं हूं, मुझे उसकी मानसिक स्थिति के सम्बन्ध में कोई प्रमाणपत्र नहीं देना है—कि जब तक वह मेरे कमरे रहे, मैं कुछ भयभीत सा रहा, क्योंकि उनमें कुछ असामान्यता अवश्य है। हो सकता है कठिनाइयों का सामना करने के कारण ही उनकी यह स्थिति हो गई हो। लेकिन मैंने उनका काफी ध्यान रखा है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि उनके प्रति कोई भी अन्याय नहीं किया गया है। चूने तथा रेत से तैयार गारे का परिक्षण किया गया था। वह भी कुछ भ्रांति में आकर इन सभी बातों को एक साथ मिला रहे हैं। निर्मित स्तम्भ के दो भाग हैं। एक स्तम्भ भाग तथा दूसरा नींव के कुएं वाला भाग। दुर्भाग्यवश उनकी शिकायत स्तम्भ भाग के बारे में थी लेकिन स्तम्भ में कोई भी दोश नहीं पाया गया। जब पुल गिरा था। नींव का व्यास लगभग 6.5 मीटर था। नींव वाला कुआं ही गिरा था। नीचे की मिट्टी का परीक्षण किया गया था। नींव के कुएं का आधार धनुषाकार हो गया था। दुर्भाग्यवश उस आधार पर मेट्रिकल कोलोमीरेट की तह सबसे अन्त में थी।

इसीलिए यह समिति भी किसी एक स्थान अथवा किसी व्यक्ति विशेष पर जिम्मेदारी निर्धारित करने में असमर्थ रही। सारा मामला इसी बात पर आधारित है। तकनीकी दृष्टि से

आवश्यक सभी पूर्व सावधानियों को बरता गया था। नींव-कुआ पूर्णतः ठीक था। लेकिन दुर्भाग्य-वश नीव-कुआं के अन्त में यह पर्त मौजूद थी जिसके कारण स्तम्भ गिर गया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके बारे में किसी को भी कटु होने की आवश्यकता नहीं है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। लेकिन जब मैंने इस मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और जब में उस व्यक्ति से मिला और समस्या को हल करने की कोशिश की और सरकार ने उसकी बहाली के आदेश जारी कर दिए हैं अब उसकी बहाली के लिए हमें अदालत के आदेशों का भी इन्तजार करना है क्योंकि उसने अदालत में याचिका दायर कर दी थी यह कहना पूर्णतः अनुचित है कि उस व्यक्ति के प्रति अन्याय किया गया है।

मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूं।

प्रो० पी० जी मावलंकर (गांधी नगर) : सभापति महोदय, हम संसदीय कार्यप्रणाली तथा वाद विवाद के साथ हो रहे दिलचस्प रोमांस को देख रहे हैं। क्योंकि इस आधे घन्टे की चर्चा को अविश्वास प्रस्ताव के पश्चात, प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन संसद में केवल बड़े मामलों पर ही चर्चा नहीं की जाती है बल्कि व्यक्तिगत मामलों, नीति सम्बन्धी मामलों तथा नागरिकों के प्रति सम्भावित अन्याय के बारे में भी संसद में चर्चा की जाती है। इसलिए बड़े मामलों की भांति व्यक्तिगत मामलों में हुए अन्याय के बारे में भी उसी तत्परता के साथ विचार किया जाना चाहिए।

माननीय मित्र श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी अपने धैर्य के लिए बधाई के पात्र है। उन्होंने 1 अगस्त, 1977 से लेकर 30 अप्रैल, 1979 के बीच पांच प्रश्न पूछे हैं। मुझे न तो इस मामले में अधिक जानकारी प्राप्त है तथा मैं यह भी नहीं जानता हूं कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा असमान्य है। लेकिन मैं मूल विषय से सम्बन्धित अपना प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन पांच प्रश्नों के उत्तर केवल दो वर्षों से कुछ अधिक समय के दौरान ही दो अलग-अलग मन्त्रियों द्वारा क्यों दिए गए हैं ? पहले प्रश्न का उत्तर उनके मन्त्रालय द्वारा दिया गया था। उसके पश्चात उनके साथी श्री चांद राम द्वारा तीन प्रश्नों के उत्तर दिए गए तथा उसके पश्चात अन्तिम प्रश्न का उत्तर उनके द्वारा दिया गया था। इसलिए यह सिलसिला पूरा हो गया है। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ही प्रश्न के लिए अलग-अलग उत्तर क्यों दिए गए हैं? मैंने दिए गए उत्तरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। मेरा यह विचार है कि यदि उत्तर परस्पर विरोधी नहीं है तो विवादग्रस्त अवश्य हैं।

इसके पश्चात श्री चतुर्वेदी ने 1 अगस्त, 1977 के प्रथम प्रश्न के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तरों का जिक्र किया है। मैं उनको दोहराने में सभा का समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि सभा को उन उत्तरों की जानकारी प्राप्त है, और मन्त्री महोदय को तो उन उत्तरों के बारें में अवश्य ही जानकारी प्राप्त होगी।

(ग) भाग के बत्तर में कहा गया है :

"श्री उपाध्याय पर कई मामलों में आरोप लगाया गया तथा उन्हें निलम्बित किया

गया परन्तु ऐसा उन्हें तंग करने के लिए नहीं किया गया ।"

उत्तर में 'नहीं' शब्द को रेखांकित किया गया है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि ऐसा तंग करने के लिए नहीं किया गया तो उनपर आरोप किस उद्देश्य से लगाये गये थे । दूसरे, (घ) भाग के उत्तर में बताया गया है ?

> "सरकार कोई जांच नहीं करवाना चाहती और न ही मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना चाहती है ।"

मैं समझता हूं कि इस बारे में सरकार के अपने कारण हो सकते हैं । परन्तु सचाई यह है कि पुल टूट गया और कोई कार्यवाही नहीं की गई । यदि ऐसी घटना दुबारा घटती है तो क्या होगा ? सरकार की सभा को तथा सभा के माध्यम से देश को आश्वासन देना चाहिए कि जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह अत्यन्त गम्भीर मामला है । पूरा पुल टूट गया और । कोई कार्यवाही नहीं की गई; संतोषजनक जांच तक नहीं हुई ।

अन्त में मैं यह अनुभव करता हूं कि कोई व्यक्ति, पांचों उत्तरों को ध्यान से पढ़ने से यही पायेगा कि सच्चाई को या तो छिपाया गया है अथवा हटाया गया है । मैं समझता हूं कि नौकरशाही का उत्तर देने का तरीका ऐसा है कि सच्चाई सामने नहीं आती जब कि प्रश्न काल प्रश्न तथा आधे घंटे की चर्चा का उद्देश्य सच्चाई सामने लाना ही होता है । यह कौन सी प्रक्रिया है कि सच्चाई नहीं प्राप्त होती ? यह मेरा प्रश्न है ।

श्री ग्रार० डा० गट्टानी (जोधपुर) : अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि 13 वर्ष बाद ही यह पुल टूट गया । उन्होंने इस 13 वर्ष की अवधि को बहुत लम्बा समय माना है । यह पुल 13 वर्ष बाद ही क्यों टूट गया ? पुल तो सौ-सौ वर्ष नहीं टूटते । इसके कारण मेरी तो समझ में नहीं आये । मुझे तो लगता है कि इस पुल के बनाने में ही नहीं बल्कि जुनीयर इन्जीनियर उपाध्याय के साथ भी लापरवाही वरती गयी और चतुर्वेदी जी ने जो बार-बार सवालात किये उनके सवालात के साथ भी लापरवाही बरती गयी है । चतुर्वेदी जी ने जो सवाल पूछा, उसे आप देखें । उनका सवाल पहली अगस्त 1977 का है ।

सभापति महोदय : अब तक मैं मौन रहा हूं । परन्तु नियम 35 केवल यहां पूछे गये प्रश्न के बारे में स्पष्टी करण के लिए प्रश्न पूछने की अनुमति देता है न कि उन चारों प्रश्नों के बारे में जो कि आप पहले पूछ चुके हैं । यह जो प्रश्न 9125, 30-4-79 का है उसके सम्बन्ध में कोई एक्सप्लेनेशन पूछना हो तो वह पूछिये ।

श्री ग्रार० डी० गट्टनी : मैं वही पूछ रहा हूं । यह जो पुल के बारे में और पिछले सवालात के जवाब देने के बारे में जो लापरवाही वरती गयी है, उसकी बात मैं कर रहा हूं । आप उस सवाल को देखें । उस में एक से अधिक जगह पर यह कहा गया है कि पुल के गिरने के एक से अधिक कारण थे । उसमें भी लापरवाही वरती गयी । दूसरे सवाल के जवाब में

यह मंजूर किया गया कि इसके गिरने का एक ही कारण था कि नींव कमजोर थी। फिर उनसे यह भी पूछा गया कि इस पुल के टूटने के लिए दोषी कौन है ? चौथे सवाल के बारे में यह जवाब दिया गया कि अभी तक इसकी जांच की जा रही है कि दोषी कौन है। आखिरी सवाल के जवाब में यह कह दिया गया कि सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसर दोषी नहीं पाये गये। अभी तक इस बात का जबाव नहीं आया हूं कि इस सब के लिये दोषी कौन हैं। अगर यह नींव की कमजोरी के कारण से हुआ है......

सभापति महोदय : क्या सभा कुछ समय और कार्यवाही जारी रखना चाहती है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वे ी : हां आधे घंटे के लिए।

श्री सिकन्दर बख्त : यह बहुत अधिक है।

सभापति महोदय : श्री चतुर्वेदी आप इसके लिये उत्तरदायी हैं। मैंने आपको उस समय 10 मिनट में समाप्त करने को कहा था।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी : मुझे खेद है। परन्तु यह मामला बहुत देर से चल रहा है और आधे घंटे में उस बारे में जानकारी नहीं मिल सकती।

सभापति महोदय : हमें अपने पूरे प्रयत्न करने चाहिए। अंततः नियमों का पालन भी करना होता है।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : समय देना आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है।

सभापति महोदय : यह मेरे स्वविवेक पर निर्भर नहीं करता। वैसे 5-10 मिनट से अंतर नहीं पड़ता। आप सवाल पूछिये, यह सारी बातें कहने की नहीं है। मैं नियम पढ़ देता हूं। नियम यह है—

> "जिस सदस्य ने सूचना दी है वह एक छोटा वक्तव्य दे सकता है तथा मंत्री महोदय संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं। जिस भी सदस्य ने पहले से अध्यक्ष महोदय को सूचना दी हो और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये एक प्रश्न पूछ सकता है।"
>
> इसलिए इस पर वाद-विवाद नहीं हो सकता।

श्री आर० डी० गट्टानी : सवाल के पूछने के पहले भूमिका बनानी पड़ती है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी तक यह क्यों नहीं मालूम हो पाया कि आखिर पुल के टूटने में किस का कसूर था। यह तो एक जगह कहा गया है कि पुल की नींव में जमीन ही ऐसी निकली। क्या जब नींव खोदी जा रही थी उस वक्त यह बात नहीं मालुम हो सकी कि यह जगह कमजोर है, यहां पर खम्भा नहीं होना चाहिए ?

दूसरा मेरा सवाल यह है कि विचारे उपाध्याय के साथ भी जो लापरवाही वरती गयी, अगर वह 1959 में शिकायत नहीं करता तो संभवतः ससपेंड नहीं किया जाता। 1960 में वह

सस्पेंड किया गया और अगर 1977 में सवाल नहीं पूछा जाता तो उसका सस्पेंशन भी नहीं हटाया जाता । मैं पूछना चाहूंगा कि कौन-सी वजूहात थीं, कौन-से कारण थे जिनके कारण उनको निलम्बित करना पड़ा और इतने अर्से तक निलम्बिल करना पड़ा । ये मेरे चन्द सवालात हैं । साथ ही साथ मंत्री महोदय ने कहा है—

तकनीकी विशेषज्ञों की समिति का अवर कार्यकारी अभियन्ता के प्रतिवेदन से कोई सरोकार नहीं है । और वही बुनियाद थी और उससे लेना देना नहीं था तो फिर श्री उपाध्याय की शिकायत की क्या जांच हुई होगी ?

डा० रामजी सिंह : जो यह तीन करोड़ का नुकसान हुआ है और जिस कारण हुआ है उसके सम्बन्ध में यह कहा गया है :—

> "पुल के समय से पूर्व गिर जाने के मामले पर जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने के प्रश्न की जांच की गई है तथा पाया गया है कि जिम्मेदारी केन्द्रीय लोक निर्माण के किसी भी अधिकारी पर नहीं डाली जा सकती ।"

तीन करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित न करना बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है । अगर सी० पी० डब्ल्यू डी० पर नहीं थी तो क्या आर० एस० एस० पर थी, कांग्रेस आई पर थी, आप पर थी, किस पर थी ? इस तरह से क्वेशन को इवेड करना ठीक नहां है । यह अफसरों की चालवीजी है । तीन करोड़ के नुकशान को दवाने के लिए ही ऐसा किया गया प्रतीत होता है । यह कहा गया है कि किसी पर रिसपांसिविलिटी फिक्स नहीं की जा सकती है । मैं समझा हूं कि यह ग्रेटेस्ट—इरिसपांसिविलिटी वाली बात है । मैं चाहता हूं कि इस की मन्त्री महोदय सफाई करें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : उत्तर में कहा गया है कि इसका एक पाया, एक पिल्लर टूटा है और वहां मिट्टी ज्यादा थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या निर्माण के समय मिट्टी ज्यादा जमा हो गई थी या बाद में हुई, बन जाने के बाद हुई ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसकी कोई गांरटी भी थी कि यह इतने साल नहीं टूटेगा ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिस समय बना था उस समय कितना इस पर खर्च हुआ था और इसके टूटने के कारण कितनी हानि हुई है ? अब इसको बनाने पर कितना खर्चा आएगा ।

1973 में यह टूट गया था और आज तक भी नहीं बना है । यह बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। दिल्ली बम्बई, आगरा बम्बई का यह एक प्रमुख मार्ग है । रेल मार्ग अगर टूट जाए तो इसी मार्ग से आवागमन हो सकता है और दूसरा कोई मार्ग इसके अलावा वहां नहीं रह जाता है । इस पुल को बनाने के लिए क्या कई वार टेंडर भी नहीं मंगाये जा चुके हैं ? अब क्या स्थिति है और कब तक यह पुल बन कर तैयार हो जाएगा । इसके निर्माण में कोई दोष रहे हैं या नहीं रहे हैं ?

क्या इसको ठेकेदार से बनवाया गया था या सरकीरी अफसरों द्वारा यह बनवाया गया था ? जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे और इसकी पूरी तरह से जांच करेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : ज्यादातर सवाल रिसपांसिबिलिटी के बारे में हुए हैं । मावलंकर साहब ने कहा है कि यह क्या जादूगिरी है कि कभी इस सवाल का जवाब शिपिंग एण्ड ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर देता है और कभी वर्क्स हाउसिंग मिनिस्टर देता है । मैं अर्ज करता हूं कि यह काम उस मिनिस्टरी के लिए हमारी मिनिस्टरी ने किया था इसलिये दोनों का सम्बन्ध इससे जुड़ जाता है ।

जहां तक रिसपाँसिबिलिटी की बात है मावलंकर साहब ने ट्रुथ की बात कही है । मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं. एहतराम से उनको देखता हूं । मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमेशा यही कोशिश करता हूं कि जो ट्रुथ हो उसी को आनरेबल मैंम्बर्ज के सामने लाऊं, उसके अलावा और कुछ नहीं । सच्चाई यह है कि यह 1973 में कौलैप्स हुआ और उसकी जांच करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमैंट्स के जो टाप मोस्ट अफसर थे उनकी कमेटी बनी उसको आप एक्सपर्ट कमेटी कह लें, या ब्यूरोक्रेटस ही कह लें, कुछ भी कह लें—(इन्टरप्शंज) एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का कोई ताल्लुक उपाध्याय साहब की शिकायत से नहीं है । उसको इसके साथ मिक्स अप करने का सवाल पैदा नहीं होता । मैं पहले रिस्पांसिबिलिटी का जवाब दे दूं ।

मुझे रेस्पांसिबिलिटी के लिए यह कहना है कि जो कुछ उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है वह मैंने आपके सामने रखी । और अगर मैं यह कहूं कि मुझे उनकी रिपोर्ट में यह लगा कि सायद इसकी रिस्पांसिबिलीटी नहीं फिक्स की जा सकती है तो नाजायज नहीं होगा। क्रेडिबिलिटी उस कमेटी को जरूर माननी चाहिए क्योंकि उसमें मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान थे । उसमें जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया का भी सीनियर अफसर था । उनकी क्रेडिबिलिटी को हम डाउट करें यह मुनासिब बात नहीं है । उन्होंने कहा है कि हम किसी इंडिबिजुअल पर इसकी जिम्मेदारी नहीं लगा सकते है । जितनी मैंने समझने की कोशिश की है तो मैंने अंदाज किया कि फाउन्डेशन जो वैल का बेस है उसमें एक आर्क है । जिस स्ट्रेटा का जिक्र किया है वह आर्क मुकाम पर मौजूद नहीं है । लेकिन क्योंकि 6,7 डायमीटर है उसके किनारों पर वह स्ट्रेटा खतरनाक है । सायल टेस्ट सैन्ट्रल पांइट से हुई । दुर्भाग्य से प्रकृति ने विशेषज्ञों के विरुद्ध खेल खेला है ।

मैं मानता हूं कि ब्रिज बनाया और उसमें 3 करोड़ का नुकसान हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था क्योंकि आखिर यह पैसा जनता का है और सरकार पब्लिक फंडूस की ट्रस्टी है। लेकिन कभी-कभी हो सकता है कि ऐसा हादसा हो जाय ।

प्रकृति वस्तुओं तथा विशेषज्ञों के साथ खेल खेलती है । ऐसा सदा होता रहा है तथा अभी ऐसा हुआ है । प्रतिदिन कोई न कोई घटना घटती है । स्काई लैब को ही देखें । मैं नहीं

समझता कि इसके लिए अमरीकी सरकार कुछ विशेषज्ञों को उत्तरदायी ठहरायेगी तो यह न समझा जाय कि मैं इवेड कर रहा हूं। कोई इवेड करने का ख्याल नहीं है। अगर ऐसा होता तो चतुर्वेदी साहब ने जब बात की है, खतोकिताबत की है तो मैं इतनी दिलचस्पी के साथ इसमें जाता ही नहीं चतुर्वेदी साहब उन बातों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वह कोर्ट में हैं। लेकिन मैंने कहा कि बहुत अर्सा हो गया सस्पेंड हुए अब इनको रीइंस्टेट कर देना चाहिए। आप इसे जानते हैं। यह आदेश दिये गये हैं। मामला न्यायालय में है। उन्हें वापस लिया जाये अथवा नहीं इसके लिए हमें न्यायालय जाना पड़ा। आपकी तरफ तवज्जह नहीं होती तो दिलचस्पी का सवाल ही नहां उठता। इवेड करने के मुताल्लिक तो यों बहुत कहा जा सकता है। मुझे अगर यह लगता कि उपाध्याय के साथ नाइन्साफी हो रही है, क्योंकि इसको चतुर्वेदी साहब जानते हैं कि जिस तफसील के साथ यहां आया हूं और यह सोच कर आया हूं कि उपाध्याय के साथ नाइन्साफी हो रही है। लेकिन बाद में मुझे लगा कि ज़हन मेरे में जो एक बायस सा आया तो वह दुरस्त नहीं है। तो मुझे जब सारे कागजात पढ़ने हैं, फाइल देखनी हैं तो इमार्याशियली देखनी है, मेरी राय में इन्साफ यह है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसमें कुछ ज्यादती नहीं हुई है। रीईन्स्टेटमेंट का सवाल यह है कि वह खुद कोर्ट में हैं, उसके बावजूद भी उसको हमने रीइन्स्टेट करने के लिए कह दिया है। आदमी जो दिलचस्पी ले उसको इवेड करने की क्या जरुरत है? क्योंकि में जानता हूं कि इवेड करूंगा तो मुसीबत मैं फसूंगा। इसलिए यह सवाल खत्म हो चुका है, और इसको हर पहलू से देख लिया गया है। अब इस सवाल की मजीद परसू करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उपाध्याय के खिलाफ क्या ग्राउन्ड्स थे।

सभापती महोदय : मैं इसे आवश्यक नहीं समझता।

श्री सिकन्दर बख्त : उसका काम चालू है बहुत जल्दी हो जायेगा। तारीख तो मुझे मालूम नहीं है। जो सवाल आनरेबिल मैम्बरस ने उठाया है वह बाहर का है। मेरे साथी फरमा रहे हैं कि अगले मानसून तक पूरा हो जायेगा।

श्री छविराम अर्गल : मेरे क्षेत्र का, है मन्त्री जी ने पूरी जानकारी नहीं दी है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री पर टालने की बात नहीं है। रिस्पांसिबिलिटी तो आपकी है।

दूसरी बात यह है कि उसी स्ट्रैटा में बराबर अब भी नया पुल बन रहा है।

श्री सिकन्दर बख्त : इसका जवाब में दे सकता हूं। आपने ओरिजिनल सवाल किया था उसी मुकाम पर क्या बन रहा है? उसका जवाब, पहली चीज तो यह है कि पीअर्स उस मुकाम पर नहीं है, जहां पहले थे, लेकिन मुकाम, से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह मैट्रिक्स कान्गलोमरेट स्ट्राटा से बहुत नीचे जा रहे हैं।

मध्यान्ह पश्चात 6.16 बजे

इसके पश्चात लोक सभा 12 **जुलाई** 1979/21 **आषाढ़** 1901 (**शक**) **के** 11 **बजे मध्यान्ह पूर्व तक के लिए स्थगित हुई ।**

1979 लोक सभा सचिवालय में प्रतिलिप्याधिकार में प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और महा प्रबन्धक भारत सरकार के मुद्राणलय द्वारा मुद्रित ।